खण्ड-337, अंक-4
सोमवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1900
(19 मार्च, 1979 ई0)

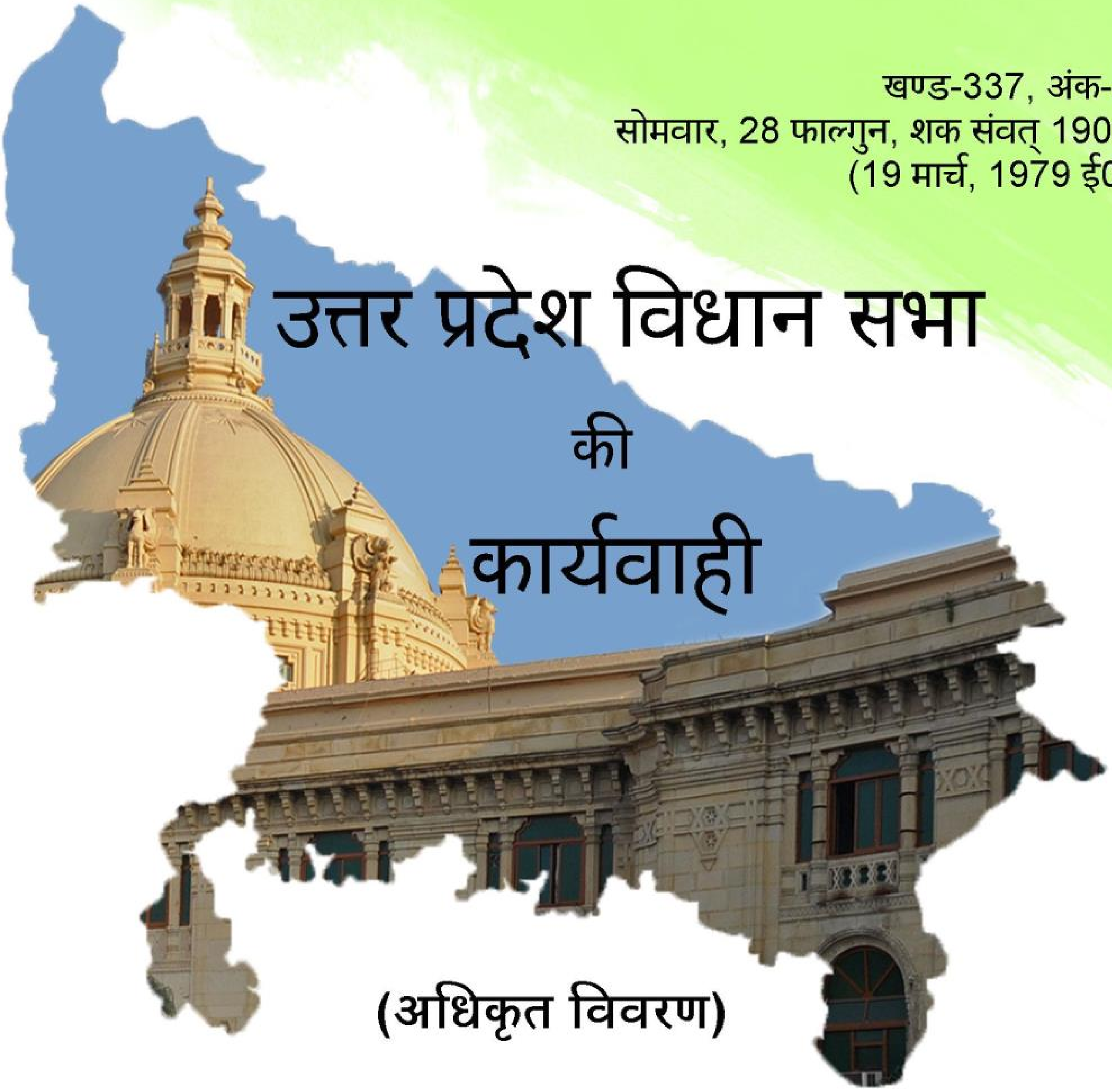

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
विविध विषय	363
विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	364
नियमावली के नियम 300(2) के अन्तर्गत उठाए गए औचित्य के प्रश्न को न सुने जाने पर आपत्ति	364
श्री राम अधार व श्री नारायण दत्त तिवारी के भाषण को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	364–365
विधान सभा सदस्य, श्री ईश्वर प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	365–369
लखनऊ विश्वविद्यालय में सुरेश नामक छात्र को गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	369–370
यमुना नदी की बाढ़ से फल, सब्जी की भूमि जलमग्न होने से हमीरपुर व उसके आस-पास के क्षेत्र के काश्तकारों में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	370–372
जनपद बस्ती में नर्सों के छात्रावास में उनके साथ गुण्डों द्वारा सामूहिक बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	372–374
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 (पुरःस्थापित किया गया।)	374
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर शासन पक्ष के सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत करने पर आपत्ति	374–375
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	375–376
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	376–407
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	407
मुजफ्फरनगर में महात्मा रविदास जयन्ती के अवसर पर हरिजनों के जुलूस पर पुलिस द्वारा कथित हमले के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	407–414
नत्थियाँ	415

उच्च न्यायालय मुजफ्फरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 19 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—342

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैध नाथ, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणि बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
श्री ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गन्जी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री

गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चान्दना, श्री
बरफिया लाल जुवाँठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बालकृष्ण, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री

बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथूरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरें, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरें वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री

राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नरायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरी चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 19 मार्च, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रादेशिक विकास दल के शिविरपाल श्री राम प्यारे यादव के प्रत्यावर्तन सम्बन्धी आदेश

**1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रादेशिक विकास दल विभाग में कार्यरत शिविरपाल को आपातकाल में प्रोन्नति प्रदान की गयी थी जिसे 20 जुलाई, 1978 को अनियमित व अवैध घोषित करते हुए उन्हें मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का आदेश वर्तमान शासन ने दिया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त शाशकीय आदेश का परिपालन प्रशासकीय समादेष्टा नहीं कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

जी हाँ, शासन द्वारा ऐसा आदेश दिनाँक 26 जुलाई, 1978 को दिया गया था जिसका परिपालन प्रशासकीय समावेष्टा द्वारा न्याय विभाग के परामर्श से किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं, यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि श्री राम प्यारे यादव से प्रादेशिक विकास दल में एक हजार क्षेत्रीय संगठनर्ता, 4 सहायक जिला संगठनकर्ता और 56 जिला संगठनकर्ता सीनियर हैं और इन सबको नजरअंदाज करके उनकी प्रोन्नति की गयी है ? और क्या यह भी सही है कि 26 जुलाई, 78 को तत्कलीन संयुक्त सचिव श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने न्याय विभाग के परामर्श से इसे सुधार कर अपने पत्र संख्या 6750/34/180/प्रा0वि0दल/77 द्वारा इनके प्रत्यावर्तन के बारे में लिखा था ? यदि हाँ, तो एक बार न्याय विभाग से परामर्श के बाद दुबारा न्याय विभाग से परामर्श लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री जमुना प्रसाद—

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस बारे में अवैधानिक तरीके से जो पदोन्नति हुई थी, उसके बारे में 8 मार्च, 1978 को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। इस नोटिस का उत्तर देने की अवधि 14 दिन रहती है। 14 दिन की अवधि बीतने के बाद, वह जिस स्थान से आये हैं, वहाँ पर जायेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

संयुक्त सचिव ने जो पत्र लिखा, वह क्या था ? और वह क्या न्याय विभाग से परामर्श के बाद वह आदेश पारित किया गया था ? यदि हाँ, तो ऐसी क्या बात आई कि दुबारा परामर्श की आवश्यकता पड़ी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बता दें कि क्या इस तरह के पत्र की आपको कोई जानकारी है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा 26 जुलाई, 78 को आदेश हुए थे, वह सही है। वह फाइल कहीं पड़ी रही और इसी 8 तारीख को उस पर फायनल आदेश हुए हैं और उनसे जवाब माँगा गया है कि आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 26 जुलाई, 78 के उस आदेश के बाद श्री राम प्यारे यादव की पत्रावली पर तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव और राज्य

मन्त्री श्री छोटे लाल ने उक्त आदेश को निरस्त कर उनके प्रमोशन की कोई टिप्पणी लिखी है और इसी कारण आदेश पालन में विलम्ब हुआ और वह टिप्पणी क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जो 26 जुलाई को आदेश हुए थे, उस आदेश के बाद वह पत्रावली कहीं दबी रही थी। जब प्रश्न आया तो उससे सम्बन्धित पत्रावली मंगाई गयी और 8 तारीख को उनको आदेश दिए गए हैं कि आप बतायें कि आपको क्यों न प्रत्यावर्तित कर दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन, ऐसा लगता है कि इस मामले में कि कुछ सीनियर लोगों की हकतल्फी करके राम प्यारे की पदोन्नति की गयी है, तो जिन अधिकारियों द्वारा इस बारे में सिफारिशें हुयीं और प्रोमोशन किया गया, उसकी जाँच करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर दिया,यह जो प्रोमोशन किया गया था अवैधानिक तरीके से यह जनता शासन ने नहीं किया था। यह प्रोमोशन 1973 में किया गया था जब इस प्रदेश में काँग्रेस सरकार थी। 1974 में इसको प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिए गए। लेकिन उस प्रत्यावर्तन के आदेश को उन्होंने उस वक्त नहीं माना। उसके बावजूद प्रोमोशन दे दिया। जब जनता शासन आया तो प्रत्यावर्तित करने की पुनः कार्यवाही की।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने उस पर क्या टिप्पणी लिखी है और माननीय छोटे लाल यादव ने भी कोई टिप्पणी लिखी है ? माननीय सदन को बतायें कि क्या टिप्पणी लिखी गयी, ताकि पूरी जानकारी कर पायें ?

श्री जमुना प्रसाद--

इस सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर और प्रश्न बहुत स्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि 26 जुलाई, 1978 को उस कर्मचारी को प्रत्यावर्तित करने के आदेश पारित किए गए, उन आदेशों का कार्यान्वियन स्थानीय अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। क्या इस सम्बन्ध में उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका कार्यान्वियन नहीं हुआ, इसके ऊपर शासन कोई विचार कर रहा है ? यह पूछ रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैंने उत्तर दे दिया है माननीय सदस्य को। मेरा कहना है कि 26 जुलाई को जो आदेश पारित किए गए उनका कार्यान्वियन हो चुका है। 8 तारीख को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नोटिस की क्या जरूरत पड़ गयी जब, मान्यवर, प्रत्यावर्तित करने के आदेश जारी कर दिए गए ? दोबारा कारण बताओ नोटिस की क्या जरूरत पड़ गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह पहले जवाब दे चुके हैं। इसकी अब आवश्यकता नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो फाइल उनके सामने पड़ी है, उसमें भूतपूर्व मुख्य मन्त्री तथा माननीय छोटे लाल यादव की टिप्पणी अब भी मौजूद है, इस बात को जानते हुए कि टिप्पणी में मौजूद है, इसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में जवाब दे चुके हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह—

यह उसी फाइल में है ।

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राम प्यारे यादव ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है या नहीं ? यदि ले लिया है, तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही करने की क्या जरूरत है ?

श्री जमुना प्रसाद—

हाँ, मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने अभी पूछा है, हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है ।

बोर्ड की हाई स्कूल व इण्टर की परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की मांग

**2—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर), श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया) तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि सरकार उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल व इण्टर की वर्ष 1979 की परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है ? क्या इस सम्बन्ध में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों द्वारा मांग भी की गयी है ? यदि हां, तो कब तक आदेश कर दिया जायगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

जी नहीं, क्योंकि निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षाएं कराने की व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है तथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं । अतः इस हेतु की गयी मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इससे पूर्व भी शिक्षा में हुए व्यवधान को देखते हुए परीक्षायें बढ़ाई गयी थीं ? यदि हां, तो इस वर्ष सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एंसिफेलाइटिस के नाते एक महीना और एक-डेढ़ महीने आरक्षण और दूसरे आन्दोलनों के कारण शिक्षण संस्थायें बन्द थीं, क्या इसको देखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कभी भी परीक्षा की तिथियां नहीं बढ़ाई गयी थीं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह विदित है कि तबदीली किए गए परीक्षा स्थलों पर पर्चे समय से पहुंच जायेंगे विशेष कर मेरठ क्षेत्र में ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इस प्रकार का केन्द्र परिवर्तन मैंने अपने स्तर पर नहीं किया है । जो घोषणा मैंने की थी वह परिवर्तन केवल लड़कियों के सेन्टर्स का था ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों विद्यार्थियों को 15 दिन की हाजिरी की रियायत दी गयी । 8 किलो मीटर से दूर जो लड़कियों के सेन्टर्स थे, उनमें परिवर्तन किया गया । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उनकी

सारी तैयारियां हो गयी हैं और पूरा प्रबन्ध हो गया है। केवल जिला हेडक्वाटर्स पर हाजरी माफी के आदेश अब पहुंचे हैं, यह मेरी जानकारी है। कहीं ऐसा न हो कि जो आदेश तबदीली के बारे में गये हैं उनके कारण परीक्षार्थियों को कष्ट पहुंचे। क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी भी छात्र को इस तरह की कोई कठिनाई न उठानी पड़े ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न विद्यालयों ने परीक्षा पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाए हैं तो क्या वह परीक्षाओं को स्थगित करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पाण्डेय ग्रुप और ओम प्रकाश गुट हैं। क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट व्यवस्था देंगे कि आज से परीक्षा शुरू हो गयी है, तो उसमें किसी किस्म की तबदीली नहीं होगी और पर्चे सही रूप से परीक्षा केन्द्रों में पहुंचेंगे। यदि नहीं पहुंचेंगे, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नकल करने की कठिनाई को देखते हुए आप अपनी परीक्षाओं को चला सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की सदन को निश्चित जानकारी देंगे कि जो आदेश विभिन्न जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं, उनकी जानकारी इस समय करायेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदेश जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं ? हमने अपील भी की है कि परीक्षाओं में किसी किस्म की गड़बड़ी न उत्पन्न की जाय और उनका संचालन सुचारु रूप से किया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने बोर्ड को भी आदेश दिए हैं कि परचे वगैरह टाइमली पहुंच जायें और अगर नहीं पहुंचते हैं, तो सम्बन्धित कर्मचारियों को दंडित करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

आज तक की सूचना के आधार पर यह सारी कार्यवाही की जा चुकी है। परीक्षा केन्द्रों का एलाटमेंट हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाए जायेंगे, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का भी आश्वासन देंगे कि किसी कर्मचारी के नेग-लीजेन्स के कारण कोई भी छात्र परीक्षा देने से वंचित न रह जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यवस्था की जायगी कि किसी छात्र के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है तो उसको कहीं पर भी परीक्षा में बैठने को दे दिया जाय और उसके सम्बन्ध में कार्य-वाही बाद में हो ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इसका इससे प्रश्न नहीं उठता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसका जवाब दें। माननीय राजेन्द्र कुमार गप्त जी आप प्रश्न को और स्पष्ट कर दें।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न काल्पनिक है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं तय करूंगा।

जो आपने निर्देश भेजे हैं, क्या वे आपने केन्द्र जो हैं उन पर भी भेजे हैं ? गुप्त जी आप अपने प्रश्न को फिर से स्पष्ट कर दीजिए ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न तो काल्पनिक है, इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि अगर परीक्षा केन्द्रों पर कोई ऐसा लड़का जाता है जिस का एडमिशन कार्ड मिलने में देरी हुई हो या बोर्ड द्वारा कोई आपत्ति लगा दी गयी तो उसका निस्तारण तो होता रहेगा लेकिन उसे परीक्षा में बैठने की प्रोविजनल रूप से इजाजत दे दी जायगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इसके लिए जांच की कार्यवाही पूर्ण करनी ही होगी। उसके बाद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा।

प्रदेश में विचाराधीन पूर्ण मद्य निषेध योजना

ए०-337
13 March 1979

**3—श्री राम आसरे वर्मा, श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी), श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर), श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोण्डा), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि 1 अप्रैल, 1979 से प्रदेश में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के बारे में शासन ने कोई घोषणा विधान सभा के गत सत्र के दौरान की थी ? यदि हां, तो अब तक कितने जिलों में मद्य निषेध लागू हो गया है और जिन जिलों में लागू नहीं किया जा सका है उनमें लागू न किए जाने के क्या कारण हैं और उन जिलों में कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य एंव चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

विधान सभा के गत सत्र के दौरान यह कहा गया कि 1 अप्रैल, 1979 से पूरे प्रदेश म पूर्ण मद्य निषेध लागू करना शासन के विचाराधीन है। अब तक प्रदेश के 19 जिलों में पूर्ण मद्य निषेध लागू किए जाने के आदेश किए जा चुके हैं जिनमें से 12 जिलों में 1 अप्रैल, 1978 से पूर्ण मद्य निषेध लागू हो गया है और शेष 7 जिलों में 1 अप्रैल, 1979 से पूर्ण

मद्य निषेध लागू किया जायगा। अन्य जिलों में आर्थिक कारणवश अभी पूर्ण मद्य निषेध लागू नहीं किया जा सका है। समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार शीघ्र ही अगले तीन वर्ष के अन्दर पूरे प्रदेश में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 12 जिलों में 1 अप्रैल, 1978 से पूर्ण मद्य निषेध लागू हो गया था और 7 जिलों में 1 अप्रैल, 1979 से लागू किया जायगा, तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि ये 7 जिले कौन-कौन से हैं तथा वे आर्थिक कारण क्या हैं जिनका जिक्र माननीय मन्त्री जी ने किया है जिनके कारण वे अन्य जिलों में मद्य निषेध लागू नहीं कर सकेंगे? माननीय मन्त्री जी ने यह भी बताया है कि इसको वे 3 वर्ष में पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे, तो क्या उन्हें विश्वास है कि वे आगामी 3 वर्ष तक शासन में बने रहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले 2 प्रश्नों का मन्त्री जी उत्तर दे दें, तीसरे की मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रमाशंकर कौशिक—

इस बात को वे सुनिश्चित कर लें कि हम बराबर बने रहेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इनकी छाया बनी रहेगी?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पहाड़ी जिलों में मद्य निषेध वर्ष 1972 से ही लागू था। पिछले वर्ष 7 ही जिलों में लागू किया गया था? जिन 7 जिलों में पहली अप्रैल, 1979 से हम मद्य निषेध करने जा रहे हैं वे हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई और सीतापुर। जहां तक वित्तीय कारणों का प्रश्न है प्रदेश में जो शेष जिले रह गये हैं, उनमें मद्य निषेध करने से शासन को 36 करोड़ रुपए का घाटा पड़ेगा। हम वित्तीय साधनों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 36 करोड़ रुपए के घाटे को हम पूरा कर सकें। इसी कारण से पूरे प्रदेश में मद्य-निषेध लागू करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद जो तीर्थराज कहा जाता है और है भी, वहां पर मद्य निषेध लागू न करने के क्या कारण हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहां तक तीर्थ स्थल का प्रश्न है, पूरा आर्यवृत, भारत ही तीर्थ स्थल है। हर जिले में कोई न कोई ऐसा स्थल है ही। फिर भी उनके बारे में शासन विचार कर रहा है। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि पहली अप्रैल से जो हमारी राजधानी है उसमें किधर से भी शराब न आ सके और तीर्थ स्थलों की दृष्टि से भी जो बहुत ज्यादा तीर्थ स्थल माने जाते हैं उनमें से इलाहाबाद तो एक निराला ही तीर्थ स्थल है, श्रीमन्।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 12 जिले पहले और 7 जिले पहली अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं। इन 7 जिलों में प्रथम यह बतायें कि कितनी आमदनी होती थी और कितना उन्हें घाटा होगा और फिर उसका इन्फोर्स करने के लिए प्रोहिबिशन पर खर्च और कितना अधिक हो जायगा। साथ-साथ यह भी बताया जाय कि पहली अप्रैल ही क्यों चुना है? क्या वेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। नशाबन्दी के संबंध में वेवकूफ प्रदेश को तो नहीं बना रहे हैं। कि नशाबन्दी करना नहीं चाहते हैं। ये पहली अप्रैल ही क्यों चुने हैं? पिछले साल पहली अप्रैल और इस साल भी पहली अप्रैल, क्योंकि सरकार नशाबंदी में विश्वास तो करती ही नहीं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, पहली अप्रैल का महत्व मैं समझता हूं कि माननीय मिश्रा जी को तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है। बजट सत्र भी आपका जो शुरू होता है पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब जो सात जिले लिये जा रहे हैं इनमें 9 करोड़ 70 लाख और कुछ हजार जिनका मुझे स्मरण नहीं है। 9 करोड़ 70 लाख रुपये का घाटा है।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, मेरे सवाल दो थे। श्रीमन्, कि कितना इससे घाटा होगा, फिर वहां जिसमें कि शराबबंदी सचमुच हो, इन्फोर्स स्टाफ लगाया जायगा, उस पर कितना व्यय होगा, यह तो बतायें ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

अब चोरों के ऊपर भी पैसा लगाया जाता है, चोरी लोग करते हैं। पुलिस का जो हमारा फोर्स है और जो इन्फोर्स हमारा आबकारी विभाग में रहेगा, वही लोग रहेंगे। बाकी हम मिश्रा जी से मदद उसमें लेना चाहेंगे।

श्री ऊदल—

यह जो शराबबंदी से अभी बकिया जिलों के बारे में 30 करोड़ से ऊपर बताया, 7 जिलों का कुछ करोड़ है, 100 करोड़ है जो प्रदेश में हानि होगी, इसके बारें में भारत सरकार से भी कोई बातचीत हुई है कि इस घाटे की पूर्ति की जाय एक बात और दूसरी बात आपने जो कहा कि इसके लिए साधन जुटाने की सोच रहे हैं, क्या साधन जुटाने की बात अब तक हो चुकी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

भारत सरकार से अब तक 50 फीसदी, जितना घाटा होता है 5 साल तक वह हमको देते रहेंगे और तभी पिछले साल जो हुआ, उसका इस साल दिया, जितना इस साल होगा, पिछले साल और इस साल का मिला कर देंगे। अगले साल जो होगा उसको भी मिला कर वह देंगे। बाकी जो संधन की बात है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं कि आबकारी विभाग ही हमारे प्रदेश में अब तक शासन में पिछले शासन की जो नीति रही है, उससे बड़ा हम लोगों का अहित हुआ है। अल्कोहल पर आधारित जितना उद्योग था, वह अभी यहाँ न खोल कर दूसरे प्रदेश में खुला, जबकि शीरा हम लोगों के पास बहुत मौजूद था। आप ताज्जुब करेंगे कि जो अल्कोहल है, दूसरे देशों को भेजा, उस पर हमारे शासन ने एक पैसा नहीं लिया था। दूसरे प्रदेश तो 25 पैसे लेते थे। अगर हमारे यहाँ ही इंडस्ट्री लगायें तो डेढ़ रुपये की माँग करते थे। हमारे यहाँ इस अल्कोहल का अधिक से अधिक उत्पादन होगा और अधिक से अधिक उनकी खपत विभिन्न उद्योगों में जो आज नये प्रकार के उद्योग चाल हैं, उनकी स्थापना में होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अल्कोहल के वितरण और उसके नीति के संबंध में राष्ट्रीय योजना के अनुसार हो विचार आदि किया जाता है और उसके वितरण के संबंध में एक राष्ट्रीय निर्णय हुआ करता है और इसी नीति के अनुसार पिछली सरकार ने एक सिन्थेटिक की फैक्टरी भी लगायी ताकि अल्कोहल का इस्तेमाल हो सके, क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पूरी बात सही नहीं है। यह सही है कि राष्ट्रीय सरकार भी इसमें दखल रखती है, लेकिन परचेज टैक्स और वेन्ड टैक्स तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही लगाती है। जो हम दूसरे प्रदेशों को देते हैं, उससे 25 पैसे लेते हैं और अपने यहाँ जो देते हैं, उनसे 40 पैसे परचेज टैक्स के लेते हैं और 1.10 रुपये जो कि नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने लगाये थे, वेन्ड फी के रूप में लेते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें काफी तथ्य सामने नहीं आ पाये हैं, मैं आधे घंटे की चर्चा की माँग करता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर काफी सवाल हो चुके हैं, अभी आध घंटे की चर्चा की भी माँग माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा की गयी है। मैंने उनसे कहा है कि वे लिख कर कृपया दे दें, मैं आधे घंटे की चर्चा इस पर दे दूगा और सवाल अब इस पर नहीं होंगे।

जौनपुर जिले के विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज के मालिक की गिरफ्तारी

**4—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर कोल्ड स्टोरेज के मालिकों में इस बात के लिए असन्तोष हैं कि वहाँ के जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी, परियोजना के माध्यम से रुपयों की माँग करते हैं ? क्या इस माँग की पूर्ति न होने के कारण जौनपुर विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज के मालिकान को दिनाँक 16 फरवरी, 1979 को गिरफ्तार किया गया था ? यह गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और क्या हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

जी नहीं।

विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज के मालिक श्री बाँके लाल तथा मैनेजर श्री बनारसी लाल को उ0 प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियम (लाइसेंस देना) नियमावली, 1976 की धारा 3 (19) तथा कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 13-14 (2) व 32 के उल्लंघन के अपराध में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार के आदेश की जानकारी शासन को नहीं है।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, मेरी एक आपत्ति तो यह हैं कि मुझे लिखित उत्तर इसका मिल जाना चाहिये था, जो मझे नहीं मिला है। फिर भी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के आदेश की अगर उनको जानकारी नहीं है, तो वे कृपया यही बता दें कि विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज के मालिक के खिलाफ जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी है, उसमें क्या आरोप हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

एफ0 आई0 आर0 दो तीन मुख्य धाराओं के अन्तर्गत लिखायी गयी हैं। एक शिकायत तो उस कोल्ड स्टोरेज के खिलाफ यह थी कि फर्जी रिजर्वेशन के नाम पर लोग बक किये रहते थे और जब किसान रिजर्वेशन के लिये जाते थे तो वे उनसे इन्कार कर देते थे, ऐसा धारा 14 (2) के अन्तर्गत अपराध है। दूसरी शिकायत धारा 32 के अन्तर्गत है। मान्यवर, यह जो धारा 32 है उसमें जो किसानों से पैसा लेते हैं उसकी रसीद देनी चाहिए। क्योंकि वह अधिक पैसा बढ़ा-चढ़ा कर लेते हैं इसलिए उनकी आम तौर पर शिकायत रहती है। किसान परिषद तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा शिकायतें आयी हैं कि 3 से 5 रुपये प्रति बोरी अधिक लेते हैं। इतना ही नहीं यह जो रिजर्वेशन की कार्यवाही है वह कोल्ड स्टोरेज के प्राँगण में होनी चाहिए। इसी तरह की जो मुख्य-मुख्य शिकायतें हैं उन पर कार्यवाही की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो यह कहा कि मेरे पास अभी तक उत्तर नहीं आया है, तो उसे मेरे हाँ कार्यालय में आकर आप लोग देख सकते हैं। मेरे कार्यालय का आदमी आपके यहाँ गया था लेकिन आपके यहाँ ताला बन्द था। आप कृपया मेरे यहाँ आकर उत्तर देख लिया करें।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, जो आपने कहा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज है इसके संबंध में कोई पब्लिक की ओर से शिकायतें की गयी हैं? यदि नहीं की गयी हैं, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी निश्चित जानकारी है कि हाई कोर्ट ने स्ट्रकचर पास किया है और जो गिरफ्तारी की गयी है वह नाजायज तथा गैर कानूनी है, तो मान्यवर मेरी जानकारी के आधार पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह पूछ रहे हैं कि क्या कोई पब्लिक की शिकायत आयी थी ?

श्री ऊदल—

मान्यवर, एक तो मैंने ही शिकायत की है माननीय मंत्री जी से।

श्री शिव मंगल सिंह—

हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट दायर की है उसमें उन्हें स्टे मिला है। अतः इसमें अब कार्यवाही का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। दूसरी बात पब्लिक संस्थाओं द्वारा की गयी शिकायतों के संबंध में है कि कोई शिकायत आयी है कि नहीं, इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि अनेकों शिकायतें व्यक्तिगत कृषकों से प्राप्त हुई हैं। जनता पार्टी के कार्यालय से तथा भारतीय किसान परिषद, जौनपुर संस्था के माध्यम से प्राप्त हुई। श्री प्रेम शंकर दुबे, जिला उद्यान अधिकारी ने लिखकर दिया कि इस कोल्ड स्टोरेज के विरुद्ध इस आशय कि काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। श्री उमा नाथ सिंह, अध्यक्ष, जिला जनता पार्टी, जौनपुर तथा श्री शशी कान्त वर्मा, एडवोकेट ने भी इसी आशय के पत्र लिख कर भेजे थे, तो जिलाधिकारी ने एक डिप्टी कलेक्टर एवं कुछ और लोगों के साथ पुलिस को लेकर उनके यहाँ गये और रिजर्वेशन के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि 3 रुपये प्रति बोरी आप दीजिये तो 180 रुपये उन्होंने निकाल कर दिये और उन नोटों पर हस्ताक्षर थे। उसके बाद उन्होंने यह बताया कि वे डिप्टी कलेक्टर हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैंऔर क्या वे यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि क्या इसी प्रकार की कार्यवाही पूरे प्रदेश के अन्दर, जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ भी की जायेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, जिलाधिकारियों को आदेश दिये जा रहे हैं कि यदि किसी कोल्ड स्टोरेज के मिल मालिकों के खिलाफ किसानों की शिकायतें प्राप्त हों तो सख्त कदम उठाये जायं।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज के मालिक 25 रुपये प्रति, 80 किलो के हिसाब से आलू रख रहे हैं और किसानों की लागत भी नहीं आ रही है तो क्या उसका मूल्य दिलाने की कृपा करेंगे और जो रुपया व्यय किया है उसको दिलाने का कष्ट करेंगे और कोल्ड स्टोरेज वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होने घोषणा की है कि जहाँ-जहाँ शिकायतें आयेंगी, उसको देखेंगे।

श्री नेम सिंह चौहान—

मान्यवर, अलीगढ़, बुलन्दशहर में आलू सड़ रहा है। जयपुर भी भेजा गया, लेकिन वहाँ भी 5 रुपये बिका, जिससे ट्रक का किराया भी नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आप दूसरा सवाल कर दें।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज वालों ने दरों में वृद्धि की थी इसलिये कार्यवाही की। लेकिन प्रश्न देखें मूल प्रश्न है कि जिलाधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी घूस माँगते हैं। अगर वह घूस दे देते तो कुछ नहीं होता, तो इस संबंध में किससे उन्होंने जाँच करायी है? दूसरी बात यह बतायें कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसकी कुछ बातें बता दें उसमें यह बात आयी कि घूस लेना चाहते थे या नहीं? अगर वह ज्यादा रुपया लेते थे और अधिकारियों ने घूस माँगी तो दोनों बातें गलत हैं?

श्री शिव मंगल सिंह--

जहाँ तक कोल्ड स्टोरेज के मिल मालिकों की शिकायत की बात है उन्होंने जिलाधिकारी और परियोजना अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है। जिलाधिकारी का घूस लेने का कोई प्रश्न पैदा नहीं है। जो दूसरे परियोजना अधिकारी हैं उनको इस आलू के मसले से कोई संबंध नहीं है। इसलिये बात समझ में नहीं आती। अगर आप सोचते हैं कि यह रिश्वत ले रहे थे और नहीं दिया तो खिलाफ होकर ऐसा किया, अगर ऐसा होता तो जो छापा मारा गया और पकड़ा गया वह कार्यवाही नहीं हुई होती।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मंत्री जी केवल नतीजा निकाल रहे हैं। मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। आप अनुमान बता रहे हैं।

श्री शिव मंगल सिंह--

मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि श्यामधर जी हमारे बुजुर्ग और पुराने विधायकों में से हैं। अब इसका अर्थ यह लगा लें कि जिन जगहों पर चोरियाँ होती हैं और जो चोरी में पकड़ा जाय वह यह कहे कि जिसने पकड़ा है उस पर कार्यवाही हो तो अभी इस तरह से इस देश में नहीं होता है। माना यह जाता है कि जिसने पकड़ा है वह सही है। जिलाधिकारी और परियोजना अधिकारी का इससे संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त एफ0 आई0 आर0 लाज की गयी है।

श्री देवबहादुर सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी श्यामधर जी को बुजुर्ग कहते हैं। यह वापस लें, श्यामधर बुजुर्ग नहीं हैं।

(हंसी)

श्री शिव मंगल सिंह--

अगर छोटों को मैं बुजुर्ग मानता हूं तो गलती नहीं करता।

तारांकित प्रश्न

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

फसल बीमा योजना की मांग

*2--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किसान की फसल की दैवी आपदा (ओला, पाला, सूखा) एवं छन की बीमारी से नष्ट एवं बर्बाद हो जाने पर क्या सरकार किसान की फसल की सुरक्षा हेतु फसल बीमा नीति आरम्भ करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब से?

श्री शिव मंगल सिंह—

राज्य में फसल बीमा योजना के लागू किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन रहा है। अभी तक कोई उपयुक्त बीमा योजना बन नहीं पाई है जिससे किसानों की फसलों में हुई क्षति के लिए उनके द्वारा प्रीमियम दिये जाने और उन्हें मुआवजा दिये जाने का प्रबन्ध किया जा सके।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, किसानों की फसल जो दैवी आपदा जैसे छूत की बीमारी, सूखा, पाला और ओले से इतनी बरबाद हो जाती है कि किसान हमेशा के लिये बरबाद हो जाता है और इसलिये उनको केवल लगान में छूट और कुछ अनुदान दे दिया जाता है। अतः क्या मंत्री जी ऐसी उपयुक्त योजना बनायेंगे जिससे इस बरबादी का समुचित मुआवजा किसानों को देकर उनको पुनर्वासित किया जा सके? दूसरे जो बीमा की योजना सरकार के विचाराधीन है उसको उपयुक्त बनाने में कितना समय अभी और लगेगा?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, फसल की बीमा किये जाने का प्रश्न 1960 से विचाराधीन रहा है। शासन द्वारा 1975 में यह निर्णय लिया गया कि इसके ऊपर एक व्यापक विचार किया जाय। इसी बीच केन्द्र सरकार से इस पर एक माडल योजना बनाकर राज्य सरकारों को भेजी गयी और राज्य सरकारों ने उस पर विचार किया और अपने विचारों से केन्द्र सरकार को अवगत कराया। केन्द्र सरकार ने उसको देखा और उस पर एक इक्सपर्ट कमेटी बनायी जो इस पर विचार कर रही है। इसी बीच राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में थोड़ा विचार किया और एक कमेटी बनायी। इस प्रदेश में भी शीघ्र ही एक कमेटी बनायी जायेगी जो इस पर विचार करेगी कि किस प्रकार किसानों को राहत दी जाय। वर्मा जी ने सही कहा है कि जो काफी मात्रा में किसानों की फसल दैवी आपदाओं से नष्ट हो जाती है उस पर गम्भीरता से विचार किया जाय। अभी तक इस प्रकार की क्षति होने पर अनुदान और लगान में छूट दी जाती है। लेकिन कोशिश करना चाहिये कि किसानों को किस प्रकार संतुष्ट किया जाय और कैसी सहायता दी जाय इस पर हम गम्भीरता पूर्वक विचार करें और ऐसी नीति बनायें कि आने वाली क्षति में किसानों की सहायता हम कर सकें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बीमा योजना के अन्दर किन-किन पहलुओं के ऊपर उस कमेटी में विचार हुआ है और जो केन्द्र सरकार ने कमेटी बनायी है उसमें किन-किन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है जिससे किसानों को कोई सहायता मिल सके?

श्री शिवमंगल सिंह—

केन्द्र सरकार से जो स्कीम आयी थी उसे राज्य सरकार ने विचार किया तो उसमें ऐसा लगा कि उससे कोई बहुत अच्छी मात्रा में किसानों को सुविधा नहीं प्राप्त हो सकेगी। जी0 सी0 आई0 ने जो विचार किया था उससे भी लाभ नहीं होता है। जो बीमा का रेट था वह व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि सामूहिक रूप से था जिससे लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिये इसको न मानकर पुनः विचार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो वास्तविक नुकसान हो उसमें काफी सहायता मिले।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार फसल की बीमा योजना लागू करना चाहती है परन्तु उपयुक्त योजना अभी तक नहीं बन पायी है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने फसल बीमा योजना का एक रूप बनाया और उनको लागू किया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस बीमा योजना को शीघ्र वहां से मंगाकर उसका अध्ययन करेंगे और बिना बिलम्ब किये हुये उसको यहां लागू करेंगे?

श्री शिव मंगल सिंह—

मैंने निवेदन किया कि फसल बीमा योजना पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और सारे राज्यों की जो स्कीम है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जिससे इस तरह की राहत किसानों को दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो बताया है कि पंजाब से, तो वहां से भी मंगाया होगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

किसी भी प्रदेश की योजना होगी, तो मंगाकर देखेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इस पर एक-एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें क्योंकि अहम मसला है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह बड़ा मसला है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं, मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो माडेल योजना भारत सरकार से आई है, वह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बता चुके हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

नहीं बताया, मान्यवर। माडेल योजना है क्या यह तो बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब उन्होंने विस्तार से बता दिया। एक कमेटी बैठी है जो इन सभी बातों पर विचार कर रही है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो कमेटी बनाने की बात की है, क्या उस कमेटी के लिये कोई टर्म आफ रेफरेंस और नीति बना कर कमेटी को दिया है कि जिस पर कमेटी विचार करेगी या वैसे ही कमेटी बना देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

कमेटी सभी बातों पर विचार करेगी।

श्री शिव मंगल सिंह—

एक चीज स्पष्ट कर दूं—जो कमेटी के बारे में निर्णय लिया है, सही बात यह है कि कमेटी के सदस्य मनोनीत नहीं हुये हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि उस कमेटी की सदस्यता जल्दी तय कर दूं और जल्दी कार्य शुरू कर दूं।

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, उन्होंने उत्तर दिया कि एक इक्सपर्ट कमेटी केन्द्रीय सरकार ने बनाई है। दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार बनाने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि इक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्णय कब लिया गया है और यह कब तक गठित कर दी जायेगी। उसमें किस प्रकार के सदस्य रखे जायेंगे और टर्म आफ रेफरेंस उस कमेटी के लिये क्या-क्या होगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कमेटी बन जाये तो डिटेल्स बताया जा सकता है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, यह ऐसा प्रश्न है कि जनरल इंश्योरेंस इस काम को कर सकता है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह प्रश्न हमारे विचाराधीन है। भारत सरकार ने इस पर गौर किया और फिर जनरल इंश्योरेंस को सुपुर्द कर दिया। उसमें केवल प्रीमियम में

अव्यवहारिकता है। तो सरकार विचार करके इस कार्य में जनरल इन्श्योरेंस की सहायता लेगी और उन्हीं के परामर्श से करेंगे कि इसमें किस तरह से बाम्बे योजना को लागू किया जा सकता है।

इनफैन्ट मिल्क पाउडर फैक्ट्री, दलपतपुर मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्री रियासत हुसैन—

क्या पशुधन मन्त्री को इनफैंट मिल्क पाउडर फैक्टरी, दलपतपुर, मुरादाबाद के मिस मैनेजमेंट के सम्बन्ध में समय-समय पर संस्था में कार्य करने वाले मजदूर यूनियन के अध्यक्ष और महामन्त्री की ओर से शिकायती-पत्र 1977–78 में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)—

जी हां। इन शिकायती पत्रों में दिये गये तथ्यों के संबंध में दुग्ध आयुक्त व प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन से जानकारी प्राप्त करके आख्या देने के लिए कहा गया जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, आप कृपया इस प्रश्न के बारे दे खें। यह जो पिछला सत्र था, जिसका प्रोरोगेशन हुआ, उसके पहले प्रश्न दिया था। दुबारा जब सत्र प्रोरोगेशन में आ गया, तो दुबारा 17–1–1979 को यह प्रश्न दिया और 13–2–1979 को यह भेज दिया गया। मुझे इस बात का दुख है कि अब तक इस माननीय सदन के सामने जो प्रश्नों के जवाब आते थे, वे सचिव के द्वारा शासन से देर से सूचना प्राप्त होने पर छपते थे। लेकिन जो यह प्रश्न है इसमें मिल्क कमिश्नर और जो विभागाध्यक्ष अधिकारी है, उनकी हिफाजत करने के लिये जवाब दिया है—उनसे जवाब नहीं प्राप्त हुआ है। तो श्रीमन्, इसको गौर से देखें। साथ ही यह प्रश्न भी कर रहा है कि इसी एजेन्डे में दलपतपुर फैक्ट्री के संबंध में 6/7 प्रश्न हैं जो आगे एजेंडे में नहीं आ पावेंगे। इन्होंने तसलीम किया है कि पिछले तीन सालों में 75 लाख का घाटा दलपतपुर फैक्ट्री में हुआ है और उसी सम्बन्ध में सारी शिकायतें आई हैं। मंत्री जी ने स्वयं भी निरीक्षण किया है। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए कि सारे घाटे मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड आफ डायरेक्टर की वजह से हुए हैं, तो क्या मंत्री जी स्वयं जांच करने के बाद बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के पुनर्गठन करने के ऊपर विचार करेंगे?

श्री अब्दुल हलीम खां—

मान्यवर, यह बात सही है कि दलपतपुर फैक्ट्री में बहुत बड़ी है। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि इस सवाल का जवाब देने में बहुत देरी हुई है और जो इम्पारटेंट ईशूज और शिकायतें रखी गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से उतनी दिलचस्पी नहीं ली गयी, जितनी ली जानी चाहिए थी। मैं इसके लिए इस सदन के सामने खेद प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दलपतपुर फैक्ट्री के सम्बन्ध में चाहे वह आग लगने की बात हो या अन्य शिकायतें जो इस खत में हैं, उनकी जांच की जायेगी और जिन लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न को स्थगित कर दूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप स्थगित कर दें। लेकिन प्रश्न तो हो जाने दें। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब यह शिकायतें सन् 1977–78 में आई ठीक महीना तो नहीं मालूम लेकिन फिर भी साल डेढ़ साल पहले शिकायतें आई और उन्हें अधिकारियों के पास भेज दी गयीं लेकिन उत्तर नहीं

आया। इस सम्बन्ध में जो हमारी मालूमात है और मंत्री जी को भी उनकी जानकारी है क्योंकि वे पुराने सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह बात सही नहीं है जब इस प्रकार के शिकायती पत्र जाते हैं तो अधिकारीगण जिनके खिलाफ शिकायतें होती हैं वे शहादत सम्बन्धी कागजात गायब कर देते हैं। ऐसी दशा में क्या यह उपयुक्त नहीं होगा शिकायतों के सम्बन्ध में जो भी कागजात हों, उनको जब्त कर लिया जाय जिससे कि इन्क्वायरी सही ढंग से की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी ने खेद भी प्रकट कर दिया और आश्वासन भी दे दिया है कि पूरी जांच करके माननीय सदस्य को सूचित कर देंगे। अब प्रश्न संख्या 4 लेता हूं।

नैनीताल जिले की भतरौजखान-बैतालघाट सड़क को पक्का किये जाने की मांग

*4—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद नैनीताल में बैतालघाट क्लाथ के अन्तर्गत भतरौजखान बैतालघाट (जिला परिषद् ब्राइडिल) रोड को पक्का मोटर मार्ग बनाये जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जमुना प्रसाद—

प्रश्नगत ब्राइडिल रोड जिला परिषद् नैनीताल की है तथा परिषद् अपने निजी साधनों से इसे पक्का करने में समर्थ नहीं है।

इस सम्बन्ध में जिला परिषद्, नैनीताल ने अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी निर्माण खण्ड नैनीताल से सड़क के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

श्री रामदत्त जोशी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, नैनीताल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जो पत्र-व्यवहार किया उसमें इस बात का जिक्र है कि जो मार्ग बेतालघाट से भतरौजखान तक बनना है उसकी लम्बाई कितनी है और उसका विवरण कितना है ?

श्री जमुना प्रसाद—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामदत्त जोशी—

जब रोड को बनाने के लिये लिखा है तो उसकी लम्बाई तो दी ही गयी होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचना है उसमें यह नहीं है। सारी सूचना मंगा कर देंगे।

श्री रामदत्त जोशी—

पत्र में यह तो होगा कि यह सड़क कितनी लम्बी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब जब उन्होंने कह दिया कि सूचना की आवश्यकता है तब फिर इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं है।

सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

*5—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची (ग्रेडेशन

लिस्ट) सन् 1967 के बाद अब तक नहीं प्रकाशित की गई है ? यदि ज्येष्ठता सूची नहीं प्रकाशित की गई है तो क्यों और पदोन्नतियां किस आधार पर की गई हैं ? यदि ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने के आरोप में गन्ना संघ का कोई अधिकारी दोषी है तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि कोई ज्येष्ठता सूची 1967 के बाद प्रकाशित की गई है– तो उसकी एक प्रति सदन में प्रस्तुत की जाय ? यदि नहीं प्रकाशित है, तो कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। वर्गवार ज्येष्ठता सूची की एक प्रतिलिपि† सदन के पटल पर रख दी है।

*6—श्री हरिकेवल प्रसाद—

[4 थे सोमवार के लिए स्थगित]

*7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[12–3–79 को तारांकित प्रश्न संख्या 45 द्वारा उत्तरित]

*8—श्रीमती शारदा देवी–

[4 थे सोमवार के लिए स्थगित]

बभनान चीनी मिल, गोंडा पर बकाया गन्ना मूल्य

*9–श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती (गोंडा) जिले की बभनान चीनी मिल पर 1977–78 वर्ष का किसानों का कितना रुपया गन्ने की कीमत का बकाया है ? क्या यह सही है कि 1978–79 के सीजन में भी दिनांक 20 जनवरी, 1979 तक जितनी चीनी बभनान चीनी मिल ने तैयार किया वह सब बिना बैंक के बंधित किये ही सब चीनी चोरी से बेच दिया है और 1978–79 सीजन का भी किसानों का पूरा गन्ने का दाम बकाया में चला गया ? क्या यह सही है कि दिनाँक 20 जनवरी, 1979 को माननीय उप गन्ना मंत्री जी ने अपने निरीक्षण में बहुत सी अनियमितताओं को पाया है ? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी अनियमिततायें पायीं गयी और उन अनियमितताओं के विरुद्ध शासन मिल मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है

श्री शिव मंगल सिंह—

बभनान चीनी मिल पर वर्ष 1977-78 का 41.48 लाख रुपया गन्ना मूल्य शेष है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस चीनी मिल ने लगभग 8309 चीनी के बोरे 1978–79 के चीनी उत्पादन में से सीधे बाजार में बेंच दिए। इस चीनी मिल पर 15 फरवरी, 1979 तक कुल देय गन्ना मूल्य 1978–79 सत्र हेतु 29.49 लाख रुपया हुआ जिसमें से 5.54 लाख रुपए का भुगतान हुआ और 23.95 लाख रुपया अवशेष है।

तत्कालीन उप गन्ना मन्त्री जी के दिनांक 20 जनवरी, 1979 निरीक्षण में बभनान चीनी मिल द्वारा अपने बैंकर्स से जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार धन गन्ना मूल्य खाते में हस्तान्तरण करने का अनुबंध पत्र न देने की अनियमितता बताई गई है। इस अनियमितता के बारे में मिल मालिक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही चल रही है इस मिल पर 10 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य बकाया होने के कारण इस मिल को भारत सरकार ने 13 मार्च, 1979 को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

---

† छापी नहीं गई।

श्री ओम प्रकाश—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे मूल प्रश्न में यह है कि कौन-कौन सी अनियमिततायें पाई गयीं ? भूतपूर्व उपमन्त्री जी के निरीक्षण में कौन-कौन सी अनियमिततायें पाई गयीं, उसका उत्तर नहीं आया। इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

माननीय उप मन्त्री जी ने जो अनियमिततायें पायीं उनमें मुख्य यह थी कि इस फैक्ट्री के मिल मालिक ने 1978-79 में 8,309 बोरे चीनी सीधे बाजार में ले जाकर बेच दी। इसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन यह करना है कि चूंकि जो स्टाक चीनी का मिल में था उसका क्रेडिट इतना घट गया था कि उसको बैंकों से कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था इसलिए उसके द्वारा सीधे बाजार में चीनी बेचे जाने से कोई अनियमितता नहीं है लेकिन जब शिकायत आई कि ये सीधे बाजार में चीनी बेच रहे हैं लेकिन गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जिलाधिकारी ने कहा है कि चीनी के मूल्य में से 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाये। इसके लिए शो-काज नोटिस दिया है।

श्री ओम प्रकाश—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अनियमिततायें मिल मालिक द्वारा की गयीं उसके सम्बन्ध में कोई एफ0आई0आर0 लाज कराई गयी है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया कि जब तक उसका स्टाक किसी बैंक से प्लेज न हो तब तक वह अपनी चीनी सीधे बाजार में बेच सकता है लेकिन उस पर जो गन्ना मूल्य का बकाया शेष है और वह क्रशिंग ठीक से नहीं करा रहा है उसके लिए हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा था और उसका अधिग्रहण हो गया।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय गन्ना मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि बभनान चीनी मिल का अधिग्रहण 6 महीने पहले कर लिया गया होता तो इस साल जो 40 लाख रुपया की रकम मिल मालिक ने हड़प लिया है, यह तो बच जाती ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, प्रारम्भ में ऐसी आशा नहीं की गयी थी कि उस मिल में इस बुरी तरह से संचालन किया जायगा। यह तो जब कोई संचालन गलत ढंग से होता है तब उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। माननीय मन्त्री जी को जानकारी है ही कि शासन के निर्देश के हिसाब से जिला मैजिस्ट्रेटों और मैनेजमेंट में एक समझौता होता है गन्ना किसानों को 50 फीसदी भुगतान के सम्बन्ध में इस समझौते का उल्लंघन हुआ है। इसके साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी में भी अनियमिततायें हुई हैं। क्या इन अनियमितताओं के लिए माननीय मन्त्री जी तुरन्त मिल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जिलाधिकारी ने उनको नोटिस दी है, उनका जवाब तलब किया है, उसके बाद उचित कार्यवाही की जायगी।

हिन्द फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*10—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्द फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, लखनऊ में प्रशासक कब नियुक्त हुए हैं ? क्या यह सही है कि विधायकों ने 30 सितम्बर, 1977

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

को शासन के प्रशासक के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाया है और प्रशासक को हटाने की मांग की है ? यदि हां, तो विधायकों के शिकायती-पत्र पर जनवरी, 1979 तक जांच का क्या परिणाम है ?

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

हिन्द फ्लाइंग क्लब लि0, लखनऊ में प्रशासक की नियुक्ति दिनांक 6 जून, 1969 को की गयी। विधायकों के शिकायती-पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1977 में उल्लिखित आरोपों की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

*11---श्री राज कुमार शर्मा---

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

खाद की बोरियों के तौल में कमी

*12-श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

क्या कृषि मन्त्री को यह जानकारी है कि कृषि खाद की भर्ती बोरियों में लगभग एक चौथाई से भी अधिक, निर्धारित मात्रा से कम ग्रामीण क्षेत्र की क्रय-विक्रय अथवा अल्प विक्रेताओं को दी जा रही है तथा उक्त बोरियां मशीन के बजाय, हाथ से सिली होती हैं ? उक्त कुव्यवस्था को रोकने के लिए कारखाने से बिक्री केन्द्र तक की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह---

जी नहीं।

विदेशों से जो उर्वरक प्राप्त होता है वह बल्क में आता है और बन्दरगाहों से बोरों में भर कर प्रदेशों को भेजा जाता है। सामान्यतया इन बोरों को मशीन द्वारा सिला जाता है। जिन बन्दरगाहों पर मशीन की सिलाई की व्यवस्था नहीं है वहां से उर्वरक हाथ के सिले हुए बोरों में प्राप्त होता है और साधारणतया समानीकरण के बाद बेचा जाता है किन्तु विशेष परिस्थितियों में तौल के आधार पर बेचने के आदेश थे अतः व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

*13---श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री लक्ष्मी नरायन---

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

*14---श्री सुरेन्द्र पाल---

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

सूखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं लघु कृषक विकास अथारिटी के अन्तर्गत ट्रैक्टर के वितरण की मांग

*15---श्री राम सजीवन (रूरा बांदा)---

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सूखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं लघु कृषक विकास अथारिटी (एस0 एफ0 डी0 ए0) वाले क्षेत्रों में दो या दो से अधिक किसानों द्वारा मिलकर ट्रैक्टर खरीदने पर सहायता (सबसिडी) देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अपने विचार प्रकट करने के लिए अभी कुछ ही महीने पूर्व लिखा है ? यदि हां, तो पत्राचार क्या है तथा शासन ने क्या निर्णय किया है ?

श्री जमुना प्रसाद---

जी हां।

केन्द्र सरकार ने प्रदेश शासन से छोटे सीमान्त किसानों को संयुक्त रूप से 25–30 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर वितरण करने के सम्बन्ध में विस्तृत अर्थ समीक्षा (इक्नौमिक्स) मांगी है जिसे तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही भारत सरकार को भेजा जायगा। भारत सरकार की संस्तुति प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा ?

*16—श्री हामिद रजा खां—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

*17—श्री राज मंगल तिवारी—

[12-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित]

सहकारिता विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का आरक्षण

*18—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सहकारिता मन्त्री को यह ज्ञात है कि सहकारि विभाग के किसी भी श्रेणी के सेवा में हरिजनों के आरक्षण कोटे की पूर्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो इस कोटे की पूर्ति हेतु वे कौन से प्रभावी कदम उठा रहे हैं ? क्या यह सही है कि हरिजनों के आरक्षण कोटे की पूर्ति के न होने का एक मात्र कारण सेवाओं में रिक्तियां की पूर्ति करने हेतु विधिवत् प्रकाशन का न होना है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

सहकारिता विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के आरक्षण कोटे की पूर्ति अभी तक नहीं हो सकी है ? अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के कोटे की पूर्ति हेतु अब जो भी नई नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां की जा रही हैं, उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थी को नियुक्त करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। रिक्तियों की पूर्ति करने हेतु विधिवत् प्रकाशन किया जाता है ।

बाराबंकी जिले के सहकारी पर्यवेक्षकों का बकाया वेतन

*19—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि 1 अक्तूबर, 1967 को प्रादेशिक सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवाएं सहकारी बैंकों को हस्तान्तरित कर दी गयी थीं ? यदि हां, तो बाराबंकी जनपद में उस समय तैनात कितने सहकारी पर्यवेक्षकों के वेतन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? क्या मन्त्री ऐसे सहकारी पर्यवेक्षकों के उक्त अवधि के वेतन का भुगतान अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे तथा असाधारण विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

1 नवम्बर, 1967 से सहकारी ऋण पर्यवेक्षकों की सेवाएं जिला सहकारी बैंकों के प्रशासनिक नियन्त्रण में ली गयी थीं। जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्यरत च पर्यवेक्षकों के वेतन का भुगतान, अवकाश स्वीकृत न होने के कारण नहीं किया गया ।

दो पर्यवेक्षकों का अवकाश स्वीकृत कर दिया गया तथा उनके वेतन के भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य दो पर्यवेक्षकों के अनधिकृत रूप से अवकाश पर चले जाने तथा अनुपस्थित रहने के कारण उनका प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त मामलों के निस्तारण में विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बैंक के अध्यक्ष को निर्देश दे दिए गए हैं ।

जिला सहकारी बैंक, गोंडा के चुनाव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*20—श्री बिन्दू लाल (जिला गोण्डा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 1978 में जिला सहकारी बैंक, गोंडा के चुनावों में हुई अनियमितताओं के सन्बन्ध में कोई शिकयती-पत्र विधायकों द्वारा दिया गया था ? यदि हाँ, तो प्रमुख शिकायतें क्या थीं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ। प्रमुख शिकायतें निम्न प्रकार थीं—

1—बैंक अधिकारी द्वारा बकाया की सूची समय पर उपलब्ध न कराने के कारण आपत्ति नहीं की जा सकी।

2—बैंक की सामान्य निकाय में श्री मंगल देव का तुलसीपुर शुगर फैक्ट्री सेलरी अर्नर्स सोसाइटी लि0, गोंडा से प्रतिनिधित्व अनियमित था।

3—श्री महेश्वर दत्त का दो सहकारी समितियों से बैंक में प्रतिनिधित्व करना आपत्ति-जनक है।

4—सहकारी संघों के 4 प्रतिनिधियों में से दो के ही नाम प्रकाशित करना आपत्ति-जनक है।

5—संचालकों के चुनाव के लिए कुछ प्रतिनिधियों के नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि उनकी समितियाँ शत प्रतिशत बेबाक नहीं हैं।

निबन्धक, सहकारी समितियाँ ने मुख्यालय के अधिकारी को शिकायती-पत्र की जाँच करने के आदेश दिए थे। जाँच के दौरान जाँच अधिकारी को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया जिसमें शिकायत से सम्बन्धित मामले में पूर्व से ही जिला मैजिस्ट्रेट, गोण्डा को एक वाद अभि-दिष्ट किया गया बताया। अतः जाँच अधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि उपर्युक्त वाद में निर्णय के उपरान्त ही शिकायत पर कार्यवाही हो सकेगी।

फर्रुखाबाद जिले एवं अन्य जिलों में आलू के समर्थन मूल्य की मांग

*21—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद और प्रदेश के अन्य आलू उत्पादक जनपदों में रेल वैगन आलू ढोने को उपलब्ध न होने के कारण किसानों का आलू खेतों में सड़ने लगा है ? जिससे प्रदेश के आलू उत्पादक काश्तकारों में बेचैनी है तथा आलू का भाव घटा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आलू उत्पादक काश्तकारों को इस घाटे और नुकसान से बचाने को आलू की खरीद करेगी और उसका निर्यात करेगी तथा आलू का क्या समर्थन मूल्य घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं। रेल वैगनों की कमी अवश्य रही है किन्तु इस कमी के कारण आलू सड़ा नहीं है। यह सही है कि आलू का अधिक उत्पादन होने के कारण भाव घटे हैं

प्रदेश में प्रादेशिक सहकारी संघ नैफेड की साझेदारी में आलू की खरीद कर रहा है। इलाहाबाद मण्डलीय विकास निगम ने फर्रुखाबाद में आलू की खरीद शुरू कर दी है।

भारत सरकार ने आलू निर्यात किए जाने का निर्णय ले लिया है परन्तु अभी तक आलू का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है। मर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाता है।

फल एवं डिब्बा बन्दी संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में परिवर्तन की मांग

*22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के निदेशक ने गत डेढ़ व दो माह पूर्व (मई-जून, 1978) एक पत्र उपकुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को फल एवं डिब्बा बन्दी संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में परिवर्तित किए जाने तथा संस्थान को उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किए जाने के सम्बन्ध में लिखा है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं।

मसौधा सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, फैजाबाद की विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कथित गबन

*23—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद की "मसौधा सहकारी गन्ना विकास समिति लि०" की वर्ष 1977–78 (समवर्ती) की विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में 17,023 रुपए 50 पैसे के गबन व अनियमितता की शिकायत पाई गयी है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

गन्ना विकास सहकारी समिति मसौधा (फैजाबाद) की वर्ष 1977–78 (समवर्ती) की विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में गबन का कोई मामला निर्दिष्ट नहीं था। 17023.50 रुपए के व्यय में वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी थी, जिसका निष्पादन कर दिया गया है।

उदय इंजीनियरिंग स्टोर, कचेहरी रोड, देवरिया द्वारा कांटा-बाट की खरीद

*24—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या यह सही है कि "उदय इंजीनियरिंग स्टोर" कचेहरी रोड, जिला देवरिया ने जो सामान 1750 रुपए प्रति सेट सप्लाई किया है जिला फैजाबाद के व्यापारी वही सामान 650 रुपए प्रति सेट अन्दर देने को तैयार हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त 'उदय इंजीनियरिंग स्टोर" द्वारा पूरे प्रदेश में की गयी काँटा बाँट की सप्लाई के मामलों की जाँच कराकर सभी दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उदय इंजीनियरिंग स्टोर, कचेहरी रोड, रिया से 1750 पए प्रति सेट की दर पर काँटा-बाट इत्यादि खरीदे जाने और यही सामान स्थानीय बाजार में कम दामों पर उपलब्ध होने के बारे में शिकायतें फैजाबाद के अतिरिक्त सीतापुर, खीरी, गोंडा जिले के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थीं, जिनकी जाँच कराई गयी और जाँच के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के स्पष्टीकरण माँगे गये हैं, जिनके परीक्षण के बाद दोषी कर्मचरियों के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

बीज भण्डार, कुर्री-सुदौली, रायबरेली के उर्वरक में नमक की मिलावट

*25—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978-79 में कृषि बीज भण्डार, कुर्री सुदौली जिला रायबरेली में रासायनिक उर्वरकों में नमक मिलाने का कोई मामला रायबरेली के जिलाधीश ने पकड़ा था तथा गोदाम को सील कर दिया गया था ? तथा जाँच के दौरान गोदाम

में सैकड़ों बोरा नमक तथा नमक मिली हुई उर्वरक पकड़ी गयी ? यदि हाँ; तो उक्त मामले में दोषी प्रभारी (श्री महेश प्रसाद शुक्ल) के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हाँ, जिलाधिकारी द्वारा नहीं वरन् परगनाधिकारी द्वारा पकड़ा गया।

जी हाँ।

दोषी प्रभारी बीज भण्डार श्री राम नरायण सविता को निलम्बित कर दिया गया है। विभागीय एवं अपराधिक कार्यवाही हो रही है, श्री महेश प्रसाद शुक्ल को अभी तक दोषी नहीं पाया गया है।

सहकारी बैंकों में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की प्रथा

*26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति प्रथा चालू रखने का क्या कारण है ? यह प्रथा कब तक समाप्त कर दी जायगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सहकारी बैंकों में प्रबन्ध निदेशक के पद को छोड़कर उन्हीं पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है जिनके लिए बैंक का संचालक मण्डल शासन से माँग करता है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 31-क के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक नाम-निर्दिष्ट किया जाता है।

*27—श्री राम आसरे वर्मा—

[12-3-79 को ताराँकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित]

*28—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[4थे सोमवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ने का न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य

*29—श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों को सत्र 1978-79 के लिए गन्ने की कीमत मिलों को उनकी प्राप्त रिकवरी के अनुपात में देने का निश्चय किया है ? यदि हाँ, तो प्रदेश की सर्वोच्च रिकवरी की तथा न्यूनतम रिकवरी की कौन सी मिलें हैं और इनके गन्ना किसानों को क्या-क्या कीमतें मिलेंगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

भारत सरकार ने सीजन 1978-79 में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत या उससे कम रिकवरी पर 10 रुपए प्रति कुन्तल तथा 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की रिक्वरी पर 11.7647 पैसा प्रति कुन्तल के प्रीमियम की दर से निर्धारित किया है।

सर्वोच्च रिकवरी के आधार पर बस्ती एवं दौराला (मेरठ) की चीनी मिलों का न्यूनतम गन्ना मूल्य 12.71 रुपया प्रति कुन्तल तथा न्यूनतम रिकवरी के आधार पर बभनान (जिला गोण्डा) तथा नन्दगंज (जिला गाजीपुर) चीनी मिलों का न्यूनतम गन्ना मूल्य 10.00 रुपए प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है।

इस वर्ष प्रदेश की चीनी मिलें उक्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य ही भुगतान करेंगी लेकिन गन्ना किसानों को चीनी मिलों को पूर्ति किए गए गन्ने का वही मूल्य मिलेगा जो उनको गत वर्ष 1977-78 में मिला था। पिछले सत्र के गन्ना मूल्य तथा न्यूनतम गन्ना मूल्य के अन्तर को राज्य सरकार किसानों को पिराई सत्र समाप्त होने के बाद विशेष 'सब्सडी' के रूप में देगी।

न्योली शुगर फैक्ट्री, जिला एटा द्वारा गन्ना किसानों से काटी गयी धनराशि

*30—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में न्यौली शुगर फैक्टरी में गन्ना उत्पादकों से 1 रुपया प्रति बैलगाड़ी गन्ना डालते समय कटौती की जाती है ? यदि हाँ, तो यह कटौती की धनराशि किस विभाग द्वारा तथा किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यय की जाती है ? अब तक कितनी धनराशि सितम्बर, 1977 से 31 जनवरी, सन् 1979 तक गन्ना उत्पादकों से कटौती का प्राप्त हुआ और किन-किन मदों पर व्यय किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जनपद एटा में स्थित जिला सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, न्योली (एटा) द्वारा प्रबन्ध कमेटी के पारित प्रस्ताव के अनुसार 0.50 पैसा प्रति बैलगाड़ी, 1.00 रु0 प्रति डनलप गाड़ी, 2.00 रु0 प्रति ट्राली तथा 5.00 रु0 प्रति ट्रक गन्ना तौल के समय कटौती की गयी।

कटौती की धनराशि अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण के मद पर व्यय किए जाने का प्राविधान किया गया है।

सितम्बर, 1977 से 31 जनवरी, 1979 तक 37-764.50 रु0 की धनराशि जमा हुई जो अभी तक व्यय नहीं हुई है।

*31-32—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

आगरा जिले के कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे जाने की दर

*33—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के कोल्ड स्टोरों में आलू रखने का किसानों से बीस रुपए कुन्टल का रेट लिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो छोटे काश्तकारों का आलू नियन्त्रित कम रेट पर रखने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं। सभी काश्तकारों का आलू नियन्त्रित दर रु0 13.60 प्रति कुन्तल की दर से शीत गृहों में रखा जा रहा है।

*34—श्री शिव प्रसाद तथा श्री रियासत हुसैन—

[3रे शुक्रवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रादेशिक सहकारी संघ द्वारा आलू की खरीद एवं मूल्य

*35—श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आलू की खरीद इस वर्ष करेगी ? यदि हाँ, तो आलू का दाम क्या होगा ? किन-किन केन्द्रों पर आलू खरीदा जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रदेश में आलू की खरीद की व्यवस्था इस वर्ष प्रादेशिक सहकारी संघ द्वारा नैफेड की साझेदारी में की गयी है। प्रादेशिक सहकारी संघ आलू की खरीद बाजार भाव से एक रुपया अधिक पर फर्रुखाबाद, हापुड़, मेरठ, बदायूं एवं चन्दौसी में कर रही है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद मण्डलीय विकास निगम ने फर्रुखाबाद से आलू की खरीद भी शुरू कर दी है।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य एवं सबसिडी

*36—श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित क्रय मूल्य तथा प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य का अन्तर गन्ना उत्पादकों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार गन्ना कृषकों को गत वर्ष दिए गए गन्ना मूल्य तथा चीनी मिलों द्वारा वर्ष 1978-79 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य दर से देय गन्ना मूल्य के अन्तर की धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा गन्ना काश्तकारों को सबसिडी के रूप में पेराई सत्र के समाप्त हो जाने के बाद किया जावेगा।

गन्ना बीज अधिकारियों की जिला गन्ना अधिकारियों के पद पर नियुक्ति तथा हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*37—श्री बृज लाल (जिला सुल्तानपुर), श्री रामवरन वर्मा (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना विभाग में मई सन् 1978 से दिनाँक 10 फरवरी, 1979 तक कितने गन्ना बीज अधिकारियों को जिला गन्ना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया तथा उसका आधार क्या है ? क्या हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सिद्धान्त का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रश्नगत अवधि में चार बीज उत्पादन अधिकारियों को जिला गन्ना अधिकारी के पद पर स्थानान्तरित करके नियुक्त किया गया। बीज उत्पादन अधिकारी तथा जिला गन्ना अधिकारी एक ही संवर्ग तथा श्रेणी–2 के अधिकारी हैं। अतः उक्त दोनों का आपस में पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य है। इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक नीति के अनुरूप किया गया है। चूंकि बीज उत्पादन अधिकारियों को जिला गन्ना अधिकारी के पद पर नई नियुक्तियाँ नहीं हुयीं, अतः हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रश्न ही नहीं था।

बांदा जिले के ग्राम बघेलाबारी व टिटिहरा में पशु चिकित्सालय के निर्माण की मांग

*38—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

क्या पशुधन मन्त्री बतायेंगे कि बाँदा जनपद के ब्लाक नरैनी के बघेलाबारी तथा टिटिहरा ग्रामों में पशु अस्पताल खोलने से सम्बन्धित पत्र प्रश्नकर्ता का दिनाँक 8 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो अभी तक इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी हाँ।

वर्तमान संसाधनों में ब्लाक नरैनी के ग्रामों में अतिरिक्त पशु चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं हुआ।

नैनीताल जिले के कुण्डेश्वरी में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा भूमि की खरीद

*39—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा जनपद नैनीताल की काशीपुर तहसील के किसी गाँव में लगभग 3 एकड़ भूमि 8 लाख 78 हजार रुपए में वर्तमान वित्तीय वर्ष 1978–79 में खरीदी है, जबकि सहायक रजिस्ट्रार काशीपुर के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों तथा आँकड़ों के अनुसार सम्बन्धित वर्ष में

ग्रामीण क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि का औसत बाजार भाव अधिकतम 5 हजार रुपया प्रति एकड़ रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद नैनीताल की काशीपुर तहसील के कुन्डेश्वरी में भण्डार गृह निर्माण हेतु तीन एकड़ भूमि सड़क से लगी हुई रु0 8,70,328 रु0 में वित्तीय वर्ष 1978-79 में रु0 71.66 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदी गयी जोकि तहसीलदार काशीपुर द्वारा वर्ष 1978 में प्रमाणित रेट रु0 74 प्रति वग मीटर से कम है।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर जिले के बिठूर को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने की मांग

1—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद स्थित ऐतिहासिक नगर बिठूर को पर्यटन केन्द्र (टूरिस्ट सेन्टर) बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो योजना क्या है तथा कब तक पूरी होगी ?

पर्यटन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

जी हाँ। बिठूर में एक पर्यटन काम्पलेक्स जिसमें पर्यटन सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हों, बनाए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। परन्तु अभी यह कहना संभव नहीं है कि उसे कब तक कार्यान्वित किया जा सकेगा।

2—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक, श्री ओ० पी0 शर्मा के कार्यकाल में कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमे

3—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक श्री ओ0 पी0 शर्मा के कार्यकाल में वर्ष 1975 से अब तक कितने मुकदमें श्रम न्यायालय सिविल कोर्ट एवं उच्च न्यायालय में कर्मचारियों के साथ विचाराधीन हैं और क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इन विवादों पर बैंक की कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रबन्ध निदेशक श्री ओ0 पी0 शर्मा के दिनाँक 7 फरवरी, 1975 से 25 अक्तूबर, 1978 तक के कार्यकाल में कुल 6 मुकदमें कर्मचारियों के साथ विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं जिन पर कुल रु0 4,463 की धनराशि बैंक द्वारा व्यय हुई है।

सीमान्त जिलों के सहकारी पर्यवेक्षकों का वेतनमान एवं उनके स्थायीकरण की मांग

4—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में कार्यरत राजकीय सहकारी पर्यवेक्षकों के वेतनमान सरकार यूनियन के सहकारी पर्यवेक्षकों से कम है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों सीमान्त जनपदों के सहकारी पर्यवेक्षकों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया तथा इनकी ज्येष्ठता सूची भी अभी तक नहीं बनी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ। राजकीय सहकारी पर्यवेक्षकों का वेतनमान उत्तर प्रदेश वेतन आयोग 1971-73 की संस्तुति पर स्वीकृत किया गया है जबकि सहकारी यूनियन के अधीन कार्यरत

सहकारी पर्यवेक्षकों का वेतनमान सहकारी यूनियन जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, द्वारा निर्धारित किए गए हैं जिसके कारण वेतनमान में समानुरूपता नहीं है।

सीमान्त जनपदों के सहकारी पर्यवेक्षकों के पद अस्थायी हैं अतएव उन पर पर्यवेक्षकों को स्थायी नहीं किया जा सकता। ज्येष्ठता सूची स्थायीकरण के पश्चात बनाई जायगी ?

कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष का टी० ए०, डी० ए०

5—श्री रियासत हुसैन—

क्या पशुधन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक तथा अध्यक्ष कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के टी0 ए0, डी0 ए0 इत्यादि पर वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में कितना खर्च हुआ ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के अध्यक्ष के टी0ए0, डी0ए0 में सहकारी वर्ष 1977-78 में रु0 4,982.80 का खर्च हुआ तथा सहकारी वर्ष 1978-79 में दिनांक 15 नवम्बर, 1979 तक रु0 3848.85 का खर्च हुआ। फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक पर सहकारी वर्ष 1977-78 में टी0ए0, डी0ए0 पर रु0 12,189.37 खर्च हुआ तथा सहकारी वर्ष 1978-79 में दिनाँक 15 नवम्बर, 1978 तक रु0 6,214.1 का खर्च हुआ।

कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को दी गयी धनराशि के व्यय का विवरण

6—श्री रियासत हुसैन—

क्या पशुधन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में कितना-कितना रुपया केन्द्र सरकार एवं प्रदेशीय सरकार से प्राप्त हुआ और उसका खर्च किस-किस मद में कितना-कितना किया गया?

श्री अब्दुल हलीम खां—

वित्तीय वर्ष 1976-77, 1977-78 एवं 1978-79 में अब तक फेडरेशन को राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि उसके चार्ज का विवरण परिशिष्ट 'क' तथा वित्तीय वर्ष 1976-77 1977-78 एवं 1978-79 में अब तक पी0सी0डी0एल0 को केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि व उसके खर्च का विवरण परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 415–417 पर)

ग्वालदम जिला चमोली के कृषि फार्म के क्वार्टर का निर्माण एवं ठेकेदार श्री मोहन राम का भुगतान

7—श्री पूरन चन्द्र—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहन राम हरिजन, ठेकेदार, ग्राम पूर्णा, पोस्ट देवाल, जिला चमोली द्वारा सन् 1970-71 में ग्वालदम, जिला चमोली में कृषि फार्म में सर्वेन्ट क्वार्टर बनवाया था, उसके 5,000 रुपए का भुगतान विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री मोहन राम, हरिजन ठेकेदार ग्राम पूर्णा, पोस्ट दीवाल, जिला चमोली को ग्वालदम प्रक्षेत्र के लिए वर्ष 1969-70 में स्वीकृत एक फार्म अधीक्षक निवास तथा एक सर्वेन्ट क्वार्टर के निर्माण का ठेका दिया गया था। उक्त ठेकेदार ने एक सर्वेन्ट के स्थान पर दो सर्वेन्ट क्वार्टर का निर्माण किया। एक फार्म अधीक्षक के निवास तथा एक सर्वेन्ट क्वार्टर जिसकी स्वीकृति उपलब्ध थी, का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है। बिना स्वीकृति निर्मित एक सर्वेन्ट क्वार्टर का भुगतान मुबलिग 2,500 रु0 शेष है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आगरा डिपो के श्री खजानी लाल गौतम, परिचालक द्वारा अनशन की नोटिस

8—श्री हुकमचन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा डिपो के श्री खजानी लाल गौतम, परिचालक द्वारा विभाग को दिनांक 10 नवम्बर, 1978 को आमरण अनशन का नोटिस दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? यह भी बतायेंगे कि खजानी लाल गौतम, परिचालक, आगरा डिपो की माँग पर उनके पत्रानुसार आदेश पारित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हाँ, तो कब ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हाँ। अपने निलम्बन काल के शेष देय वेतन तथा कुछ अन्य मागों की पूर्ति के लिए श्री खजानी लाल गौतम, परिचालक ने दिनांक 10 नवम्बर, 1978 को आमरण अनशन का नोटिस दिया था। निलम्बन काल के वेतन का उन्हें भुगतान कर दिया गया है। अन्य मागें अमान्य पायीं गयीं।

9—श्री पूरन चन्द्र—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चमोली जिले में अनुसूचित जाति के खण्ड विकास अधिकारी

10—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में 9 विकास खण्डों में अभी तक कोई भी अनुसूचित जाति का खण्ड विकास अधिकारी नहीं है ? क्या सरकार जो 18 तथा 20 वर्षों से, जो अनुसूचित जातियों के सहायक विकास अधिकारी के पद पर उक्त जिले में कार्यरत हैं, को पदोन्नति देने की कार्यवाही करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ।

चमोली जनपद में वर्तमान समय में 18 तथा 20 वर्षों से सहायक विकास अधिकारी के पद पर कोई भी अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी कार्यरत नहीं है।

जिला कृषि अधिकारी, चमोली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

11—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा जो शिकायती-पत्र 1 जुलाई, 1978 को जिला कृषि अधिकारी, चमोली के बारें में दिया गया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ? तथा कब तक इनको स्थानान्तरित किया जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां।

शिकायती-पत्र पर जांच अभी चल रही है। जिला कृषि अधिकारी के स्थानान्तरण का इस समय प्रश्न नहीं है।

राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक का टी० ए०, डी० ए०

12—श्री सुख पाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्यटन निदेशक एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, पर्यटन (टूरिस्ट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन), लखनऊ ने दिनांक 24-10-77 से 8-11-77 तक, 4-12-77 से 8-12-77 तक, 2-1-78 से 12-1-78 तक तथा 20-1-78 से 26-1-78 तक दिल्ली यात्रा एवं यू० पी० निवास में निवास किया और 3,960 रुपए का टी०ए०, डी०ए०

(दैनिक भत्ता) प्राप्त किया ? यदि हां, तो किस आधार पर, यदि गलत है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

निदेशक पर्यटन ने इन तिथियों में दिल्ली की यात्रा नहीं की और न ही पर्यटन निदेशालय से कोई टी0ए0, डी0ए0 (दैनिक भत्ता) प्राप्त किया किन्तु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने निम्नांकित तिथियों में दिल्ली की यात्रा की थी :—

दिनांक 21-10-77 से 26-10-77 तक,
दिनांक 31-10-77 से 5-11-77 तक,
दिनांक 4-12-77 से 8-12-77 तक,
दिनांक 2-1-78 से 6-1-78 तक,
दिनांक 12-1-78 तथा
दिनांक 21-1-78 से 26-1-78 तक,

इनमें से दिनांक 4-12-77 से 8-12-77 तथा 12-1-78 की अवधि के अतिरिक्त अन्य सभी तिथियों में उन्होंने यू0पी0 निवास में निवास किया। प्रबन्ध निदेशक ने उक्त यात्राओं के लिए पर्यटन विभाग के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत दरों पर रु0 2,995-टी0ए0, डी0ए0 का भुगतान प्राप्त किया ।

प्रबन्ध निदेश के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य भण्डार गृह, आगरा के माल ढुलाई के ठेकेदार का रेट

13—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश भण्डारगृह आगरा में माल ढुलाई तथा लदाई हेतु माह मई, 1978 में टेन्डर मांगे गये थे ? यदि हाँ, तो कितने टेंडर दाताओं ने टेंडर डाला था ? किसका टेंडर स्वीकार किया गया ? क्या वह शेड्यूल्ड रेट से अधिक था ? यदि हां, तो कितना ? इसके पूर्व जो ठेकेदार कार्य कर रहा था तथा वर्तमान ठेकेदार के रेट में कितना अन्तर पाया गया ? यदि अन्तर है, तो कितने धन का और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, केवल एक टेंडर प्राप्त हुआ था ।

किसी का टेंडर स्वीकार नहीं किया गया। शेड्यूल रेट से अधिक था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित शेड्यूल रेट से 350 प्रतिशत अधिक ।

दिनांक 31-5-78 तक पुराने शेड्यूल (इस निगम द्वारा निर्धारित) के अनुसार 20 प्रतिशत शेड्यूल्ड रेट से ऊपर कार्य हो रहा था। दिनांक 31-5-78 के पश्चात् पुराने शेड्यूल से 19.75 प्रतिशत ऊपर कार्य कराया गया जोकि 25 प्रतिशत कम पर हुआ । यह कार्य एडहाक ठेके पर कराया गया। 19.75 प्रतिशत शेड्यूल रेट से ऊपर कार्य कर रहे ठेकेदार की शिकायत भण्डार प्रबन्धक से प्राप्त होने के कारण ठेका समाप्त किया गया व माह फरवरी, 1979 में नये एडहाक ठेकेदार से न्यूनतम कोटेशन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित शेड्यूल रेट से 224 प्रतिशत अधिक पर कराया गया ।

दिनांक 31-5-78 तक किए गए कार्य पर प्रति बोरा रेट 102.60 पैसे था। दिनांक 31-5-78 के पश्चात् 19.75 प्रतिशत पुराने शेड्यूल से ऊपर रेट के अनुसार 102.38 पैसा प्रति बोरा था तथा उसके पश्चात् फरवरी, 1979 से 224 प्रतिशत नये शेड्यूल रेट से ऊपर प्रति बोरा खर्चा 103.87 पैसे है। इस प्रकार हेण्डिलिंग पर खर्चा दिनांक 31-5-78 के पश्चात् कराये गये कार्य पर .22 पैसे प्रति बोरा कम खर्चा हुआ। माह फरवरी, 1979 से खर्चा 103.87 पैसा प्रति बोरा पर कार्य एडहाक रूप से नियमित ठेकेदार की नियुक्ति तक करवाया जा रहा है ।

ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र प्रमुखों के चुनाव की मांग

14—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में ग्राम प्रधानों का चुनाव कब तक कराया जायगा और उनके साथ ही क्षेत्र प्रमुखों का भी चुनाव सीधे जनता द्वारा कराए जाने का निर्णय शासन ने ले लिया है ? यदि हां, तो क्या 18 वर्ष की आयु वाले मतदाताओं को भी मतदान का अधिकार दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

ग्राम प्रधानों का चुनाव उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति अर्थात् दिनांक 14 जून, 1979 से पूर्व करा दिया जायगा और उन्हीं के साथ क्षेत्र प्रमुखों का भी चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने का भी इरादा है। 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को मतदान का अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में आवश्यक संशोधन पहले ही किया जा चुका है ।

जिला परिषद्, फैजाबाद के कतिपय कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

15—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, फैजाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री गंगा राम, रामपूजन व त्रिलोकीनाथ की सेवा 1 सितम्बर, 1978 को समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो उनकी पूर्व सेवा अवधि क्या है तथा उनकी नियुक्ति कब हुई थी और सेवा समाप्ति के आधार क्या हैं ? क्या यह भी सही है कि अनियमित सेवा समाप्ति के सन्दर्भ में उक्त कर्मचारी दिनांक 4 नवम्बर, 1978 से उक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिए हुए हैं?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां,

वांछित विवरण इस प्रकार है :—

नाम	नियुक्ति की तिथि	पूर्व सेवा की अवधि	सेवा समाप्ति का आधार
1	2	3	4
श्री गंगा राम	7-1-74	4 वर्ष 8 माह	पद सृजन का अभाव
श्री रामपूजन सिंह	8-1-74	,,	,,
श्री त्रिलोकी नाथ	9-1-74	,,	,,

इन कर्मचारियों द्वारा कोई धरना कार्यालय के समक्ष नहीं दिया गया है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति, बलरामपुर द्वारा महारानी लाल कुवारी डिग्री कालेज की धनराशि का भुगतान

16—श्री मित्रसेन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमा शंकर सिंह, भूतपूर्व गन्नाधिकारी, गोंडा ने वर्ष 1973-74 में मु0 आठ हजार का कोई भुगतान अपने लड़के श्री अवधेश कुमार सिंह अथवा महरानी लाल कुवारी डिग्री कालेज, गोंडा के नाम अनियमित रूप से बलरामपुर यूनियन काउन्सिल से भुगतान कराया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिव मंगल सिंह—

श्री रमा शंकर सिंह, भूतपूर्व जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अनियमित रूप से अपने लड़के या कालेज को कोई भुगतान नहीं कराया गया।

वर्ष 1973-74 में सहकारी गन्ना विकास समिति, बलरामपुर (गोंडा) द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य से की गयी कटौती की धनराशि में से मु0 30,000 रुपए (बीस हजार तथा दस हजार दो किस्तों में), सभी औपचारिकता पूर्ण करने के उपरान्त, महारानी लाल कुंवारी डिग्री कालेज, बलरामपुर को पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं चलाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया गया था।

श्री रमा शंकर सिंह, भूतपर्व गन्नाधिकारी, गोंडा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

17—श्री मित्रसेन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलायेंगे कि रमाशंकर सिंह, भूतपूर्व गन्नाधिकारी, गोंडा ने अपने कार्यकाल 1973, 1974 में मोतीगंज क्षेत्र समिति ग्राम नौबरा के तीन कृषकों के नाम (संगम, जिया लाल तथा राम अवध) मु0 1,800 रुपया कर्जा निकलवा कर स्वतः ले लिया है जिसकी जांच डी0डी0सी0 चौबे कर रहे थे? इसी आशय की शिकायत पर उप गन्ना आयुक्त, श्री सिंघल ने भी जांच दिनांक 6 अगस्त, 1977 को की है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री शिव मंगल सिंह—

इन तीनों कृषकों के शिकायती-पत्र पर जिलाधिकारी, गोंडा ने श्री विनोद शंकर चौबे, डी0डी0सी0 से जांच कराई थी। श्री सिंघल, संयुक्त गन्ना आयुक्त ने श्री चौबे के द्वारा जांच कर लेने के कारण अपनी जांच स्थगित कर दी थी। श्री चौबे की जांच रिपोर्ट में श्री रमा शंकर सिंह, तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी द्वारा स्वतः धन लेने का कोई उल्लेख नहीं है। जांच रिपोर्ट के परिणामस्वरूप गन्ना विकास विभाग के दो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए यह मामला अपराध अनुसन्धान विभाग, लखनऊ को भी जाँच के लिए सौंप दिया गया है।

कोआपरेटिव पुलिस सेल्स, फैजाबाद मण्डल द्वारा चलाये गये मुकदमे

18—श्री मित्रसेन—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कोआपरेटिव पुलिस सेल्स फैजाबाद मण्डल को जांच के लिए 1977-78 में कितने मामले मिले हैं, उसमें से कितने को फाइनल किया गया और कितने में चार्जशीट लगी है? कितने अभियुक्त पकड़े गए जिनमें फाइनल किया गया उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कोआपरेटिव पुलिस सेल्स, फैजाबाद को वर्ष 1977-78 में 127 मामले मिले, जिनमें 17 मामलों में विवेचना प्रारम्भ की गयी। तेरह मामलों में चार्जशीट दी गयी और 4 अभी भी विवेचनाधीन हैं। चार अभियुक्त बन्दी बनाये गये और 14 ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया, उक्त तेरह मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 418–419 पर)

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची व स्थायीकरण

19—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1977 में कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रति बरती जा रही अनियमितताओं के

सम्बन्ध में अपने कक्ष में एक अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि तथा उक्त कार्यालय के कतिपय अधिकारियों से कोई वार्ता हुई थी ? यदि हां, तो उस वार्ता के दौरान जो निर्णय लिए गए थे आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का स्थायीकरण, ज्येष्ठता सूची तथा रोस्टर-आशु लिपिक पद पर नियुक्ति, आदि उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां, वार्ता हुई थी ।

उक्त वार्ता में लिए गए निर्णय के अनुसार—

1—आशुलिपिक के नौ पदों में से दो पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सर्वश्री ब्रजलाल व राम कुंवर की नियुक्ति कर दी गयी है ।

2—श्री संजय कुमार का स्थानान्तरण बजट के काउन्टर से टाइप के काउन्टर पर कर दिया गया ।

3—दिनांक 31-12-72 के उपरान्त दिनांक-31-12-77 तक नियुक्ति तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची को अनन्तिम रूप दिया जा चुका है। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए बनाये गये रोस्टर के अनुसार ही नियुक्ति/पदोन्नति की जा रही है ।

बफर गोदाम, बहराइच का निम्न स्तरीय उर्वरक

20—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि उप निदेशक, उर्वरक एवं खाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक एफ0 एम0/सी0 ए0 7–5393, दिनांक 23 नवम्बर, 1977 के अनुसार बफर गोदाम, बहराइच के एन0 पी0 के0 उर्वरक को निम्न स्तरीय घोषित करके दोषी अधिकारी के कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कब-कब किस-किस के द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां, उपनिदेशक, उर्वरक एवं खाद के अनुसार बफर गोदाम बहराइच के एन0 पी0 के0 उर्वरक को निम्न स्तरीय घोषित किया गया था । किन्तु केवल नत्रजन में बहुत साधारण कमी पायी गयी थी जिसे मिलावट का आधार नहीं माना गया । अतः बफर गोदाम निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलाहाबाद जिले के ग्राम बनपुरवा-सराय पीठा के खांडसारी क्रशर की बन्दी

21—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में ब्लाक, धनुपुर तहसील हंडिया के अन्तर्गत लगी हुई प्राइवेट खांडसारी क्रेशर एक दिन भी नहीं चलायी गयी, जिससे किसानों का गन्ना नहीं खरीदा जा सका ? यदि हां, तो इस एरिया का क्रेशर बन्द होने का क्या कारण है क्या गन्ना खरीदने के लिए सरकार द्वारा हंडिया तहसील के किसानों का गन्ना खरीदने की कोई व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां ।

ग्राम बनपुरवा सराय पीठा ब्लाक धनुपुर तहसील हंडिया जनपद इलाहाबाद में स्थित मिनी शुगर मिल्स एक व्यक्तिगत खाण्डसारी इकाई है जिसने वर्तमान सत्र 1978–79 में अपने लाइसेन्स का नवीकरण नहीं कराया है । इस सत्र में लाइसेन्स नवीकृत न कराने से इकाई चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । लाइसेन्स नवीकृत कराने एवं इकाई चलाने के लिए नियमानुसार किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

हंडिया तहसील के किसानों के गन्ना खरीद की व्यवस्था दि काशी सहकारी चीनी मिल लि0 के गन्ना क्रय केन्द्र हंडिया के माध्यम से की गई जहां से क्षेत्र के सम्बन्धित कृषकों का गन्ना क्रय करके उक्त चीनी मिल को भेजा जाता रहा है ।

22—श्री मुहम्मद रफी खां—

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ की जीप का कथित दुरुपयोग

23—श्री विद्या शंकर—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर सन् 1978 में श्री रामसेवक त्रिपाठी, जि0 स0 बैंक, प्रतापगढ़ के संचालक ने कोई प्रार्थना पत्र आप को तथा उसकी प्रतिलिपि रजिस्ट्रार तथा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को बैंक की जीप के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जांच हेतु भेजी ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ की अम्बेसडर कार का उपयोग

24—श्री विद्या शंकर—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जि0 स0 बैंक, प्रतापगढ़ द्वारा बिना उत्तर प्रदेश प्रशासन की स्वीकृति के कोई अम्बेसडर कार खरीदी गयी ? यदि हां, तो वह कार कितने हजार किलोमीटर चली और कहां-कहां चली ? क्या उस कार का प्रयोग बैंक के कार्यों में हो रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव —

जी हां । अम्बेसडर कार खरीदी गई है । कार अब तक 10517 किलोमीटर चल चुकी है । कार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में तथा लखनऊ में चली । कार का प्रयोग बैंक के कार्यों में हो रहा है ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रामनगर नैनीताल का भवन

25—श्री रामदत्त जोशी—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रामनगर, जनपद नैनीताल में कृषि उत्पादन मण्डी समिति की स्थापना कब हुई ? और उसके भवन तथा यार्ड निर्माण के लिए अभी तक आवश्यक भूमि अधिग्रहण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रामनगर, जनपद नैनीताल की स्थापना दिनांक 15-10-1967 को हुई थी । इस मंडी समिति के भवन तथा यार्ड निर्माण हेतु जिलास्तर पर 22.77 एकड़ भूमि का चयन कर लिया गया है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति मंडी परिषद् द्वारा दी जा चुकी है । अब जिलाधिकारी द्वारा इस भूमि के अध्याप्ति का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद में अग्निकाण्ड

26—श्री रियासत हुसैन—

क्या पशुधन मन्त्री को विदित है कि दिनांक 30 जुलाई, 1978 को इनफैंट मिल्क पाउडर फूड फैक्टरी, दलपतपुर, जिला मुरादाबाद में दिन के 12 बजे प्लान्ट में आग लग गयी जब कि वह प्लान्ट सुबह के 6 बजे से ही बन्द था ? यदि हां, तो उस अग्निकांड से कितना नुकसान हुआ और उसके कारण क्या थे ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

इनफैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर के ड्राइंग प्लान्ट के ड्राफ्ट में दिनांक 30–7–78 को आग लग गयी थी, जिसका पता लगभग 12.30 बजे दोहपहर को एक्जास्ट से धुआं निकलने पर लगा। उसी दिन प्रातः 6.25 बजे बिजली पावर पुनः प्राप्त हुई परन्तु मोनी फीड पम्प के मरम्मत किये जाने के कारण ड्राइंग प्लान्ट पुनः चालू नहीं किया गया।

इस अग्नि के कारण लगभग रु0 48,184.24 पैसे की हानि प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा आंकी गयी है। अग्नि लगने का सम्भावित कारण प्लान्ट के चालू हालत के समय उसका तापमान और "मौलिक्यूलर फिक्शन" के बढ़ जाने से अग्नि का उत्पन्न होना था, जो पाउडर में धीरे-धीरे सुलगता रहा।

इनफैन्ट मिल्क पाउडर फैक्टरी, दलपतपुर, मुरादाबाद में घाटा एवं बैलेंसशीट

27—श्री रियासत हुसैन—

क्या पशुधन मन्त्री को विदित है कि इनफैन्ट मिल्क पाउडर फैक्टरी, दलपतपुर, मुरादाबाद की वर्ष 1975–76 में 44,80,716 रुपये, वर्ष 1976–77 में 11,66,272 रुपये का और वर्ष 1977–78 में लगभग 22 लाख रूपये का घाटा हुआ ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मन्त्री जी तीनों वर्षों के बैलेंस शीट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

फेडरेशन को इनफैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर, मुरादाबाद में वर्ष 1975–76 में रु0 44,01,117.35 तथा 1976–77 में 11,66,272.15 का घाटा हुआ। वर्ष 1977–78 की बैलेंस शीट अभी तैयार की जा रही है, यद्यपि इस वर्ष भी काफी घाटे की स्थिति है। घाटे की सही स्थिति का पता बैलेंस शीट तैयार हो जाने पर ही लग सकता है।

उपरोक्त वर्ष 1975–76 एवं 1976–77 में मुरादाबाद फैक्ट्री में होने वाले घाटे के निम्न प्रमुख कारण हैं:—

1—उपलब्ध दुग्ध की मात्रा में कमी।

2—दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में गिरावट।

3—दुग्ध पदार्थों के पैकिंग व्यय में वृद्धि।

4—फरनेस आयल, बिजली, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता आदि के व्यय में वृद्धि के कारण उत्पादन व्यय में बढ़ोत्तरी।

5—दुग्ध मूल्य में वृद्धि।

6—अन्य कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि।

उपरोक्त वर्ष 1975–76 में 1976–77 की बैलेन्स शीट बहुत बड़ी होने के कारण उन्हें सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है किन्तु वह मेरे कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

इटावा रोडवेज क्षेत्र के बस स्टैण्ड, फिरोजाबाद में पानी व शौचालय की अव्यवस्था

28—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा रोडवेज क्षेत्र के फिरोजाबाद बस स्टैन्ड पर क्या यात्रियों के बैठने को यात्रिकक्ष में समुचित व्यवस्था नही है और विभाग की ओर से पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है तथा क्या पुरुष व स्त्री शौचालय खराब पड़े हैं तथा दुर्गन्ध और प्रकाश रहित हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

स्थिति में सुधार लाने के लिये कड़े आदेश सम्बन्धित अधिकारी को भेज दिये गये हैं।

भूमि विकास बैंक कन्नौज, फर्रुखाबाद द्वारा हरिजनों को दिया गया ऋण

29—श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में भूमि विकास बैंक, कन्नौज द्वारा 5 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1978 तक कितने हरिजनों को सीरदार पट्टे पर खेती की प्रगति के लिए कर्जा दिया गया ? तथा किसको कितना कर्जा ? और कितने लोगों के प्रार्थनापत्र उपरोक्त सम्बन्ध में प्राप्त हुये ? उनमें से कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये तथा कितनों के अस्वीकार किये गये। अस्वीकार करने का कारण क्या था ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

5 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 78 तक उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, की शाखा कन्नौज द्वारा किसी भी हरिजन को सीरदार पट्टे पर खती की प्रगति के लिए कर्जा नहीं दिया गया। प्रश्नगत अवधि में केवल एक हरिजन का प्रार्थनापत्र पट्टे की भूमि पर ऋण लेने के लिए प्राप्त हुआ था। यह अभी स्वीकृत नहीं हुआ है क्योंकि प्रार्थी के ऋण के मामले में परगनाधिकारी द्वारा पट्टे की पुष्टि हेतु जारी किए गये प्रमाण पत्र में दिये गये खसरा नम्बरों तथा पट्टे में एलाट किये गये नम्बरों में भिन्नता थी। ऐसी दशा में प्रार्थी को यह परामर्श दिया गया है कि वह परगनाधिकारी से पट्टे में दर्ज खसरा नम्बर की पुष्टि कराकर अपना प्रार्थना-पत्र पुनः प्रस्तुत करें ताकि उसको ऋण दिया जा सके।

भूमि विकास बैंक, कन्नौज , फर्रुखाबाद के प्रबन्धक द्वारा ली गयी किराये की जीप

30—श्री झाम लाल अहेरवार—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में भूमि विकास बैंक, कन्नौज के प्रबन्धक ने एक जीप किराये पर ले रखी है जिसका प्रतिदिन के हिसाब से कितना रुपया देना पड़ता है ? और 1 जून, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक इस जीप पर कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

जनपद फर्रुखाबाद में भूमि विकास बैंक, कन्नौज के प्रबन्धक द्वारा एक जीप किराये पर ली गयी थी। किराये का भुगतान रु0 65 तथा 70 प्रतिदिन की दर से किया गया है। 1 जून, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक की अवधि में कुल 64 दिन जीप किराये पर ली गयी जिसका किराये के रूप में रु04,320 तथा पेट्रोल एण्ड मोबिल आयल के रूप में रु04,384.61 पैसे व्यय हुए। इस प्रकार प्रश्नगत अवधि में कुल व्यय रू0 8,704.61 पैसे का हुआ है।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम तिखवा की साधन सहकारी समिति भवन निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

31—श्री झाम लाल अहेरवार—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज के अन्तर्गत ग्राम तिखवा की साधन सहकारी समिति की इमारत के निर्माण में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में माह अप्रैल, 1976 व माह जुलाई, 1978 तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

फर्रुखाबाद जनपद की तहसील कन्नौज के अन्तर्गत ग्राम तिखवा की साधन सहकारी समिति के भवन निर्माण में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में माह अप्रैल, 1976 व माह जुलाई, 1978 तक 5 शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे। सभी शिकायतों की जाँच की गई।

भवन निर्माण से सम्बन्धित शिकायतों की जाँच से छत की गिट्टी ठीक नहीं पड़ी पाई गई जिसे पुनः डाला जा चुका है और इसमें हुए व्यय की कटौती ठेकेदार द्वारा जमा की गई जमानत की धनराशि से कर ली गई। इसके अतिरिक्त सफेद चूना तथा सुर्खी जो घटिया किस्म की थी उसकी कीमत की वसूली ठेकेदार से कर ली गई है। ओवरसियर की रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण में 30 बोरी सीमेन्ट भी कम लगायी गयी थी जिसकी कीमत भवन निर्माण कार्य की कुल लागत से कम कर दी गई है।

गोंडा जिले के पसका-परसपुर मार्ग का निर्माण

32—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1965–66 में गोण्डा जनपद के अन्तर्गत परसपुर-पसका मार्ग का निर्माण ग्रामीण जनशक्ति योजना द्वारा किया गया? इसके निर्माण में कितना व्यय हुआ तथा उस व्यय के विपरीत सड़क का कितना निर्माण हुआ?

लघु सिंचाई मंत्री (श्री ख्यालीराम शास्त्री)—

सन् 1965–66 में गोण्डा जनपद के अन्तर्गत पसका–परसपुर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 1973–74 तक रु0 6,31,842.22 व्यय हुआ तथा कुल 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है।

फैजाबाद जिले में पर्यटन स्थल के निर्माण का प्रस्ताव

33—श्री जयशंकर पाँडेय (जिला फैजाबाद)—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में कितने पर्यटन स्थल बनाने की योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या-क्या हैं और क्या अयोध्या, जो कि एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक नगरी है, में भी पर्यटनस्थान बनाने की योजना है? यदि हाँ, तो क्या है तथा कब तक पूरी हो जायगी?

श्री आबिद अली—

फैजाबाद जनपद में तीन स्थानों-किछौछा शरीफ, श्रृंगी ऋषि तथा अयोध्या पर पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक-एक धर्मशाला टाइप पर्यटक आवासगृह के निर्माण की योजना विभाग की छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। अयोध्या में 100 शैय्यायों वाले जनता टाइप आवासगृह के निर्माण का प्रस्ताव है। वहाँ एक क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय तथा एक पर्यटक आवासगृह पहले से ही स्थापित है।

खीरी जिले की खीरी जनरल इजीनियरिंग औद्योगिक सहकारी समिति लि० को हैरो आपूर्ति करने की मान्यता

34—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद खीरी में लघु कृषक विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को पूर्ति हेतु 6 तवा का हैरों रु0 325 अलाइड ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बाला का स्वीकृत किया गया है जब कि खीरी सहकारी समिति 300 रुपये को देने को तैयार थी? यदि हाँ, तो प्रदेश की इकाई के स्थान पर अन्य प्रदेश की इकाई को वरीयता देने का कारण क्या हैं?

श्री जमुना प्रसाद—

लघु कृषक विकास अभिकरण खीरी ने खीरी जनरल इंजीनियरिंग औद्योगिक सहकारी समिति लि0 खीरी को भी यंत्र वितरण हेतु स्वीकृत किया तथा वर्ष 1978–79 तक इस समिति के माध्यम से वितरित हैरों तथा अन्य यंत्रों पर अनुदान दिया। किन्तु वर्ष 1978-79 में इस समिति ने 27 लघु/सीमान्त किसानों को डनलप गाड़ियों की आपूर्ति नहीं की तथा न ही डनलप गाड़ियों के लिए जमा किया किसानों का रुपया वापस दिया। अतः इस अनियमितता के लिए अभिकरण ने इस संस्था की मान्यता समाप्त कर दी। अलाइड ट्रेनिंग कम्पनी के अलावा अम्बाला की अन्य कम्पनियों के हैरो किसानों में लोक प्रिय होने के कारण अभिकरण द्वारा वितरित किए जा रहे हैं।

35—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

36—श्री रामदत्त जोशी—

[4 थे सोमवार के लिए स्थगित]

बरेली जिले के भोजीपुरा गन्ना सहकारी समिति के क्षेत्र के पुराने गन्ने की आपूर्ति

37—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बरेली की भोजीपुरा गन्ना सहकारी समिति के गन्ना क्रय केन्द्र, अटामाडा के ग्राम पचपेड़वा, कुमआ, पंडारी आदि में आज भी 200 बीघा से अधिक पुराना गन्ना खड़ा है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गन्ने को कृषकों से खरीदे जाने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सर्वेक्षण के अनुसार पचपेड़ा और कमुआ ग्राम में 3-85 एकड़ पुराना गन्ना खड़ा पाया गया। पुराने गन्ने की पूर्ति हेतु इस वर्ष सट्टा नीति के द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि मिल बन्द होने के पश्चात खड़े गन्ने के सर्वेक्षण में जो गन्ने की मात्रा आंकी गई है उसे मिल चलने पर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ति करा दिया जाय। तदनुसार पुराने गन्ने के सम्बन्ध में पूर्ति हेतु पर्चियाँ जारी कर दी गईं।

राजकीय कृषि फार्मों के गेहूं व धान का उत्पादन व्यय

38—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि राज्य सरकार के कृषि फार्मों में साल 1975-76, 1976-77 व 1977-78 में धान व गेहूं की फसल पर प्रति कुन्तल क्या खर्च आया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

10 राजकीय बीज सम्बर्द्धन प्रक्षेत्रों जिन पर धान तथा गेहूं की फसलों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रफल होता है, गेहूं एवं धान का औसत उत्पादन व्यय निम्न प्रकार रहा:—

वर्ष	उत्पादन व्यय (प्रति कुन्तल) रुपयों में	
	गेहूं	धान
1975-76	95-50	84-95
1976-77	112-00	85-00
1977-78	114-00	88-00

नेशनल सीड करपोरेशन द्वारा बीज की खरीद और मूल्य का भुगतान

39—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि नेशनल सीड कारपोरेशन के बीजों के खरीदारी सेन्टर, उत्तर प्रदेश में, कहां-कहां है ? किसानों को बीज की कीमत की अदायगी में महीनों या सालों देरी के क्या कारण हैं और इन खरीदारी सेन्टरों पर राज्य सरकार का कुछ नियन्त्रण है या सारा का सारा भारत सरकार का है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

नेशनल सीड्स कारपोरेशन के लखनऊ स्थित रीजनल कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कारपोरेशन द्वारा अपने उप कार्यालय, मेरठ, बरेली एवं कानपुर से बीजों की खरीदारी की जाती है और बीज उपादक किसानों को उनके द्वारा उत्पादित बीज सम्बन्धित उपकार्यालय

पर पहुंचाने के बाद ही, बीज की कीमत का 80 प्रतिशत अग्रिम धनराशि के रूप में भुगतान कर दिया जाता है और शेष 20 प्रतिशत प्रमाणीकरण मानक के गुणों के पास होने पर भुगतान किया जाता है जिस कार्य में केवल एक से डेढ़ मास का समय लग जाता है। उक्त कारपोरेशन भारत सरकार का उपक्रम है और राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है।

पंचायत उद्योग, देवरिया की आडिट रिपोर्ट एवं गबन

40—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पंचायत उद्योग, देवरिया में आडिट रिपोर्ट के अनुसार हाल में लगभग 50 हजार रु0 का गबन है ? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

तराई विकास सहकारी संघ लि०, रुद्रपुर, नैनीताल की प्रबन्ध समिति का चुनाव

41—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री को मालूम है कि तराई विकास सहकारी संघ लि0, रुद्रपुर, जिला नैनीताल का चुनाव 1974 में हुआ था और उसके पश्चात् इसका चुनाव नहीं हो पाया ? यदि हां, तो चुनाव न होने का कारण क्या है ? तथा इसका चुनाव अब कब होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

तराई विकास सहकारी संघ लि0, रुद्रपुर, जिला नैनीताल की प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन वर्ष 1974 में सम्पन्न हुआ था। तत्पश्चात् सहकारी अधिनियम, नियम व संघ की उपविधियों के अन्तर्गत नई प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन 30 जून, 1977 के पूर्व होना था किन्तु तत्कालीन प्रबन्ध कमेटी तकनीकी कारणों से निर्धारित समय के भीतर नई प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन नहीं करा सकी। अतः विभाग द्वारा प्रबन्ध कमेटी को भंग कर नियमानुसार प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई। नए संघ से सम्बद्ध प्रारम्भक भू-व्यवस्था सहकारी समितियों का विलीनीकरण न्याय पंचायती स्तरीय पुर्नगठित सहकारी समितियों में हो चुका है। संघ के पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है जिसके पश्चात् ही निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

42—श्री देव बहादुर सिंह—

[4 थे सोमवार के लिए स्थगित।]

श्री कमल सिंह, गन्ना ग्राम सेवक, रुड़की, सहारनपुर का निलम्बन

43—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कमल सिंह, गन्ना ग्राम सेवक, गन्ना परिषद्, रुड़की, जिला सहारनपुर को 6 महीने सस्पेन्ड किये हो गये हैं अभी तक चार्ज शीट भी नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां, इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु पूर्व में नियुक्त जाँच अधिकारी के अन्य मामले में निलम्बित हो जाने के कारण इन्हें आरोप-पत्र नहीं दिया जा सका है। अब दूसरे नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र तैयार करके इन्हें शीघ्र ही दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

44—श्री कन्हई सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

इलाहाबाद जिले में लघु एवं सीमान्त कृषक परियोजना, सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास योजना तथा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना का कार्यान्वयन

45—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के ऐसे कौन-कौन विकास खण्ड है, जो एस0 एफ0 डी0 ए0 के कार्यक्रम से वंचित हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त विकास खण्ड डी0 पी0 ए0 पी0 योजना तथा आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम से भी वंचित है ? यदि हां, तो उपरोक्त दीनों योजनायें विकास खण्डों में कब तक लागू हो जाने की संभावना है ?

श्री जमुना प्रसाद—

लघु एवं सीमान्त कृषक परियोजना (एस0 एफ0 डी0 ए0) के बाहर 19 विकास खण्डों की सूची संलग्न है ।

(संलग्नक—1)

यह सही नहीं है कि यह 19 विकास खण्ड सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास योजना (डी0 पी0 ए0 पी0) या एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (आई0 आर0 डी0) से भी वंचित है । संलग्नक—2 में उक्त योजनाओं में लिए गये क्रमशः 8 एवं 8 विकास खण्डों के नाम दिये गये हैं । जनपद में कुल 27 विकास खण्डों में से केवल 3 विकास खण्ड उक्त विशेष योजनाओं में नहीं हैं परन्तु इनमें से दो नेवादा तथा सरसांवां में समादेश क्षेत्रीय विकास योजना (काडा) लागू है । केवल विकास खण्ड मूरतगंज में अभी तक कोई विशेष क्षेत्रीय विकास योजना नहीं है ।

लघु एवं सीमान्त कृषक परियोजना तथा सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास परियोजना का भविष्य अनिश्चित है । सम्भवतः भारत सरकार द्वारा यह योजनायें शीघ्र समाप्त कर दी जायेगी । अतः इनमें नये विकास खण्ड लेने का प्रश्न नहीं है । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में इन्हें लेने के बारे में प्रदेश के अन्य जनपदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 420—421 पर)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के अध्यक्षों व सदस्यों का नामांकन

46—श्री देवबहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में कृषि उत्पादन मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया गया है ? जिन जिलों में समितियों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है उसका कारण क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रदेश के 36 जिलों में तदर्थ मंडी समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों का नांमाकन किया गया है जिसका विवरण संलग्न है । शेष मंडी समितियों में तदर्थ समितियों के पदाधिकारियों के नामांकन शासन के विचाराधीन है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 422—423 पर)

पशु चिकित्सक, चुन्नीगंज, कानपुर का स्थानान्तरण

47—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पशु चिकित्सकों के स्थानान्तरण की कोई नियमावली बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान पशु चिकित्सक चुन्नीगंज, कानपुर का स्थानान्तरण नियमानुसार हुआ है ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री अब्दुल हलीम खां—

जी नहीं । पशु चिकित्साविदों का स्थानान्तरण शासनादेश सं0 बारह—ई—1—48—1 (4) 67—402—प—1, दिनाँक 6—6—78 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार किया जाता है ।

चुन्नीगंज (कानपुर) में कार्यरत पशुचिकित्सकों (पशुधन विकास अधिकारी) में से केवल डा0 एस0पी0 सिंह, अतिरिक्त पशुचिकित्सक (अतिरिक्त पशुधन विकास अधिकारी), जिन्हें यहाँ कार्य करते हुये लगभग 3 वर्ष पूरे हो गये थे, को जून, 1978 में अमेठी (सुल्तानपुर) स्थानान्तरित किया गया था बाद में उनकी प्रार्थना पर उनकी वरिष्ठता को देखते हुये पशुचिकित्सा सेवा खन्ड 'अ' में पशुधन विकास अधिकारी (ग्राम समूह) चुन्नीगंज (कानपुर) के पद पर पदस्थ कर दिया गया था जहाँ वह दिनाँक 24-8-78 से कार्यरत हैं।

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, एटा द्वारा मूंग की खरीद में अनियमितता के संबंध में शिकायती पत्र

48—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, एटा द्वारा दिनाँक 16 जून, 1977 से दिनाँक 28 जून, 1977 के दरम्यान मूंग खरीदारी की अनियमितताओं से शासन को मु0 31,700 रुपये के गोल माल की शिकायत दिनाँक 11 अक्तूबर, 1977 एवं 3 अक्तूबर, 1978 को प्राप्त हुयी है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह—

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, एटा द्वारा दिनाँक 16-6-77 से 30-6-77 के दरम्यान मूंग खरीददारी की अनियमितताओं से शासन को लगभग रु0 31,700-00 के गोलमाल से सम्बन्धित शिकायती पत्र दिनाँक 3-10-78 को प्राप्त हुआ है। उसकी जाँच कराई जा रही है।

देवरिया जिले के ग्राम पगार के अन्त्योदय परिवारों का चयन

49—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, देवरिया दिनाँक 12 जनवरी, 1979 को ग्राम पगार में लिंक रोड के निरीक्षण हेतु गये थे और आम जनता के सामने प्रश्नकर्त्ता ने अन्त्योदय के अन्तर्गत चुने गये पाँच परिवारों को गलत सिद्ध कर दिया था तथा जिलाधिकारी ने गलत व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ? यदि हाँ, तो बी0 डी0 ओ0, रामकोला के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ, यह सत्य है कि जिलाधिकारी, देवरिया दिनाँक 12-1-79 को ग्राम पगार, विकास खण्ड रामकोला में निरीक्षण हेतु गये थे तथा प्रश्नकर्त्ता ने अन्त्योदय परिवारों के चयन के संबंध में शिकायत की थी, किन्तु छानबीन करने पर चयन में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया फलतः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

आजमगढ़ व गोरखपुर जिला परिषद् की सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

50—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि जून, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक आजमगढ़ व गोरखपुर जिला परिषद् की कितनी किलोमीटर सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हुई तथा दोनों जिलों में कितनी किलोमीटर बनी और कितना धन खर्च हुआ ? क्या दोनों जनपदों में व्यय धनराशि में भारी अन्तर है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

वाँछित सूचना एकत्र की जा रही है।

51—श्री रवीन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

महेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला, देवरिया के रिसीवर श्री विश्वकर्मा के विरुद्ध शिकायतों की जांच और घाटा

52—श्री श्रीनारायण—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के रामकोला (खेतान) चीनी मिल के शासकीय आदाता श्री विश्वकर्मा के खिलाफ कोई जाँच ए0 डी0

एम0 महोदय, देवरिया ने माह अक्तूबर, नवम्बर, 1978 में की ? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी अनियमिततायें प्रकाश में आई और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

महेश्वरी खतान शुगर मिल, रामकोला (देवरिया) के भूतपूर्व रिसीवर श्री आर0 पी0 विश्वकर्मा के विरुद्ध शिकायतों की प्रारम्भिक जाँच अतिरिक्त जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा नवम्बर, 1978 में की गई थी। प्रारम्भिक जाँच में नियुक्तियों, प्रोन्नति तथा स्थायीकरण में अनियमिततायें, लकड़ी की खरीद में गड़बड़ियाँ, गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ने की ढुलाई में धन का दुरुपयोग, चूने की खरीद में गड़बड़ी, चीनी की बिक्री में गोलमाल, गन्ने की तौल में गड़बड़ी तथा गेस्ट हाउस, टी0 ए0 बिल तथा मेडिकल बिल में धन आहरण में गड़बड़ी की अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं जिनके सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यवाही के आदेश दे दिये हैं।

53---श्री श्रीनारायण---

क्या गन्ना विकास मन्त्री को यह ज्ञात है कि महेश्वरी खेतान शुगर मिल रामकोला के शासकीय आदाता जब श्री गर्ग थे तो मिल लाभ की स्थिति में थी और श्री विश्वकर्मा के कार्यकाल में एक वर्ष में ही 48 लाख का घाटा हो गया ? यदि हाँ, तो क्या तकनीकी जाँच करा कर समुचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह---

श्री गर्ग के महेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला में तीन पेराई सत्र के कार्यकाल में केवल वर्ष 1975-76 में रु0 2.40 लाख का लाभ हुआ था। श्री विश्वकर्मा के कार्यकाल में वर्ष 1977-78 में रु0 24.89 लाख का घाटा हुआ है। उक्त वर्ष व अन्य वर्षों में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चीनी मिलों में भी हानि हुई है जिसकी जाँच सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा नियुक्त "टास्क फोर्स" द्वारा हो रही है।

जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष के विरुद्ध जीप के दुरुपयोग की शिकायत और गैर सरकारी संचालक का मनोनयन

54---श्री विद्याशंकर---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 20-21 अक्तूबर को जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध श्री राम सेवक त्रिपाठी ने बैंक के जीप के दुरुपयोग के सम्बन्ध में उन्हें कोई प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हाँ, तो आज तक उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

55---श्री विद्याशंकर---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ में सरकार की ओर से सरकारी संचालक मनोनीत करने का क्या आधार रहा ? क्या उन्होंने जनपद के विधायकों से मनोनीत करते समय कोई राय माँगी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ में सरकार की ओर से एक गैर सरकारी संचालक उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 34 के अन्तर्गत मनोनीत किया गया है। उक्त मनोनयन के लिये जनपद के विधायकों की राय लेना आवश्यक नहीं था।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा मिट्टी के तेल का प्रयोग

56---श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि भारत सरकार ने जुलाई, 1974 में प्रदेश की चीनी मिलों को यह आदेश दिया था कि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी के तेल का प्रयोग बन्द कर दें ? यदि हाँ, तो पिराई सत्र 1974-75 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में किस किस चीनी मिल में इस आदेश की

अवहेलना करके मिट्टी के तेल का प्रयोग जारी रक्खा तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार भारत सरकार से जुलाई 1974 में प्रदेश की चीनी मिलों को पेट्रोलियम पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी के तेल का प्रयोग बन्द करने के कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए।

स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० द्वारा चीनी मिलों के निर्माण का कार्य

57—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय (28-2-78) को उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रदेश में कितनी चीनी मिलों के निर्माण की प्रायोजनाओं पर कार्य हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री प्रत्येक प्रयोजनाओं की वर्तमान प्रगति का ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

28-2-78 को उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 द्वारा निम्न दो चीनी मिलों की निर्माण की प्रायोजनाओं पर कार्य कराया जा रहा था:—

1—नन्दगंज सिहोरी शुगर कं0 लि0, नन्दगंज (गाजीपुर),

2—नन्दगंज सिहोरी शुगर कं0 लि0, दरियापुर (रायबरेली)

नन्दगंज सिहोरी, शुगर कं0 लि0, नन्दगंज (गाजीपुर) की चीनी मिल 24-11-76 से तथा नन्दगंज सिहोरी शुगर कं0 लि0, दरियापुर, जिला रायबरेली की चीनी मिल 15-2-79 से चालू हो गई है।

प्रतापगढ़ जिले में सिटी बस चलाये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

58—श्री विद्या शंकर—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 13 अक्तूबर, 1978 को जनपद प्रतापगढ़ में सिटी बस चलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने कोई प्रार्थना-पत्र उनके पास भेजे ? यदि हाँ, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हाँ, माननीय सदस्य का दिनाँक 13-10-78 का पत्र प्राप्त हुआ था ?

जनपद प्रतापगढ़ में सिटी बस अलाभप्रद होने के कारण नहीं चलाई जा सकी है। फिर भी जनता की सुविधा के लिए प्रतापगढ़-पट्टी, प्रतापगढ़-बादशाहपुर, प्रतापगढ़-कौहडौर तथा प्रतापगढ़-लालगंज मार्गों पर शटल सेवायें चलाई जा रही हैं।

प्रतापगढ़ में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित प्राइवेट बसें

59—श्री विद्याशंकर—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में प्राइवेट गाड़ियों को कितने प्रतिशत की मात्रा में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने की अनुमति दी जाती है ? प्रतापगढ़ जनपद में कितनी प्राइवेट गाड़ियों को रोडवेज विभाग में लिया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

380 प्राइवेट गाड़ियों को निगम द्वारा अनुबंधित करके चलाया जा रहा है। इसका कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।

प्रतापगढ़ जनपद में 7 प्राइवेट बसें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनुबंधित की गई है।

फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में साड़ी, ऊन के कारखाने का निर्माण

60—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में शिवबाबा के निकट पिछली सरकार के समय में पूर्वांचल विकास निगम द्वारा साड़ी ऊन का कारखाना

खोलने का निश्चय किया गया था और उसकी चहारदीवारी आदि भी बन गयी थी ? यदि हाँ, तो उक्त कारखाना कब तक चालू हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

यह सही है कि पूर्वांचल विकास निगम फैजाबाद द्वारा जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में साड़ी ऊन का कारखाना खोलने का निश्चय किया गया था और उसकी चहारदीवारी भी खिच गई है। कुछ आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य कठिनाईयों के निराकरण के पश्चात उक्त कारखाना चालू किया जा सकेगा।

गन्ना व चीनी का उत्पादन एवं चीनी मिलों की संख्या

61—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1947 में उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार और चीनी का उत्पादन कितना था और इस समय यह बढ़कर कितना हो गया है? क्या यह सही है कि गन्ने की बढ़ती हुई पैदावार के अनुपात में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, उल्टे पुरानी चीनी मिलों की पेराई की क्षमता में भारी गिरावट आई है जिससे गन्ना उत्पादक किसानों के सम्मुख गम्भीर संकट पैदा हो गया है ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है और उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए शासन की क्या योजना है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उत्तर प्रदेश में गन्ना व चीनी के उत्पादन तथा मिलों की संख्या की वर्ष 1947–48 तथा 1977–78 की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:—

वर्ष	गन्ना उत्पादन (लाख मैट्रिक टन)	चीनी उत्पादन (लाख मैट्रिक टन)	चीनी मिलों की संख्या जिन्होंने कार्य किया
1947–48 ..	280.06	6.12	63
1977–78 ..	768.19	18.62	85

मिलों की संख्या में वृद्धि गन्ना उत्पादन के अनुपात में नहीं हुई परन्तु चीनी मिलों की क्षमता विस्तार आदि के कारण मिलों द्वारा गन्ना पेराई मात्रा बढ़ी है। गन्ना उत्पादन में वृद्धि से चीनी मिलों में गन्ना पूर्ति का प्रतिशत बढ़ गया जो वर्ष 1947–48 के 22.2 प्रतिशत से बढ़ कर 1977–78 में 26.8 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 1978–79 में प्रत्येक 1250 टन दैनिक पेराई क्षमता की दो नई चीनी मिलों ने पेराई कार्य आरम्भ कर दिया है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 7 और नई चीनी मिलें (1250 टन दैनिक पेराई क्षमता की प्रत्येक) सहकारी क्षत्र में लगाई जायेंगी। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में चार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 6 वर्तमान चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

चीनी की उत्पादन लागत

62—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में प्रति क्विन्टल चीनी के उत्पादन पर क्या लागत आती है ? यदि हाँ, तो क्या उसे देखते हुए सरकार चीनी का मौजूदा भाव कम करने अथवा गन्ने का मूल्य अधिक करने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करेगी और सारे देश में गन्ने की नीति में एक रूपता लाने की नियत से चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

चीनी मिलों में प्रति कुन्टल चीनी के उत्पादन पर आने वाली लागत भिन्न-भिन्न होती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1977–78 में उत्तर प्रदेश के पश्चिम, मध्य व पूर्वी जोन की औसत उत्पादन लागत (आबकारी कर को छोड़कर) क्रमशः रु0 221, रु0 220 तथा रु0 230 प्रति कुन्टल थी। भारत सरकार द्वारा 16 अगस्त, 1978 स चीनी मूल्य पर विनियंत्रण कर दिया गया है तथा चीनी के मासिक रिलीजेज की प्रथा भी समाप्त कर दी गई है। फलस्वरुप चीनी के भावों में अत्यधिक गिरावट आ गई है। इस समय मिलों को प्राप्त होने वाले चीनी के भावों का स्तर जो टैरिफ वैल्यू से प्रतिबिम्बित होता है। रु0 180 प्रति कुन्टल है, जबकि विगत वर्ष मार्च में टैरिफ वैल्यू 270 रु0 थी। गन्ने का न्यूनतम मूल्य रू0 8.50 चीनी पर्ते सेसम्बद्ध विगत वर्ष के रु0 8.50 प्रति कुन्टल से बढ़कर इस वर्ष भारत सरकार ने रु0 10 कर दिया है। गन्ने की नीति के अधिकांश विषय प्रदेशीय शासनों के अधीन हैं। अतः केवल चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण से सारे देश में गन्ने की नीति में एकरुपता नहीं हो सकेगी।

फैजाबाद, सहकारी गन्ना विकास समिति और मसौधा सहकारी गन्ना विकास समिति की बैलेंसशीट्स

63—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में फैजाबाद सहकारी गन्ना विकास समिति की वर्ष 1970–71 से लेकर अब तक की और मसौधा सहकारी गन्ना विकास समिति की वर्ष 1972–73 से अब तक की बैलेन्सशीट नहीं बनी है जिसके कारण उक्त दोनों समितियों में हुई वित्तीय अनियमितताओं और गबन की पूर्ण धनराशि का सही लेखा जोखा सामने नहीं आ पा रहा है? यदि हाँ, तो आज तक की बैलेन्सशीट बनवाकर सभी दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री शिव मंगल सिंह—

फैजाबाद सहकारी गन्ना विकास समिति की वर्ष 1970–71 की कैश बुक पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान शाखा, लखनऊ के संरक्षण (कस्टडी) में होने के कारण वर्ष 1970 –71 से अब तक की बैलेन्सशीट नहीं बन पायी। अब फरवरी 1979 के अन्त में उक्त वर्ष की कैश बुक की प्रतिलिपि प्राप्त हो गयी है तथा बैलेन्सशीट बनाने की कार्यवाही की जायगी।

मसौधा सहकारी गन्ना विकास समिति की वर्ष 1972–73 की बैलेन्सशीट बन चुकी है तथा इसके बाद की बैलेन्सशीट बननी है। वर्ष 1973–74 की बैलेन्सशीट बनायी गयी थी, किन्तु इसमें त्रुटियाँ होने के कारण इसे पुनः बनाया जा रहा है।

इस समितियों की बैलेन्सशीट पूर्ण हो जाने पर यदि कोई अनियमिततायें पायी गयीं तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

फैजाबाद की ग्राम सभा मथानी में उर्वरक व गेहू–बीज के वितरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

64—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम सभा मथानी, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के निवासियों का उर्वरक व गेहूं के बीज के वितरण में की गई धांधली के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 8 फरवरी, 1978 के पत्र के साथ जिलाधिकारी, फैजाबाद को मिला है? यदि हां, तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां। मामले में जाँच के फलस्वरुप दोषी पाये गये लेखपाल का स्थानान्तरण मयानी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और आरोप पत्र जारी किया गया है।

प्रादेशिक विकास दल मुख्यालय पर तैनात क्षेत्रीय संगठन कार्यकर्त्ताओं का स्थानान्तरण

65—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि प्रादेशिक विकास दल मुख्यालय पर क्षेत्रीय संगठनकर्त्ताओं का एक भी पद स्वीकृत नहीं है और उसके बावजूद मुख्यालय पर लगभग 16 क्षेत्रीय संगठनकर्त्ता तैनात हैं जिन के पास कोई कार्य नहीं है ? क्या यह भी सही है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में क्षेत्रीय संगठनकर्त्ताओं की कमी है जिसे दूर करने के लिए मुख्यालय पर तैनात क्षेत्रीय संगठनकर्त्ताओं में से कुछ का स्थानान्तरण किया गया था जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किसके आदेश से किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद—

प्रादेशिक विकास दल मुख्यालय पर क्षेत्रीय संगठन कर्त्ताओं का कोई पद स्वीकृत नहीं है। इस समय यहां पर 15 क्षेत्रीय संगठन कर्त्ता प्रशिक्षण एवं विभिन्न कार्यों के लिये तैनात हैं। प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों में क्षेत्रीय संगठन कर्त्ताओं के स्थान पर रिक्त होने के कारण उनकी पूर्ति के लिये मुख्यालय पर नियुक्त कुछ क्षेत्रीय संगठन कर्त्ताओं का स्थानान्तरण किया गया था, किन्तु प्रशासकीय कारणों से इसे बाद में निरस्त कर दिया गया।

कृषि विश्वविद्यालय, फैजबाद में वित्त नियंत्रक एवं ज्येष्ठ अभिजनक के पद पर नियुक्ति

66—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति ने सहायक वित्तीय नियन्त्रक को हटाने, वित्तीय नियन्त्रक की नियुक्ति करने तथा अनुसन्धान कार्य को दिशा प्रदान करने और उसकी प्रगति के लिए एक वरिष्ठ वैज्ञानिक की सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और कुलपति द्वारा उठाई गई बातों को पूरी करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है तथा उन मांगों को कब तक दूर कर दिया जायगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के उपवित्त नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति अवधि के समापन पर शासन ने श्री काजी सैयद अली को कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वित्त नियंत्रक के पद पर नियुक्त कर दिया है और उन्होंने दिनांक 28-6-78 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ?

अखिल भारतीय को-आर्डिनेटेड धान सुधार परियोजना के अन्तर्गत ज्येष्ठ अभिजनक के पद पर डा० एन० एन० दीक्षित, वरिष्ठ वैज्ञानिक को तैनात करने का अनुरोध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संयुक्त सचिव, कृषि के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 6462/12 (1)-318/78, दिनांक 5-12-1978 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को यह निर्देश भेज दिए थे कि वे डा० दीक्षित को ज्येष्ठ अभिजनक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के हेतु वर्तमान पद से मुक्त कर दें डा० दीक्षित ने ज्येष्ठ अभिजनक के पद का कार्यभार दिनांक 14-12-1978 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

फैजाबाद जिले की सहकारी समितियों में गबन एवं अनियमितताएं

67—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद की विभिन्न सहकारी समितियों की आडिट रिपोर्टों से अभी तक कुल कितने लाख रुपये के गबन या अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और उस धनराशि की रिकवरी (वसूली) के लिये, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये तथा उक्त सभी काण्डों के दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद फैजाबाद की विभिन्न सहकारी समितियों की 26 जून, 1975 से 30 सितम्बर, 1978 के बीच निर्गत आडिट रिपोर्टों के अनुसार रु0 9,42,818.22 की धनराशि का गबन व दुरुपयोग तथा रू0 7,49,458.60 की धनराशि की अनियमितता के मामले प्रकाश में आये हैं।

विवरण निम्न है:—

वर्ष	प्रकरण संख्या	अपहरण की धनराशि	संख्या प्रकरण	अनियमितता की धनराशि
		रु0		रु0
1974–75 (26 जून, 75 से 30 जून, 1975 तक)	5	15,250.73	1	594.32
1975–76	18	81,244.75	10	6,30,485·88
1976–77	43	3,65,067.41	3	20,017·51
77–78 एवं 30 सितम्बर, 78 तक।	65	4,81,255.33	4	98,360·89
योग	131	9,42,818.22	18	7,49,458.60

उक्त धनराशि की वसूली के लिये तथा उक्त सभी काण्डों के दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई है:—

1—रु0 63,811.05 की धनराशि की वसूली की जा चुकी है।

2—रु0 2,37,591.09 पर वसूली हेतु सालसी कार्यवाही की गई है।

3—रु0 4,99,409.11 की धनराशि पर 59 उत्तरदायी व्यक्तियों के आचरण की जाँच हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 68 (अधिभार) सरचार्ज की कार्यवाही की गई है।

4—29 अभियुक्तों के विरुद्ध रु0 2,69,133.01 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी गयी है।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये निम्न कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है:—

(1) गबन सम्बन्धी मामलों में शीघ्रता से निपटाने के लिये सहकारिता विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा को निदेश दिये गये हैं।

(2) धन के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही की जाती है।

(3) अधिकारियों द्वारा सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण तथा वार्षिक लेखा परीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण में पाये गये दुरुपयोग एवं अनियमितता के सम्बन्ध में उपरोक्त के अनुसार विभागीय एवं पुलिस कार्यवाही की जाती है।

(4) अपहरण एवं दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से ही मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 के सामंजस्य से सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया एवं उसके अनुपालन को सामूहिक रूप से प्रभावी बनाने हेतु विस्तृत प्रणाली प्रसारित की गयी है।

(5) सहकारी ऋण में गड़बड़ियों का पता लगाने हेतु 3 वर्षों से ऊपर के बकायादारों के ऋण का सत्यापन किया गया है। उपरोक्त सत्यापन से अपराधी प्रवृत्ति व अपहरण तथा अनियमितता रोकने में सफलता मिलेगी।

उक्त काण्डों के लिये दोषी पाये गये 25 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं तथा 2 को निलम्बित किया गया है।

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर के सहायक लाइब्रेरियन पद पर नियुक्ति

68—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर में स्नातक की वरीयता का उल्लंघन करके सहायक लाइब्रेरियन पद पर दिनांक 13 सितम्बर, 1978 को नियुक्ति कर दी गई है? क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त संस्थान में कार्यरत लिपिक (श्री बाल कृष्ण शर्मा) ने इस विषय में दिनांक 14-9-78, 16-9-78, 22-9-78 तथा 13-10-78 को उप निदेशक, उद्यान-कम-प्रभारी अधिकारी औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को 28-10-78 को निदेशक, लखनऊ को पत्र एवं प्रश्नकर्त्ता विधायक ने दिनांक 14 सितम्बर, 1978 को कृषि मन्त्री को पत्र लिखे? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री शिव मंगल सिंह—

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर में सहायक लाइब्रेरियन के पद केन्द्र पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा दिनांक 13-9-78 को नियुक्ति की गयी थी। प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये स्नातक की वरीयता आवश्यक नहीं है। अतः इसके उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। श्री बाल कृष्ण वर्मा, लिपिक तथा माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक के पत्रों पर विचारोपरान्त इस पद के लिये अर्हता निर्धारित करके सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्ति करने के लिये आदेश कर दिये गये हैं।

राज्य सड़क परिवहन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

69—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेंस की जांच इस समय चल रही है? कितने राजपत्रित अधिकारियों की जांच पूरी होकर जनवरी, 1979 तक शासन को अन्तिम कार्यवाही करने के लिए प्राप्त हो गई है? जिन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है और आरोप

सिद्ध हो चुका है उनमें से कितने निलम्बित हो चुके हैं ? शेष को निलम्बित न करने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री सब अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्ना विकास विभाग के लिपिक संघ का मांग-पत्र

70—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग जिला स्तरीय लिपिक वर्गीय संघ द्वारा प्रस्तुत 27 (सत्ताइस) सूत्रीय मांग-पत्र जो कि शासन को अप्रैल, 1978 में दिया गया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों और अब कब तक विचार किया जायेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जिला स्तरीय लिपिक वर्गीय संघ, जो विभागीय मान्यता प्राप्त नहीं है, से माह अप्रैल, 1978 में नहीं अपितु मई, 1978 में 27 सूत्रीय मांग पत्र प्राप्त हुआ, जो विचाराधीन है ।

बस्ती जिले के कछिया-बिरऊपुर व गौरपरासडीह मार्ग का निर्माण

71—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास परिषद्, बभनान (बस्ती) की आउट सेन्टर गौर गन्ना विकास समिति द्वारा सिरशिया–बिरऊपुर सड़क तथा पुलिया तथा गौर-परासडीह सड़क तथा पुलिया का कार्य कब चालू किया गया और 30 जून, 1978 तक कितना व्यय किया गया ? उक्त दोनों कार्यों की कितने का इस्टीमेट था ? कितना धन व्यय हो चुका है और कितना कार्य अभी बाकी है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सिरशिया-बिरऊपुर सड़क के नाम से कोई भी कार्य, समिति अथवा कमेटी द्वारा नहीं कराया गया अपितु कछिया–बिरऊपुर मार्ग पर एक पुलिया 6X3 स्पैन की वर्ष 1964 तथा एक पुलिया 6X1 स्पैन की वर्ष 1970 में ली गयी थी तथा गौर परासडीह सड़क तथा पुलिया का कार्य 1976 में प्रारम्भ किया गया । इन दोनों कार्यों के निर्माण की अनुमानित लागत रु0 83,466.35 पैसे के प्रति 30 जून, 1978 तक कुल रुपये 55027.19 पैसे व्यय हुआ । इनके निर्माण एवं व्ययों का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 424 पर)

72—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

बस्ती जिले में मंडी समितियों का निर्माण

73—श्री ओम प्रकाश—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में किन-किन तहसीलों में कौन-कौन सी मंडी समितियों का निर्माण हो गया है ? क्या हरैया तहसील में बभनान बाजार को भी मण्डी समिति बनाना शासन के विचाराधीन है ? क्या प्रश्नकर्त्ता ने माननीय कृषि मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में 6 माह पूर्व कोई पत्र लिखा था, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव मंगल सिंह—

बस्ती जिले में 5 मंडी समितियां क्रमशः नौगढ़, बस्ती, सोहरतगढ़, बाँसी तथा सहियापुर गठित हैं, जो जिले की 6 तहसीलों क्रमशः बस्ती, खलीलाबाद, हरैया, डुमरियागंज, नौगढ़

तथा बाँसी क्षेत्रों के अन्तर्गत है। हरैया तहसील में स्थित बभनान बाजार मंडी समिति बस्ती क्षेत्र के अन्तर्गत है। बभनान बाजार की अलग से मंडी समिति बनाने का प्रस्ताव प्रश्नकर्त्ता द्वारा माननीय राज्य कृषि मंत्री जी को दिनांक 25 अप्रैल, 1978 के पत्र द्वारा भेजा गया था। उस पर जिलाधिकारी, बस्ती से आख्या मांगी गयी है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

बस्ती जिले की बस्ती मंडी समिति का क्षेत्र

74—श्री ओम प्रकाश—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती मण्डी समिति में बस्ती जिले के कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् कितने विधान सभा क्षेत्रों को मिला कर बस्ती मण्डी समिति बनायी गयी है ? क्या यह बंटवारा न्याय संगत है ?

श्री शिवमंगल सिंह—

कृषि उत्पादन मंडी समिति, बस्ती के क्षेत्र में चार विधान सभा क्षेत्र क्रमशः बस्ती, नगर पूरब-कप्तानगंज तथा हरैया पड़ते हैं। मंडी समितियों के कार्यक्षेत्र का परिसीमन विपणन व्यवस्था की आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है।

75—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले की मसौधा चीनी मिल द्वारा गन्ने की खरीद

76—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में दिनांक 25 जनवरी, 1979 तक मसौधा मिल ने कुल कितने गन्ने की खरीद की है ? क्या तारुन केन्द्र पर अभी तक केवल 3 हजार क्विन्टल गन्ने की खरीद की गई है ? यदि हाँ, तो शेष गन्ने की समय के अन्दर खरीद करने हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

दिनांक 25—1—79 तक मसौधा चीनी मिल द्वारा 6.49 लाख क्विन्टल गन्ने की खरीद की गई, तारुन क्रय केन्द्र पर 5,583 कुन्टल गन्ने की खरीद की गई।

मसौधा चीनी मिल में गन्ना पेराई जारी है।

बभनान चीनी मिल की बन्दी

77—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बभनान चीनी मिल, जिला गोण्डा दिसम्बर, 1977 में चालू की गई और जून, 1978 में बन्द की गयी ? यदि हाँ, तो दिसम्बर, 1977 से जून, 1978 के बीच कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे बन्द रही और बन्द होने के कारण किसानों को हुई क्षति पूर्ति मिल द्वारा किसानों एवं बैलगाड़ी वालों को की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

दिनांक 30 नवम्बर, 77 से 16 जून, 1978 तक की अपनी कार्य की अवधि में से बभनान चीनी मिल 2 माह, 27 दिन, 21 घंटे व 40 मिनट बन्द रही। मिल के बार-बार बन्द हो जाने के कारण गन्ना किसानों को असुविधा तो अवश्य हुई परन्तु उन्हें कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि चीनी मिल समस्त गन्ना पेर कर ही बन्द हुई थी। अतः क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

78—श्री मन्जूर अहमद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1975 से दिनांक 1 फरवरी, 1979 तक क्लास 1, क्लास 2 एवं क्लास 3 के कितने अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी केस सतर्कता विभाग के सुपुर्द किये गये और किन-किन के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हुआ, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

79—श्री मन्जूर अहमद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में दिनांक 1 जनवरी, 1975 से दिनांक 1 फरवरी, 1979 तक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी केस सतर्कता विभाग के सुपुर्द किये गये और किन-किन के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हुआ और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

80—श्री राजपति मिश्र—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

श्री राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर शासन पक्ष के सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत करने पर आपत्ति

(श्री रवीन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं एक सूचना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय राज्यपाल के प्रस्ताव पर कुछ संशोधन प्रस्ताव आये हैं। आमतौर पर संशोधन के प्रस्ताव विरोध पक्ष से आते हैं। लेकिन प्रस्ताव नं0 5 में देखें तमाम जनता पार्टी की ओर से हैं। मैं आप से केवल इतनी सूचना चाहता हूं कि क्या इन माननीय सदस्यों ने दल-बदल कर लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जिस समय चर्चा शुरू होगी इसका जबाव उस समय दिया जायगा।

पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय के युवा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हड़ताल एवं आमरण अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं .....

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष

अब मैंने उनको बुला लिया है।

श्री रामदत्त जोशी—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नों के सम्बन्ध में.....

श्री उपाध्यक्ष---

कोई प्रश्न नहीं हो सकता। मैं इजाजत नहीं देता हूँ।

*श्री रवीन्द्र सिंह---

मान्यवर, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के युवा कृषि वैज्ञानिक 12 फरवरी से पूर्ण हड़ताल पर हैं। युवा वैज्ञानिक 25 मार्च से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का अनुसन्धान कार्य जो अत्यन्त ही महत्व का है, पूर्ण रूपेण ठप्प है। वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्धारित यू0 जी0 सी0 वेतनमान एवं सेवा शर्तों की मांग कर रहे हैं। प्रदेश शासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी कृषि विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार के वेतनमान लागू करने हेतु मनगढ़न्त दलील दे कर कृषि विश्वविद्यालयों के मूल उद्देश्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रसार के समन्वित कार्यक्रम द्वारा ग्राम्य एवं कृषि विकास के महान उद्देश्य की प्राप्ति को नकारना चाहते हैं।

विषय अत्यन्त ही लोक महत्व का है। अतः सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए।

मान्यवर, एक मिनट। मान्यवर, पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, अत्यन्त ही महत्व की है। पिछले वर्ष मजदूर आन्दोलन के चलने पर वहां फायरिंग हुई। महीने-दो महीने विश्वविद्यालय बन्द रहा। फिर विद्यार्थियों के दो दलों, अध्यापकों, मजदूरों में आपसी संघर्ष.....

श्री उपाध्यक्ष---

श्री रामदत्त जोशी।

श्री रवीन्द्र सिंह---

मान्यवर, एक मिनट। मुझे निवेदन करना है कि आप सरकार को निर्देश दें कि विश्वविद्यालय में होने वाली इस तरह की अशांति पर काबू पाया जाय, पठन-पाठन कार्य शुरू किया जाय, बड़ी गम्भीर स्थिति है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा वेयर हाउसिंग निगम के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का तथा सरकार का ध्यान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा वेयर हाउसिंग निगम के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व गोल-माल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद नैनीताल का तराई क्षेत्र जो बढ़िया किस्म के धान के अत्यधिक उत्पादन के लिए ख्याति प्राप्त है वहां की अनेक चावल बनाने वाली मिलों ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से मिल कर चावल पर सरकार को देय लेवी की चोरी करके स्वयं लाखों रुपए का काला धन कमाया है और सरकार को देय करों की भी चोरी की है और यह क्रम अब भी जारी है। उदाहरणतः जी0 जी0 आर0 इण्डस्ट्रीज नामक रुद्रपुर 1978 की एक राइस मिल के मालिक ने 720 क्विन्टल बासमती चावल रामपुर के रेलवे स्टेशन से दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को दो वैगन, 18 मई, 1978 को दो वैगन तथा 12 जून को दो वैगन, 120 क्विन्टल प्रति वैगन के हिसाब से, आर0 आर0 नम्बर 6/203534, 7/203534, 3/791268, 4/791269, 13/762564 तथा 14/762565 के अन्तर्गत बम्बई के कार्निज ब्रिज और बोरी बन्दर रेलवे स्टेशन को भेजा जिसके पाने वाले (कनसाइनी) उपरोक्त राइस मिल के मालिक स्वयं रहे हैं। उपरोक्त भेजे गये चावल का जी0 जी0 आर0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदत्त जोशी]
इंडस्ट्रीज के लेवी रजिस्टर में कोई इन्दराज नहीं है। जाहिर है कि उपरोक्त 720 क्विंटल चावल पर सरकार को कोई लेवी नहीं दी गयी। चूंकि उपरोक्त चावल की बिक्री से प्राप्त रकम मिल के खातों में भी नहीं दर्ज है अतएव इस प्रकार सरकार को देय टैक्स की भी चोरी की गई। उल्लेखनीय है कि रुद्रपुर, जिला नैनीताल के कुछ तथाकथित नेताओं को इमरजेन्सी के दौर में बांस मती चावल के निर्यात के लाइसेन्स तत्कालीन सरकार द्वारा दिए गए थे तो उन्होंने विदेशों को बांसमती के बजाय घटिया इमीटेशन चावल का निर्यात किया, जो ग्राहक देशों ने लेने से इन्कार करते हुए वापस कर दिया जो हमारे देश के लिए बदनामी का वायस बना।

श्रीमन्, मौजूदा आर्थिक वर्ष 1978-79 में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने मेरे जनपद नैनीताल की काशीपुर तहसील के कुन्डेसरी नामक गांव में भाण्डारागार निमित्त केवल 3 एकड़ भूमि 8 लाख 78 हजार रुपए में खरीदी। उल्लेखनीय है कि काशीपुर शहर की सीमा से मिले हुए गांवों में भी जमीन का बाजार भाव 20 हजार रुपए प्रति एकड़ से अधिक नहीं है, जिसकी पुष्टि दस्तावेजों के रजिस्ट्रार, काशीपुर के कार्यालय से की जा सकती है। आश्चर्य का विषय है कि कारपोरेशन जिसका कार्य संचालन सरकारी अधिकारियों की देख-रेख में चलता है उसके प्रबन्धक मण्डल ने पौने तीन लाख रुपए प्रति एकड़ अर्थात् बाजार भाव से पन्द्रह गुने अधिक मूल्य पर भूमि खरीदने का साहस कैसे किया? इस भूमि का मूल्यांकन करने तथा इस सौदे की संस्तुति करने वाले अधिकारीगण और स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी सभी ने मिल कर भारी गोलमाल किया। यह जनता के धन की खुली लूट है। अतएव यह जनहित में आवश्यक हो गया है कि इस घोटाले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा तुरन्त कराई जाय। माननीय खाद्य मंत्री इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र सदन के समक्ष वक्तव्य देने की कृपा करें।

प्रदेश के शीत गृह संचालकों द्वारा की जा रही चोर बाजारी से आलू किसानों की कठिनाईयों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, प्रदेश में शीत गृहों के संचालकों द्वारा बड़े तैमाने पर की जा रही चोर बाजारी एवं मनमाने भाव पर आलू रखने के कारण आलू कृषकों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट की तरफ मैं माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से प्राप्त समाचार के अनुसार 5 रु0 से लेकर 10 रु0 तक प्रति बोरे आलू पर अतिरिक्त धन गैर कानूनी तरीके से वसूल किया जा रहा है। शीत गृहों के समक्ष आलू का अम्बार लगा हुआ है जिससे प्रदेश में करोड़ों टन आलू के खराब हो जाने की सम्भावना है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि शीत गृहों द्वार चलाए जा रहे चोर बाजारी को कारगर तरीके से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए तथा आलू के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था करे।

बाराबंकी जनपद में बढ़ती हुई कत्ल तथा डकैती की घटनाएं तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद में कत्ल, डकैती जैसे जघन्य अपराध दिन दूने रात चौगुने होते जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन डकैती अथवा हत्या की घटना न घटती हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस इन अपराधों को रोकने में अक्षम सिद्ध हो रही है, जिससे जन जीवन में असुरक्षा की भावना व्याप्त है कि कब किस समय किसी की जान न ले ली जाय। असुरक्षा की सीमा यहाँ तक पहुंच गयी है कि अतताइयों का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं जन-प्रतिनिधि भी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, जिसका नतीजा है कि लोगों में अन्याय के विरोध का साहस क्षीण होता जा रहा है।

मान्यवर, उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व थाना रामनगर के अन्तर्गत ग्राम बरौलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री अवधराम वर्मा की हत्या तथा विधायक श्री राम सागर रावत के घर पर कातिलाना हमला, अन्याय के ही विरोध का परिणाम था। गत 24 जनवरी, 1979 को सरेआम बराती लाल, निवासी ग्राम इटहुवा मजरे-मुरलीगंज, थाना जैतपुर की निर्मम हत्या कर दी गयी और अब उन्हीं अतताइयों द्वारा उसकी पत्नी की हत्या करके सारी जायदाद हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक बराती लाल की पत्नी अपना घर छोड़े हुए जान बचाने के लिए अपने मायके में पड़ी हुई है। पुलिस की तरफ से उसको इतनी भी सुरक्षा नहीं मिल रही है कि वह अपने को सुरक्षित अनुभव करके घर पर निर्भय हो कर रह सके। यदि समय रहते मृतक बराती लाल की पत्नी को शासन की ओर से समुचित सुरक्षा न प्रदान की गयी तो उसकी भी जान चली जायगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बाराबंकी जनपद की अपराधिक स्थिति को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह असुरक्षा की भावना को दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठायेगी तथा जनजीवन में व्याप्त असुरक्षा, भय, आतंक आदि को समाप्त करेगी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा अध्यापकों को पास-बुक न दिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं इस माननीय सदन का ध्यान शिक्षा निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 2421/15 (5)–33473, दिनाँक 2 जून, 1975 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके माध्यम से प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी के नाम से एक पास बुक खोल कर उसकी प्रत्येक मास की कटौतियाँ उक्त पास-बुक में अंकित की जायेंगी और वह पास-बुक संबंधित अध्यापक अथवा कर्मचारी के पास रहेगी।

मुझे खेद है कि उक्त स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रदेश के अधिकतर जनपदों में ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है। अध्यापकों अथवा कर्मचारियों को वैयक्तिक खाता-बही उपलब्ध कराना तो दूर की बात है, जनपद फैजाबाद में अभी तक सन् 1968 से लेकर सन् 1972 तक की कटौती की धनराशि को सम्बन्धित अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के खातों में अंकित नहीं किया है तथा सन् 1972 ई0 के बाद के भी अभिलेख अपूर्ण हैं और जुलाई तथा अगस्त, 1978 की भविष्य-निधि की धनराशि अध्यापकों के खातों में अंकित नहीं है।

इसी प्रकार के समायोजन के नाम पर अध्यापकों का मनमाने ढंग से स्थानान्तरण किया गया है और समायोजन में स्थानान्तरित अधिकतर अध्यापकों का वेतन पाँच माह पश्चात भी अभी तक नवीन स्कूलों पर नहीं लगाया गया है। परिणामस्वरूप ऐसे अध्यापकों को वेतन लेने के लिए मजबूरन कम से कम एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर और किराया भाड़ा खर्च करके अपने पुराने स्कूलों पर जाना पड़ता है।

अतः उक्त दोनों तथ्यों को इस माननीय सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की माँग करता हूं।

आगरा में सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से साथ दुर्व्यवहार एवं कथित मारपीट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आगरा में सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के साथ निन्दनीय दुर्व्यवहार एवं अन्यायपूर्ण मारपीट के कारण चल रही अनिश्चितकालीन बाजारबन्दी पर ध्यानाकर्षण हेतु मान्यवर, दिनाँक 17 मार्च, 1979 को तरकारी गली, लोहा मण्डी, आगरा के एच0 के0 थामर्स के यहाँ जाँच के दौरान एम0 टी0ओ0, श्री ए0 एम0 त्रिपाठी और श्री राम बचन मिश्रा एवं अन्य सेल्स टैक्स स्टाफ ने बिना सर्च वारन्ट के दुकान पर जबरदस्ती छापा मारा, दुकादनदार के इंकार करने पर स्टाफ ने मारपीट की। घटना स्थल पर एकत्र सैकड़ों लोगों ने इस घटना को देखा। पुलिस ने सेल्स टैक्स अधिकारियों के दबाव में आकर एकतरफा कार्यवाही करके दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया जबकि दुकानदारों की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इस घटना के विरोध में आगरा लोहा बाजार अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिकारियों द्वारा इससे पूर्व रावतपाड़ा में भी इस प्रकार की घटना दो माह पूर्व हुई और उसमें भी बाजार काफी समय तक बन्द रहा था।

आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को स्थानान्तरित करके, इसकी उच्च स्तरीय जाँच के आदेश पारित करे और सम्मानित व्यापारियों को जो घटना के समय मौजूद नहीं थे, उनके विरुद्ध की गयी रिपार्ट को जाँच के लिए स्थगित रखे और सरकार को टैक्स देने वाले व्यापारियों के साथ उचित व्यवहार का निर्देश देकर आगरा में लोहा बाजार की हड़ताल को समाप्त करा दें।

श्रीमन्, वहाँ हड़ताल हो रही है और उससे आम जनता को नुकसान हो रहा है इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब निर्देश जारी करे।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार इसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही करेगी।

ग्राम सट्टिया, जिला बलिया के हरिजनों की झोपड़ियों को जलाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी हरिजनों के ऊपर उत्पीड़न की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

ग्राम सट्टिया, थाना अमा, जिला बलिया में विगत दिनों कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आठ (8) हरिजन परिवारों की झोपड़ियों को जलाकर उन्हें सड़कों पर मारे-मारे घूमने को मजबूर कर दिया गया है। घटना के अनुसार इन आठ हरिजनों को वहाँ के जिला अधिकारी ने भवन निर्माण के लिए तीन-तीन डिस्मल भूमि आवंटित की थी जिससे नाराज होकर लोगों ने उनकी झोपड़ियाँ जला दीं। आज भी हरिजन अपनी झोपड़ियों में स्वतंत्र नहीं रह सकते। मेरी सरकार से माँग है कि तुरन्त इस मामले पर कार्यवाही करें जिससे सरकार के प्रति असन्तोष न पैदा हो।

उपाध्यक्ष जी, चूंकि यह हरिजनों का स्पेशल मामला है। आपके द्वारा मेरी यह माँग है कि इस मामले में वक्तव्य मन्त्री जी दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करेगी ।

(श्री नेम सिंह चौहान के खड़े होने पर)

आप बैठें, मैंने श्री शफीकुर्रहमान को कहा है ।

हसनपुर बिलारी, जिला मुरादाबाद क्षेत्र में ओला वृष्टि से क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

महोदय, जनपद मुरादाबाद की तहसील सम्भल, हसनपुर बिलारी में 6 मार्च, 1979 को ओलाबारी से काफी ग्राम प्रभावित हुए हैं जिससे किसानों की रबी की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिन गांवों पर ओला पड़ा है उनकी फसल बिलकुल नष्ट हो गई है। उनके बच्चों के लिए कोई दाना पैदा न हो सकेगा। मैंने 17 मार्च, 1979 को अपने क्षेत्र सम्भल में ओलों से प्रभावित ग्रामों का दौरा किया इस मौके पर ग्राम मनोटा, चन्दवार, ओबरी, रचैटा, सिरौली, सकतपुर, कुतुबपुर सत्ता, मुर्थला, नहरौली, नाहरौला, हरीपुर मिलक, अलिया कल्यानपुर, भटपुरा दबोई, सिरपुरा, फतेहपुर सत्ता, सतूपुरा, दरियापुरबन्द, गहरा, बाबूखेड़ा आदि का दौरा किया। किसानों से इस सम्बन्ध में बातचीत की। वह बेहद गमगीन और परेशान थे। मेरी आंखों में उनकी यह दुर्दशा देखकर आंसू आ गये। उन्होंने बताया कि एक-एक किलो और दो-दो किलो तक के ओले पड़े हैं। और दो-दो फिट ऊंचा ओला का ढेर लग गया जो कई रोज में गला इसके अलावा किसानों ने यह भी बताया कि ओलों से मारी हुई फसल को जानवर भी नहीं खा रहे हैं जिससे मवेशियों के भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गयी है। मेरी जानकारी में लगभग 208 गांव भीषण रूप से प्रभावित हुए हैं साथ ही साथ लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करूंगा कि सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे और राहत कार्य तथा आबपाशी, लगान, फीस, बिजली, खाद इत्यादि को माफ करने की कृपा करें और उनको आर्थिक सहायता अधिक से अधिक दिलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजस्व मन्त्री, इसको तुरन्त देखें ।

सिकन्दराराऊ क्षेत्र के कस्बे पुरदिलनगर में प्रशासन की अदूरदर्शिता से दंगे होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाये जाने का प्रयत्न

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लोक महत्व के प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र सिकन्दराराऊ के मुख्य कस्बे पुरदिलनगर में प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण होलिका दहन नहीं हो पाया। पिछले तीन वर्षों से पुरदिलनगर फौजी केन्द्र बना दिया है और प्रशासन इन्दिरा कांग्रेस के इशारे पर शान्ति प्रिय हिन्दू मुसलमानों को अपने त्योहार नहीं मनाते देखा । चाहे ईद हो या मोहर्रम, बाबा अम्बेडकर जयन्ती हो या होली, दीवाली । इस कस्बे में प्रशासन के पास एक ही रास्ता रहा. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें। मैंने इजाजत नहीं दी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नेम सिंह चौहान—

बन्दूक की नली सभी नागरिकों के सीनों पर तनी रही। पिछले वर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर के जलूस को रोका गया चित्रों को पैरों तले रौंदा गया। अगर मैं न पहुंचता तो न जाने कितनी जानें पुलिस की गोलियों से जाती। इसी तरह ताजिएदारी भी नहीं हुई। शायद प्रदेश में कोई भी ऐसा अभागा नगर रहा हो जहां होली न मनाई गयी हो। इस खुशी के त्योहार पर पूरे शहर में मातम छाया रहा। लोग गले भी न मिले। पुलिस ने सिकन्दराराऊ में दफा 144 लगा रखी थी। वहां के सी0 ओ0, एस0 डी0 एम0 शान्ति प्रिय नागरिकों को रौंद सकते हैं लेकिन बदमाश चाहे पुलिस के सिपाही के मशकट छीन लें, चाहे बंजारों के यहां डकैती डालें, एस0 ओ0 बदमाश को फिरौती दिलाकर मसकट वापस लेता है, गरीब बंजारों की रिपोर्ट नहीं लिखने देता। अलीगढ़ काण्ड के अवसर पर जब अराजक तत्वों ने मस्जिद में सुअर का मांस फेंका। मेरी मांग के बाद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी। इस तरह सीधे लोगों पर जुल्म होते हैं। सारा क्षेत्र दुखी है। मेरी मांग है कि इस समस्या का अविलम्ब निराकरण किया जाय। अक्षम अधिकारियों को वहां से तुरन्त हटाया जाय और ऐसा वातावरण बनाया जाय कि हिन्दू मुसलमान सभी अपने त्योहार प्रेमपूर्वक मना सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अनुचित है कि इसे आपने पढ़ा। इसकी मैंने इजाजत नहीं दी थी।

अब मद संख्या (2)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन, म आपकी आज्ञा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी जानकारी के लिए उठाना चाहता हूं. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मद संख्या (2) ले लिया है। (व्यवधान)

मैंने माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री को बुला लिया है।

नगर महापालिका, लखनऊ जल परिव्यय विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978†

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 4750/9–2–4(23) डब्लू0टी0–68–यू0पी0ए0–2/59–रूल–1968 ए0एम0(2)–77, दिनाँक 29 जुलाई, 1978 द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, लखनऊ जल परिव्यय विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978, जो दिनाँक 15 दिसम्बर, 1978 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . .

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मुझे आपने आश्वासन दिया है, एक मिनट सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब तो बाद में आ रहा है।

---

†छापी नही गयी।

श्री राम अधार--

[* * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। यह सब कुछ आप राज्यपाल के अभिभाषण के समय कह सकते हैं।

श्री राम अधार--

[* * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका लिखा नहीं जायगा, आप बैठिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिए।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष जी, आप इस पर वक्तव्य अवश्य दिलवाइए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, अब तक की परम्परा रही है कि शून्य प्रहर के बाद व्यवस्था के प्रश्न उठाए जाते रहे हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

वह बाद में आयेगा, अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979†

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 6401-टी0/तीस-4-58-पी-78, दिनाँक 14 फरवरी, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो मने कार्यवाही का अंश नहीं माना।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि मैंने इजाजत पहले ही उनको नहीं दिया इसलिए यह भी कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(शिक्षा मन्त्री के बुलाए जाने पर)

नोट--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†छापी नहीं गयी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस समय इजाजत नहीं दूंगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चौबीसवां) आदेश, 1979†

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा (10) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 5905/15-10-78, दिनाँक 6 जनवरी, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चौबीसवाँ) आदेश, 1979 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 73 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राम अधार व श्री नारायणदत्त तिवारी के भाषण को कार्यवाही से निकाले जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। आपकी अनुमति से माननीय राम अधार राय जी कुछ सूचना सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से लाये। आपने कह दिया कि यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

किसके बारे में कह रहे हैं? आप फिर कह दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राम अधार राय को आपने अपनी बात कहने की, वह कोई सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं, इजाजत दी। वह सूचना वह सदन के संज्ञान में ले आये।

(व्यवधान)

यह राजनीतिक औचित्य का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल ने प्रतिवाद किया। यह राजनैतिक औचित्य का प्रश्न है। इसका सम्बन्ध शासन दल से है। माननीय मुख्य मन्त्री मौजूद नहीं हैं। अन्य लोग मौजूद हैं। जिस प्रकार का आरोप है इस पक्ष की ओर से प्रतिवाद नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न माननीय राम अधार राय ने उठाया, जिसका मजबूत प्रतिवाद नेता विरोधी दल ने किया, उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री को क्या कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम अधार राय जब उठे तो मैंने यह समझा था कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। जब उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया, तो मैंने उसको उचित नहीं समझा, उनको मना कर दिया, और मैंने यह निर्देश दिया कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल ने उस सम्बन्ध में कुछ कहा। चूंकि मैं पहले उसका निर्देश दे चुका था कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, इसलिए यह उचित समझा कि उस सम्बन्ध में जो कुछ माननीय नेता विरोधी दल ने कहा उसको भी कार्यवाही का अंग न रखा जाय।

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

---

†छापा नहीं गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मेरा आग्रह है कि यह सारा प्रचार किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लिया जायगा, न हमारा इसमें समर्थन है न कोई इस प्रकार की बातचीत हुई है, हम इस सरकार को क्या समर्थन देंगे, समर्थन के लायक तो हों।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया है। मैंने यह कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप जरा सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को बुला लिया है।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियमावली के नियम 8 के उप नियम (ख) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके अनुसार इस सदन के अध्यक्ष का चुनाव लेटेस्ट इस महीने की 22 तारीख तक हो जाना चाहिए। नियमावली के नियमों की सेन्टिटी की रक्षा करना हमारा और आपका दायित्व है। आपका गुरुतर दायित्व है कि नियमावली के नियमों की अवहेलना न हो। अभी तक हमें इस बात का पता नहीं लगा है कि अध्यक्ष का चुनाव 22 तारीख तक होगा या नहीं होगा। नियमावली के नियमों की पवित्रता को अक्षुण्य रखा जायगा अथवा यहां पर उनका जिस प्रकार लगातार उल्लंघन किया जा रहा है उसी प्रकार से इस चुनाव के मसले पर भी होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न पहले भी आ चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)

आप कोई व्यवस्था देने के पहले हम लोगों को भी सुन लें।

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए। मैंने पहले भी सूचित करा दिया था कि इस सम्बन्ध में हमारे कार्यालय से लिखा जा चुका है। इसकी तारीख महामहिम राज्यपाल महोदय निश्चित करते हैं। उनके यहां से तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है। नियमानुसार 23 तारीख तक इसका समय है। 8 तारीख से 23 तारीख तक 15 दिन हो जाते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा कहना यह है कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, आप बैठे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल का हवाला दिया इसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं नियमावली का नियम 8 पढ़ता हूं;—

(1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को किया जायगा जोकि राज्यपाल नियत करें और सचिव उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे;

परन्तु सभा की अवधि में होने वाली रिक्तता की दशा में इस प्रकार नियत तिथि—

(क) यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, तथा

(ख) यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के, जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत हो, पन्द्रह दिनों के भीतर होगी।

माननीय राज्यपाल तिथि तब नियत करेंगे जब हाउस आहूत न हुआ हो। 15 दिन के अन्दर 8 तारीख भी इनक्लूसिव होगी। इसलिए 22 तारीख को यह तिथि पूरी हो जाती है। 23 का प्रश्न नहीं उठता है। अगर राज्यपाल महोदय तिथि निश्चित नहीं करते हैं तो नियमावली के नियमों की सैन्टिटी की रक्षा कैसे होगी? यह देखना आपका दायित्व है। हम लोग आपसे कह सकते हैं। राज्यपाल महोदय से नहीं कह सकते हैं। आप नियमावली के नियमों की रक्षा करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं माननीय सदस्य, फैजाबाद को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया है। अध्यक्ष के चुनाव की स्थिति नियमावली में बिलकुल स्पष्ट है। नियमावली के नियमों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव 15 दिन के अन्दर हो जाना चाहिए। राज्यपाल का अर्थ सरकार से है। इसमें राज्यपाल की कोई डिसक्रिशनरी पावर नहीं है कि जब चाहे वह तिथि को नियत करे। माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी बैठे हैं और उनके सहायक संसदीय कार्य मन्त्री जी भी हैं। अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है। यह बड़ा ही अभूतपूर्व है। इस सदन के अधिकारों की अवहेलना है। शासन तो बैठा हुआ है। नियमों में स्पष्ट प्राविधान है। राज्यपाल महोदय से मेरी बातचीत हुई थी। मैं राज्यपाल महोदय से जब होली मिलने गया था तो उनसे मैंने अनौपचारिक रूप से बात की थी। उन्होंने कहा था कि अभी शासन ने कोई तिथि संस्तुत करके नहीं भेजी है। तो उन्होंने ठीक ही कहा था। यह डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात नहीं है। मान्यवर, आपका उत्तरदायित्व है कि आप नियमों के अनुसार उनसे कहें कि ये तारीख लगा दें। कोई कारण नहीं है कि 23 तारीख न लगा दें। इस समय सदन में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री मौजूद हैं, इस पर उन्हें निर्णय ले लेना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है वही संवैधानिक स्थिति है और नियमों के अन्तर्गत सीमा बांध दी गयी है कि जब से यहां पर सदन बैठेगा उसके 15 दिन के अन्दर तिथि निश्चित हो जानी चाहिए। राज्यपाल महोदय वही काम करेंगे जो उनका मन्त्रि-मण्डल सिफारिश करेगा। राज्यपाल की ऐड और एडवाइस के लिए यहां पर मन्त्रीगण सुशोभित हैं। मेरी प्रार्थना है कि नेता सदन यह आश्वस्त कर दें कि वास्तव में क्या उन्होंने राज्यपाल महोदय को कोई सिफारिश भेज दी है या नहीं? यह आपका कर्तव्य है कि आप संसदीय कार्य मन्त्री से पूछें कि क्या उन्होंने राज्यपाल महोदय को कोई ऐसी सिफारिश भेजी है जिसके अनुसार उन्होंने कोई तिथि निश्चित कर दी है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं भेजी है? क्या सदन को वे आश्वस्त करेंगे कि इस तारीख से पूर्व चुनाव हो जायेंगा क्योंकि अखबारों में माननीय मुख्य मन्त्री का वक्तव्य भी छपा है कि वे नियमों को भी सस्पेन्ड करवाने जा रहे हैं। तो मान्यवर, आशंका हो रही है। तो आप कृपया बता दें कि क्या नियमों को स्थगित कराना चाहते हैं। नेता सदन ये रहें या पाण्डेय जी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको स्वयं शासन को और महामहिम राज्यपाल को भी लिखकर नियमानुसार कार्यवाही करानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में हमारे यहां से संसदीय कार्य मन्त्री को भी लिखकर जा चुका है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मन्त्रि-परिषद राज्यपाल का सलाहकार होता है, आप उनके दरबारी नहीं हैं। आप तो सार्वभौम सत्ता के सब कुछ हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो हमें करना था वह हमने कर दिया है। हमने शासन को भी लिखकर भेज दिया है।

श्री मैनेजर सिंह—

यदि आपके लिखने का असर नहीं हो रहा है तो आप नियमों को निलम्बित कर दीजिए, आपको अधिकार है और निलम्बित करके 3 साल तक आप ही अध्यक्ष रहेंगे, माननीय बनारसी दास के उत्तराधिकारी।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन के माननीय सदस्यों का अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं कि यहां पर कौन व्यक्ति किस वक्त तक रहे।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, हम समर्थन करेंगे, आप अपने को घोषित कर दीजिए।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, 8 तारीख को जब इस सदन का सत्र पहली बार प्रारम्भ हुआ, उसी दिन मैंने यह प्रश्न उठाया था, आपकी आज्ञा से कि अध्यक्ष का चुनाव कब कराया जायगा। उस दिन भी आपने कहा था कि इसकी सूचना सरकार और राज्यपाल को भेज दी है। उस दिन से आज तक 10-11 दिन हो गये हैं लेकिन हमको यह सूचना नहीं मिली है कि अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। इस परिपेक्ष में आपसे विलम्ब का कारण पूछना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि (क) "यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, तथा (ख) यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के, जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत हो, 15 दिनों के भीतर होगी"।

मान्यवर, 23 तारीख अन्तिम तारीख है। 23 तारीख तक अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। इसकी घोषणा हो जानी चाहिए। हमारे सामने दो प्रश्न मान्यवर आते हैं, या तो इन नियमों को निलम्बित कर दिया जाय और अगर ऐसा नहीं होता है, तो शासन की ओर से इसका स्पष्टीकरण कम से कम सदन के सामने आना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि अध्यक्ष का चुनाव सुनिश्चित हो जायगा और अगर सुनिश्चित हो जायगा तो वह किस प्रकार होगा।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

मान्यवर, नियमों में यह नहीं लिखा है कि कितने दिन में चुनाव हो जाना चाहिए। माननीय सदस्य को पता नहीं कहां से सन्देह पैदा हो गया ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

विधान सभा के अध्यक्ष पद की गरिमा और जो हमारी परिपाटी रही है, उन सब बातों को ध्यान में रख कर शासन वैसा ही प्रयत्न करेगा, जो अभी तक होता रहा है। विभिन्न दलके विभिन्न नेताओं से और लोगों से,सभी लोगों से परामर्श करने के बाद प्रयत्न हमारा रहेगा कि यह बगैर चुनाव के, इस पद पर जिनका भी चुनाव हो उनको आरूढ़ करने का प्रयत्न किया जाय। यह बात सही है कि 23 तारीख आखिरी तिथि है, उस तिथि के पूर्व यह चुनाव करना है, 23 को हो ही जाना है। हमको इस बात की जानकारी है। अगर कभी नियमों को हटाना भी होगा, तो यह माननीय सदन ही हटा सकता है। अगर उसमें शिथिलीकरण करना होगा, तो वह माननीय सदन को ही करना होगा। हमारा अधिकार यह नहीं है। हमारी तरफ से प्रयत्न हो रहा है कि विभिन्न पार्टी के लोगों से बातचीत करके यह तय कर लिया जायगा चूंकि सारे सदस्यों को माननीय सदन को चलाना है, सबकी सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता है, इसलिए मान्यवर, हमारी तरफ से प्रयत्न हो रहा है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस तिथि के अन्दर ही, अथवा उसके पहले ही समय के अनुसार ही जो भी कार्य करना है वह पूरे सदन की इच्छा को ध्यान में रख कर किया जायगा यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री राम अधार व श्री नारायणदत्त तिवारी के भाषण को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, अभी इसके पहले आपके सामने 301 के अन्दर सवाल उठाया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी मैंने इजाजत नहीं दी।

श्री राम अधार—

[* * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उसको मैंने कार्यवाही से निकाल दिया है। आप चूंकि नियम के विरुद्ध इस चीज को उठाये थे, इसीलिए कार्यवाही से निकाल दिया था।

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, नियम 304 देखें। इस सम्बन्ध में पिछले साल के सत्र में भी बात आई है। इस पर आपका अन्तिम निर्णय होना ही चाहिए। मैं आपके सामने नियम 304 पढ़ देना चाहता हूं जो लिखा हुआ है —

"यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मान हानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिए जायं।"

तो श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन यह है कि इसमें केवल 4 तरह की बातें हैं, जो इसमें लिखी हुई हैं, उनको निकाल सकते हैं। अब एक परिपाटी सी पड़ गयी है कि न केवल एक वाक्य, न केवल एक शब्द, बल्कि पूरी की पूरी कहानी निकाल दी जाती है, आप उसको काट देने के लिए कह देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह कहानी गलत होती है या सही, अच्छी होती है या बुरी, मगर इसके लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन होना चाहिए। नियमावली के विपरीत कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जिन शब्दों को निकाला जा सकता है उसका विवरण नियम 304 में दिया है जिसे अभी मैंने बताया। मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पुनः विचार करें और माननीय नेता सदन तथा विरोधी दल के नेताओं से भी बुलाकर विचार करें, यह मैं चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इन चार बातों के अतिरिक्त भी जब कोई बिना आपकी अनुमति के बोलता है तो भी आप निकाल देते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, आपने यह नहीं कहा है कि चूंकि बिना इजाजत के बोले हैं इसलिए निकाल दिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं आपसे मान्यवर, यह निवेदन करूंगा कि चूंकि विरोधी दल के चरित्र पर हमला किया गया है और विरोधी दल के नेता के रूप में मेरे लिए कहा गया है कि शायद मुकदमा वापस लेने के सिलसिले में बातचीत कुछ चल रही है, वह कुछ समाचार पत्रों में भी छपा है जो बिलकुल मिथ्या है, इसलिए आप रहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सदन की भी यह परम्परा रही है और लोक सभा में भी यही परम्परा है कि जो पीठासीन अधिकारी की बिना अनुमति के बोलता है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनता। उसी परम्परा के अन्तर्गत मैंने उसे कार्यवाही का भाग बनाने की इजाजत नहीं दी।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय राम अधार राय जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था और उसके लिए आपने उनको इजाजत दी थी। वे आपकी इजाजत से ही बोले थे। गलती इतनी जरूर थी कि उसकी पूर्व सूचना आपको नहीं दी थी। उन्होंने अखबारों में जो चर्चा छपी थी उसके आधार पर एक सूचना सदन को दी और जानकारी चाही। माननीय नेता सदन ने तुरन्त उसका खण्डन किया, मगर उनके खण्डन का लहजा ऐसा था जिससे ऐसा लगता था कि निश्चय ही ऐसी कोई कोशिश की जा रही है। नियम 300 के अधीन आपने उनको बोलने की इजाजत दी। वे बिना इजाजत के नहीं बोले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह समझा कि वे कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। इसलिए मैंने इजाजत दी, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जब कोई दूसरी चीज कहने लगे तो उसको कैसे अनुमति दी जा सकती।

श्री रवीन्द्र सिंह—

आपने चाहे जो कुछ समझा हो, लेकिन वे बिना आपकी इजाजत के नहीं बोले। हमें यह अधिकार तो है ही कि हम जो खबर छपी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।

सरकार के सारे मन्त्रिगण आ गये हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी भी मौजूद हैं तथा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी भी हैं, वही बता दें। मगर किसी भी कीमत पर कांग्रेस (आई0) से समझौता नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि हमारा जवाब. . .

श्री उपाध्यक्ष—

जब आपसे कह दिया गया कि आप बैठिए, तो आप बैठ जाइए।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं केवल. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इसे सदन की कार्यवाही से न निकालें और इस विषय को स्पष्ट करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बार मैंने निर्देश दे दिया और लोक सभा की परम्परा भी बताई कि वहाँ प्रेसाइडिंग आफिसर्स कान्फ्रेन्स में भी इस पर विचार हुआ था और यही निर्णय लिया गया था कि जो माननीय सदस्य बिना इजाजत के बोलें उस को कार्यवाही का अंग न बनाया जाय।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष जी, उनके अंश को तो आपने कार्यवाही से निकालने के लिए आदेश दे दिए, लेकिन आपने विरोधी दल के नेता को तो आज्ञा दी थी बोलने के लिए तो वे आपकी आज्ञा से ही बोले थे। तो मान्यवर, आप उनके पोरशन को निकाल दें लेकिन मेरे पोरशन को रहने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इसके ऊपर कोई आज्ञा नहीं देता।

श्री राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर शासन पक्ष के सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत करने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, दूसरा प्रश्न है। वह बड़ा वैधानिक प्रश्न है। प्रश्न यह है मान्यवर, जो संशोधन के प्रस्ताव आते हैं तो नेता विरोधी दल का जो प्रस्ताव है उस को . . . . .

(व्यवधान)

आम तौर पर विरोध पक्ष की तरफ से संशोधन के प्रस्ताव आते हैं। जो प्रस्ताव आपने स्वीकार किए हैं, पाँचवें प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया है....

(व्यवधान)

मान्यवर, चूंकि व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पाँचवें प्रश्न को. . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले ही कह दिया कि आपने जो प्रश्न उठाया है उसे जब श्री राज्पाल के अभिभाषण पर जो चर्चा शुरू होगी, तब आप उठायें। अब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न लेता हूं।

विविध विषय]

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरे कहने का प्रश्न यह है कि आप कृपया उसे कार्यवाही से न निकालें। मान्यवर, जनहित का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठें। मैंने इस पर अन्तिम निर्णय दे दिया है।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, दो मिनट में कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर कोई इजाजत नहीं दूंगा। अब आप जो कुछ भी कहेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, कानपुर का जो पनकी पावर हाउस है, को कोयले की कमी के कारण तथा कोयले की सप्लाई कम होने की आशंका से बन्द हो जाने की आशंका है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको लिखकर भेज दें। अब मुझे विशेषाधिकार लेने दीजिए।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था आपकी चाहता हूं।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं देता।

श्री मन्जूर अहमद—

एक मिनट सुन लें। आज 'पायनियर' और दूसरे समाचार पत्रों में निकला है। मैं उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए, मैं इजाजत नहीं देता।

श्री मन्जूर अहमद—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनगा।

नोट—[***] यह अंश उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी माननीय तिवारी जी ने जिस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया और पूरे हाउस ने उसको सुना तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पर आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बारे में मैं व्यवस्था पहले दे चुका हूं। माननीय तिवारी जी ने जो कहा उस सम्बन्ध में मैंने पहले कहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय इसके लिए तिथि निश्चित करते हैं। हमारे कार्यालय से शासन को लिखकर जा चुका है और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि 23 तारीख से पहले वह अध्यक्ष का निर्वाचन कराने का प्रयास कर रहे हैं, यह आपके सामने आ गया। मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका था। अब मेरे ख्याल में कोई बात बाकी नहीं रहती।

नियमावली के नियम 300 (2) के अन्तर्गत उठाये गये औचित्य के प्रश्न को न सुने जाने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं नियम 300(2) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें आपको अधिकार दिया गया है कि हमारे किस प्रश्न को आप सुनेंगे अथवा नहीं।

"परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाए रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के सम्बन्ध में हो।

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र सिंह उस समय प्रश्न उठा रहे थे जब पहला समाप्त हो चुका था। आपने पूरा सुना नहीं। मान्यवर, इसी नियम में आगे है कि :—

"उप नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं।"

इसलिए मान्यवर, किसी भी सदस्य को अधिकार है कि यदि वह अन्तराल में अपनी बात कहें तो आप सुन लें और उसके बाद आपको शत-प्रति-शत अधिकार है कि हमारे प्रश्न को स्वीकार करें या अस्वीकृत घोषित कर दें। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न को, जो नियमावली के अनुसार उठाया गया है, उसको न सुनने का अधिकार क्या अध्यक्ष को है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो आपत्ति उठाई है वह सदन के संचालन के सम्बन्ध में है न कि एक नया विषय उठाने के सम्बन्ध में। श्री रवीन्द्र सिंह ने पनकी बिजली घर के बारे में उठा दिया। तो वह उनका सदन के संचालन के सम्बन्ध में नहीं था इसलिए मैंने उसकी इजाजत नहीं दी।

अब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न ले रहा हूं।

श्री राम अधार व श्री नारायण दत्त तिवारी के भाषण को कार्यवाही से निकाले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अलग से प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। इसका कोई अन्त भी होगा ओझा जी। सदन का कार्य चलने दें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने एक बार औचित्य का प्रश्न उठाने का अवसर मुझको दे दिया। प्रश्न बनता है या नहीं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। आपने पूरी बात सुन ली, सदन के संज्ञान में आ गया। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब आपने प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी और फिर वह कार्यवाही का अंग न बने तो यह कहां उचित होगा कि पूरी बात सुनने के बाद कहें कि वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा जबकि वह शब्द असंसदीय नहीं थे और न आपत्तिजनक ही थे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वह किन परिस्थिति में ऐसा हुआ और आगे ऐसा न हो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर निर्णय दे चुके हैं और फिर आप डिस्कशन कर रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिला चुका हूं कि अगर कहीं पर कार्य संचालन के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य ने शंका उठायी तो मैं अपने को सुधारने में कोई संकोच नहीं करूंगा, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। चूंकि लोक सभा की यही परम्परा है और यहां की परम्परा रही है जिसका मैंने पालन किया है

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं लेकिन मैं संसदीय परम्परा की बात कह रहा हूं. .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आप परम्परा की बात कह रहे हैं, तो जो लोक सभा में माननीय सदस्यों का परिचय दिया जाता है वह परम्परा यहां क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

परम्पराओं का पालन करना हम सब का कर्तव्य है।

विधान सभा सदस्य श्री ईश्वर प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 12 मार्च, 1979 को श्री ईश्वर प्रसाद विधायक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अपमान के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि श्री ईश्वर प्रसाद 12 मार्च, 1979 को उनके रायल होटल के कक्ष संख्या 18 में आये और उन्हें एक हिबा के दस्तावेज की फोटो स्टेट कापी दी जिनमें श्रीमती शान्ति त्रिपाठी, पुत्री श्री रुद्र प्रसाद त्रिपाठी, निवासी छोटा बरहा, आलमबाग, शहर लखनऊ में श्री मधुकर दिघे, पुत्र श्री विनायक दिघे, निवासी, 11 गौतम पल्ली, शहर लखनऊ को आराजी नं0 200 मिन जुमला तादादी चार बिस्वा अर्थात् 5,440 वर्ग फीट स्थित हसनापुर, थाना कृष्णानगर, लखनऊ को हिबा कर दिया है। माननीय श्री राजनाथ सिंह का कहना है कि श्री ईश्वर प्रसाद ने उक्त हिबा के दस्तावेज की फोटो स्टेट कापी देते समय उन्हें यह भी बताया कि उक्त विवादास्पद भूमि वस्तुतः सार्वजनिक सम्पत्ति है और मौके पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]—

गड्ढे की शक्ल में है, जिस पर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। श्री मधुकर दिघे ने अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग करके उसे श्रीमती शान्ति त्रिपाठी के नाम दर्ज करा दिया था। माननीय श्री राजनाथ सिंह का कहना है कि श्री ईश्वर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने ऐसा केवल वित्त मन्त्री, माननीय श्री मधुकर दिघे की चरित्र हत्या के लिए किया था। श्री राजनाथ सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि श्री ईश्वर प्रसाद ने उन्हें यह भी बताया कि वे इस दस्तावेज की कई प्रतियां विधान सभा के सदस्यों को दे चुके हैं।

इस सूचना को मैं सदन. . . ।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, निर्णय देने के पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरी बात सुन लें। मान्यवर, 12 मार्च, 1979 को श्री ईश्वर प्रसाद मेरे कक्ष में पहुंचे। वह दस्तावेज हिबा की कई प्रतियां अपने साथ लाये थे वह मुझको दिया जिसमें यह लिखा था कि श्रीमती शान्ति त्रिपाठी लखनऊ शहर की रहने वाली हैं। उन्होंने 5,440 वर्ग फीट जमीन को श्री मधुकर दिघे के नाम से हिबा कर दिया जोकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मन्त्री हैं और मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि श्री मधुकर दिघे एक सच्चरित्र और ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं आज से नहीं, कई वर्षों से उनको जानता हूं और श्री ईश्वर प्रसाद ने जानबूझकर उनकी चरित्र हत्या करने का प्रयास किया।

[* * *]

मान्यवर, हिबा के सम्बन्ध में है कि जब कोई रिश्ता रखता है, कोई सम्बन्ध रखता है, कोई इस प्रकार की सेवा की जाती है कि जिससे कोई सन्तुष्ट होता है. . . . . .

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

[* * *]

श्री राजनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप ग्राह्यता के सम्बन्ध में बात करें तो सुन सकता हूं।

श्री राजनाथ सिंह—

मान्यवर, श्री मधुकर दिघे, वित्त मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार होने के साथ-साथ संसदीय कार्य मन्त्री भी हैं। 12 मार्च को इस सदन में लेखानुदान बजट पेश किया जाने वाला था। आप खुद ही कल्पना करें कि कोई आपका मित्र हो, कोई आपके साथ उठने बैठने वाला हो और सड़क से गुजर रहा हो और आपको अपमानित करने का प्रयास करे तो आप निश्चित रूप से मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। उसी प्रकार से श्री मधुकर दिघे के सम्बन्ध में है कि जिस प्रकार से श्री ईश्वर प्रसाद उनके बारे में हिबा की बात करते हैं और उनके चरित्र हत्या का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका मानसिक सन्तुलन पर प्रभाव पड़ेगा और उससे सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंच सकती है और संसदीय कार्य में बाधा पहुंच सकती है और वह बजट में त्रुटि भी पैदा कर सकते हैं; क्योंकि वित्त मन्त्रालय का इतना बड़ा बोझ उनके कन्धों पर है। दूसरी बात, साथ ही साथ, उसजमीन के बारे में, . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया ग्राह्यता के बारे में कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा सदस्य, श्री ईश्वर प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न 367 की सूचना ।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, इस मामले में कहा गया है कि एक लेखपाल को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप अपनी नोटिस के अन्दर रहें। विशेषाधिकार का प्रश्न क्या यह बन सकता है कि नहीं, इस पर कहें।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, श्री ईश्वर प्रसाद ने मुझसे कहा कि श्री मधुकर दिघे ने अपने पद का दुरुपयोग करके श्रीमती शान्ति त्रिपाठी के नाम से सम्पत्ति दर्ज कराया था और फिर बाद में अपने नाम से हिबा करा लिया। उस दौरान एक लेखपाल भी प्रताड़ित किया गया। उसको स्थानान्तरित कर दिया, क्योंकि उसने श्रीमती शान्ति त्रिपाठी के नाम से पट्टा करने से इंकार कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपकी नोटिस में नहीं है, आप कृपया बैठें।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, मेरे पास कागजात हैं, खसरा है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि. . . . .

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, श्री ईश्वर प्रसाद ने यह बतलाया कि. . . .

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है--

मान्यवर, मैं आपकी इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि यह जो ब्रीच आफ प्रिवलेज के ऊपर यह सारा समय नष्ट हो रहा है, जिसमें मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि किस तरह से माननीय सदस्य इस माननीय सदन में क्या कहना चाहते हैं और आपने आज्ञा दिया इस पर व्यवस्था चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको मना कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, विशेषाधिकार के प्रश्न पर यहाँ पर चरित्र हनन किया जा रहा है। वह कार्यवाही में रिकार्ड होगा। उस पर प्रश्न आयेगा और तमाम जगह छपेगा। इस प्रकार सदन के कार्य में बाधा पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे इसे ग्रा य किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसे ग्राह्य नहीं किया है। जब उन्होंने एक प्रश्न उठाया.. . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है क्या वह सबका सब कार्यवाही का अंग बनेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

मैंने नेता सदन को बुलाया है।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न है मैं समझता हूं जैसा कि अभी श्री गोविन्द सिंह नेगी ने प्रश्न उपस्थित किया। पहले तो मैं आपका ध्यान नियम 66 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपको यह स्वयं निश्चय करना है कि आया कोई विशेषाधिकार की सूचना ग्राह्य है या नहीं है। आप नियम 65 के उप नियम (क) को देखें तो विदित होगा कि प्रश्न किसी हाल में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो। दूसरे (ख) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन में विदित हो, यह ग्राह्यता की शर्तें हैं। आपको पहले यह निश्चित करना चाहिए कि ग्राह्य है या नहीं है। अगर आपने निर्णय कर लिया है तो माननीय राजनाथ सिंह जी को आप नियम 66 के अनुसार अनुमति दे सकते थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अनुमति दी। जिस तरह का प्रश्न उठाया गया है अगर कोई मन्त्री अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए लोकायुक्त मौजूद हैं। लेकिन विशेषाधिकार की आड़ में इस तरह का प्रश्न सदन में लाना यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है और सदन का समय नष्ट करना है। श्री राजनाथ सिंह ने जो प्रश्न उठाया है यह आपके निर्णय का है। मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रश्न पर आपको निर्णय देना चाहिए।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना के विषय में आप अध्याय 11 पढ़ लें। जैसा कि अभी माननीय नेता सदन ने कहा नियम 66 में देखें शिकायतों का प्रस्तुत किया जाना। यदि इन नियमों में अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले को विशेषाधिकार की जाँच, अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे। यदि अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे। उसके बाद. . . .

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री ऊदल—

आखिरी में यह है कि "किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों से पूछ सकेंगे।" इसके पहले भी आप इसको ग्राह्य कर सकते हैं, अगर आप आवश्यक समझें तब। अब इसमें कोई सदन के अपमान की बात नहीं है, किसी ने कोई धमकी नहीं दी है। अगर इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया तो जैसा अभी माननीय नेता सदन और मुख्य मन्त्री ने कहा, लोकायुक्त को इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह—

जिस विधायक के सम्बन्ध में मैंने शिकायत की है, कृपया उस सदस्य की बात सुन लेने का कष्ट करें।

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, मैं अपना निर्णय दे रहा हूं, इस सूचना में सदन या उसके किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी कार्य पर आक्षेप करने का आरोप नहीं है। अतः इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है,। अब मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

(कई सदस्यों के साथ बोलने के कारण व्यवधान)

अब मैं इसके ऊपर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं इस पर किसी की आज्ञा नहीं देता।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

मने कह दिया कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस प्रश्न की ग्राह्यता के बारे में जो कुछ कहा है उसको छोड़कर बाकी उनकी कोई भी बात कार्यवाही का अंग नहीं बनेगी।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

आप केवल अपने अधिकार का ही उपयोग न करें, अपने कर्तव्य की ओर भी ध्यान दें, आपका कर्तव्य है कि आप सदस्यों की बात को सुने।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके ऊपर निर्णय ले चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री राम जी—

कायवाही का अंग बने या न बने यह तरीका जो है उपाध्यक्ष महोदय, पूर्णतः आप का तानाशाही का तरीका है। आप एक तो विचार सुनते नहीं हैं केवल अपने अधिकार के बल पर सबको दबाने की कोशिश करते हैं। आपका मान्यवर, कर्तव्य है कि सदन में बैठे हुए सदस्यों की बातें सुनें आप सुनना भी पसन्द नहीं करते हैं तो कैसे काम चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो कुछ भी कहीं पर मैंने कह डाला नियमानुसार अपने विवेक से, सोच समझ कर कहा। मुझे सन् 52 से इस सदन में बैठने का सुअवसर रहा है। मैं फैसला अपने विवेक से देता हूं। और निष्पक्ष देता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में सुरेश नामक छात्र को गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में श्री माधोश्याम शुक्ल, निवासी ओम नगर, थाना आलमबाग, लखनऊ ने थाना हसनगंज पर यह सूचना दी कि सत्र न्यायालय में वह अपने बहनोई श्री अजय कुमार द्विवेदी की हत्या के मुकदमें की पैरवी कर रहा है। उसके साथ उसका एक मित्र सुरेश पाण्डेय भी उसकी सहायता कर रहा था। इस हत्या के अभियुक्तों, जो जमानत पर छूटे हुए थे, ने इन लोगों को कई बार यह धमकी दी कि यदि वे लोग मुकदमें में पैरवी करना नहीं छोड़ेंगे तो वे उन लोगों को भी जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। इसी रंजिश

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री बनारसी दास,]

के कारण दिनांक 22 फरवरी, 1979 को लगभग दो बजे दिन में श्री माधो श्याम शुक्ल तथा श्री सुरेश पाण्डेय जब लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय से वापस घर जाने के लिए गेट नम्बर–1 से बाहर आये तो एक मोटर साइकिल पर अभियुक्त सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, सच्चिदानन्द श्रीवास्तव उर्फ नन्हा तथा रमेश उर्फ लल्ला आये। मोटर साइकिल रोक कर अभियुक्तों ने रिवाल्वर तथा बन्दूक से फायर किये। वे दोनों कला संकाय की ओर भागे वहां भीड़ होने के कारण अभियुक्त अन्य लोगों का पीछा छोड़कर सुरेश पर टूट पड़े और फायर करने लगे। शोर सुनकर चारों ओर से विद्यार्थी दौड़े। अभियुक्त मोटर साइकिल पर बैठ कर भाग निकले।

घायल सुरेश पाण्डेय की मेडिकल कालेज ले जाते समय मृत्यु हो गयी। श्री माधो श्याम शुक्ल की रिपोर्ट पर धारा 307 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 153 बाद में भा0दं0वि0 की धारा 302 के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। दिनांक 1 मार्च, 1979 को अभियुक्त सच्चिदानन्द व संतोष कुमार ने अपने विरुद्ध चल रहे पूर्व अभियोग की जमानत रद्द कराकर जेल चले गए। अभियुक्त रमेश ने दिनांक 2 मार्च, 1979 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया। विवेचना प्रचलित है।

विश्वविद्यालय के परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस पहले से ही रजिस्ट्रार कार्यालय व हनुमान सेतु पर तैनात थी। रजिस्ट्रार कार्यालय पर नियुक्त उप निरीक्षक श्री आर0 बी0 सिंह को अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतने के कारण निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

इस घटना के बाद पुलिस द्वारा छात्रावासों में दबिस देकर अवैध हथियार तथा शराब बरामद की गयी और इस सम्बन्ध में दो छात्र बन्दी बनाये गये। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अनधिकृत रूप से छात्रावासों में पाए गए उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया। परिसर में पुलिस की गश्त जारी है। अब विश्वविद्यालय में स्थिति शान्त है व पूर्ण नियंत्रण में है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं यह बतलाना चाहता था कि जो लड़का मारा गया उसकी पुरानी रंजिश थी, उसको धमकी दी गयी थी। दूसरे पुलिस विश्वविद्यालय प्रांगण में भारी संख्या में मौजूद थी। इसके अलावा होस्टल में शराब बरामद हुई, जबकि लखनऊ में प्राहीबिशन है। इन तीनों बातों पर मुख्य मन्त्री जी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आइटम नं0 9 ले रहा हूं। उप मुख्य मन्त्री (राजस्व) अपना वक्तव्य देंगे।

यमुना नदी की बाढ़ से फल, सब्जी की भूमि जलमग्न होने से हमीरपुर व उसके आसपास के क्षेत्र के काश्तकारों में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

उप मुख्य मंत्री (राजस्व) (श्री नारायण सिंह)—

मान्यवर, विधान सभा के माननीय सदस्य श्री ओंकार नाथ ने अपने क्षेत्र हमीरपुर के सम्बन्ध में यह सूचना दी है कि हमीरपुर तथा उसके पास के क्षेत्र के हजारों गरीब किसान यमुना नदी की रेती व उसके आसपास प्रतिवर्ष तरबूज व सब्जी सैकड़ों बीघों में बोते हैं, जिनमें अधिकांश केवट हैं। यमुना नदी में दिनांक 20 फरवरी, 1979 से आई हुई

बाढ़ से हजारों एकड़ जायद फसल डूब गई व सड़ गयी है तथा हजारों टन सब्जी, तरबूज के नुकसान होने से बाढ़ ग्रस्त गरीब किसान भूखों मरने के लिए भटक रहे हैं। राजकीय सहायता न मिलने के कारण यह कानपुर आदि शहरों को जीविका के लिए भाग रहे हैं।

2—इस नोटिस के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हमीरपुर से सूचना प्राप्त की गयी है। प्राप्त सूचना के अनुसार यमुना नदी की धारा हमीरपुर की ओर पड़ती है। हमीरपुर जनपद में यमुना नदी की रेत इस वर्ष न पड़ने के कारण कोई जायद फसल बोई ही नहीं गयी इसलिए हमीरपुर के क्षेत्र में जायद की फसल के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

3—यमुना नदी की रेती कानपुर जनपद में पड़ती है। हमीरपुर जनपद के लगभग 100 व्यक्ति कानपुर जनपद के 10 एकड़ क्षेत्र में जायद की फसलें बोते हैं जिनकी जायद की फसल को क्षति हुई है किन्तु यह कथन सही नहीं है कि उक्त प्रभावित व्यक्तियों के लिए नगर छोड़कर भागने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

4—उल्लेखनीय है कि यमुना नदी की फरवरी की तथाकथित बाढ़ से क्षति की जानकारी के विषय पर प्रदेश के उन सभी जनपदों से भी सूचना मांगी गयी है, जिनसे होकर यमुना नदी बहती है। जिलाधिकारी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर तथा बांदा जनपदों से यही सूचना प्राप्त हुई है कि उनके जनपदों में यमुना नदी की फरवरी की बाढ़ से कोई क्षति नहीं हुई है।

5—जिलाधिकारी, मेरठ ने इस बाढ़ से क्षति के नगण्य होने की सूचना दी है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने इस बाढ़ से 11 गांवों के 1786 एकड़ के प्रभावित होने, जिसमें क्षति 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है, की सूचना दी है। जिलाधिकारी, इटावा ने जिले के केवल 2 गांव में 55 एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित होने की सूचना दी है तथा क्षति का मूल्यांकन 2,500 रु0 बताया है। जिलाधिकारी, मथुरा ने 1620 एकड़ जायद की फसल, 44 गांव तथा 765 जनसंख्या प्रभावित होने की सूचना दी है।

6—अभी तक अलीगढ़, आगरा तथा जालौन जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

यह जो सूचना दी गयी है यह भ्रामक है तथा सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। जो वक्तव्य पढ़ा गया है अगर उस पर माननीय सदस्य कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो लिख कर पूछ लें।

(एक सदस्य के खड़े होने तथा कुछ कहने पर)

जो जिला प्रभावित हुआ है उस पर यदि कुछ जानकारी चाहते हैं तो नियम के विरु कुछ कहने से कोई लाभ नहीं होगा। माननीय सदस्य लिख कर पूछ लें।

आप उनके पास लिखकर भेज दें।

(श्री ओंकार नाथ के कुछ कहने पर)

आप कृपया सुना करें.....

(व्यवधान)

यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो सुनें।

(नेता सदन के खड़े होने पर)

नेता सदन खड़े हैं, आप कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री ओंकार नाथ—

आप स्पष्टीकरण भी नहीं दिलाना चाहते हैं । इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री ओंकार नाथ सदन त्याग कर चले गए)

जनपद बस्ती में नर्सों के छात्रावास में उनके साथ गुण्डों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, कथित घटना 25/26 फरवरी, 1979 की रात्रि में लगभग 10–15 बजे होना बताई जाती है । इस घटना की कोई जानकारी पुलिस को रात में नहीं दी गई । दिनांक 26 फरवरी, 1979 को चिकित्सा अधीक्षक ने चौकीदार की लिखित रिपोर्ट, जो कि उपाध्यक्ष, नर्सेज संघ, बस्ती ने लिखी थी, अपने पृष्ठांकन के साथ कोतवाली में भेजी। चिकित्सा अधीक्षक ने टेलीफोन पर पुलिस अधीक्षक से इसका जिक्र भी किया । पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त क्षेत्राधिकारी को जांच के लिए मौके पर जाने के आदेश दिये और कान्स्टेबिल नर्सेज हास्टल पर तैनात किए गये । क्षेत्राधिकारी ने जांच के उपरान्त यह बताया था कि यह बात सत्य है कि 5 गुण्डे रात में नर्सेज हास्टल में घुसे और दो नर्सों के बारे में पूछ तांछ की एवं नर्सों को डराया, धमकाया और फिर चले गए ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, तीनों नर्सेज हास्टल गये तथा वहां पर पांचों सम्बन्धित नर्सों तथा अन्य नर्सों से पूछतांछ की । दिनांक 28 फरवरी, 1979 को मौखिक जानकारी के आधार पर सामूहिक तौर पर तथा व्यक्तिगत रूप से पूछतांछ पर एवं दिनांक 6 मार्च, 1979 को नर्सों के नर्सेज संघ के पदाधिकारी एवं उनसे सम्बन्धित अन्य लोगों के समक्ष लिए गए बयान से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 25 फरवरी, 1979 को करीब 10 बजे रात में 5 नवजवान लोग सम्भवत: देशी तमंचे व पिस्टल के साथ होस्टल के नीचे के कमरे में घुसे और वहां पर उपस्थित 5 नर्सों को डराना धमकाना शुरू किया और उनसे दो नर्सों के बारे में जानकारी करनी चाही । एक ने एक नर्स का हाथ पकड़ कर एक नर्स का नाम लेकर उसे होना बताया, परन्तु उस नर्स ने इस बात से इन्कार किया । इसी प्रकार एक दूसरी नर्स को एक अन्य नर्स होने का नाम बताया तथा एक नर्स को बदमाशों में से एक ने हाथ पकड़ कर बाहर ले जाने की कोशिश की किन्तु वहां उपस्थित सभी नर्सों के प्रतिवाद से उन लोगों ने उसे छोड़ दिया । ऐसा कहा जाता है कि बदमाशों में से एक ने बत्ती बुझा दी । बत्ती बुझते ही एक नर्स पीछे दरवाजे को खोलकर बाहर निकली और दूसरी मंजिल पर पहुंच गयी । इसके तुरन्त बाद ही बदमाशों में से एक ने बत्ती जला दी तब अन्य नर्सें चिल्लाती हुई कमरे से भाग गयीं । नर्सों ने अपने बयान में दो–तीन मिनट तक बिजली बुझी रहना बताया था ।

इसी घटना के सम्बन्ध में पुन: आयुक्त, गोरखपुर मण्डल से जाँच करायी गयी । बयानातों के आधार पर घटना का होना इस प्रकार बताया जाता है कि 25/26 फरवरी, 1979 की रात को जबकि नर्सें अपने निचले मंजिल के कमरे में बैठकर प्रार्थना करने के बाद बातचीत कर रही थी तो एक गुण्डा कमरे के अन्दर घुस आया और उसने इन लोगों को चुप रहने को कहा । इसके पश्चात चार गुण्डे और आ गये, जिनके पास कट्टे एवं पिस्टल थे । लड़कियों को गोली मारने की धमकी देने के पश्चात् गुण्डों ने नर्सों से बलात्कार किया । फिर सभी लड़कियाँ पिछले दरवाजे से निकल गयीं और बदमाश भी चले गये ।

नर्सों ने यह बताया कि उन्होंने इस घटना का हाल सच्चा-सच्चा मैट्रन को दूसरे दिन बता दिया था और उनसे यह कहा था कि वे किसी से नहीं कहेंगी और उन्होंने ऐसा ही किया । नर्सों और मैट्रन के बयानात से यह विदित होता है कि इन लोगों ने बलात्कार की बात पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षक को नहीं बतायी,

जब उन्होंने 28 फरवरी, 1979 को नर्सों से बातचीत की और 6 मार्च, 1979 को सब के समक्ष लिखित बयान लिया था और इस कारणवश इन अधिकारियों को ऐसी स्थिति का ज्ञान नहीं होने पाया। नर्सों ने यह बात बतायी कि उन्होंने जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक व मुख्य चिकित्साधिकारी को पहले उन्होंने बलात्कार की कोई बात नहीं कही थी।

इस घटना से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को 28 फरवरी, 1979 को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शासन ने विचार करते हुए इस मामले में आगे छानबीन अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश दे दिये हैं।

इसके अतिरिक्त वे नर्सेज चाहती थीं कि उनको हटा दिया जाय इसलिए उनका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, नियम 312 के अन्तर्गत आपको अधिकार है कि आप इसमें स्पष्टीकरण भी करा सकते हैं। जो घटना मुख्य मन्त्री जी ने बतायी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। खुले-आम होस्टल में घुस कर बलात्कार करे और इस बात की रिपोर्ट वक्तव्य में हमारे सामने आयी है। इसमें अनेक मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। नियम 51 में आप विशेष परिस्थितियों में हम लोगों को दो-चार प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए इजाजत दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ रही है। अध्यक्ष पीठ से ऐसे निर्णय होते रहे हैं विशेष परिस्थितियों में आज के मुख्य मन्त्री जी जब इस आसन पर विराजमान थे इसके अवसर दिये हैं। यह अहम समस्या है जिसमें सम्पूर्ण प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की बात है। लड़कियों के चरित्र रक्षा में संकट उत्पन्न हो गया है। अधिकारी लोग जानबूझ कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं इसलिए मान्यवर, हमें स्पष्टीकरण के लिए अवसर प्रदान करे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, हमारा भी यही निवेदन है कि यह एक गम्भीर घटना है और एक शर्मनाक घटना है। अगर यह सरकार उस दिन होती और माननीय बनारसी दास मुख्य मन्त्री होते तो मैं केवल एक ही बात की माँग करता कि वह इस्तीफा दें। इतनी बड़ी घटना और शर्मनाक घटना लड़कियों के होस्टल में हो गयी, उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं। इस लिए हमारा निवेदन है कि आप कृपा करके इसमें स्पष्टीकरण कराने का हमें अवसर दें।

(श्रीमती मालती शर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, आये दिन इस तरह की घटना महिलाओं के साथ हो रही हैं। अभी-अभी एक प्रश्न में माननीय आबकारी मन्त्री जी से पूछना चाहती थी। मान्यवर, मेरी बात सुन लें। अगर आप हमें अवसर नहीं देंगे तो हम इस सदन में आकर क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग तीन-चार प्रश्न कर लें, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं नेता सदन से आग्रह करूंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और दूसरे सदन में इस सम्बन्ध में डेढ़ दिन चर्चा हुई और अनेक आश्वासन शासन की ओर से दिये गये। पता नहीं यह शासन इस सदन में इस प्रकार की सूचना क्यों नहीं देता जबकि शासन की मुख्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जिम्मेदारी इस सदन के प्रति है। समाचार-पत्रों में भी जो बातें दूसरे सदन में कही गयी छपी हैं। मुझे बड़ा दुख है कि वक्तव्य में उन सब बातों का उल्लेख नहीं है। शासन की ओर से जो दूसरे दिन सदन में कहा गया है, उसका भी उसमें उल्लेख नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे नियम 51 के स्थान पर नियम 52 में लिया जाय और उसके लिए कल या आज शाम का समय निश्चित कर दिया जाय।

श्री बनारसी दास--

उपाध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, मुझे वह मान्य है। यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इसके लिए यदि समय निश्चित कर सकें, दो घंटे का या एक घंटे का तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है। कल प्रातःकाल साढ़े नौ बजे कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक है, उसमें विचार कर लेंगे कि किस दिन एक घंटे की इस पर चर्चा रखी जाय।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979†

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर शासन पक्ष के सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत करने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मैंने एक प्रश्न उपस्थित किया, मान्यवर, आमतौर पर सभी सदनों में यह परम्परा रही है--चाहे केन्द्र हो या अन्य प्रदेशों में, राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव विरोधी दल के रूप में जो प्राप्त होते हैं, उनमें नेता विरोधी दल वाले को ग्राह्यता दी जाती है। आज अपनी कार्य सूची में पाँचवें नम्बर पर जो रखा है, उसमें सर्वश्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, अवधेश नारायण, विद्या शंकर, रघुवर दयाल वर्मा, भगवती प्रसाद सिंह, मैनेजर सिंह, पद्माकर लाल, राम गोविन्न चौधरी, बेनी प्रसाद माधव, राम नरेश पाण्डेय, हरिकेवल प्रसाद, जनार्दन प्रसाद ओझा, संग्राम सिंह, सोहनवीर सिंह तोमर, हेमराज लोधी, हाकिम लाल तथा रामजी सिंह ने रखा है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप किस नियम के अन्तर्गत कह रहे हैं ?

---

†दिनांक 24 मार्च, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप कृपा करके बता दें। सदस्यों की तरफ से यह जो संशोधन का प्रस्ताव आया है, वह शासक दल की ओर से आया है। यदि संशोधन का प्रस्ताव पास हो जाता है और धन्यवाद का प्रस्ताव गिर जाता है, तो ऐसा समझा जाता है कि सरकार की पराजय हो गयी है। और इस प्रदेश में ऐसे अवसर आये हैं, जब ऐसी परिस्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो आप यह बताने की कृपा करें कि क्या ये लोग जनता पार्टी से इस्तीफा देकर विरोध में आ गये हैं ? यदि नहीं तो कैसे आप दोनों का समावेश करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोई भी माननीय सदस्य इसमें अपना संशोधन दे सकता है। मैं किसी नियम के अन्तर्गत किसी को मना नहीं कर सकता हूं। नेगी जी ने जो आपत्ति उठाई।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मैं चाहता हूं कि आप कोई निर्णय दें, उसके पहले मुझे भी सुन लें। जो अमेंडमेंट आते हैं विरोधी पक्ष की ओर से, नेता विरोधी दल आपको प्रस्तुत करते हैं और सभी प्रस्ताव उसी में समावेश किए हुए मान लिये जायेंगे. . .

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्तुत किए हुए मान लिये जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

और सभी को अपनी-अपनी शक्ल में कहने का अधिकार होगा।

श्रीमन्, सत्ता पक्ष के जिन लोगों ने अमेन्डमेन्ट दिये हैं, उनके जो प्रस्ताव हैं, क्या उनके प्रस्तावों को भी नेता विरोधी दल जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करेंगे, उसमें समावेश मानेंगे या उनको अलग रखने की आज्ञा देंगे, उन लोगों को चूंकि विरोधी पक्ष के नहीं हैं, सत्ता पक्ष के लोग, या उन लोगों को अपने अमेन्डमेन्ट रखने की आज्ञा देंगे। इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जब माननीय नेता विरोधी दल अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे तब मैं कहूंगा कि जितने भी संशोधन अन्य माननीय सदस्यों के हैं, सब प्रस्तुत किए हुए माने गए।

श्री रियासत हुसैन--

वह तो हमारे पक्ष के हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष --

पार्टी के आधार पर हम नहीं देखते हैं। हम यह नहीं पूछते कि कौन सा सदस्य किस पार्टी का है। हम से इससे क्या मतलब ?

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्य स्थगन प्रस्ताव श्री आरिफ मोहम्मद खां ने दिया है-गोरखपुर नगर की राम-नगर कालोनी में "होलिका दहन" की पूजा को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों द्वारा रोका जाना। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के दिनों में कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं आना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको अस्वीकार किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

गोरखपुर में रामनगर कालोनी में तनावपूर्ण स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

आपने बहुत लोगों को सुना है। मुझे भी एक मिनट सुन लें। हमारे ऊपर यह मेहरबानी क्यों? मैं गोरखपुर की स्थिति से शासन को अवगत कराना चाहता हूं। वहां पर होली जलाने के लिए लकड़ियां रखी जाती हैं। आर0एस0एस0 कार्यालय के पचासों लोग..

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शम्भूनाथ चौधरी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। वह अपना भाषण शुरू करें।

(श्री आरिफ मोहम्मद खां श्री उपाध्यक्ष के साथ कुछ कहते रहे।)

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं चर्चा आरम्भ करने के पहले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि इस अभिभाषण को आप पारखी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको हीरा, मोती, जवाहर मिलेंगे। पारखी के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो सीप और घोंघे आप के हाथ लगेंगे। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस अभिभाषण को लोकहित और लोक व्यापकता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको आशा हाथ लगेगी लेकिन अगर संकीर्णता की दृष्टि से देखेंगे, किसी वाद की परिधि में बन्द कर देखेंगे तो इसमें निराशा हाथ लगेगी। इसमें न अभिभाषण का दोष होगा, न प्रस्तावक या, समर्थन करने वाले का।

श्रीमन्, सदन को उत्सुकता होगी, इस सदन में बार-बार कहा जाता है असामाजिकता बढ़ रही है। मैंने नेता विरोधी दल का संशोधन देखा, तो इस पर बड़ा बल दिया गया है। मैं सदन के सामने एक तथ्य उपस्थित करना चाहता हूं। उस तथ्य से साबित हो जायगा कि जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जो अपराध करते हैं, वह घटे या बढ़े यदि घटे तो हमारी उपलब्धि है। यदि नहीं घटे तो हमारी उपलब्धि नहीं। मैं माननीय तिवारी जी का 1974 से 1977 तक साझीदार रहा हूं। उसको भी ले लूंगा।

मैं तीन वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। 1975–76 के आंकड़े मैं नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि उस समय आपातकाल की स्थिति थी। उस समय अपराध दर्ज नहीं होते थे। 1974 में इस प्रदेश में पड़ी डकैतियों की संख्या 3838 थी। 1977 में जब हम साझीदार थे तो यह घटकर 3463 रह गयी और हमारे पूर्ण काल में यह घटकर 3021 रह गयी। लूट की घटनाएं 1974 में 7140 थी 1977 में 6654 थी और 1978 में 6009 रह गयीं। बलवा की घटनाएं 1974 में 11089 थीं, 1977 में 9760 और 1978 में 9549 रह गयीं। इसी प्रकार जो सेंध की घटनाएं हुई हैं वह 1974 में 38607 थीं, 1977 में 31396 और 1978 में 27095 रह गयीं। जहां तक हत्या के अपराध का सम्बन्ध

---

†9 मार्च, 1979 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उसमें कुछ वृद्धि हुई है। 1974 का आंकड़ा 38041 है, 1977 का 3981 और 1978 का 4455 है।

श्रीमन, सदन के सामने मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि सारे अपराध घटे हैं केवल एक अपराध बढ़ा है। और जिसके जिम्मेदार हमारी जनता पार्टी नहीं है और न हमारे लोग ही हैं उसका कारण यह है कि आपातकाल लागू करके जेलों में गुण्डों और बदमाश लोगों को राजनैतिक लोगों के साथ बन्द कर दिया गया, यह भला नहीं हुआ। आप भी डी0आई0आर0 में होंगे और मैं भी था।

डी0आई0आर0 में तस्कर और डकैत भी बन्द थे उन पर मीसा लगाया गया और जेलों में बन्द किया गया। उन्हें राजनैतिक लोगों के साथ रहने का अवसर मिला। जब आप लोक नायक जय प्रकाश जी के समक्ष तस्करों और गुण्डों को बैठायेंगे तो उनका मनोबल ऊंचा होगा, इस प्रकार से आपने गुण्डों, और, बदमाशों के मनोबल को बढ़ाया। इंदिरा जी को, क्या कहा जाय। कुराज बुद्धि आ गयी और देश का सौभाग्य खुल गया कि आपातकाल उन्होंने हटा लिया और चुनाव हुए। चुनाव में गुण्डों के साथ समझौता किया। उनको जेलों से छोड़ दिया और बाहर आने के बाद उनका मनोबल ऊंचा हुआ। यह काम किसने किया? यह काम किया है कांग्रेस की सरकार ने।

(इस समय 1 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

एम0एल0ए0 और एम0 पी0 बना दिए।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आप भी बन गये हैं। हमने कानून और व्यवस्था को ठीक करने का संकल्प लिया है मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप जनतन्त्र में विश्वास करते हैं, मैं नहीं जानता तिवारी जी को बुद्धि आ गई है या नहीं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसा बुलवावें कि हम लोग सुन सकें यह माइक से कभी इधर कभी उधर बोलते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

शान्ति के साथ बोलें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आप देखें कि अभिभाषण में एक संकल्प लिया गया है कि हम कानून और शान्ति व्यवस्था को ठीक करेंगे। जनतन्त्र को आप सीखें, आप भूल रहे हैं। यह एक रहन-सहन का तरीका है। हमने भी विरोध की राजनीति की है लेकिन हमने कभी भी गुण्डों और बदमाशों को बढ़ावा नहीं दिया है। लेकिन जब से आपकी कुर्सी खिसकी तब से आपकी गोद में गुण्डे पल रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आप रहन-सहन का तरीका नहीं अपनायेंगे, हमारे अच्छे कार्यों के साथ आपका सहयोग रहेगा तो जो हमने संकल्प लिया है प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करने का, यह सफल होगा, निश्चित होगा। कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन काल में, जैसा कि डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि कुछ पथ नहीं बना है कि कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने देश और प्रदेश को भ्रमित ही किया है। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो पायेंगे कि हमारे शासन की क्या-क्या उपलब्धियां हैं। जनता पार्टी एक संघर्ष में पैदा हुई थी और जब इसका जन्म संघर्ष में हुआ था हमने कहा था कि हम बेरोजगारी और महामारी को समाप्त करेंगे और गरीबी मिटायेंगे, कुशिक्षा को समाप्त करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, ये अपने पूर्वजों को ही भूल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बीच में न टोकिए, उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, लोक नायक जय प्रकाश जी ने क्रान्ति की एक दीक्षा दी है। हमने व्रत लिया है कि हम देश को एक दिशा देंगे और उस ओर हम बह गए हैं। इनकी सारी योजनाएं ऊपर से थोपी जाती थीं। हमने जो योजनायें बनाई हैं वे गांधी जी की कल्पनाओं के अनुसार हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, इनके भाषण से कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये जबरदस्ती बोल रहे हैं, हृदय से बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूं? उनके मन की बात है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अन्त्योदय के हमने प्रोग्राम बनाये हैं। देहरादून में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। बलिया में भी चल रहे हैं। उन्हें बलिया के कलेक्टर तय नहीं करते हैं, उन्हें वहां के गांवों के लोग ही तय करते हैं।

डा० लोहिया कहते थे कि अगर स्वच्छ पीने के जल की और शौचालयों की व्यवस्था ही अगर सरकार कर दे तब भी मैं मान लूंगा कि हां कुछ किया। हमारे कार्यक्रम में उसके लिए व्यवस्था है। हम गांवों में पेय जल की योजना बना रहे हैं और उसके लिए करीब 5.6 करोड़ रुपया खर्च करने का प्राविधान भी है। स्वच्छ शौचलायों को बनाने की भी हमारी योजना है।

बेरोजगारी दूर करने की तरफ भी हमारा ध्यान है। आप तो अपने भाई भतीजों को ही नौकरी देकर यह समझ लेते थे कि बेरोजगारी दूर हो गयी। बेरोजगारी केवल नौकरी देने से ही दूर नहीं होगी. . .

(व्यवधान)

आप गांधी जी का नाम जरूर लेते हैं पर उनके कथनों को भूल जाते हैं। हम गांधी जी के अनुसार ग्रामों में कुटीर उद्योग बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हमारी व्यापक योजना भी है हम ग्रामों में अधिक से अधिक कुटीर उद्योग खोलना चाहते हैं। पहले लोगों को उद्योग लगाने के लिए कानपुर तक दौड़ना पड़ता था,अब उन्हें अपने जिलों में ही धन प्राप्त हो सकेगा और उनके लिए टेक्नीकल सहायता देने की भी व्यवस्था कराई जा रही है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री देवबहादुर सिंह—

ऐसा तो यह कभी पिछले 20 वर्षों में नहीं बोले होंगे, जबरदस्ती बोल रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अब मैं मंहगाई के विषय पर आता हूं। मंहगाई दूर करने के दो ही मुख्य उपाय हैं। एक तो उत्पादन को बढ़ाया जाय. . . . (व्यवधान)

बिना उत्पादन बढ़ाए मंहगाई दूर नहीं होगी। मैं यह साफ कहना चाहता हूं जनता पार्टी की सरकार का ध्यान इस ओर गया है और उसी के प्रयासों से यह 12.7 करोड़ का रेकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ है . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया इन्हें बोलने दें, व्यवधान न उत्पन्न करें, यह रनिंग कमेन्टरी करना ठीक नहीं है। उन्हें कृपया बोलने दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, दैवी आपदा, जब कि 54 जिले बाढ़-ग्रस्त थे, इस दैवी आपदा के समय भी उत्तर प्रदेश में उत्पादन की गति जो रही है, आपके शासन काल में किसी भी साल में ऐसी गति नहीं रही है। 1977–78 में खरीफ व रबी में 208 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ। श्रीमन्, 77 में चावल 51 लाख, 40 हजार टन। इसी प्रकार गेहूं का उत्पादन, रबी का उत्पादन 130 लाख टन रहा। तो जनता पार्टी किसानों को उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रही है। खाद सस्ती किया। श्रीमन्, इन्होंने खादों पर इतनी छूट कभी नहीं दी। बाढ़ आई, बाढ़ से 2/3 क्षेत्र हमारे प्रभावित रहते हैं, कभी भी बाढ़ पीड़ितों को आपने छूट नहीं दी। यह प्रथम अवसर है श्रीमन्, जनता पार्टी ने 1/3 और 1/4 की छूट दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मंत्री जी इतने शर्मिंदा हुए, आगे बैठे हुये पीछे चले गये।

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलने दीजिए।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मैं साफ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की 54 सैकड़ा आमदनी किसान देता था, खर्च कितना करता था 41 सैकड़ा। हमने अपने बजट का 50 सैकड़ा खर्च किया है और जितना किसानों से लेंगे, उतना उस पर खर्च करेंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, बिना सुनें ही लोग ताली बजा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय विरोधी दल के साथियों को कड़ुवा लगता है। चीनी जिस भाव में उपभोक्ता को आज मिल रही है, उस भाव में आपके शासन काल में कभी नहीं मिली। आपके शासन काल में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव था। अनाज पर रोक लगाया कि अनाज बलिया, बिहार नहीं जायगा। इस कार्य को डाक्टर लोहिया सोचा करते थे। जनता पार्टी ने इस चीज को खत्म कर दिया।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, ये कब तक बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, ये बिगड़े हुए ऊंट हैं, हम क्या करें। आप गाँवों के लिए वितरण व्यवस्था करते थे, लेकिन शहरों तक ही चीनी रह जाती थी, देहातों तक नहीं पहुंच पाती थी।

श्री अधिष्ठाता—

श्री शम्भूनाथ जी, आप कृपया संक्षिप्त करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, अगर आप पहले मुझे बता देते तो मैं वैसा ही करता।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, आप बोलने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमारे जो साथी हैं उनका समय भी काट कर श्री शम्भू नाथ चौधरी जी को दे दीजिये।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, कह दें कि खड़े होकर बोलें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जहाँ हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं वहाँ हम वितरण करने का भी उत्तरदायित्व अपने कन्धे पर ले रहे हैं। पहली जुलाई, 1979 से सामूहिक वितरण व्यवस्था लागू हो जायगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

अभी शम्भूनाथ जी कह रहे थे कि कृत्रिम अभाव हमारी आवश्यक वस्तुओं का रहा। मान्यवर, यहाँ कृत्रिम अभाव मंत्री जी का है। कृपया इसकी भी व्यवस्था करा दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं ही एक ऐसा विधायक हूं जो कतार लगाने वालों में से नहीं हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि . . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, कृपया शान्ति रखें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो यह कह रहे हैं वह. . . .

श्री अधिष्ठाता—

राम आसरे वर्मा जी, आप बैठिये। जो यह कह रहे हैं वह सुनिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

व्यवस्था के बारे में उधर के जो लोग हैं उनको बुरा लगता है। प्रस्तावक शूद्र है, समर्थक शूद्र है जो कभी नहीं हुआ। काँव-काँव हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। जो दबे लोग हैं, जो निर्बल लोग हैं . . . .

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उनका मैं उत्तर क्या दूंगा। जो वे बोल रहे हैं क्योंकि हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

शम्भूनाथ जी, मैं आप की बहुत सहायता कर रहा हूं। आप बोलिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आपकी वितरण व्यवस्था केन्द्र के हाथ में थी। भारतीय खाद्य निगम के हाथ में वितरण व्यवस्था दे डाली। जब हम लोग किसी अभाव के संबंध में कहते थे तो जवाब आना था केन्द्र का मामला है। यह वितरण प्रणाली सहकारी संघ द्वारा की जा रही है।

श्री गुलाब सेहरा—

लिखने वालों की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो मुझसे कहेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अगर इसमें कोई खामी हो तो आप हमारा कान पकड़ सकते हैं। श्रीमन्, मैं शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं तो समझता हूं कि मैं जनता का चौकीदार हूं, मैं गलती करूंगा तो जनता को कान पकड़ कर निकालने का हक है।

एक सदस्य—

यह 5 वर्ष जनता कैसे बर्दास्त करेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शम्भूनाथ जी, आप गागर में सागर भरें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, गाँधी जी और डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों को गाँवों में भेजना चाहिये, प्रशिक्षण देना चाहिये। तो अब मेडिकल कालेज के स्नातकों को सर्टीफिकेट लेना होगा तो उनको गाँवों में जाकर सेवा करनी होगी। आपके राज्य में डाक्टरों की कमी रहती थी कोई डाक्टर गाँवों की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता था। हमने व्यवस्था की है कि उनको गाँवों की तरफ जाना होगा तभी सर्टीफिकेट मिलेगा।

श्रीमन्, गाँधी जी कहते थे कि शिक्षा को रोजगारपरक होना चाहिये। आपने शिक्षा को रोजगारपरक नहीं बनाया। हम रोजगार परक बनाने जा रहे हैं। टेक्निकल संस्थाओं में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की योजनायें चालू हैं। आपने केवल यह कहा था कि हक लेना है, आन्दोलन करना है, हड़ताल करना है। हमने कहा है कि अधिकार कर्त्तव्य से प्राप्त होता है। तो श्रीमन्, शिक्षा के संबंध में जो हम ने वादा किया था उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका श्रीमन्, अगले वर्षों में पता चल जायगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि आप तोड़-फोड़ करायेंगे, हिंसा करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शम्भूनाथ जी, आप संक्षिप्त करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, हम विषमता घटाने का प्रयास करेंगे। गाँधी जी ने कहा था कि अगर बिड़ला, टाटा, डालमियाँ, सिंघानियाँ को खत्म करना है तो गाँवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दो तब बिना मारे यह मर जायेंगे। तो श्रीमन्, एक विषमता घटाने के लिये, हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्पीड़न को समूल नष्ट करने के लिये विशेष कक्षों की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उनको जो भूमि आवंटित की गयी है उसके संबंध में हमने व्यवस्था की है। सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करेगी, घर जल जाता था तो पहले 100 रुपये देते थे। हमने कहा है कि हम क्षतिपूर्ति करेंगे। श्रीमन्, अब तक श्रम को देश और प्रदेश में नहीं समझा गया लेकिन जनता पार्टी चाहती है कि श्रमिकों को समाज में अच्छा स्थान मिले इसलिये उसका जिक्र अभिभाषण में किया गया है।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

श्रीमन्, परिवहन में अब तक घाटा हो रहा था और तोड़-फोड़ हो रही थी लेकिन आज वह कम है क्योंकि जनता पार्टी ने इस पर ध्यान दिया है और अभिभाषण में व्यवस्था किया है।

श्रीमन्, दवा दारू के संबंध में ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तीनों को समान स्तर पर लाने की जनता पार्टी ने व्यवस्था किया है जिसको अभिभाषण में कहा गया है।

श्रीमन्, शराब बंदी के बारे में गांधी जी ने कहा था कि मृत्यु शरीर को समाप्त करती है और शराब आत्मा को समाप्त करती है। कांग्रेस सरकार ने अपने 30 वर्ष के काल में दिल्ली नगरी को अधिक शराब पिलाने वाली बना दिया था। लेकिन जनता पार्टी ने एक निश्चित अवधि में बिना किसी की परवाह किये गत वर्ष और इस वर्ष भी अनेक जिलों में शराब बन्द करने जा रही है। इस प्रकार गांधी जी के संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी जी इधर रहे हैं इसलिये उनको अनुभव है अतः वह गतवर्षों की उपलब्धि और आगे के कार्यक्रमों को जो अभिभाषण में रखे गये हैं उनको देखे तो आपको हीरे मोती मिलेंगे अन्यथा कुछ नहीं।

श्री बनारसी दास चांदना (जिला गाजियाबाद)—

श्री शम्भूनाथ चौधरी ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभिभाषण में जनता पार्टी के संविधान के अनुसार राज्यपाल महोदय ने जो बातें, जो संकेत दिये हैं उनका समर्थन करता मैं हूं। मेरे कुछ साथियों को बड़ी परेशानी हो रही है कि माननीय शम्भूनाथ चौधरी अधिक समय ले रहे हैं। मैं जनता पार्टी की नीति के अनुसार उन लोगों के लिये, जिन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी, अपना समय दिये देता हूं।

मान्यवर, यह तो आप जानते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये, निर्बल वर्ग के लिये शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा में, प्राइमरी शिक्षा में तथा जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा के बारे में सभी का जिक्र हुआ है। मान्यवर, इसी के साथ ही साथ कृषि में जो सिंचाई, बिजली आदि चीजे हैं, सभी की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है। इसी प्रकार से हरिजनों के विषय में काफी है कि ऋण दिया जायेगा और उनकी सहायता की जायेगी, उद्योग धंधे खोले जायेंगे। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शासन जो बात लागू करता है, वह उसी प्रकार से है जैसे कि कोई नहर होती है—नहर जहां से निकलती है, बहुत चौड़ी होती है और जहां पहुंचना होता है, वहां पर बिल्कुल जरा सी रह जाती है। यही चीज शासन में है। हमारे शासन में अब से 30 साल पहले हरिजनों के लिये जितने भी नारे दिये गये हैं, वे लखनऊ से निकलते हैं, लेकिन मेरठ, देहरादून और बलिया तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल जरा जरा सा रह जाते हैं और अधिकारी वर्ग उस पर कोई ध्यान नहीं देता।

मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय शम्भूनाथ चौधरी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह काफी अच्छा है और मैं उसका हर तरह से समर्थन करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

1—प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों, अल्प संख्यकों एवं निर्बल वर्गों के लोगों पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने में इस सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और न इन अत्याचारों से संबंधित दोषी व्यक्तियों को कानून की परिधि के अन्तर्गत प्रताड़ित करने की कोई ठोस योजना प्रस्तुत की ।

2—प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों व बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया ।

3—सत्तारूढ़ दल की गलत नीतियों के फलस्वरूप आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया ।

4—प्रदेश के लाखों गन्ना उत्पादकों को उनका बकाया मूल्य न मिलने और निर्धारित मूल्य से भी सामान्यतः आधा मूल्य मिलने के कारण होने वाली अरबों रुपये की हानि का कोई उल्लेख नहीं किया ।

प्रदेश के आलू उत्पादकों को निर्धारित मूल्य से आधा ही मूल्य मिलने तथा सरकार द्वारा वैगनों तथा कोल्ड स्टोरेज में जगह उपलब्ध न कराने और निर्धारित मूल्य पर खरीद न करने के फलस्वरूप होने वाली लगभग 100 करोड़ रूपये की हानि का कोई उल्लेख नहीं किया ।

5—प्रदेश के छात्रों पर गोली काण्ड और लाठी चार्ज तथा उसमें कई छात्रों की मृत्यु होने और हजारों छात्रों को बन्दी बनाये जाने जैसे दमनात्मक कार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया ।

6—पन्त नगर विश्वविद्यालय में हुए नर-संहार के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने तथा कुछ असामाजिक तत्वों की कार्यवाही के फलस्वरूप उस विश्वविद्यालय के बन्द होने तथा परिणामस्वरूप छात्रों और शोध कार्य की हानि का कोई उल्लेख नहीं किया ।

7—प्रदेश के अनेक भागों में कांग्रेस (ई) के कार्यकर्त्ताओं की हत्या तथा उन पर झूठे मुकदमें चलाये जाने तथा बदले की भावना से की गयी कार्यवाहियों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं किया ।

8—दिसम्बर, 1978 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध जनता पार्टी द्वारा बदले की भावना से प्रेरित कार्यवाही के फलस्वरूप हुई सत्याग्रह के समय बीसों जेलों में कांग्रेस सत्याग्रहियों पर अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं किया ।

9—हाल में मुजफ्फरनगर में हरिजनों पर रवि दास जयन्ती के अवसर पर हुए भीषण अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं किया ।

10—अलीगढ़ तथा अन्य जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए भीषण अत्याचारों तथा उसके लिए जिम्मेदार साम्प्रदायिक फासिस्ट तत्वों की कार्यवाहियों को रोकने के लिए किसी उपाय का उल्लेख नहीं किया ।

11—पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण में की गयी घोषणाएं तथा शासन द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति न किये जाने का स्पष्टीकरण नहीं दिया ।

12—प्रस्तावित छठी योजना के उद्देश्यों एवं आकार-प्रकार के बारे में कुछ नहीं बताया ।

13—सप्तम वित्त आयोग (सेविन्थ फाइनेंस कमीशन) की संस्तुतियां लागू हो जाने के बाद भी शासन का दृष्टिकोण लागू संस्तुतियों के बारे में क्या है, नहीं बताया ।

14—प्रदेश के वर्ष 1979–80 की वार्षिक योजना के बारे में क्या आकार-प्रकार होगा, इस संबंध में भी कोई सूचना नहीं दी ।

15—केन्द्रीय बजट द्वारा लगाये गये विभिन्न टैक्सों के कारण जनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में जो मनमानी वृद्धि हाल में हुई है और वस्तुएं बाजार से गायब हो गयी हैं, इससे प्रभावित किसान मजदूर, मध्यम व निर्बल वर्ग को राहत दिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

16—प्रदेश के कारखाने, बिजली घरों एवं विकास की समस्त योजनाओं के लिए कोयला, सीमेंट आदि उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन व योजनागति में जो भारी कमी हुई है, उसका उल्लेख नहीं किया और स्थिति का समाधान करने वाले उपायों का भी कोई उल्लेख नहीं किया।

17—पूर्वी, पर्वतीय, बुन्देलखण्ड, पश्चिम एवं मध्य भागों एवं पिछड़े भागों की विशेष समस्याओं का कोई हल ढूंढने का कोई उल्लेख नहीं किया है। देश के लाखों बुनकरों को सही कीमत पर सही नम्बर का सूत न मिलने तथा हैन्डलूम के कपड़े की बिक्री की समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं किया।

18—प्रदेश में विभिन्न निगमों द्वारा स्थापित किये गये औद्योगिक आस्थानों (इंडस्ट्रियल इस्टेट्स) में स्थापित लघु उद्योगों की बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिये उपायों का उल्लेख नहीं किया।

19—प्रदेश की ऐसी अनेक बड़ी योजनाएं जिन पर कार्य आरम्भ हो गया था, जैसे कि राजघाट बांध, गण्डक परियोजना, द्वितीय चरण, लखनार-प्यासी योजना, शारदा सहायक योजना, द्वितीय चरण, सुल्तानपुर सम्पूर्ण नगर, सितारगंज, हंसा नवाबगंज, पूरनपुर गजरौला, अकबरपुर आदि स्थानों में चीनी मिलों का निर्माण प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर कारखाना, लालकुआं में कागज का कारखाना, छितौनी व गाजीपुर के बड़े पुल आदि पर काम तेजी से चालू करने का कोई आश्वासन नहीं दिया।

20—सार्वजनिक स्थानों एवं शिक्षण संस्थाओं के स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबन्ध के संबंध में केन्द्र सरकार व प्रदेशीय सरकार के भिन्न-भिन्न नेताओं द्वारा जो परस्पर विरोधी बयान दिये गये हैं, उनको देखते हुए स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रदेश की तत्सम्बन्धी नीति क्या है और कोई पाबन्दी है या नहीं?

21—सरकार द्वारा अध्यापकों, चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा विद्युत् परिषद जैसे सरकारी निगमों के कर्मचारियों की जायज मांगों के सम्बन्ध में निर्णय लेने तथा उनकी कठिनाइयों का समाधान न कर पाने का कोई उल्लेख नहीं किया।

22—सरकार की अक्षमता के कारण विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग न होने तथा उसके विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया।

23—कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा जनहित में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को बहाल रखने एवं लागू करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की।

श्रीमन, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जिन परिस्थितियों में दिया गया। इस समय भी स्थिति असाधारण ही है क्योंकि राज्यपाल महोदय का धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हो, शासन पक्ष का प्रस्तावक हो और 27 मत्रि-मंडल के सदस्यों में से केवल एक सदस्य सुने और दूसरे पीछे बैठे हों, यह भी असाधारण ही है। अभी तक प्रदेश के इतिहास में, मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ।

एक सदस्य—

एक और सदस्य आ गये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, दूसरे सदस्य अभी आये हैं। ये अपने धन्यवाद के प्रस्ताव को कितना महत्व देते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण इसी से प्रस्तुत हो जाता है। श्रीमन्, परम्परा के अनुरूप जब इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है, तो कम से कम प्रस्तावक के समर्थक का तो आदर करना ही चाहिये। कितनी ओजस्वी वाणी में माननीय सदस्य बलिया ने प्रस्ताव रखा।

लेकिन दुर्भाग्य से उसको सुनने को लोग उपस्थित नहीं हुये हैं। धन्यवाद दिया है, लेकिन धन्यवाद लेने वाले नहीं। यह भी परम्परा रही है कि मुख्य मंत्री जी कम से कम यहाँ उपस्थित होते जब विरोधी दल का नेता राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले। यह परम्परागत विधि है कि मुख्य मंत्री जी को यहाँ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नई परम्पराएं हो रही हैं। आपने कहाँ देखा कि स्पीकर मुख्य मंत्री हो ? (श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने तथा कुछ कहने पर) मैं माननीय सदस्य सीतापुर से निवेदन करूंगा कि जो तर्क रखे जा रहे हैं। उन्हें ध्यान से सुनें और अवसर आने पर उसका उत्तर दें। श्रीमन्, अगर इस प्रकार से विरोधी दल को सुनने को तैयार नहीं है तो यह तो कोई परम्परा नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

आप नाराज हो गये। मैं तो....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्तार अनीस जी, आप किन नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? आप तिवारी जी की बात को सुनें और मजबूती से दृढ़ शब्दों में उसका जबाव दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और भारतीय संसदीय इतिहास में भी नहीं हुआ कि स्पीकर महोदय से कहा जाय कि मुख्य मंत्री का पद संभालें। मैं हाउस आफ कामन्स की परिपाटी को देख रहा था। हाउस आफ कामन्स की भी यह परिपाटी कभी नहीं रही कि स्पीकर प्राइम मिनिस्टर हो जाय। वह स्पीकर जो एक मत से स्पीकर चुने गये थे और पार्लियामेंटरी पद्धति प्रक्रिया के निष्पक्ष निर्वहन करना जिनका दायित्व हो, ऐसे व्यक्ति को असाधारण परिस्थितियों में ही मुख्य मंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इसी से यह स्पष्ट है कि प्रदेश की राजनीति कितनी अस्पष्ट है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसी प्रकार से 27 सदस्यों का मंत्रि-मण्डल भी अभूतपूर्व है प्रदेश के इतिहास में। 27 सदस्यों की कैबिनेट अभी तक इस प्रदेश में क्या किसी भी प्रदेश के इतिहास में शायद ही हुए हों और अभी अखबारों को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि 5–6 और होंगे। इतना बड़ा मंत्रि-मंडल, इतना बोझीला मंत्रिमंडल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह भी एक असाधारण बात है। श्रीमन्, अखबारों में पढ़ने को मिला जो कैबिनेट रूम बनाया गया था वह प्लानिंग के और संसदीय परम्परा के जानने वालों ने बनाया था कि कितने सदस्य इसमें बैठेंगे। अब कैबिनेट रूम में बैठने के लिए भी जगह नहीं है (एक आवाज—तिलक हाल में मीटिंग रखेंगे) मंत्रि-मंडल की बैठक तिलक हाल में रखेंगे।

श्रीमन्, कैबिनेट की मीटिंग गोपनीय होती है। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग में इतिहास में पहली बार लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया। जबकि लाउड-स्पीकर के प्रयोग से मीटिंग की गोपनीयता भंग होने की सम्भावना रहती है। इसमें किसी प्रकार की बात हो जाय, यह भी प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। श्रीमन्, जो अभी तक मंत्रि-मण्डल की मान्यताएं रही हैं। मुझे बहुत दुख है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं श्री बनारसी दास जी का आदर करता हूं। वे एक अनुभवी व्यक्ति हैं आज राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शम्भूनाथ चौधरी बोल रहे थे। श्रीमन्, मुझे स्मरण है कि सन् 52 में राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव श्री बनारसीदास जी ने पेश किया था तो वे एक पुराने संसदीय पद्धति के जानकार हैं लेकिन वे आज इस प्रकार बंध गये हैं हालात में कि वे किस प्रकार से पार्टी को चलायें। जिन हालात में वे मुख्य मंत्री हुए हैं वे असाधारण हैं और मैं नहीं समझता कि वे हालात पर काबू कर पायेंगे क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वह पार्टी लीडर की नहीं है। अनेक विचारधाराओं के लोग उनको दबाए हुए हैं उन सभी को मंत्रि-मंडल में शामिल कर और मंत्रि-मंडल की सदस्य संख्या बढ़ाकर वह मंत्रि-मंडल नहीं चला सकते लेकिन चारों तरफ से दबाव आ रहे हैं। दो उप मुख्य मंत्री बन गये हैं और कहा जा रहा है कि तीसरे उप मुख्यमंत्री और बनेंगे। तीसरे को तो शायद बनाया

[श्री नारायण दत्त तिवारी]
ही जा रहा है। श्रीमन्, यह क्या हो रहा है ? श्री बनारसी दास जी ने इस पद को क्यों स्वीकार किया जो उनके चरित्र के खिलाफ है ?

मैं माननीय सदस्य आजमगढ़ और गोरखपुर को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे इतनी अकल्पनीय भाषा का प्रयोग कृपया न करें और मैं समझता हूं कि मुझे उनकी मित्रता पर इतना भरोसा है कि वे मुझे इतनी अपमानजनक स्थिति में नहीं लाना चाहेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हर परिस्थिति में उत्तीर्ण होने का प्रयास करूंगा।

मैं यह कह रहा था कि आखिर कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए ? कभी तो सुनते हैं कि 67 का मंत्रि-मंडल होगा। 27 कैबिनेट मंत्री हैं ही, 4-5 या 6 और हो गए तो 33 हो गये। 33 कैबिनेट मंत्री हो गये तो स्टेट के भी उतने ही होने चाहिए, तो 66 हो गये, फिर उपमंत्री जी उतने होने चाहिए, तो 99 का मंत्रि-मंडल हो जाएगा और 99 का फेर हो जाएगा। श्रीमन्, 11 परसेंट का जो लाजिक है, नीचे का जो सदन है उसका नियम है। मिलाजुला मंत्रि-मंडल उसका यहाँ बना है उसमें 22 से अधिक कैबिनेट मन्त्री नहीं थे। संविद शासन हुआ, उसमें 4-5 पार्टियों का मिलाजुला मंत्रि-मंडल था, उसमें भी 21 मंत्री थे। आप मुख्य मंत्रीजी तक यह बात पहुंचा दें कि मंत्री नियुक्त करने के बारे में उनकी क्या नीति है ? इस प्रकार से आगे आने वाली सरकारों को भी वे एक परेशानी में डाल रहे हैं, क्योंकि गलत उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। मंत्रियों के बनाने का आधार क्या योग्यता है या क्या है ? जिनको सदन का अनुभव हो उनकी नियुक्ति मंत्री के पद पर होनी चाहिए। श्रीमन्, जो अभी तक इस संबंध में स्थिति है, मैं हेरोल्डलास्की जो मशहूर पार्लियामेंटरी तरीके के पंडित हैं उनकी बात रख रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट में कैसे लोगों को लिया जाना चाहिए। "दि नार्मल रूल फार मेम्बरशिप आफ कैबिनेट विल बी रिवार्ड . . . . . ."

श्री अधिष्ठाता--
माननीय नेता विरोधी दल, आप अंग्रेजी न पढ़ें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--
मैं इसका अनुवाद कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--
आप पहले ही अनुवाद कर दें, तो अच्छा रहे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--
पहले एक लाइन पढ़ने तो दें, आप। "कि साधारण नियम के अन्तर्गत मंत्रि-मंडल के सदस्यों ने पार्लियामेंट में कितनी सेवा की है इसका इनाम होना चाहिए, रिवार्ड होना चाहिए, पुरस्कार होना चाहिए। इट विल हैव बीन प्रिसीडेड बाइ ए कनसिडरेबुल एप्रेन्टिसशिप टू दि सर्विस आफपालिटिक्स। राजनीति में उन्होंने कितनी सेवा की है उस के आधार पर मंत्रि-मंडल में लिया जाना चाहिए तब उस की मान्यता भी होती है।"

इसी प्रकार बागेहाट ने भी अपनी किताब "एन इंगलिश कान्स्टीट्यूशन" में लिखा है "दियर इज इवरी रिजन टू एक्सपेक्ट दैट पार्लियामेंट्री स्टेट्समैन विल बी ए मैन आफ क्वाइट सफिसिएन्ट इन्टैलिजेन्स . . . . . (व्यवधान) नौकरशाही की तुलना में जो पार्लियामेंटरी पद्धति के शासन में होगा वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस को बहुत सामान्य बुद्धि के अलावा, अनुभव,जानकारी और विविध प्रकार का अनुभव हो ताकि नौकरशाही की भावना को भी दबा सके।"

अब श्रीमन्..... (व्यवधान) .....इस का उत्तर क्या दूं, माननीय सदस्य को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी साथी से, इस प्रकार के तर्क पर बातचीत नहीं करना चाहता हूं।

अब श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि . . . . .

एक सदस्य--

आप किस का हवाला दे रहे थे .....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आप को अभी बीस साल पढ़ा सकता हूं। यह बागेहाट की किताब है "एन इंगलिश कान्स्टीट्यूशन"

अब श्रीमन्, मैं इस मंत्रि-मंडल में तो कुछ गये मंत्री रखे गये है, वे कुछ इस आधार पर माने जा सकते हैं कि उनको स्थान दिया गया, उचित है, जैसे कि हमारे वन मंत्री हैं या श्रम मंत्री हैं या हमारे स्वायत्त शासन मंत्री हैं, जो कि पुराने अनुभवी माने जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जैसा कि दिखाई दे रहा है अनुभव का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी तरह विभागों के आवंटन का विषय है। मुख्य मंत्री जी ने अपने पास, 26 मंत्री हो जाने के बाद भी, 22 विभाग रखे हैं। कितने आश्चर्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सब से बड़ा मंत्रि-मंडल हो, 27, 26 कैबिनेट मंत्री हो, फिर भी मुख्य मंत्री अपने पास 22 विभाग रखें और इस का अर्थ क्या हुआ कि या तो आप को मंत्रियों पर पूरा विश्वास नहीं है कि 26 मंत्री होते हुये भी अगर उनको विभाग दिये जायेंगे तो उनका वे निर्वहन कर सकेंगे ? दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि उन की मंत्रि-मंडल को बढ़ाने की और भी इच्छा है, क्योंकि होता यही है कि मुख्य मंत्री अपने पास पोर्टफोलियो रख लेते हैं ताकि मंत्रियों को बाद में आवंटित कर सकें .....

एक सदस्य--

आप ने कितने रखे थे....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे पास कितने पोर्टफोलियो थे, आप देख सकते हैं। मैं यह कह रहा हूं, श्रीमन्.....

(श्री मान सिंह आजाद के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मान सिंह जी, भाषण चलने दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कि 22 विभाग मुख्य मंत्री जी ने अपने पास रखे हैं और जिन लोगों को विभाग दिये हैं आप देखे कि कैसे विभाग दिये हैं। कुछ मंत्रियों को तो नाम मात्र के विभाग दिये हैं। एक लघु सिंचाई विभाग बनाया गया है। लघु सिंचाई विभाग कहाँ है। ब्लाक में एक ए0 डी0 ओ0 इरिगेशन होता है लेकिन सिंचाई का काम आम तौर पर या तो भूमि विकास बैंक के अन्तर्गत आता है जो कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में आता है या माइनर इरिगेशन का ए0 डी0 ओ0 है वह कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अन्तर्गत आता है जिसके जमुना प्रसाद बोस जी पंचायत मंत्री हैं। लघु सिंचाई का डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर के अन्तर्गत काम करता है, कृषि उत्पादन आयुक्त के अन्तर्गत जिसका संबंध कृषि मंत्री जी से है। माइनर इरिगेशन विभाग जो बनाया गया है उसके लिए पूरा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है ? क्या करेंगे वह। उनका न कोई दूसरा मंत्री है, न कोई सेक्रेटरी है, न कोई बजट, तो मान्यवर, इरिगेशन मंत्री कौन सा बजट पेश करेंगे ? इसी तरह से एक मंत्री को होमगार्ड का मंत्री बनाया गया है। अगर इस तरह से मंत्री बनाये गये तो 150 मंत्रियों से भी काम नहीं चलेगा। अकेला होमगार्ड मंत्री क्या करेगा और कौन सा बजट वह पेश करेगा ? इस सदन के प्रति वह कब उत्तरदायी होगा ? होमगार्ड का बजट पुलिस में आ जायगा और पुलिस मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बजट के हेड को बदला जायेगा अथवा बजट का बंटवारा होगा ? इसी प्रकार एक योग्य मंत्री कानपुर के रखे गये हैं श्रीवास्तव जी। उनका भी मैं मंत्रिमंडल में शामिल होने का स्वागत करता हूं लेकिन उनको काम क्या दिया जा रहा है ? राष्ट्रीय एकीकरण और खेलकूद उनको दिया गया है ? इस तरह से उनकी भी योग्यता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो न लगे कि मंत्रि तो कैबिनेट के हों, लेकिन इतने अयोग्य हैं कि कोई विभाग ही नहीं संभाल सकते।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

उछल कूद से खेलकूद हो गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ठीक है डाक्टर साहब ने उसे अनुप्रासालंकार से सुशोभित कर दिया है। इसी प्रकार पर्वतीय विकास विभाग को भूतपूर्व परिवहन मंत्री श्री आबिद अली जी को दे दिया गया है जो उनके प्रति बड़ा अन्याय है। उन्होंने दौरा जरूर किया होगा पर्वतीय क्षेत्रों का, लेकिन यह कहना कि उनको पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं का ज्ञान है इसलिये उनको पर्वतीय विकास विभाग दिया गया यह उनके प्रति अन्याय है (व्यवधान)। पर्वतीय विकास विभाग मुख्य मंत्री अपने पास रखते रहे, ताकि हर विभाग का समन्वय हो जो यह विभागों का आवंटन हुआ ह कार्य क्षमता को दृष्टि में रखते हुए कैबिनेट मंत्री रहने से तो कबिनेट में न रहना अच्छा है। मुख्य मंत्री के पास 22 विभाग हैं। रोज अखबारों में आ रहा है कि मंत्री और बढ़ाये जायेंगे। चार, पाँच को तो शपथ दी जाने वाली है। लेकिन इससे शासन स्थिर होने वाला नहीं है, स्थायी होने वाला नहीं है। इससे नीति का पालन होने वाला भी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जो कुछ हुआ है वह अभूतपूर्व हुआ है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस भाषण को मंत्रि–मंडल के सामने भी नहीं रखा गया। मैं देखता रहा अखबारों में कि मंत्रि–मंडल की बैठक कब हुई ? 8 मार्च को यह अभिभाषण हुआ। 7 मार्च को 2 मंत्री तथा 6 मार्च को 18 मंत्री बढ़ाये गये। लिहाजा 7 मार्च को मंत्रि–मंडल की बैठक हो सकती थी, क्योंकि यह बहुत बड़ा अभिभाषण नहीं है। केवल 13 पृष्ठों का भाषण है पूरे मंत्रि–मंडल की बैठक बुलायी जानी थी 7 मार्च को। इसमें संशोधन करके तब राज्यपाल भाषण दे सकते थे।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये जानना चाहूंगा कि पूरे मंत्रि–मंडल ने कब इस अभिभाषण पर विचार किया है ? अखबारों में तो यह आया है कि मंत्रि-मंडल की बैठक अभी चार दिन पहले हुई है। 6 मंत्रियों का अभिभाषण 27 मंत्रियों का अभिभाषण नहीं माना जा सकता है। बाकी मंत्री कैसे इस भाषण के जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिये यह अभिभाषण नियमानुकूल भी नहीं है। यह राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है बल्कि शासन का अभिभाषण है। यह श्री राम नरेश यादव के मंत्रि-मंडल का अभिभाषण है और उन्हीं के मंत्रियों ने इसे देखा था और उसे यहाँ पर जैसे का तैसा रख दिया गया है। केवल पृष्ठ 12 पर यह बढ़ाया गया है कि वर्तमान सरकार ने अभी हाल ही में अपना कार्यभार सम्हाला है और बाकी ज्यों का त्यों वही रखा गया है। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरे मंत्री कहाँ हैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री बैठे हुये हैं, मुख्य मंत्री कहाँ है और मंत्री कहाँ है ? त्रिलोकचन्द्र जी कहाँ हैं ? कोई मंत्री नहीं है। (व्यवधान)। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस अभिभाषण में कहीं पर यह स्पष्ट नहीं होता कि यह नई सरकार का अभिभाषण है ? सार्वजनिक निर्माण मंत्री बैठे हुए हैं, मैं गलत हूं तो वे बतायें। क्या उनके सामने यह अभिभाषण आया था ?

एक सदस्य—

संयुक्त उत्तरदायित्व होता है।

श्री अधिष्ठाता—

तिवारी जी आप जारी रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मंत्रि–मंडल के सामने बिना गये अभिभाषण आ गया, इसे बड़ी और क्या आश्चर्य की बात हो सकती है। कैबिनेट तय करती है कि भाषण क्या होगा। हर विभाग का मंत्री देखता है कि इसमें मेरी नीति सही लिखी गई है या नहीं। सिंचाई मंत्री, वित्त मंत्री सभी मंत्री यह देखते हैं कि मेरी बात सही लिखी गई है। तो जब यह मंत्रि–मंडल में गया ही नहीं तो कैसे मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि इसे पूरे मंत्रि–मंडल ने देख लिया है

और स्वीकार कर लिया है। श्रीमन्, इसके अलावा इस अभिभाषण से यह मालूम नहीं होता है कि नये शासन की नीति क्या है। इसमें पुराने शासन की नीतियों को दोहराया गया है। यदि हमें पुराने शासन की नीति में ही चलना है तो मैं चाहूंगा कि नई बोतल में पुरानी शराब। नीति वही है, प्रोग्राम वही है केवल मंत्री बदले हैं। मैं जानना चाहूंगा कि किन कारणों से चार मंत्रियों के इस्तीफे माँगे गये। क्या कारण थे? सदन को यह मालूम होना चाहिए। अभिभाषण से कुछ पता नहीं चलता। भूतपूर्व मंत्रियों गणेश दत्त वाजपेयी और राम सिंह से इस्तीफे माँगे गये? दो उप मंत्रियों से इस्तीफे माँगे गये? सदन को मालूम होना चाहिए कि यह जो संघर्ष चला वह किन कारणों से हुआ?

श्रीमन्, 24 जनवरी से 7 मार्च तक प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं रही। भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने जो कदम उठाये थे उसके बाद शासन में अस्थिरता आयी और शासन ठप हो गया और इसका कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं। पौने तीन महीने तक शासन ठप रहा। एक केयरटेकर गवर्नमेंट यहां रही। फिर आठ मंत्रियों से इस्तीफे मांगे गये क्यों मांगे गये, कोई क्राइसेस हुई या नहीं। वह क्राइसेस क्या थीं? मैं किसी को भ्रष्ट नहीं कहता और न किसी को बुरा कहता हूं लेकिन अखबारों में कहा गया कि फलां भ्रष्ट है। अगर भ्रष्ट थे तो फिर उनमें से कौन लिया और कौन नहीं लिया। उसका आधार क्या रहा। इन सब बातों को एड्रेस में आना चाहिये था। फिर सरकार की नीति की बात आई अचानक अखबारों में आया कि कुछ लोगों का आर0 एस0 एस0 से संबंध है जनसंघ से संबंध है इसलिए एक सिद्धान्त की लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू हो गई और कहा कि यह सिद्धान्त की लड़ाई शुरू हो गई और कहा गया कि प्रगतिशील शक्तियों के बीच और साम्प्रदायिक शक्तियों के बीच यह लड़ाई है।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री जो इस समय उप मुख्य मंत्री हैं आप उनसे पूछें उन्होंने बार-बार यह कहा कि प्रदेश में दो शक्तियों के बीच प्रगतिशील और साम्प्रदायिक शक्तियों के बीच यह लड़ाई है। इतनी बड़ी लड़ाई शासन के स्तर पर उतर गई और आज भी वह है लेकिन अभिभाषण में उसका कहीं पता नहीं है। क्योंकि उल्लेख नहीं है, क्या यह केवल प्रचार के लिए कहा जा रहा है। शासन की नीति का अभिभाषण में उल्लेख होना चाहिए और कौन इसमें प्रगतिशील है और कौन साम्प्रदायिक है। साम्प्रदायिकता से लड़ाई का हम स्वागत करते हैं। कौन सदस्य ऐसा है जो इसका स्वागत नहीं करेगा। यह अखबारों में कहा जा रहा है लेकिन गवर्नर के अभिभाषण में चुप्पी क्यों है? क्या कोई रणनीति बनाई गई है कि बाहर तो कहा जाय लेकिन सदन में वह न कही जाय। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन मजबूर हूं क्योंकि उसका उल्लेख बाहर हो रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि आर0 एस0 एस0 पर बैन लगा दिया गया। सदस्यों से कहा जा रहा है इधर हमसे भी कहा जा रहा है कि सहयोग करें। लेकिन अभिभाषण में उसका कोई उल्लेख नहीं। इस संबंध में जो आदेश आया है वह आदेश क्या है जिसकी कि इतनी चर्चा है। वह आदेश भी किसी कानून के अनुसार नहीं है। जब अखबारों में आया तो हमने सोचा कि शायद आर्डिनेंस बन रहा है या किसी कानून के तहत आदेश निकल रहा है। लेकिन वह कागज पर ही रह गया है वह कहीं पर लागू नहीं हो रहा है जिसके लिए दिमाग में, डायनिंग रूम्स में या क्लबों में लौबीज में बार-बार चर्चा हो रही है।

पांचजन्य में इसका बड़ा मखौल उड़ाया गया है। श्री ज्ञानचंद द्विवेदी एडवोकेट हैं उन्होंने एक अच्छा लेख लिखा है। 15 फरवरी को वोटिंग हो रही है और 14 फरवरी को आदेश निकल रहा है उसमें लिखा है "चूंकि राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्द्वारा यह सूचना देते हैं कि किसी व्यक्ति, समुदाय संस्था, दल या संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा किसी भू-गृहादि या सार्वजनिक समागम के स्थान में बिना ऐसे भू-गृहादि या स्थान

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पर तत्समय विधिपूर्वक नियंत्रण रखने वाले अधिकारी या व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति के, कोई ड्रिल, व्यायाम, रैली या प्रदर्शन (किसी आयुद्ध या अस्त्र कि जिसमें लाठी भी सम्मिलित है, सहायता से या उसके बिना) न तो किया जायेगा और न उस का आयोजन किया जायेगा ।

(इस समय 3 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए।)

अब उसमें आगे स्पष्टीकरण है—"सार्वजनिक समागम के स्थान" के अन्तर्गत ऐसे भूगृहादि खेल के मैदान, हाल या अन्य खुली जगह या भवन भी हैं जहां जनता, भुगतान करने पर या अन्यथा साधारणतया पहुंच सके ।" आज्ञा से—प्रकाशचन्द्र जैन, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

अब आप देखें इस आदेश में आर्टिकिल 162 का जिक्र है । लेकिन आर्टिकिल कभी सीधे इन्फोर्स नहीं हो सकता , जब तक ऐक्ट या अधिनियम न हो । और यह भी कहा है कि सूचना देता हूं, आदेश नहीं ।" इसमें यह है कि ". . .किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था, दल या संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ . . . "

अब उसकी यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कोई परिभाषा नहीं की गयी है कि उस का मेम्बर आदि कौन होगा । संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो अन्य संगठनों के नाम भी आने चाहिए । तो इसमें यह नहीं बताया गया है कि वे ऐसे कौन से संगठन हैं । फिर इसमें है—

. . . . तत्समय विधिपूर्वक नियंत्रण रखने वाले अधिकारी या व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति के तो इसमें वह अधिकारी नहीं बताया गया है कि वह डी0एम0 होगा या सी0एम0 या चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड होगा या और कोई होगा । तो कौन हैं किसके सामने इजाजत के लिए अर्जी दी जाए, किसको दी जाए अधिकारी कौन है, उसका पता नहीं है, कोई जी0 ओ0 बाद में निकला नहीं है, अधिकारी का पता नहीं, कानून का पता नहीं, नियम का पता नहीं । यू0पी0 में 10 करोड़ की आबादी है, ये प्रतिबन्ध सब पर लागू होगा । इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई व्यक्ति पार्क में टहलने भी नहीं जा सकता है । इन सब कमियों और नादानियों की वजह से इसका मखौल उड़ाया जा रहा है । इसका नतीजा यह हुआ है कि शाखाएं कहीं बन्द नहीं हुई हैं, बल्कि उनमें संघर्ष की भावना जागृत हो गयी है । अब तो ढीले-ढाले लोग भी दुगुने उत्साह से उसमें भाग लेने के लिए जाने लगे हैं, उनके दौरे अब ज्यादा होने लगे हैं, ज्यादा जोश और खरोश से काम होने लगा है । अचानक यह बात उठी और उनमें जोश बढ़ गया है । किन्तु उसके बारे में करना इन्हें कुछ नहीं है । यदि वास्तव में ऐसी बात है तो अकेले उत्तर प्रदेश में यह बात क्यों, यहीं यह नारा क्यों । आपके बगल में बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर ने कह दिया है कि हम इसको नहीं मानते हैं । तो क्या शाखाएं लगाना बलिया जिले के उस पार सही है और यहां गलत है ? अन्य प्रदेशों में—हिमांचल प्रदेश और हरियाणा में क्यों आप लोग इनके साथ बैठे हुए हैं ? होना है तो सब जगह यह होना चाहिए । मुख्य मंत्री के कई जगह अलग अलग बयानात आए । उनमें से कौन सा सही है, मैं नहीं जानता हूं । कभी कहा जनसंघ और आर0एस0एस0 अलग-अलग हैं । कभी कहा जनसंघ वालों को लेंगे, आर0एस0एस0 वालों को नहीं लेंगे । कौन क्या है, यह सब जानते हैं । यह सभी जानते हैं कि जनसंघ का निर्माण उस समय हुआ, हो सकता है कि आर0 एस0 एस0 के विधान में जनसंघ का नाम हो, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा उसकी एक राजनैतिक शाखा के रूप में हुई है । अब जनसंघ और आर0 एस0 एस0 के बारे में कोई बात करना और यह कहना कि बड़े आदर्श की लड़ाई है, मेरी समझ में नहीं आती है । धान और चावल के बीच में जो सम्बन्ध है, वही आर0 एस0 एस0 और जनसंघ का सम्बन्ध है । बिना चावल के धान नहीं हो सकता है और बिना धान के चावल नहीं हो सकता है ।

दोनों का अटूट सम्बन्ध है। एक कतरा भी नहीं हो सकता है तो आज श्रीमन्, यह कहा जा रहा है कि आर0 एस0 एस0 के लोगों को मंत्रि-मंडल में नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन आर0 एस0 एस0 के लोग एम0 एल0 ए0, एम एल0 सी0 हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, आर0 एस0 एस0 के लोग जनता पार्टी के मेम्बर हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, एम0 पी0 हो सकते हैं, जनता पार्टी में हो सकते हैं, लेजिस्लेचर पार्टी के मेम्बर हो सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोटके लिए उनपर व्हिप जारी हो सकता है, मंत्री नहीं हो सकते। वाह रे वाह क्या बात है ?

एक सदस्य—

आप इससे सहमत हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह जो कहा जा रहा है दूध का दूध पानी का पानी आपने माना है, जो खाद्य मंत्री हैं, उनके बारे मे मैंने वक्तव्य पढ़ा, मैं उनका आदर करता हूं। वह नवयुवक हैं। वह मंत्रि-मंडल में रहे। उनको विवाद का विषय बना दिया गया। मैं नहीं चाहता कि वह विवाद का विषय बनें। लेकिन कौशल किशोर जी का बयान है कि आर0 एस0 एस0 के बहुत समय से सदस्य रहे हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा कि वह छः जिलों के कार्यवाह भी थे। वह जनसंघ में भी थे, मंत्री भी रहे, संविद सरकार में। कैसे कहा जा सकता है कि वह आर0 एस0 एस0 जन संघ में नहीं हैं। जब तक खाद्य मंत्री बैठे हैं, जब तक मलिखान सिंह जी कैबिनेट में है तब तक नहीं कहा जा सकता है कि आर0 एस0 एस0, जनसंघ के लोग मंत्रि-मंडल में नहीं हैं। हैं और मौजूद हैं। अब यह हटाओ वह हटाओ, यह सही लड़ाई नहीं है। अगर सही लड़ाई हो तो बात है। लेकिन राजनीतिक रणनीति है तो उसको आदर्श का जामा पहनाना उचित नहीं है।

अब यह कहा जाता है कि मलिखान सिंह जी आर0 एस0 एस0 के मेम्बर नहीं हैं, जनसंघ के नहीं हैं। मलिखान सिंह जी ने आज तक कोई वक्तव्य नहीं दिया। जब किसी व्यक्ति के बारे मे सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है, सबसे बड़ा इश्यु बनाया जा रहा है तो जरूरी है कि वह कहते कि वह क्या है। मैं चाहता हूं कि वह मंत्रि-मंडल में रहे। लेकिन मैं बड़ आदर के साथ चाहता हूं कि वह बताएं कि आर0 एस0 एस0 में वह हैं या नहीं, जनसंघ में वह हैं या नहीं। फिर बड़ी बात यह नहीं है। असली बात विचारधारा की बात है। तो आज जो यह इतनी बड़ी बात कही जा रही है, प्रगतिशील, उसका राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। तमाम प्रदेश में शाखाएं लगातार चल रही हैं। आदेश निरर्थक हैं और इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई हाईकोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट में तब जायं, जब ला का जिक्र हो, जब यह पता नहीं है कि कौन नियन्त्रक अधिकारी हैं, किस से इजाजत लेनी है, वह केवल एक सूचना है। किसी प्रकार से यह जो कहा जा रहा है कि सिद्धान्तों की लड़ाई है वह हमें नजर नहीं आती। भविष्य में हो जाय हम नहीं जानते। मुख्य मन्त्री को साहस हो तो अपने जवाब में बतायें और मलिखान सिंह जी से त्याग-पत्र लें अगर जनसंघ के, आर0एस0एस0 के हैं। नहीं तो सिद्धान्त की लड़ाई नहीं है। केवल राजनीतिक लड़ाई है। यह ऐसा प्रश्न है जिसमें सफाई होनी चाहिए। प्रदेश की करोड़ों जनता भ्रमित है कि क्या हो रहा है, लखनऊ में किससे लड़ाई चल रही है। इसकी सफाई होनी चाहिए।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से सदस्य बैठे हैं, वह आर0एस0एस0 की मदद से चुने गये हैं। इसलिए हमारे भ्रमित होने का प्रश्न नहीं है। आज सफाई होती है। तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भ्रमित करके कोई भला होने वाला नहीं है। लोग परेशान हैं कि क्या हो रहा है। जो हरिजन हैं, जो पीड़ित हैं और जो निर्बल हैं उन सबके सामने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आज क्या हो रहा है। सफाई दें। लोग जानें कि समाजवादी शक्तियाँ एक ओर हैं तो कुछ समझ में बात आती है किसी आदेश के नाम पर कोई बात कहना निरर्थक होगी। सरकार के बारे में प्रधान मन्त्री ने कहा, जब एम0 पीज0 का डेपुटेशन मिलने गया। उसने कहा कि असेम्बली भंग करने की बात कही जा रही है तो प्रधान मन्त्री ने कहा कि जो अनस्टेबुल है उसके बारे में क्या कहा जाय। तो जिस गवर्नमेन्ट के बारे में प्रधान मन्त्री की राय है कि वह अनस्टेबुल है तो उसका क्या हाल होगा? प्रधान मन्त्री ने ऐसा कह दिया लेकिन उसका कन्ट्राडेक्शन नहीं हुआ कितने आश्चर्य की बात है? मुख्य मन्त्री जी ने कभी नहीं कहा जो प्रधान मन्त्री ने अनस्टेबुल गवर्नमेन्ट बता दिया। आज भी स्टेबिल शासन नहीं है।

मान्यवर, नीति का क्या कहना। नीति विहीन और दिशा विहीन शासन है, अभी एक-एक करके उदाहरण दूंगा। मुख्य मन्त्री जी यह कह सकते थे कि नया शासन है, नया रूप है, और समय दीजिए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने पुराने शासन की सारी बातों को मान लिया पुराने शासन के भाषण को अपना लिया। मुख्य मन्त्री को उप मुख्य मन्त्री बना दिया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पिछले शासन की जितनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं सबकी जिन्मेदारी ले ली। जिस मुख्य मन्त्री को पार्टी ने हटाया उसको शासन में ले लिया। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री राम नरेश यादव का आदर करता हूं लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि जिस मुख्य मन्त्री को अविश्वास मिल गया उसको शासन में स्थान दे दिया गया। यह कितना नियमानुकूल और परम्पराओं के अनुसार है? यह किसी नियम और परम्परा के अनुसार नहीं है इसके दो अर्थ हो सकते हैं एक तो इनकी नीतियों को वर्तमान शासन स्वीकार करता है। मेरा कहना है कि पुरानी नीतियों को सरकार ने स्वीकार किया है, नई नीतियाँ नहीं। नई नीतियों के आधार पर यह शासन नहीं चल रहा है।

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आप दैनिक जागरण को उठाएं, स्वतन्त्र भारत, आज या पाइनियर में हेड लाइन में निकला है उत्तर प्रदेश में कोयला, मिट्टी का तेल का भीषण अभाव इस ओर शासन का कोई ध्यान नहीं है वह आपस में स्वयं लड़ते-झगड़ते रहते हैं। माननीय खाद्य मन्त्री जी एक नवयुवक हैं उन्होंने एक प्रेस कॉफरेन्स की। यह मेरे वाक्य नहीं हैं, मलिखान सिंह जी ने बताया कि प्रति माह 22 रैक आने चाहिए थे, इसका आश्वासन दिया गया था 22 रैक में से जनवरी में 8 रैक कोयले के आए फरवरी में केवल तीन रैक आए और मार्च में 17 तारीख तक एक भी रैक नहीं आया। अब श्रीमन्, यह कोयला किस काम आता था, यह बिजली घरों के काम आता था। कोयले के रैक कम आने से बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अभी कानपुर के माननीय सदस्य ने बताया कि पनकी में कोयला केवल एक दिन का रह गया है यही हालत हरदुआगंज और ओबरा की भी है। गलत किस्म का कोयला ब्वायलर में डाला जा रहा है। जिस स्पेसिफिकेशन के ब्वायलर्स हैं, उनमें उसी किस्म का कोयला जाना चाहिए और अगर भिन्न प्रकार का कोयला उन बायलर्स में जाता है तो पावर हाउस का नुकसान होता है।

आज कोयले की कमी के कारण बिजली घर बन्द होने जा रहे हैं। ईंटों के भट्टों के सेक्रेट्री हैं, श्री एच0 एन0 सिंह, उनके मेरे पास तार रखे हैं जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि यू0पी0 के 6000 भट्टे बन्द होने जा रहे हैं, स्लेक कोयला नहीं मिल रहा है। फरवरी में कोई कोयला का रेक नहीं मिला है इन भट्टों को। 5 लाख हरिजन भूमिहीन मजदूर जो ईंटें पाथते थे, वे बेरोजगार हो गये हैं। यह हालत है आज इन ईंट के भट्टों की। इसी प्रकार से सौफ्ट कोक की हालत है 1250 रेलवे वैगनों में से 200 प्राप्त हुए हैं और फिर 1100 में से कुल 351 ही प्राप्त हुए हैं। आज मन्त्रि मण्डल के लोग कहाँ गए? आज कोयले का यह भीषण अकाल क्यों पड़ा हुआ है? बिजली प्रदेश की बन्द होने जा रही है

और अगर बिजली बन्द हो जाती है तो खेती में, उद्योग में और व्यापार में बड़ा नुकसान पड़ेगा। कोयले की कमी के कारण कम से कम हमारे प्रदेश में 90 पैसेंजर ट्रेन्स बन्द कर दी गयी हैं, कई गुड्स ट्रेन्स बन्द कर दी गयी हैं। अखबारों में छपा दिया जाता है कि कोयला मिल रहा है, वैगन्स भी मिल रहे हैं, तो फिर आज इस कोयले की कमी है क्यों? मिट्टी के तेल के बारे में जो खबर 12 मार्च के 'स्वतन्त्र भारत' में छपी है उसको देखिए। इसमें लिखा है कि :—

नगर में ईंधन की कमी से त्राहि-त्राहि

लखनऊ, 11 मार्च—लगभग पिछले 15 दिनों से नगर में मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस तथा कोयले का जैसा अभाव है वैसा शायद पहले कभी नहीं था। ईंधन की इस कमी के कारण चारों ओर त्राहि-त्राहि मची है।

मिट्टी का तेल तथा कोयले का यह हाल है कि पूरे शहर में छान मारिए लेकिन इनके कहीं दर्शन न होंगे। अगर किसी विक्रेता के यहाँ चोरी-छिपे बिक भी रहा है तो वह भी ड्योढ़े और दुगने दामों पर। दूसरी ओर अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) ने दावा किया है कि नगर के फुटकर विक्रेताओं को लगभग 200 किलो लीटर मिट्टी के तेल का कोटा दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त थोक विक्रेताओं को भी अपने पूरे स्टाक का 10 प्रतिशत तेल ग्राहकों तथा कार्ड धारकों को बेंचने का आदेश दिया गया है परन्तु यह सारा तेल कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम।. . . लगभग यही हाल खाना पकाने की गैस का भी है। पिछले लगभग 6 महीनों से गैस की लगभग एक महीने की बुकिंग चल रही है। कभी-कभी तो 40 दिन तक गैस नहीं मिल पा रही है। यही हालत मिट्टी के तेल की कानपुर और प्रदेश की अन्य महानगरियों में है और हजारों गाँवों में है। आवश्यक वस्तुओं के दाम भी मनमाने ढंग से बढ़ रहे हैं।

आज केन्द्रीय बजट में जो टैक्स लगे हैं, उनकी बेसिस पर यहाँ मनमाने ढंग से दाम बढ़ा दिए गए हैं। दुकानों पर दामों की कोई सूची नहीं टंगी है कि टैक्सों के कारण इतने दाम बढ़ाए गए हैं। टैक्सों से बाहर जाकर भी जखीरेबाजों ने और काले बाजारियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। हर शहर में, हर गाँव में, छोटी-छोटी दुकानों में जहाँ-जहाँ भी होल-सेलर्स हैं, उन्होंने रिटेलर्स को और रिटेलर्स ने छोटे-छोटे दुकानदारों को दबा रखा है और कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। ये कीमतें 25 फीसदी से लेकर 40 फीसदी तक चीजों पर बढ़ गयी हैं। सरकार को आज इतनी फुर्सत कहाँ है कि इनकी ओर उसका ध्यान जाय। कितनी जगहों पर सरकार ने जिलाधीशों और व्यापारियों की मीटिंग बुलाई, कहाँ पर सर-प्राइज विजिटस हुए कितने स्थानों पर जिला लेविल पर विधायकों का सहयोग माँगा गया? क्या आपने जिलों के विधायकों और अन्य चुने हुए लोगों से कीमतें घटाने के बारे में मीटिंग करने को कहा? रोम जल रहा था और नीरो बंशी बजा रहा था। आज प्रदेश में हर वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं, छोटे-छोटे लोग त्रस्त हैं। पिछले एक महीने से सरकारी कर्म-चारियों से पूछिए उनका क्या हाल है? सारा वेतन का ढांचा ही हिल गया है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात भी उठाई जा रही है। किन्तु इस सबका कोई जिक्र इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है।

शान्ति व्यवस्था की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। दो वक्तव्य आज ही यहाँ सदन में दिए गए जो दिल दहलाने वाले थे। बस्ती में नर्सों के साथ बलात्कार और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक नवजवान की हत्या आदि घटनाएं कितनी गंभीर है। माननीय मुख्य मन्त्री पर उनके मुख्य मन्त्री निवास पर हमला वाला पहुंच जाय, इससे अधिक और स्थिति खराब क्या हो सकती है? बदायूं के शिव राज सिंह की हत्या हुई, प्यारे लाल की हत्या हुई, राजेन्द्र सिंह यादव की जान खतरे में है, वे हथेली पर जान रखकर यहाँ आ रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी उनको 3 माह से परेशान कर रहे हैं। आज करीब 100–150 विधायक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा का प्रश्न है और जो हथेली पर जान रख कर जनता की आवाज को यहाँ उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ यहाँ अपनी आवाज उठाते हैं और जान को खतरा मोल लिए हैं।

इसके अलावा मान्यवर, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ ? उसकी गूंज लोक सभा में हुई। पुलिस ने किस तरह से आपसी झगड़े को सुलझाने के बजाय हरिजनों के घरों में घुस कर क्या-क्या किया उसकी जुडिशियल जाँच अभी तक नहीं कराई गयी। जुडिशियल इंक्वायरी की माँग जनता पार्टी की तरफ से ही की गयी थी। राम सनेही घाट पर गोली काण्ड हुआ। गोसाईंगंज में गोली काण्ड हुआ। मैं तो वहाँ नहीं गया था। पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी मारा गया, माइनारिटी का विद्यार्थी घायल हुआ। लेकिन उसे आरक्षण का नाम दे दिया गया और पुलिस ने गोली चलाई। इस सबकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराई गयी। किस प्रकार इलाहाबाद में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पास पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिस में एक आदमी मारा गया, वह भी सभी को पता है। जागरण अखबार में छपा है कि एक आदमी मारा गया। मुरादाबाद और बरेली में साम्प्रदायिक दंगे हुए। साम्प्रदायिक घटनाएं हुयीं। तो इस प्रकार आज आप देखते हैं श्रीमन, कि सारे प्रदेश में एक अजीब वातावरण बना हुआ है। एक दिन का अखबार उठाकर देख श्रीमन्, 12 मार्च का स्वतन्त्र भारत, किसी अखबार को उठा कर देख लीजिए, मेरे पास 6-7 अखबार रखे हुए हैं। गोण्डा के कालेज के छात्रावास में हत्या। श्री मुजीबुल हसन सुल्तान को गत रात लोगों ने हत्या कर दिया। व्यापारी को लखनऊ शहर में गोली मार कर भागे। हसनगंज (डालीगंज) क्षेत्र में कल रात एक पुराने व्यापारी को दो बदमाशों ने घेर कर, गोली मार कर घायल कर दिया। एक दिन में तीन वारदातें। कर्नलगंज में बढ़ते हुए अपराधों के लिए सुरक्षा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

क्या नेता विरोधी दल उन अखबारों को लाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपने भाषण में? ये पंडित जी, तिवारी जी दुनिया के अखबार इकट्ठा करके ले आये हैं और आप रोकते नहीं हैं, इनको आप रोको।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरठ के हमारे माननीय सदस्य सेठी जी और मन्जूर साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पर प्रति दिन डकैतियाँ और कत्ल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति प्रदेश के सभी भागों में हैं। तो इस प्रकार अशान्ति फैली हुई है। सभी जगह अव्यवस्था का बोल बाला है। राजनैतिक बदले की भावना से झगड़े हो रहे हैं। ज्वालापुर, हरिद्वार में 50 साल से तिरंगा झण्डा फहराया जा रहा है। वहाँ पर तिरंगा झण्डा फहराने में जिस तरह से उनको मारा गया, वह किसी से छिपा नहीं है। सहारनपुर के अस्पताल में पड़े रहे। आज उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा चलाया जा रहा है। 19 जेलों में लाठी चार्ज हुए और किसी में भी शासन की तरफ से सही वक्तव्य नहीं दिया गया। जो कैदियों की तरफ से पिटवाने का काम हुआ, चाहे वह बरेली जल हो, चाहे नैनी जेल हो, चाहे वाराणसी जेल हो, उनमें अपनी कहानी है। अभी मुख्य मन्त्री जी ने एक घोषणा की कि जो राजनैतिक प्रक र के मुकदमें होंगे उनको वापस लिया जायगा। एक अच्छी उन्होंने घोषणा की। सत्याग्रहियों पर क्राइम के नाम पर, हिंसा के नाम पर चार्ज लगाया गया है, जबकि सत्याग्रही वहाँ पर अहिंसक के रूप में गये थे। लेकिन यहाँ पर जो वक्तव्य दिया गया, वह अधूरा है। आज हजारों, लाखों लोग जो काँग्रेस जन हैं, बाँदा की पूरी फाइल मेरे पास रखी हुई है, किस तरह से तीन हरिजन औसतन रोजाना मारे जाते हैं। अकेले एक जिले में, मुजफ्फरनगर में, चूंकि लोक सभा के लोग थे, गृह मन्त्री वहाँ चले गए और लोग गए, वहाँ की तो पूरी जानकारी लोगों को हो गयी। लेकिन

प्रदेश के अन्दर रोजाना जो घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बुन्देलखण्ड में जहाँ ये घटनाएं हुयीं वहाँ डी0आई0जी0 और एस0पी0 के झगड़े के नाम पर डी0 आई0जी0 का ट्रान्सफर किया गया, 5 दिन ट्रान्सफर पर रहे, उसके बाद फिर वहाँ पर भेज दिए गए।

ट्रान्सफरों का राज है। मनमाने ढंग से ट्रान्सफर हो रहे हैं पिछले 3–4 महीनों के अन्दर। श्रीमन्, 'उत्तर उजाला' एक अखबार है जिसमें दिया हुआ है "जिलाधिकारी के तबादले पर तमाशा"। डी0एम0, चमोली का ट्रान्सफर हुआ। श्रीमन्, श्री अग्रवाल देश के ख्याति प्राप्त जनसेवक, सर्वोदयी और भूतपूर्व राज्यपाल स्व0 श्री मन्नारायण अग्रवाल के सुपुत्र हैं। जनता पार्टी के बड़े जाने-माने कार्यकर्ता हैं। श्री जय प्रकाश जी के बड़े समर्थक हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)––

निवेदन यह था कि नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो मान्यवर, नेता सदन को सदन में होना चाहिए लेकिन यह कैसी परम्परा डाली जा रही है कि नेता विरोधी दल बोलें न तो मुख्य मन्त्री हैं और न उप मुख्य मन्त्री नम्बर 1 ह, न उप मुख्य मन्त्री नम्बर 2 हैं, न नम्बर 3 हैं और न नम्बर 4 ही हैं। 5वें और 6ठे नम्बर के बैठे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

वे क्यों रहेंगे? श्रीमन्, मैंने पहले बताया है कि सारे मन्त्रि-मण्डल की ओर से केवल वन मन्त्री जी हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

रहना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

श्री अग्रवाल जो अपनी ही कार में सामान लाद कर लाए थे उन्हें बड़ा दुख हुआ। श्री अग्रवाल मन्नारायण अग्रवाल के सुपुत्र हैं। मान्यवर, वहाँ उनका चार्ज टेक-ओवर हो रहा था इधर डी0एम0 पहुंच गये और श्री अग्रवाल को लखनऊ बुलवाया। तो श्रीमन्, सारे प्रदेश में इसी प्रकार के ट्रान्सफर हो रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है और उससे आज शासन ढीला पड़ रहा है। शासन में स्थिरता नहीं है और अधिकारियों में विश्वास नहीं रह गया है कि अगर किसी के विरुद्ध कोई सख्त कदम उठायेंगे तो राजनीतिक तत्व उन्हें दबायेंगे और वह अपने स्थान पर कायम रहेंगे या नहीं।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि जो अधिकारी कानून को बनाए रखने के लिए ठीक काम करेंगे उनको प्रोत्साहन देंगे। श्रीमन्, ऐसी नीतियाँ घोषित की गयी हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं हैं। अभी मैंने अखबारों में यूनिवर्सिटियों में इम्तहान कराने के लिए एक कमेटी बन रही है, पढ़ा है। शिक्षा मन्त्री जी नहीं हैं। वे एक अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्हें एक अच्छा विभाग मिला है उच्च शिक्षा का। उनको भी परेशानियों में डाला गया है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि यूनियन रहेंगी या नहीं। अभी पिछले साल राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत तारीफ के साथ सरकार ने कहा था कि यूनियन बनवा दी। इस साल पुनः विचार हो रहा है। दो वाइस चाँसलरों का क्या हाल है? एक साल से वे अपनी यूनिवर्सिटियों में नहीं जा रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर एक-डेढ़ साल से अपने दफ्तर नहीं गये हैं। लखनऊ के भी अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। गोरखपुर की यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। शिक्षा संस्थाओं की क्या हालत कर दी है आपने? एक लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इन विद्यार्थियों ने इण्टर पास किया है, बी0ए0 में पढ़ाई नहीं हुई। प्रोफेसर भी क्लासेज नहीं ले रहे हैं। इम्तहान जनवरी और फरवरी माह में हो रहे हैं और अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में 'ला' के इम्तहान नहीं हुए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी सन् 76 में 'ला फाइनल' में थे सन् 79 में भी हैं। उनके 3 साल बेकार हो गये हैं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

3 साल उनकी जिन्दगी बेकार हुई। तो बिना पढ़ाई-लिखाई के यूनिवर्सिटियाँ चलेंगी तो क्या हाल होगा ?

श्रीमन्, पन्तनगर यूनिवर्सिटी को ले लीजिए। एशिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, रिसर्च के सबन्ध में, लेकिन पन्त नगर यूनिवर्सिटी बन्द पड़ी है। एशिया की सबसे अच्छी यूनीवर्सिटी बन्द पड़ी है, झगड़े में फंसी है। जब पढ़ाई लिखाई होगी नहीं, तो नकल नहीं होगी तो और क्या होगा। कहा जाता है कि नकल हो रही है। मेरठ में जो हुआ वह पता होगा ? वहाँ 11 कालेजों के सम्बन्ध में यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने भेजा कि हम मान्यता नहीं देंगे क्योंकि नकल हो रही है। अब गवर्नमेंट का आर्डर जाता है कि दोबारा इम्तहान होंगे। अदृश्य मुख्य मन्त्री जी आप कृपया इसको देखें कि जब पढ़ाई नहीं होगी तो इम्तहान दोबारा किस चीज का लेंगे ? यह पूछना चाहिए कि पढ़ाई कितनी हुई है। विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि दोबारा इम्तहान होंगे, लेकिन जब पढ़ाई नहीं हुई है तो इम्तहान कैसे होगा ? मैं यह कह रहा था कि आज लाखों विद्यार्थियों का कैरियर समाप्त हो गया है। आज नकल करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हमारे नौजवान नकल नहीं करना चाहते हैं। आज यह उच्च शिक्षा का हाल है। उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा में जो हो रहा है वह प्रदेश के लिए अत्यन्त अहितकर है। प्रदेश के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्रीमन्, इसी तरीके से देखें, पिछले साल ऐलान किया गया कि भूमि सेना बनाई जायगी। बड़ी-बड़ी हेडलाइनों में अखबारों में निकला कि भूमि सेना बनाई जा गी। साल व्यतीत हो रहा है। एक गवर्नमेंट चली गई है दूसरी आ रही है लेकिन वह भूमि सेना कहाँ गयी ? पता नहीं है ? मन्त्रियों की सेना है।

एक सदस्य—

वह भूमिगत हो गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो बहुत बड़ा ऐलान भूमि सेना का किया गया था लेकिन उसका पता नहीं है। इसी तरह से श्रीमन्, उद्योग धंधों की बातें की जा रही हैं। बार-बार लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग की बात की जा रही है। मैं जरा जानना चाहता हूं कि एक भी आँकड़ा ग्रामीण उद्योग का पेश करें कि 2 सालों में फलां-फलां जिले में यह उद्योग खोले गए। कोई सूची इस सन्बन्ध में नहीं है। कितने बढ़े हैं, बतायें ? मैं बताता हूं कि हमने 33 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स देहरादून से लेकर गाजीपुर तक और लोनी से लेकर झांसी तक बनायीं। लोनी में एक्सपोर्ट के लिए, हाथ से बनाए कपड़े के सन्बन्ध में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई। मुरादाबाद में जो बरतन हैं उसके लिए बनाई। बस्ती में प्लास्टिक के लिए और सुल्तानपुर में जगदीशपुर इंडस्ट्रियल बनाई। सब जगहों पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की बातें थीं। लेकिन आज कोई इंडस्ट्रियल स्टेट्स की शिकायतों को देखने वाला नहीं है।

आज कच्चा माल उद्योगों को नहीं मिल रहा है, बैंकों में गारन्टी नहीं मिल रही है जबकि लघु उद्योगों के बारे में पढ़ने से मालूम होता है कि न मालूम क्या चमत्कार होने जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल स्टेट के बारे में, जो यू0 पी0 में 33 लग रहे थे, उनके बारे में व्हाइट पेपर यहां रखा जाय ? आगरा में जूतों वालों के लिये क्या किया ? वहां हालत यह है कि उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

लाखों शराब भट्टियां खुल रही हैं उसको क्या आप लघु उद्योग नहीं मानते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया ग ा)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आप मुरादाबाद को लें मैं वहां गया था। डेढ़ साल से वहां इंडस्ट्रियल स्टेट का रुपया जमा है लेकिन केवल लैन्ड यूज के लिये कृषि योग्य भूमि में इंडस्ट्रियल स्टेट बना सकते हैं कि नहीं इस सम्बन्ध में फाइल घूम रही है। 40 करोड़ रुपए का बरतनों का एक्सपोर्ट है जो कि 200करोड़ रुपये का हो सकता है। लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। बरतन उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से वहां सही धातु मुरादाबाद वालों को मिले इसके लिए 2 करोड़ रुपए से एक फैक्ट्री बनाने के लिये मन्जूर था लेकिन उसमें आज कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए धातु नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा ? आज मुरादाबाद का बरतन उद्योग तड़प रहा है। इसी प्रकार सम्भल का सींग वर्क उद्योग का हो रहा है और उसमें यदि कोई योजना है तो उसको बताया जाय ? मान्यवर, अलीगढ़ में ताला उद्योग में 20 प्रतिशत की एक्साइज ड्यूटी लग गयी है जिससे वहां का ताला उद्योग बन्द होने जा रहा है। परिणाम स्वरूप 50 हजार मजदूरों के सामने बेरोजगारी का खतरा पैदा हो गया है।

इसी प्रकार मान्यवर, स्टेपिल यार्न की कीमत 20 प्रतिशत बढ़ गई है जिससे बुनकरों के सामने एक समस्या खड़ी हो गयी है। लघु उद्योग के नाम पर भारी उद्योगों का काम, रोक दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बुनकरों को सूत की कमी है और इसके लिए जो योजना में लिखा है कि सूती मिलों को बढ़ाया जायगा और 20 हजार स्पैन्डिल की जगह 50 हजार स्पैन्डिल बनाये जायेंगे तो वह काम भी नहीं हो रहा है। कीमतें अलग से बढ़ रही हैं और सूत बुनकरों को मिलेगा नहीं जिससे कपड़ा नहीं बनेगा लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार क्या होगा ? कपड़ा मिलों में बनेगा नहीं, सूत मिलेगा नहीं, हैन्डलूम खाली पड़े रहेंगे और सरकार बनी रहेगी। नीरो बंसी बजायेगा और रोम जलता रहेगा। इसी तरह से कौन से बढ़ उद्योग लगाए ? प्रतापगढ़ का ट्रैक्टर का कारखाना है। रोज सुनते हैं कि ट्रैक्टर का कारखाना मंजूर हो गया। लेकिन क्या हो गया ? अब वह रुका पड़ा है।

रायबरेली वालों ने क्या पाप किया है। ले इन्दिरा गांधी वहां से प्रतिनिधि थीं अब मा0 राज नरायण प्रतिनिधि हैं। तो क्या हो रहा है ? जो 40 करोड़ का दूसरा चरण था इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्री का, उसको रोक दिया गया। जमीन एक्वायर की हुई रखी है। सबसे कहा जाता है कि यह नहीं होगा। लेकिन आज सारी जमीन ली गयी है। सब कुछ हो गया है और 40 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा दूसरी टेलीफोन इंडस्ट्री लगाने में, लेकिन रोक दिया गया। क्या पाप किया रायबरेली की जनता ने ?

इसी तरह से चीनी मिलों को ले लें। सुल्तानपुर चीनी मिल ठप, गजरौला चीनी मिल ठप, ननौता चीनी मिल ठप, मुरादाबाद ठप, सम्पूर्णनगर ठप, हंसानबावगंज ठब, इतना बड़ा संकट हो रहा है। अब नये प्रोजेक्ट रोकने में देखिए। देवरिया जिले के माननीय सदस्य बैठे होंगे। छितौनी का पुल कितना महत्वपूर्ण था। डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हो गया। उसके बाद वहां से सारा सामान उठा लिया गया। जब कि बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारें दोनों उसके लिये तैयार हैं। कानपुर का देखिए—वैराज का काम ठप पड़ा है। इतनी बड़ी आबादी है वहां। कहीं पर विकास की दृष्टि नहीं। कहीं पर पकड़ नहीं। डेवलपमेंट कैसे प्रदेश का होगा, इसका अन्दाज सरकार को नहीं।

इसी तरह से, श्रीमन्, गन्ने के बारे में अभिभाषण में कहा। इस प्रस्ताव में गन्ने के बारे में कहा। लेकिन क्या हाल है गन्ने का ? आज किसानों का पर्ची में साढ़े तेरह रुपया नहीं लिखा जा रहा है। आज किसानों की पर्ची में वही रेट लिखा जा रहा है, जो केन्द्रीय सरकार ने घोषित किया है। 30 करोड़ किसानों का बकाया है। इसी तरह से बुरी हालत है खान्डसारी वालों की। ढाई रुपए से पांच रुपए क्विंटल खान्डसारी गन्ना बिक रहा है। जो नई गन्ने की नीति है, वह उत्पादन प्रधान नहीं, क्षेत्रफल प्रधान है। नतीजा यह है कि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

खाण्डसारी फैक्ट्री बन्द हैं गन्ना नहीं पहुंचता। उत्पादन गन्ने का बढ़ा लेकिन जो नीति थी, उसे बदल दिया गया। नतीजा यह है कि एक तरफ गन्ना खड़ा है, दूसरी तरफ फैक्ट्री गन्ने के अभाव में खड़ी है। जो खाण्डसारी के क्रेशर हैं बिजनौर, शाहजहांपुर और मध्य जिलों में, कितने क्रेशर बन्द हैं? क्या दाम दे रहे हैं? कितना दाम मुकर्रर है और कितना दे रहे हैं? कोई सब्सिडी खाण्डसारी और गुड़ के लिए है? और किसानों की बात करते हैं। लेकिन जो हालत खाण्डसारी और गुड़ वाले छोटे किसानों की है, वह कभी भी इतिहास में नहीं थी। खाण्डसारी खरीदने का कोई इन्तजाम नहीं।

आलू का क्या हाल है? आलू खरीदने वाले मौजूद नहीं। वैगन नहीं मिल रहे। आलू खेतों में सड़ रहा है। पांच रुपए मन आलू बिक रहा है। महीनों में कोई व्यवस्था नहीं। न वैगन का प्रबन्ध, न मार्केटिंग का प्रबन्ध, फर्रुखाबाद में साढ़े चार करोड़ की डिहाईड्रेशन फैक्ट्री लगी थी। उसकी भी योजना रोक दी गयी। यह तो योजना रोको सरकार है। कहीं पर अभिभाषण में नाम नहीं है पूर्वी क्षेत्र का। पांच क्षेत्र हैं—पूर्वी, मध्य, बुन्देलखण्ड, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र कोई विकास का ढांचा नहीं है। बुन्देलखन्ड के विकास के लिए मध्य प्रदेश से बात करनी थी। पिछले वर्षों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई। आज राजघाट योजना का क्या हाल है? पंचनद योजना का क्या हो रहा है। हमने डिवीजनल डेवलपमेंट कारपोरेशन्स बनाया था कि कुछ काम हो। लेकिन आज क्या हो रहा है। प्रदेश की योजना पिछले साल से कम हो रही है। वित्त मन्त्री कहते हैं कि सप्तम वित्त कमीशन से हमें इस वर्ष ढाई गुना ज्यादा मदद मिलेगी, उसके बावजूद भी योजना कम हो रही है। अभी जो आंकडे रखे गए थे पहले प्रदेश की योजना 786 करोड़ रु0 की थी जो घटकर 720 करोड़ होने जा रही है। इस प्रकार 66 करोड़ रुपए कम हो गये सालाना आमदनी में। कहां तो योजना बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस साल उसमें 66 करोड़ रुपए की कमी होगी। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? फाइनेन्स कमीशन से इस साल ढाई गुना ज्यादा आमदनी होगी, ग्रान्ट बढ़ जाय और अभिभाषण में कहा जाय कि हमने सफलता प्राप्त कर ली है और योजना कम हो जाय तो कहां गया वह रुपया जो फाइनेन्स कमीशन से ढाई गुना ज्यादा लिया गया है। कहां गया वह रुपया जो केन्द्रीय सहायक योजनाओं के लिए प्राप्त हुआ था, इसका कहीं उल्लेख नहीं है।

आज उर्दू का भी जिक्र किया गया। मुख्य मन्त्री जी ने कहा है छठे और सातवें दर्जे में उर्दू पढ़ने का इन्तजाम किया जायगा। क्या उर्दू सभी स्कूलों यहां तक डिग्री कालेजों तक में नहीं पढ़ाई जाती है? अब छठे सातवें दर्जे से उर्दू पढ़ाई जायगी। प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जायगी। इससे तो लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं? उर्दू के बारे में आज हालत यह है कि. . .

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

यह सब आप इसलिए कह रहे हैं जिससे कि पेपर में छप जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान सिंह जी जब आप मन्त्री हो जायेंगे तो आपकी बातें मान लूंगा। आज प्रौढ़ शिक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन उसमें उर्दू पढ़ाने का कोई इन्तजाम नहीं है। मैं अभी बरेली गया था उर्दू कांफ्रेंस में। वहां पर बताया गया अन्जुमन तरक्किये उर्दू की तरफ से कि करोड़ों रुपया एडल्ट एजूकेशन पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन उर्दू का कोई इन्तजाम पढ़ाने का नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस—

अलग से किसी भी भाषा का इन्तजाम नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपको जानकारी नहीं है। शासन के किसी मन्त्री को बुला लें तो बात साफ हो जायगी। आप एडल्ट एजूकेशन में उर्दू को कोई स्थान नहीं देंगे और छठे सातवें दर्जे में उर्दू पढ़ायेंगे। प्राइमरी में नहीं पढ़ायेंगे और ऊपर नहीं पढ़ायेंगे। आज इस तरह के बयान आ रहे हैं। इस अभिभाषण में कहा गया है कि हम एक मेडिकल यूनीवर्सिटी स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सभी पढ़ाने की व्यवस्था होगी। यह सब कैसे होगा, समझ में नहीं आता।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जैसे जनता पार्टी है वैसे ही यूनीवर्सिटी भी होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह बात हम मान सकते हैं। श्रीमन, लखनऊ में मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने का प्राविधान था और 50 लाख रुपए भी जमा हुए जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ। हम चाहते थे कि चण्डीगढ़ और दिल्ली की तरह यह इंस्टीट्यूट होता जिसमें एक्सपर्ट चिकित्सक कार्य करते, इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अब मेडिकल यूनीवर्सिटी बनेगी। मेडिकल इंस्टीट्यूट, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा, इसका कहीं जिक्र नहीं है, यूनिवर्सिटी का उल्लेख आ गया है कि हम बनायेंगे। मांग थी कि एलोपैथिक की यूनीवर्सिटी अलग हो, यूनानी की अलग हो, होम्योपैथी की अलग हो, लेकिन सबको मिलाकर यूनीवर्सिटी बनाना चाहते हैं। किसने रिपोर्ट दी है, कहां से यह प्रस्ताव आया? इस प्रकार के प्रस्तावों को आज सदन के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी तरह आज जो प्रदेश में दूसरे विभागों की स्थिति है, दूसरे विभाग भी आप देखें। चाहे न्यायिक व्यवस्था को लें, चाहे जेल व्यवस्था लें और चाहे सिंचाई व्यवस्था लें।

श्रीमन्, सिंचाई की जो बड़ी-बड़ी योजनायें थीं, आज उन पर काम रुका हुआ है। बहराइच जिला, बस्ती जिला, गोरखपुर जिला और गोण्डा जिला, उनके उत्तरी भाग के लिए शारदा सहायक योजना बन रही थी, गिरजापुरी 80 करोड़ रुपए की लागत से नहर निकाली जा रही थी, उसका काम आज रुका हुआ है। गण्डक परियोजना रुकी पड़ी है, 7000 ट्यूबवेलों की योजना रुकी पड़ी है। मिर्जापुर में जो कनहर योजना थी वह रुकी हुई है। मिर्जापुर का दोष यह है कि वह जो भूतपूर्व मन्त्री थे लोकमणि त्रिपाठी, उनका जिला है, इसलिए वहां की योजना रुकी पड़ी है। कन्हर बांध की कितनी खूबी थी कि उसका पानी रिहन्द में आ रहा था। रिहन्द में 4 साल में एकबार पानी भरता है। हमने योजना बनाई थी कि कन्हर का पानी रिहन्द में आ जाय तो का पानी हमेशा 80 फुट रहेगा, लेकिन उस योजना को रोक दिया गया। उसमें किसका नुकसान हुआ? पूरे प्रदेश का नुकसान हुआ। अगर रिहन्द में पानी भरा जाता तो उससे 300 मेगावाट बिजली बनती। इसी तरह मानीटरिंग के काम का कोई पता नहीं है। आज रामगंगा परियोजना में क्या हो रहा है, मनेरी भाली योजना के द्वितीय चरण का क्या हो रहा है? आज पर्वतीय योजना का हाल यह है कि वह 60 करोड़ से घटाकर नीचे लाई जा रही है। प्रदेश के हर भाग में पिछड़ापन बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में यह असाधारण मन्त्रि-मण्डल आया है जो गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय ही गायब है। मैं माननीय सदन से क्षमा चाहता हूं कि मुझे बड़ा समय लेना पड़ेगा लेकिन मैंने संक्षेप में मूल-मूल बातें कही हैं, अगर मैं पूरी कहानी कहने लगूं तो बहुत समय लगेगा हालांकि इस सदन में चार-चार घंटे तक नेता विरोधी दल धन्यवाद प्रस्ताव के समय बोल चुके हैं लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि सदन के दूसरे सम्मानित सदस्यों का मैं समय लूं इसलिए मैंने अति संक्षेप में मूल मूल बातें सदन के विचारार्थ रखी हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी]—

श्रीमन्, यह दल का प्रश्न नहीं है या कोई कांग्रेस (आई) या जनता पार्टी के किसी घटक का प्रश्न नहीं है। यह दूसरे प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। क्या हम आप इस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं? क्या हम इस प्रदेश के विकास को रोकने का माध्यम होने जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल मुख्य मन्त्री या मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों को ही नहीं देना है बल्कि सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को देना है और यदि इसका उत्तर हम सबके मध्य 'हाँ' के रूप में है तो मेरा संशोधन प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए ताकि कोई भी भविष्य की सरकार अच्छी तरह शासन न चला सके तो इस्तीफा दे। आज की स्थिति में बनारसी दास जी का शासन नहीं चल सकता। यह कहते हैं कि मैं किसी दबाव में नहीं हूं लेकिन सबके दबाव में हैं। इसलिए यह संशोधन आज जनता की आवाज है, उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोगों की आवाज है, प्रत्येक माननीय सदस्य के दिल की आवाज है, इसे स्वीकार होना चाहिए और इसका मुझे विश्वास है। दूसरे माननीय सदस्यों ने जो संशोधन दिए हैं उनका भी मैं आदर करता हूं और उस सभी की भावना का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे आशा है कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन हैं उस पर विचार कर सदन के माननीय सदस्य उसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

शेष जितने संशोधन के प्रस्ताव हैं सब प्रस्तुत किए हुए मान लिए गए।

(शेष संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 425–448 पर)

श्री रियासत हुसैन—

जो जनता पार्टी के पक्ष के हैं वे उन लोगों की तरफ से आने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

सब प्रस्तुत किए हुए माने गये हैं। यही परिपाटी रही है। अब मैं समय निर्धारित करता हूं। 25 मिनट का समय जितने नेतागण विरोधी दल के हैं उनको दूंगा और जो माननीय मन्त्री बोलना चाहेंगे उनके लिए दूंगा और दस-दस मिनट का समय माननीय सदस्यों के लिए निश्चित किया जाता है। बहस आज पौने पाँच बजे तक चलेगी और उसके बाद वक्तव्य लूंगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मान्यवर, मुझे भी मूव करने का मौका देंगे?

श्री रियासत हुसैन—

उपाध्यक्ष जी, क्या हम डाक्टर राकेश चतुर्वेदी और अन्य को विरोधी पक्ष में समझें?

श्री उपाध्यक्ष—

आप और उनकी समझने की बात है।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, शम्भूनाथ जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी मैं गौर से नेता विरोधी दल के भाषण को सुन रहा था। उनके मन में तरह-तरह की आशंकायें हैं, निर्मूल भ्रांतियाँ हैं, जिनके आधार पर उन्होंने सदन का ध्यान खींचा है। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार एक जन क्रान्ति के बाद, एक बहुत भारी परिवर्तन के बाद, एक युगान्तर घटना के रूप में आई है और दिल्ली से लेकर के सूबे तक की सरकारों को हम स्थिर सरकार देने की स्थिति में हैं। मैं उनकी इस भ्रांति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में कि जनता सरकार स्थिर शासन में सक्षम नहीं है, कहना चाहता हूं दावे के साथ हमारी उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में स्थिर शासन देने में सक्षम है और उसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि तरह-तरह की परेशानियों और बाधाओं के बाद भी हमारा शासन और अधिक बलशाली और मजबूत होता चला जा रहा है।

मान्यवर, मैं इस सन्दर्भ में सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में बाढ़ की कैसी विभिषिका थी, सारे रिकार्ड टूट गये, कभी भी इतनी भीषण बाढ़ नहीं आई थी मगर हमारे कुशल प्रशासन ने, जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अन्दर बाढ़ की विभिषिका का जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जिस तरह से राहत कार्य किए गए, श्री राम नरेश यादव जी के नेतृत्व में जो कार्य सम्पादित किये गए, वास्तव में सरकार उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि बाढ़ की जो समस्या है इसके बारे में सरकार को एक कार्यक्रम बनाना चाहिए, एक स्पष्ट नीति इसके लिए होनी चाहिए जिसके तहत हमारे जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, जहाँ पर बाढ़ की शंका हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा सके। बाढ़ की समस्या से सारे देश व प्रदेश को राहत दिलाने के लिए जो योजनायें हैं उनको पूरी तरह से लागू करना चाहिए। तिवारी जी ने कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें उठाई हैं। मैं कहूंगा कि इसमें काफी सुधार हुआ है। इमरजेंसी के दौरान कानून और व्यवस्था में जो शिकंजा कायम हो गया था और फिर जो अब आजादी का वातावरण कायम हुआ उसमें दिनों दिन सुधार होता जा रहा है। डाकू दल का सफाया जिस तरह से ज ता सरकार के समय में हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होती जा रही है। कुछ मौलिक सिद्धान्तों की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करूंगा।

आज हमारे नौजवानों के सामने बेकारी का अहम सवाल है। प्रदेश के हजारों पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास डिग्रियाँ हैं, आज बेकार हैं। उनके पास रोटी का कोई इन्तजाम नहीं है। सरकार से मेरा कहना है कि वह बेकारी की समस्या के लिए एक निश्चित कार्यक्रम की व्यवस्था करे ताकि देश तथा प्रदेश के बेकार नौजवानों को काम मिल सके। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह संकल्प किया था कि वह बेकारों को काम देगी अथवा बेकारी का भत्ता देगी। मैं आज इस बात की माँग करता हूं कि बेकारी की समस्या के लिए एक कारगर तरीका अख्तियार करना चाहिए और अगर बेकारी की समस्या हल नहीं होती है तो बेकारी के भत्ते के लिए व्यवस्था करने की बात सोचनी चाहिए।

तिवारी जी ने शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत सी आशंकाएं व्यक्त कीं। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। बंगाल की हुकूमत ने हाई स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त देने की व्यवस्था की है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह सरकार प्रदेश में 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था करे। प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की हालत जर्जर हो गयी है। बच्चों के सिर पर साया नहीं है, पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। बैठने के लिए टाट पट्टी तक नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा पर जो करोड़ों रुपया व्यय करने की बात उठाई गयी है उसके साथ प्राइमरी शिक्षा के भवनों के निर्माण की व्यवस्था की जाय, टाट पट्टी की व्यवस्था की जाय।

एक बात मद्य निषेध के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। अयोध्या एक धार्मिक स्थान है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान है जिनका स्थान दुनिया के पैमाने पर आँका जाता है। प्रदेश की सरकार ने कई जिले मद्य निषेध के अन्तर्गत अब तक ले लिए हैं। उनके साथ अयोध्या को भी मद्य निषेध में लाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब श्री जगदम्बा प्रसाद जी बोलेंगे...

श्री मान सिंह आजाद--

मुझे आप अवसर नहीं दे रहे हैं। कहें तो थर जा कर बैठ जाऊं ?

[* * * * *]

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण का स्वागत करता हूं। यह बात सही है जब से जनता सरकार आई है तब से बहुत काम हुआ है। हर क्षेत्र में लेकिन उसका प्रचार कम हुआ है। चाहे विधायक हो, कार्यकर्ता हो अथवा सरकारी कर्मचारी जो कार्य सही हुए हैं। उनकी चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। हम आपस में द्वन्द में पड़े हैं और उसमें उलझे हुए हैं। काँग्रेस के समय में जो सरकार रही हैं उनमें काम कम होता था और प्रचार ज्यादा होता था। पिछले कांग्रेस की एक सरकार ने 4 करोड़ रुपया एक बार केवल प्रचार पर खर्च किया था जिससे यह मालूम होता था कि कितना बड़ा काम हो रहा है लेकिन आँकड़ों से साबित हो गया कि वह केवल प्रचार मात्र ही था। एक साल के अन्दर जनता पार्टी ने जो कार्य किया है उस बारे में हर विभाग के आँकड़े देने के लिए तो काफी समय चाहिए, उतना समय नहीं है लेकिन है सिर्फ रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जो 1977-78 में दी गई थी उसकी 3 लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि जुलाई, 77 से जून, 78 तक विकास कर की दर 6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है जबकि इसके पूर्व विकास दर 1.6 प्रतिशत दर से बढ़ी थी। इसका कारण यह है कि जो आज उत्पादन हो रहा है वह रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। पिछले सालों में हमने देखा था कि हमें अमेरिका और कनाडा के सामने गेहूं और गल्ले के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे।

आज एक दाना भी बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है। पिछली बार वह गेहूं जो रूस और अमेरिका के बाजारों में सस्ते भावों पर मिलता था, महंगे भावों पर हिन्दुस्तान में आया। अब कोई गल्ला बाहर से नहीं मंगाया जाता है। इतना ज्यादा स्टाक हो गया है, इतनी योजनायें चल रही हैं इतनी सड़कें आदि बन गयी हैं कि वह अपने लिए एक नमूना है। हमें गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं है। हर विकास क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं। कोई एम0एल0ए0 ऐसा नहीं है जिसके क्षेत्र में 10–12 सड़कें न बनी हों या न बन रही हों। इसी तरह से अन्त्योदय का प्रोग्राम है। गांवों के गरीब लोगों के लिए ऋण की व्यवस्था की गयी है। 5 हजार तक उनको दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि काम बहुत हुआ है लेकिन प्रचार कम हुआ है। हम अपने आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं।

तिवारी जी ने आर0एस0एस0 के बारे में कहा है। एक विदूषक ने होली के अवसर पर "बुरा न मानो होली है" कहा है और लिखा है "मैं गर्दभराज की शपथ खाकर मूर्खों की इस भीड़ में शपथ लेता हूं कि जीवन के अन्तिम क्षणों तक राजनीति में उठक-पठक करता रहूंगा। मैं जिस दल या 'सदन' में रहूंगा उसमें तरहन्तरह के विवाद पैदा करता रहूंगा। औरों की तो क्या अपनी पार्टी के टुकड़े-टुकड़े किये बिना चैन से नहीं बैठूंगा।" तो मान्यवर, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प किया है कि हम ऐसा करेंगे, उनसे हमें सावधान रहना है। आर0एस0एस0 के बारे में जो धारणा है वह निहायत गलत है और वोट लेने के लिए ये बातें कही जाती हैं। 1925 से आर0एस0एस0 चल रही है। काँग्रेस सरकारें भी रही हैं कभी ऐसा नहीं कहा गया। आर0एस0एस0 की कभी ऐसी भावना नहीं रही। देश के प्रति प्रेम, सच्चरित्रता, अपने उत्तरदायित्व को समझना और समय आने पर स्वयं को बलिदान कर देना यही आर0एस0एस0 हमें सिखाता है। लेकिन इसे आज एक ऐसा मुद्दा बना लिया है और हमारी सरकार के कुछ लोग विपक्ष से मिल गए हैं जोकि उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं।

नोट—[* * * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इसी में उन्हें मजा आता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सही आदमी को सही ही समझा जाय। 14 नवम्बर को जय प्रकाश नारायण ने ऐलान किया था कि हमें सत्याग्रह करना है। तो उसमें सबसे पहले आर0एस0एस0 के लोग ही आये थे। बस्ती जिले में 14 नवम्बर को ऐलान हुआ था और मैं आर0एस0एस0 का सिपाही होने के नाते अपने जिले का पहला आदमी था जिसने हजारों रुपए की प्रैक्टिस पर लात मार कर उस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो आर0एस0एस0 ही एक ऐसी संस्था है जो हमें यह सिखाती है।

आज तक अगर किसी आर0 एस0 एस0 की किसी पुस्तक में, किसी लिट्रेचर में एक शब्द भी कोई दिखला दे कि यह साम्प्रदायिक भावना फैलाता है तो हम लोग एक राय होकर आर0 एस0 एस0 से नाता तोड़ लेंगे। लेकिन इमरजेंसी के दिनों में श्री नारायण दत्त तिवारी ने बड़ी कोशिश की कि एक लफ्ज भी कहीं मिल जाय तो काम बन जाय लेकिन नहीं मिला। आज फिर कुछ लोग इस चीज को फैला रहे हैं लेकिन हर आदमी समझ गया है कि आर0 एस0 एस0 क्या है और उसका दिमाग क्या है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस विवाद को खत्म करना चाहिये यदि यह कुछ करना चाहती है तो, नहीं तो विवादों में फंसी रहेगी तो प्रगति नहीं हो पायेगी।

हमारे बस्ती क्षेत्र में एक बलात्कार कांड हो गया। उसमें जो लोग दोषी थे उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। यह पुलिस का बयान है। यह सही है कि वहां पर अवांछनीय तत्व जाते थे और ऐश करने के लिए जाते थे। यह बात सी0 ओ0 को और एस0 एस0 पी0 को मालूम थी। तो उन्होंने इसे क्यों एलाऊ किया? इसी का नतीजा है कि आज कहा जा रहा है कि पुलिस का उसमें हाथ था। ऐसा कहां होता है कि जिन नर्सों के साथ यह हुआ उनका ट्रांसफर कर दिया और जिनकी देखभाल में यह होता है उनको कुछ नहीं होता है। केवल एक कोतवाल को निलंबित कर दिया लेकिन सी0 ओ0 और एस0 एस0 पी0 को कुछ नहीं हुआ।

हमारे तिवारी जी का दिल दहल जाता है उनका दिल तो इतना मजबूत था कि इमरजेंसी के दिनों में इतने बड़े-बड़े कांड हो गये। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, तुर्कमानगेट कांड हुआ लेकिन आज इतना कमजोर कैसे उनका दिल हो गया? एक छात्र मर गया और उनका दिल दहल गया। इमरजेंसी में सैकड़ों वाकयात ऐसे हुए जिसमें तिवारी जी का दिल नहीं दहला और आज दिल दहल रहा है। यह उनका कहना उचित है वह अपना फर्ज निभा रहे हैं।

बाढ़ की बात कही गई जिस निर्बल वर्ग के आप हिमायती बनते हैं उसको इससे पहले सिवाय माचिस और छटाँक भर चने के कुछ नहीं बांटा गया। लेकिन आज जब बाढ़ आई तो हर व्यक्ति को तीन तीन किलो अनाज 7 दिन के लिए दिया गया। हम लोग दौरों पर जाते थे तो हरिजनों से पूछते थे कि तुम को सामान मिल रहा है या नहीं तो वह कहता था कि इससे ज्यादा कभी नहीं मिला। जिनके आप बड़े हिमायती बनते हैं उनका यह कहना था।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके दो मिनट रह गये हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह---

तिवारी जी बस्ती कंप्लेक्स की बात कर रहे थे। तो वह योजना केवल कागज में लागू थी। गरीबों की जमीन ले ली गई थी और काम कुछ नहीं हुआ। आज पहले के मुकाबले हर जगह सही काम हो रहा है लेकिन आपस की बयान बाजी खत्म होनी चाहिये तभी इस प्रदेश की तरक्की हो सकती है।

*श्री मान सिंह आजाद--

उपाध्यक्ष जी, 20 मार्च को नये अध्याय की शुरूआत हुई। जनता चाहती है कि जनता का काम हो। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है और सब को मिलजुल कर काम करना चाहिये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शहरी और किसान दोनों की बात कही गई है। इसके लिए हमें समय देना पड़ेगा और प्रदेश की उन्नति करनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं। श्री नारायण दत्त तिवारी के कांग्रेस का घोषणा-पत्र मेरे पास है। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। मैंने जब सारे प्रदेश का दौरा किया तो माननीय इंदिरा गांधी की जन्मपत्री सब जगह देखी और कोई कार्य इन्होंने नहीं किया। यही जनता पार्टी का एक घोषणा-पत्र है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। हम गांवों में जाना चाहते हैं---आपने जो इस समय भाषण दिया उसको मैंने गौर से सुना उसमें आपने कृषि की बात कही, हरिजनों की बात कही या उर्दू की बात कही लेकिन आप ही बतायें कि हरिजनों और मुसलमानों के हितों की कितनी रक्षा आपने की? अपने काल में हरिजनों की सबसे ज्यादा नसबन्दी कराई इमरजेन्सी में और उनको जो उन्होंने जमीनें दीं, उन पर आज तक हमारे इलाके में हरिजनों को कब्जा नहीं मिला है। कब्जा मिला है तो वह ऐसी जमीनें हैं, जो ऊसर हैं या फिर झगड़े की हैं। आपके भाषण का लक्ष्य केवल इतना है कि वह अखबारों में छप जाए और इधर की कुर्सी पर आपकी निगाह सदैव लगी रहती है। जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में जो लिखा है वह हम पूरा करेंगे और हम गांवों की ओर चलना चाहते हैं और यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और भाषण का स्वागत करता हूं।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, इस अभिभाषण को देखने से पता चलता है कि सरकार जो बहुत जल्दी में आई है, उसको सचमुच में जाने की बहुत जल्दी है। यदि पिछले अभिभाषणों को देखा जाए, तो लगा कि पहले 20-25 पन्ने के अभिभाषण आते थे, तो भी उनमें ब्योरा पूरा नहीं आता था और यह इतनी जल्दी में छपा कि 13 पन्ने का आया। जिसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने का भार चौधरी साहब के कंधे पर आ गया। इसमें जो कुछ लिखा है, वह, भी कह रहे हैं। और जो नही लिखा, है, वह भी कह रहे हैं अभी मान सिंह ने कुछ कहा उन पर तिवारी जी को देखकर बड़ी प्रतिक्रिया होती है और इस समय भी हुई। मुझे इस अभिभाषण पर इस बात के लिए खेद नहीं है कि इसमें बहुत सी बातें छूट गयी हैं, क्योंकि किसी भी सरकार से वह जल्दी में हो सकती है, लेकिन देखना यह पड़ता है कि साल भर की मौलिक नीतियां किस तरह छूटती हैं और उस सम्बन्ध में वह क्या क्या छोड़ते हैं और क्या स्थिति है। अगर उस पैमाने पर हम 75 प्रतिशत भी उतार सकें सरकार को, जिसके जरिए राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया तो कह सकता हूं कि वह कुछ भी नहीं है। करीब-करीब उसमें कुछ नहीं है। वह पुलिस प्रशासन से शुरू करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस साल का करीब-करीब दो हजार करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें राजस्व, व्यय और पूंजीगत व्यय शामिल है। मैंने इसका अध्ययन करने की चेष्टा की है, इसमें केवल 2-3 सौ करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है और तमाम राजस्व व्यय है। राजस्व, व्यय अर्थात् रख रखाव पर व्यय किया जाएगा यानी अधिकारियों की बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर व्यय होगा। इन्पुट्स पर जो व्यय है, जिसका उत्पादन होता है, उस पर अधिक से अधिक 20-30 परसेंट रुपया खर्च हो रहा है। मैं आपकी सरकार से आशा करता था कि वह उसे, उस नीति को परिवर्तित करेगी। क्योंकि एक अनुभवी मंत्री इस सरकार की टीम के कैप्टेन हैं। (व्यवधान) मान्यवर, हमने बराबर मांग की है और आज भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश में तत्काल मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री एक सर्वदलीय समिति वित्त सचिव के साथ बिठाएं और इस बात की चेष्टा करें, देखने की कि कौन विभाग अनुपयोगी है, कितने अधिकारी जिलों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुपयोगी हैं, कितने कर्मचारी अनुपयोगी हैं। मैं कह सकता हूं अपने जिले को देख कर, मेरा खयाल है तमाम सदस्य अपने जिले को देखकर यही कह सकते हैं कि एक चौथाई कर्मचारी, अधिकारियों के पास या तो काम नहीं है, या तो पैसा नहीं है, केवल जीये हैं, केवल दौड़ना है और इस तरह की बरबादी है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने एक परिपत्र लिखा हम लोगों को भेजा कि हम लोग यह सुझाव दें कि नये टैक्स किस प्रकार लगाये जायं। हमने उनको पत्र लिखा कि इसके पहलेदिन कि नया टैक्स लगाया जाय आप इस सम्बन्ध में एक सर्वदलीय समिति कायम करें जिसका हिस्सेदार मैं भी हूंगा, सर्वदलीय इसलिए कहा कि जिसमें यह न कहा जाय कि राजनीति हो रही है। पुरानी गलतियां हों या आपकी गलतियां हों, विभागों को, व्यक्तियों को अधिक कर दिया गया। आज 80 प्रतिशत, 75 प्रतिशत केवल रखरखाव पर खर्च है। पूंजीगत व्यय केवल 20-25 प्रतिशत है। इससे प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री की ओर से जो पत्र आया केवल यह आया कि सोच विचार ही रहा है। इस पर बात होगी। मैं आशा करता हूं कि सोच विचार हो गया होगा। कम से कम यह आशा करता था कि इस अभिभाषण में यह भी संकेत होता, पूरा बजट आयेगा अप्रैल या मई में, उसमें नये टैक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन राजस्व व्यय में से बचत करके नया पूंजीगत व्यय क्या करेंगे उस पर कोई इशारा इस अभिभाषण में नहीं किया गया।

आज पुलिस प्रशासन की बात है। तिवारी जी ने कहा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरे पास समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दस मिनट वाला अवसर ले रहे हैं या पच्चीस मिनट वाला ले रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं 25 मिनट वाला ले रहा हूं। 25 मिनट कम हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आज वह देखें कि जितनी शिकायतें पुलिस प्रशासन की हो रही हैं, चाहे विधान सभा में हों या बाहर हों, यह परिपाटी बन्द होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ यदि कोई शिकायत होती है पुलिस के अफसर लोग जांच करते हैं। मेरे पास तत्काल सुझाव नहीं है। तत्काल भी मैं दे सकता हूं, मैजिस्ट्रेसी या न्याय विभाग हो, लेकिन पुलिस विभाग कतई न करे। मेरा छोटा सा अनुभव है कि अगर पुलिस विभाग इस कार्य को न करता तो शायद प्रदेश में यह विभाग जो खराब हो रहा है यह न होता, जो भ्रष्टाचार हो रहा है न होता। मैं प्रमाण दे सकता हूं। जनता पार्टी के एक विधायक की कांस्टीटुएंसी है, मिठाई लाल जी मौजूद नहीं हैं, सुरियाना कांस्टीटुएंसी है। वहां के दरोगा ने अभी दस दिन पहले हिन्दू-मुसलमान झगड़ा का नाम लेकर, कोई झगड़ा नहीं था, छोटे लोगों को यह कह कर कि घर फुकवा दिया, एफ0 आई0 आर0 लिखवा दिया, पचास हिन्दू और मुसलमान फंसा दिये। झगड़ा न फसाद। जबरदस्ती 107/117 चल रही है। कहा जाता है कि एम0 एल0 ए0 इंटरफियर करते हैं। हम इंटरफियरेंस के पक्ष में नहीं हैं लेकिन दरोगा लोग और छोटे कर्मचारी लोग अगर यह समझते हैं कि अगर वह प्रशासन में बेईमानी करेंगे तो मेरी मांग होगी इनके प्रशासन के सम्बन्ध में कि सी0 आई0 डी0 के जरिये जांच होनी चाहिए। कम से कम सुरियावां की जांच तो होनी ही चाहिए। हर जिले में इस तरह की चीजें हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में देखें, वह गृह मंत्री भी हैं। हमारे जिले में एनकाउन्टर्स हुए, उनके हुए जो सचमुच बदमाश थे, यह मैं मानता हूं, लेकिन मैं यह सत्य कहता हूं कि उनको बुलाकर, दावत देकर, बैठाकर सीधे गोली मारी गयी और उस पर इनाम लिया गया। एक नहीं दो-दो, तीन-तीन ऐसे मामले हैं। हमारा अगर विरोधी है और उसको मारने के लिए 25,000 रुपया पुलिस को दे दिया। एस0 पी0 साहब पहुंच कर उनको इनाम भी दिया। कहते हैं कि एनकाउन्टर हुआ, लेकिन हुआ नहीं। आज पुलिस प्रशासन है। मैं नहीं जानता कि वर्तमान जो आई0 जी0 हैं वह इसको सुधार सकते हैं

[श्यामधर मिश्र]

या नहीं । मैं चाहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन हो और उसमें हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी जांच पुलिस अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। एक चीज की मैं और आशा करता था, यह नीति सम्बन्धी अभिभाषण है। इसमें सरकार की नीति सम्बन्धी बातों, वेतन सम्बन्धी नीति के बारे में मैं सोचता था कि कुछ चर्चा होगी, लेकिन नहीं हैं। कोई चर्चा इस बात की है ही नहीं। मैं नहीं जानता कि केन्द्र और राज्य की प्रणाली में भिन्नता क्यों है ? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में वेतन सम्बन्धी भिन्नता क्यों है ? यूनियन बैंक के एक व्यक्ति को रु0 900 मिलता है।

(सदन की बिजली चली गयी)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, बिजली आने की कब तक प्रतीक्षा करेंगे ? माननीय रेवती रमण जी बतायें कि बिजली आयेगी या नहीं ?

विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

आयेगी।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, अगर मैं बोलूंगा तो मेरी तो आवाज सुनाई देगी, लेकिन अगर माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तो उनकी आवाज सुनाई देना मुश्किल होगा।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

यह तो हाल सदन का है, पूरे प्रदेश का क्या होगा, इससे अनुमान लगाया जा सकता है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे यहां के लिए एक जैनेरेटर लगवायें ताकि यह जो समय समय पर गड़बड़ी होती है इससे मुक्ति हो सके।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आज का कार्यक्रम समाप्त करें और कल फिर 11 बजे बैठें।

(बिजली आने पर)

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, माननीय विद्युत मंत्री जी माननीय मुख्य मंत्री की बगल में बैठे हैं इसलिए अब सदन में बिजली आ गयी है।

तो मान्यवर, मैं वेतन नीति के बारे में निवेदन कर रहा था कि सरकार को निश्चित करना होगा कि किस तरह से आगे बढ़े, चाहे वह पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वह सरकारी सेक्टर हो। सब के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित करें। इसमें केवल प्रान्तीय सरकार और न केवल आज की सरकार, पुरानी सरकार को या केन्द्रीय सरकार को दोष नहीं देना है। कोई कारण नहीं है कि इसको सुधारा न जाये। आज एक ही शहर में एक आपके चपरासी को 200 रुपये माहवार मिलता है, वहीं यूनियन बैंक के चपरासी को 900 रुपये माहवार मिलते हैं और एल0 आई0 सी0 के चपरासी को 1400 रुपये मिलते हैं। यह क्या नीति है आपकी ? यू0 पी0 जिसको कि हिन्दुस्तान कहा जाता है, उसमें यह आप कैसे सहन करते हैं ? मैं चाहता हूं कि कम से कम अब जो नया बजट आप लायें उसमें इस संबंध में कोई दिशा आप हम लोगों को दें और बतायें कि सरकार इसके लिये क्या करना चाहती है ?

रोजगार के लिये बहुत सी बातें कहीं गयी हैं। इस अभिभाषण में काफी कुछ कहा गया है और एक अन्त्योदय की योजना का भी जिक्र है। मगर जैसा कि चौधरी साहब ने

बताया इसके बारे में ; यह योजना जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिपट गयी है उससे गावों में कोई ज्यादा कामयाबी हासिल होने वाली नहीं दिखायी दे रही है। आज हिन्दुस्तान और विशेष कर हमारे प्रदेश में एक फैशन चल गया है छोटे उद्योगों की बात करने का। मैं यह नहीं कहता कि आप छोटे उद्योगों की बात न करें। मगर आपकी पालिसी ऐसी होनी चाहिये। जिससे कि बड़े उद्योगों, मध्यम उद्योगों और छोटे उद्योगों में समन्वय हो। आज बड़े और मध्यम उद्योग मर रहे हैं और छोटे उद्योग भी पनप नहीं रहे हैं। आपके बिजली विभाग में क्या हो रहा है, इस उद्योग में 2 हजार करोड़ रुपये की आपकी पूंजी लगी है और उसमें करीब 45–50 करोड़ का नुकसान हर साल हो रहा है। इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है, पर इतना घाटा हो रहा है। मंत्री जी कहेंगे कि यह सोशल काम है, मगर आप यह पता लगायें कि आखिर महाराष्ट्र, तामिलनाडु और कर्नाटक आदि में कैसे यह लाभ पर चल रहा है? क्या कारण है कि बिजली उपलब्ध होते हुये भी आज न उद्योगों को बिजली मिल रही है, न किसान को बिजली मिल रही है, न घरों को बिजली मिल रही है? आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि बिजली की कमी नहीं है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। आप का 12 मिनट का समय रह गया है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कई सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्री रामअधार राय की है प्रदेश में विद्युत चालित निजी नलकूपों का न्यूनतम शुल्क 15 रुपये से घटाकर 12 रुपये प्रति हार्स पावर करने के संबंध में, इसे मैंने स्वीकार किया है।

श्री रवीन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री विश्वनाथ पाण्डेय श्री आरिफ मोहम्मद खां के प्रस्ताव अस्वीकृत किये हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय विद्युत मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, यह बता दें कि कब तक वह वक्तव्य देंगे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

मुजफ्फरनगर में महात्मा रविदास जयन्ती के अवसर पर हरिजनों के जुलूस पर पुलिस द्वारा कथित हमले के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार गुरु रविदास जयन्ती के अवसर पर मुफ्जफ्फरगगर में 11 फरवरी, 1979 को रविदास सेवा समिति द्वारा जुलूस निकाला गया। विभिन्न मोहल्लों के हरिजनों ने झांकियां निकालीं, जिसमें मोहल्ला रैदासपुरी के हरिजनों द्वारा निकाली गई झांकी भी सम्मिलित थी। इस अवसर पर रैदासपुरी के लगभग एक सौ व्यक्तियों ने रास्ता चौड़ा करने के लिए श्री मेघराज सिंह त्यागी की चहारदीवारी बलपूर्वक गिरा दी। इस चाहारदीवारी के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में कई वर्षों से मुकदमे बाजी चल रही थी। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा, मैजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुंचे और दोनों पक्षों ने बातचीत प्रारम्भ की। इसी बीच दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर पथराव किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने हेतु एकत्रित भीड़ को अवैधानिक घोषित किया गया और पुलिस द्वारा अश्रुगैस का प्रयोग तथा 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 11 हरिजन थे। श्री मेघराज सिंह त्यागी द्वारा दिनांक 11–2–79 को सायंकाल 14 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध एक अपराध पंजीकृत कराया गया। सायं को जिला प्रशासन द्वारा एक शान्ति समिति का गठन किया गया।

[श्री बनारसी दास]

2—दिनाँक 12-2-79 को उक्त शाँति-समिति की बैठक हुई और दोनों पक्षों में बात-चीत के पश्चात हरिजनों की इच्छानुसार विवादित रास्ता चौड़ा कर दिया गया। इसके लिए श्री मेघराज सिंह त्यागी ने अपनी कुछ भूमि भी छोड़ दी। इस पर हरिजनों की एक मीटिंग हुई, जिसमें चौड़ा किये गये रास्ते से जुलूस निकालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। इससे दूसरे पक्ष में रोष उत्पन्न हुआ। शाँति-व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अ तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई। निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर हरिजनों द्वारा जुलूस निकाला गया। जब जुलूस विवादित रास्ते पर पहुंचा के मजिस्ट्रेट ने लोगों को तितर-बितर होने के आदेश दिये, जिसके जबाव में उत्तेजित भीड़ ने पुलिस तथा आसपास के मकानों पर पथराव किया और मिट्टी के तेल से जलते आग के गोले फेंके जो ब्रह्मपुरी में घरों पर तथा पुलिस पर गिरे। स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पुलिस द्वारा अश्रुगैस का प्रयोग किया गया, जुलूस में सम्मिलित लोगों ने पुलिस पर लाठी इत्यादि से हमला किया, जिसके कारण कुछ पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। पुलिस द्वारा हल्की लाठी चार्ज किया गया और उपद्रवी भीड़ को तितर-बितर कर 47 बलवाइयों को गिरफ्तार किया गया तथा 7 मुल्जिम मतलूब थे। इनमें 49 हरिजन, 2 मुस्लिम, एक ठाकुर, एक कहार और एक वैश्य जाति के हैं। श्री मेघराज सिंह त्यागी, निवासी ब्रह्मपुरी ने थाने पर एक रिपोर्ट लिखाई कि 30-40 उपद्रवी हरिजन जो घातक हथियारों से लैस थे, ने दीवार पर चढ़ कर श्री हरी सिंह त्यागी के घर पर आक्रमण किया और गोली चलाई, जिसमें श्री ओमपाल सिंह को छर्रे की चोटें आईं। उपद्रवियों ने ढेले और आग के गोले भी उनके पड़ोसियों पर फेंके। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी लिखाया कि बचाव में उन्होंने गोली चलाई। घटना में कुल 76 व्यक्तियों को, जिसमें 16 पुलिस कर्मचारी सम्मिलित हैं, को चोटें आईं।

दिनाँक 12-2-79 की घटनाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पुलिस ने हरिजनों के घरों में घुसकर मारपीट, हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटपाट आदि की और उन पर गोली बारी की, जिसमें कुछ हरिजनों की मृत्यु हुई और कुछ लापता हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा बल प्रयोग में गोली नहीं चलाई गई। केवल अश्रुगैस का प्रयोग और हल्का लाठी-चार्ज किया गया तथा किसी की मृत्यु नहीं हुई। श्री मोलहर सिंह हरिजन के पुत्र की गुमशुदगी के सम्बन्ध में दिनांक 12-2-79 को एक रिपोर्ट लिखाई गई थी। लेकिन अगले दिन सूचना प्राप्त हुई कि गुमशुदा लड़का घर लौट आया है। पंजीकृत अपराधों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

घटनाओं के संबंध में मण्डलायुक्त द्वारा विस्तृत जाँच के आदेश दिये गये हैं।

श्रीमन, इस संबंध में यह भी जोड़ना चाहूंगा कि मण्डलायुक्त ने जो जाँच की, क्योंकि उसका वहिष्कार हरिजनों ने किया और दूसरी एक जाँच माइनारिटी कमीशन की तरफ से की गयी और उसका वहिष्कार सवर्णों की तरफ से किया गया तो मण्डलायुक्त ने यह बताया कि चूंकि उनकी जाँच एक पक्षीय होती इसलिए उन्होंने जाँच करना बन्द कर दिया है और उधर माइनारिटी कमीशन की रिपोर्ट, जिसका वहिष्कार सवर्णों ने किया है, प्राप्त नहीं हुई है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि 11 तारीख को जो विवाद हुआ वह शान्त हो गया था। 12 तारीख को आम सहमति से शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गयी। क्योंकि अनुमति दे दी गयी थी उसके बाद पुलिस ने जानबूझ कर बदले की भावना से हरिजनों पर अत्याचार करने की सुनियोजित साजिश की और उनको तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठी चार्ज करने को स्वयं स्वीकार कर लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि 12-2-79 की घटनाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पुलिस ने हरिजनों के घरों में घुस कर मारपीट, हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटपाट आदि की और उन पर गोली-बारी की जिसमें कुछ हरिजनों की मृत्यु हुई और कुछ लापता हैं। आगे सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा बल प्रयोग में गोली नहीं चलाई गई। केवल अश्रुगैस का प्रयोग और हल्का लाठी चार्ज किया गया तथा किसी की मृत्यु नहीं हुई। मान्यवर, ऊपर जो कहा गया है कि कुछ हरिजनों की मृत्यु हुई, उसको कन्ट्राडिक्ट नहीं किया अर्थात् शासन स्वयं स्वीकार करती है और मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि वहाँ जांच के लिए जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, जो वहां के एस0 पी0 हैं वे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। वे जांच नहीं होने देंगे। इस लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जाँच के पहले डी0 एम0 और एस0 पी0 को स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

जैसा मैंने पहले बताया है कि 11 तारीख को जुलूस निकाला गया और वहाँ पर मोहल्ला ब्रह्मपुरी इत्यादि विभिन्न मोहल्लों और रैदास पुरी के बीच में विवाद उठने के पहले से उनमें मुकदमेबाजी चल रही थी जिसका निर्णय कोर्ट ने दे दिया लेकिन उस पर भी शान्ति नहीं हुई। रैदास पुरी के लोग चाहते थे कि उस रास्ते को चौड़ा करें तो जब 11 तारीख को जुलूस निकला वह रास्ता तोड़ा गया और दोनों तरफ से शाँति भंग की गयी तो मैंने बतलाया है कि वहाँ 11 हरिजनों को गिरफ्तार किया गया और दूसरे दिन उस फैसले को समझौते से जिलाधिकारियों ने कार्यान्वित कराया जिसके फलस्वरूप मेघराज सिंह त्यागी ने अपनी जमीन छोड़ी थी और रास्ता चौड़ा हो गया। रास्ता चौड़ा हो जाने के बाद जुलूस निकला तो लोगों का कहना था कि वे विजय का जुलूस निकाल रहे हैं।

रविदास जयन्ती 11 तारीख को थी। उनका कथन था कि 12 तारीख का जुलूस निकालने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिये जब जुलूस निकाला गया तो 144 लगायी गयी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भूतपूर्व संसद सदस्य विजय पाल सिंह और मनफूल सिंह आदि लोगों ने उत्तेजित किया, जुलूस निकला, जिस पर ब्रह्मपुरी के लोगों ने एतराज किया इसलिये निषेधाज्ञा जारी की गयी। उसका उल्लंघन किया गया इसलिये पुलिस ने बल प्रयोग किया। शुरू में इस बात की रिपोर्ट्स थीं और पत्रों में भी निकला कि बहुत से आदमी मारे गये लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है। शेड्यूल कास्ट कमीशन की तरफ से तीन व्यक्ति जाँच करने गये तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा है कि किसी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं है। उन्होंने संस्तुति भेजी है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के सदस्यों ने कहा है कि हमारे अंदाज से बल प्रयोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया जिससे लोगों को चोटें आयीं। रिपोर्ट में यह भी कथन है कि कुछ लोग जिसमें कि कुछ बाहर के असामाजिक तत्व हो सकते हैं रैदास पुरी के हरिजन मुहल्ले में गये और उन्होंने कुछ सामान भी उठाया। उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा है कि इन सबकी पूरी जाँच की जाय और जब वहाँ ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है, वहाँ के बार ऐसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया है कि रैदासपुरी के हरिजनों का इस्तेमाल कुछ तत्वों ने किया जिसकी वजह से वहाँ पर एक तरह से वर्ग द्वेष हो गया है। इसलिये न्यायिक जाँच का मैंने आदेश दिया है। जब तक न्यायिक जाँच का कोई परिणाम नहीं आता है, इससे शासन पर एक नैतिक ह्रास का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिये इसमें पहले किसी व्यक्ति का ट्रांसफर करना प्रशासनिक दृष्टि से संभवतः हितकर नहीं होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि न्यायिक जाँच किस स्तर पर होगी, हाई कोर्ट के जज द्वारा होगी ? टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या होंगे ? टर्म्स आफ रिफरेन्स

[श्री नारायण दत्त तिवारी]
में क्या यह होगा कि यह झगड़ा हरिजनों और सवर्णों के बीच नहीं था बल्कि स्थानीय अधिकारियों को मिस हैंडिलिंग से इस तरह का रूप दे दिया गया। केन्द्र के गृह मन्त्री वहाँ गये थे उनकी रिपोर्ट है जिसके आधार पर पी0 ए0 सी0 के द्वारा हरिजनों पर ज्यादती हुयी और जो अस्पताल की रिपोर्ट है उसका भी न्यायिक जाँच में उल्लेख होगा? दूसरी बात यह है कि जो हरिजन घायल हुये हैं और लापता हैं उनकी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा की गयी है?

श्री बनारसी दास—

यह सूचना तो मुझे मिली हैं, इस कमीशन की रिपोर्ट मुझको परसों प्राप्त हुयी है। उसमें उन्होंने कुछ तालिका दी है 80–100 की जिनके घरों का नुकसान हुआ है। उनकी क्षतिपूर्ति के संबंध में अवश्य व्यवस्था की जायगी। लेकिन यह सूचना कि यह झगड़ा पुलिस और हरिजनों के बीच में था न तो कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है और न इस तरह का समाचार ही मुझको मिला है। जाहिर है कि 11 तारीख की घटना सीमित थी। रविदास जयन्ती का जुलूस मुजफ्फरनगर के भिन्न-भिन्न मुहल्लों से निकला और यह भी पृष्ठभूमि कि यहाँ पर फरवरी से झगड़ा चला आ रहा था, इस रास्ते को लेकर। इसलिये जैसा आपने कहा कि जाँच किसके द्वारा होगी, इस वक्त दुर्भाग्य से ऐसा वातावरण हो गया है जिसके कारण अगर कोई हरिजन मुकर्रर करते हैं या सवर्ण मुकर्रर करते हैं, इसीलिये मैंने एक मुस्लिम जज को जाँच करने के लिये, डिस्ट्रिक्ट जज को, जिनका वहाँ से ताल्लुक नहीं है, इस वक्त वह आगरे में हैं, वह काफी सीनियर हैं, जिनकी निष्पक्षता की ख्याति है इस दृष्टि से कि न कोई हिन्दू हो, इसलिये मैंने उचित समझा कि किसी निष्पक्ष मुस्लिम द्वारा इसकी जांच की जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के स्तर पर यह कहा जायेगा कि सवर्ण और हरिजन के आधार पर जज रखेंगे तो यह उचित नहीं होगा। यह केवल जज का नाम ही लें लें जिससे सब समझ जायेंगे।

श्री बनारसी दास—

मान्यवर, मैंने यह कहा कि बहाइल जो चीज आपके सामने, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, यदि उसको सादगी से कह दिया जाय तो उचित ही है। आपने भी स्वयं कहा और मैंने भी उसको बतला दिया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, मुख्य मंत्री के वक्तव्य से संबंधित, मैं कहना चाहता हूं कि 11 तारीख का जो विवाद था उसमें दिवार गिरा दी गयी। तो फिर 12 तारीख को क्या आवश्यकता पड़ गयी दफा 144 लागू की गयी। इसकी आवश्यकता नहीं थी और न इसकी पहले सूचना दी गयी थी। उसके बाद दफा 144 टूटी तो मुकदमें इसी दफा में दर्ज होने चाहिये थे। लेकिन मुकदमें में दफा 395 और दफा 397 में क्यों दर्ज कराये गये? डी0 एम0 और एस–पी0 की देखरेख में जुलूस निकला। तो फिर उनकी देखरेख में ये घटना कैसे हुई? प्रशासन के लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। एक वायरलेस आपरेटर की पत्नी के साथ बलात्कार किया गया जिसको उसने धनिकलाल मंडल को बताया। इन सब बातों की जानकारी वक्तव्य में नहीं है। इसलिये यह स्टेटमेन्ट सत्य से परे है।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, मैं इसमें क्या सूचना दूं। उन्होंने स्वयं ही सूचना दे दिया है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मेरी सूचना को सही मानकर इसकी क्या जांच करायेंगे?

श्री बनारसी दास—

मैंने तो कहा है कि न्यायिक जांच होगी और जो आपने कहा है उस पर भी गौर होगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जुलूस का समाचार सुनने के बाद दफा 144 लागू की गयी ? जहां यह घटना हुई उससे पहले जहां से जुलूस प्रारम्भ होने वाला था वहाँ से जुलूस को पुलिस ने क्यों निकलने दिया ?

श्री बनारसी दास—

ब्रह्मपुरी और रैदासपुरी में 10 फीट का अन्तर है। तो जुलूस निकलने की वहां से इजाजत नहीं दी गयी। लेकिन जब जुलूस निकला तो 10 फीट रास्ता चौड़ा हो गया और फिर 12 तारीख को एक बैठक हुई जिसमें इच्छानुसार विवादित रास्ता चौड़ा कर दिया गया। लेकिन विवाद का प्रश्न यह था कि हरिजनों का यह कथन है कि 12 तारीख को रविदास जयन्ती का जुलूस निकला लेकिन सवर्णों का यह कहना है कि चूंकि रास्ता चौड़ा हुआ इसलिये हरिजनों ने जुलूस निकाला और जब वहां पहुंचा तो पुलिस उसको पहले से रोक रही थी कि यहां से आगे न जुलूस जाय। लेकिन जब वहां आया तो त्यागी ने आपत्ति किया। इस पर दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और तब निषेधाज्ञा लागू की गयी।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

मुझे जानकारी है कि जिस त्यागी का वह मकान है वह एक सज्जन व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ यह जो बात कही जा रही है कि 11 तारीख को यह मसला तय हो गया था, इसमें सच्चाई है। चूंकि 11 तारीख को जुलूस नहीं निकाला था, इसलिये 12 तारीख के लिये पुलिस ने कहा था कि जुलूस निकालिये। उसके लिये पुलिस ने स्वीकृति दी थी। जब पुलिस ने ही स्वीकृति दी थी तो पुलिस ने क्यों नहीं इन्तजाम किया कि जिससे झगड़ा न होता ? पुलिस मौके पर पहुंची नहीं। जब पथराव हो गया उसके बाद पुलिस ने भी आकर दुर्व्यवहार किया जो रिपोर्ट में भी है और जानकारी में भी है। वहां महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, दासी नाम का जो लड़का है, उसको पुलिस ने पकड़ कर मारा, इन तथ्यों की जानकारी की जानी चाहिये। डी0 एम0/एस0 पी0 ने गोली कांड कराया, गोलियां चली हैं—इन सभी बातों की जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इतना बता दें कि पुलिस को जानकारी जब थी तो पहले से कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री बनारसी दास—

मान्यवर, श्रीमती मालती ने तो खुद ही सूचना दी जो विवादास्पद है। मैंने स्वयं कहा कि त्यागी लोग और दूसरे सवर्ण लोग कहते थे कि यह विजय जुलूस है और हरिजन कहते थे कि यह रविदास जयन्ती का जुलूस है। यह भी उनका कथन है कि 11 तारीख को जुलूस नहीं निकालने दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि 11 तारीख को जुलूस भी निकला और जब हरिजनों ने दीवार भी तोड़ी तो उसकी एफ0आई0 आर0 मेघराज सिंह ने थाने में दर्ज की। पहले दिन 13 सवर्ण और 10 हरिजन गिरफ्तार किये। इसलिये यह निष्कर्ष निकालना कि 11 तारीख को जुलूस नहीं निकला, गलत है क्योंकि रिकार्ड में यह बात है। फिर शिड्यूल कास्ट कमीशन ने इन तथ्यों के बारे में कहा कि इसकी जांच करानी चाहिये। फिर वहां के दो संसद सदस्य हैं—गुलाम मुर्तजा साहब और दूसरे हैं राज्य सभा के सदस्य, उनके वक्तव्य को देखा और लोगों के वक्तव्य को देखा। वार एसो-

[श्री बनारसी दास—]

सियेशन के लोगों ने भी प्रस्ताव पास किया। तो जो श्रीमती मालती कहती हैं, यह भी जांच का विषय हो सकता है। जो न्यायिक जांच होगी, उसमें ये तथ्य भी, चूंकि ये कार्यवाही का भाग बन गये हैं, जांच के लिये भेज दिये जायेंगे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब 11 तारीख को जिलाधिकारी जानते थे कि झगड़ा चल रहा है, रास्ता तंग है तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस क्यों नहीं भेजी? जब पुलिस को मालूम था कि जुलूस निकलने वाला था, तो जुलूस निकलने के पहले क्यों नहीं रोका?

श्री बनारसी दास—

11 तारीख को ये गिरफ्तारियां शाम के वक्त की गयी थीं। वहां पर पुलिस मौजूद थी। 11 तारीख को ही ब्रह्मपुरी और रैदासपुरी की एक शांति समिति बना दी गयी। उस शांति समिति के प्रयत्न पर ही 12 तारीख को स्वेच्छा से दीवार गिरायी गयी और रास्ता चौड़ा कर दिया गया। तो ऐसी कोई सम्भावना 4-00 बजे तक नहीं थी कि कोई जुलूस निकलेगा। पहले आशा की जाती थी कि जो फरवरी महीने से जो मुकदमा अदालत में पेन्डिंग था, उसके बाद खत्म हो गया और रास्ता भी निकाला। तो उसके बाद झगड़ा नहीं होना चाहिये। उसके बाद जब उनको मना किया लेकिन फिर भी जुलूस निकाला, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली में था, तो कुछ हरिजन प्रतिनिधि भी मुझसे मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जरूर 144 हमने तोड़ी क्योंकि हमारा 11 तारीख को जुलूस नहीं निकला था। झगड़ा हो गया, गिरफ्तारियां हो गयीं और हमारा जुलूस आगे नहीं बढ़ा। यह तो विवादास्पद है ही। इसका कहां प्रश्न पैदा होता है।

(श्री राम जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने नेगी जी को बुलाया है। आपको मौका मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जहां तक विवादग्रस्त तथ्यों का प्रश्न है आपने न्यायिक जांच के आदेश कर दिये। सत्य क्या है वह मालूम हो जायगा। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो शिड्यूल कास्ट कमीशन वहां गया उसकी रिपोर्ट आपको मिल चुकी और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया है और तीन सौ आदमियों की लिस्ट भी दे दी गयी है? स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम तथ्य छिपाये हैं और डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार शंका पैदा की जा रही है। यही नहीं आयुक्त की जांच का बाइकाट किया। बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया और एस0 पी0 के खिलाफ तरह-तरह के अभियोग लगाये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी कौन सी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो साक्ष्य होंगे उनके ऊपर डस्ट्रिक्ट ऐडमिनस्ट्रेशन की तरफ से दबाव न पड़ सके। आप स्थानान्तरण करने को तैयार नहीं हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में एक केस चला था। जिसमें एक व्यक्ति ने कई गवाह तोड़े थे। ऐसी कौन सी व्यवस्था आप करेंगे जिससे कि जो व्यक्ति साक्ष्य देना चाहते हों वे निर्भीकता से साक्ष्य दे सकें?

श्री बनारसी दास—

सर्वप्रथम तो इसी से मालूम होता है कि दोनों कमीशनों का बहिष्कार किया गया और प्रशासन का कोई आतंक नहीं है। नेतृत्व तो नेगी जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि श्री विजय पाल सिंह जैसे सदस्य और श्री मनफूल सिंह जैसे सदस्य कर रहे हैं। अगर जांच के दौरान न्यायाधीश के सामने ऐसी शिकायत आती है कि शहादत

को टेम्पर विथ किया जा रहा है तो अवश्य विचार किया जायगा। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यह भी विचारणीय सवाल है कि आरोप मात्र पर किसी व्यक्ति को हटाना उचित न होगा। गवर्नर्स एडरेस पर भी आपने देखा कि शासन व्यवस्था को सुधारना है। तो अगर केवल आरोप मात्र पर अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जायगा तो इससे उनका मनोबल गिरेगा और अधिकारियों को शान्ति-व्यवस्था कायम रखना बड़ी मुश्किल हो जायगा। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी कलेक्टर या एस० पी० शहादत को तोड़ नहीं पायेगा। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत मिलेगी तो अवश्य ही उन अधिकारियों के खिलाफ मैं सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा और इसलिए जानना चाहूंगा कि मैं स्वयं मुजफ्फरनगर घटनास्थल पर गया था और मैंने ब्रह्मपुरी और रैदासपुरी में घरों में जाकर देखा था। क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलूस पर जो गोली चलाई गयी थी उसको चलाने के आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री चित्रांगद सिंह ने नहीं दिया था? एक मुजफ्फरनगर बुलेटिन प्रकाशित होती है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि कलेक्टर ने आदेश दिया कि हरिजनों को कुचल दो और गोली से भून दो और क्या हरीश नामक एक 20 वर्षीय छात्र थ्री नाट थ्री की गोली से नहीं घायल हुआ जो कि मेरठ मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया था? दासी नामक 12 वर्ष के लड़के को पुलिस ने नहीं पीटा और सुमेर सिंह के दो लड़के . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप आगे न बढ़ें।

श्री रामजी—

प्रश्न तो पूरा हो जाने दीजिए . . . .
यह जो सुमेर सिंह के दोनों लड़के हैं . . . .
(व्यवधान)
श्रीमन्, व्यवस्था कौन देगा? आप देंगे या इधर के लोग देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो आपको सुन रहा हूं दूसरों को मैं नहीं सुन रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप भाषण न दें, आप प्रश्न करें। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं।

श्री राम जी—

जो 6 बरस के और 4 बरस के लड़के उनके गायब हुए थे, क्या यह सही नहीं है कि सारी घटनायें जो उनकी रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं है, क्या वे सत्य नहीं हैं? यदि वे सत्य है जैसा मैंने बताया मैं स्वयं गया था और वहां के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, उस पर मुख्य मंत्री जी का क्या विचार है और ऐसे जालिम कलेक्टर को वहां किस नाते, किस मोहब्बत से रखने के पक्ष में वे अब भी बने हुए हैं?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, जो रिपोर्ट मुझको प्राप्त हुई है उसमें स्वयं हरी सिंह त्यागी के मकान पर यह आग का गोला फेंका गया और हरी सिंह त्यागी ने स्वयं माना है कि मैंने बन्दूक से गोली चलायी जिसके छर्रे लगे हैं। अस्पताल में जो रिपोर्ट है उसमें केवल 12 बोर के बन्दूक के छर्रों की रिपोर्ट है। तो यह तो स्वयं हरी सिंह त्यागी ने और मेघराज सिंह त्यागी ने माना है कि जब हमला किया गया तो ओमपाल सिंह त्यागी के भी छर्रों की चोटें आई हैं। उनका कथन है कि हरिजन लोगों ने गोली चलाई और आर्म्स ऐक्ट में भी कुछ लोगों पर मुकदमें चले हैं। हरी सिंह ने तो स्वयं माना है कि मैंने अपने मकान की छत से गोली चलाई। कमीशन की रिपोर्ट में यह जरूर है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उनका कथन है कि ऊपर से

[श्री बनारसी दास—]

पत्थर चल रहे थे, पुलिस ने जाकर लोगों के घरों के किवाड़ तोड़े। यह अवश्य उन्होंने कहा है कि बल प्रयोग जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा किया गया। फिर इसके अतिरिक्त जैसा कि वहां के अस्पताल के अन्दर यह नहीं है कि पुलिस द्वारा गोली चलाने से कोई मरा है। कमीशन ने न तो दासी नाम के लड़के का कोई जिक्र किया है। पहले तो यह कहा गया था कि सौ-डेढ़ सौ आदमी मरे लेकिन फिर मालूम हुआ कि कोई मरा नहीं है। फिर कहा गया कि दासी मरा है लेकिन कमीशन का कहना है कि दासी के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह मरा है। पहले इसकी जांच करनी होगी कि वह कहां पर है। यह सब वाकयात श्री राम जी देखने गये इसलिये वे खुद ही विटनेस हो गये इसलिये न्यायिक जांच के समय उनको भी साक्ष्य देने का पूरा अवसर होगा।

कलेक्टर ने गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, पृष्ठ 2 में पैरा 3 पर लिखा है कि दिनांक 12-2-79 की घटनाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई कि पुलिस ने हरिजनों के साथ अत्याचार किया, हरिजनों को मारा-पीटा और उनके घरों में घुसकर हरिजन औरतों के साथ बलात्कार किया। तो प्राइमाफेसी केस आपके समक्ष आया होगा। बहुत सी रिपोर्ट, बहुत से तथ्यों के बारे में आपने हमें बताया, क्या यह भी जानकारी आपको है कि पुलिस ने हरिजनों को मारा-पीटा और औरतों के साथ बलात्कार किया? यदि हां, तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अब तक की गई?

श्री बनारसी दास—

यह जो आपने कहा है यह जांच का निष्कर्ष नहीं है बल्कि दो रिपोर्टें दर्ज की गई, एक सवर्ण लोगों ने करीब साढ़े पांच बजे दर्ज की और एक हरिजन लोगों ने। उसमें उन लोगों ने शिकायत की है कि हमारे घर में घुसकर किवाड़ तोड़े गये, औरतों को मारा गया और यह भी उन्होंने शिकायत की कि कुछ औरतों के साथ छेड़खानी की गई। इसके बारे में निश्चयात्मक रिपोर्ट, जो एक निष्पक्ष शिड्यूल कास्ट कमीशन था उसने भी कहा है कि बलात्कार आदि इन सब चीजों पर जांच की आवश्यकता है। चूंकि उन की रिपोर्ट मिली उसी के आधार पर मैंने न्यायिक जांच के आदेश दिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आधे घण्टे से अधिक समय हो गया है। नियम 51 के अन्तर्गत इससे अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 21 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
19 मार्च, 1979।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 325 पर)

परिशिष्ट 'क'

वित्तीय वर्ष 1976–77, 1977–78 व 1978–79 में अब तक फेडरेशन को राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि व उसके खर्च का व्योरा निम्नवत है :—

(लाख रुपये में)

सं0	योजना व खर्च का मद	वर्ष 1976–77		वर्ष 1977–78		वर्ष 1978–79	
		स्वीकृत धनराशि	खर्च की गयी धनराशि	स्वीकृत धनराशि	खर्च की गयी धनराशि	स्वीकृत धनराशि	खर्च की गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फैजाबाद दुग्ध योजना अन्तर्गत भवन, संयंत्र, उपकरण स्टाफ व अन्य व्यय ।	11.500	11.500	22.005	7.000	..	..
2	एफ0 एफ0 एस0 सी0 योजना मुरादाबाद अन्तर्गत स्टाफ, पशुओं की खिलाई पिलाई, दवाएं, वाहनों पर खर्च आदि ।	3,327	3,327	4.030	4.030	..	..
3	इंडियन डेरी कारपोरेशन से प्राप्त ऋण के देय अंशकों एवं ब्याज की प्रति भुगतान हेतु	10.000	10.000	5.000	5.000	..	..
4	इलाहाबाद कुम्भ मेले के लिए दुग्ध बूथ व डीप क्रीम ..	2.000	2.11116	..	..	..	..
5	दुग्ध समितियों को बसा जाँच हेतु अनुदान ..	0.700	0.239				
		0.89268	0.23948	0.324	..	..	..
6	चकिया, वाराणसी में अवशीतक केन्द्र स्थापित करने हेतु डी0 सी0 ए0 पी0 वाराणसी के माध्यम से । ..	5.000	2.412	8.550	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनार्थ ।	0.036	यह धनराशि राज्य कोषागार में वापस जमा कर दी गयी ।	..	..	..	..
8	आपरेशन फण्ड यूनिट की मेरठ व वाराणसी दुग्धशालाओं में आवासीय भवनों के निर्माणार्थ । ..	..	..	8.000	..	..	..
9	दूरगामी दुग्ध परिवहन योजनान्तर्गत रोड मिल्क टैंकरों के क्रयार्थ ।	..	..	17.000	..	..	..
10	ओ0 सी0 डी0 एफ0 के मुख्यालय पर मार्केटिंग अनुभाग की स्थापना हेतु ।	..	..	1.688	..	..	..
11	आई0 सी0 डी0 एफ0 फैजाबाद हेतु साँड़ों के क्रयार्थ ..	..	..	4.275	0.150	..	..
12	दुग्ध सहकारिताओं को सहायता नामक योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक दुग्ध समितियों को सहायता । ..	..	..	0.884	..	35.470	..
13	डी0 पी0 ए0 पी0 मिर्जापुर प्लान्ट, मशीनरी, भवन. रोड मिल्क टैंकर आदि ।	..	..	12.800	..	..	..
14	डी0 पी0 ए0 पी0 चकिया (वाराणसी) प्लान्ट मशीनरी भवन, रोड मिल्क टैंकर आदि ।	..	..	6.550	..	..	..
15	डी0 पी0 ए0 पी0 बाँदा, प्लान्ट मशीनरी, भवन, रोड मिल्क टैंकर आदि ।	..	..	4.940	0.700	12.000	..
16	डी0 पी0 ए0 पी0 हमीरपुर, प्लान्ट, मशीनरी, भवन, रोड मिल्क टैंकर आदि ।	..	..	5.500	0.724	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

वित्तीय वर्ष 1976–77, 1977–78 एवं 1978–79 में अब तक पी0 सी0 डी0 एफ0 को केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि व उसके खर्च का ब्यौरा निम्नवत है:—

(लाख रुपयों में)

1—एफ0 एफ0 एच0 सी0 स्कीम, मुरादाबाद के लिए भवन के ट्यूबवेल हेतु।	..	1.130	1.130	..	..	..
2—एफ0 एफ0 एच0 सी0 स्कीम मुरादाबाद के लिए यातायात एवं डाक्यूमेन्ट हेतु	..	2.000	2.000	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 329 पर)

संलग्नक

(1) अ0 सं0 35/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना मुहम्मदपुर बाराबंकी (1977)

इस अभियोग में आरोप पत्र दिनांक 31-3-78 को विवेचक द्वारा रु0 50,568.90 पै0 के गबन के आरोप में लगाया था। यह मामला दिनांक 4-11-78 से न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) अ0 सं0 354/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना बलरामपुर/गोण्डा (1977)

इस अभियोग में दिनांक 31-12-77 को विवेचक द्वारा रु0 6,082 के गबन करने के आरोप में आरोप पत्र लगाया था। अब यह मामला दिनांक 14-11-78 से न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) अ0 सं0 402/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली फैजाबाद (1978)

इस अभियोग में आरोप पत्र दिनांक 1-1-79 को न्यायालय सी0 जे0 एम0, फैजाबाद में प्रेषित किया जा चुका है।

(4) अ0 सं0 557/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली/गोण्डा (1977)

इस अभियोग में अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और उसका चालान रु0 8,348.11 पै0 गबन करने के आरोप में दिनांक 31-12-77 को किया गया है। वह अभियोग दिनांक 14-11-78 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

(5) अ0 सं0 186/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना भिनगा/बहराइच (1977)

इस अभियोग में अभियुक्त के विरुद्ध 1,000 रु0 गबन करने के आरोप में आरोप पत्र संख्या 9 दिनांक 30-6-78 को विवेचक द्वारा लगाया गया। यह अभियोग दिनांक 17-10-78 से न्यायालय में विचाराधीन है।

(6) अ0 सं0 825/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली/गोण्डा (1977)

इस अभियोग में अभियुक्तों के विरुद्ध रु0 326.50 पैसे गबन करने का आरोप पत्र विवेचक द्वारा लगाया गया। इसकी ब्रीफ बनवाई गयी है। इसमें अंकित कमियों का निस्तारण किया जा रहा है।

(7) अ0 सं0 188/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना नवाबगंज/गोंडा (1977)

इस अभियोग में विवेचक द्वारा आरोप पत्र दिनांक 31-12-77 को लगाया गया है। ब्रीफ में अंकित कमियों का निस्तारण किया जा रहा है।

(8) अ0 सं0 33/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली/प्रतापगढ़ (1977)

इस अभियोग में आरोप पत्र विवेचक द्वारा दिनांक 30-11-78 को लगाया गया है। आरोप पत्र न्यायालय भेजने के पूर्व की कार्यवाही की जा रही है।

(9) अ0 सं0 304/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली/प्रतापगढ़ (1977)

इस अभियोग में आरोप पत्र संख्या 22, दिनांक 27-12-78 को विवेचक द्वारा लगाया गया है। आरोप पत्र न्यायालय भेजने के पूर्व की कार्यवाही की जा रही है।

(10) अ0 सं0 143/77 धारा 409 भा0 दं0 वि0 थाना बजीरगंज/गोंडा (1977)—

इस अभियोग में आरोप पत्र संख्या 5, दिनांक 10–3–79 को विवेचक द्वारा लगाया गया है। आरोप पत्र न्यायालय भेजने के पूर्व की कार्यवाही की जा रही है।

(11) अ0 सं0 232/77 धारा 409 भा0 दं0 वि0 थाना असन्दरा/बाराबंकी (1978)

इस मुकदमें में विवेचक द्वारा दिनांक 30–12–78 को आरोप पत्र संख्या 30 लगाया गया है। आरोप पत्र न्यायालय भेजने के पूर्व की कार्यवाही की जा रही है।

(12) अ0 सं0 23/78 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना अकबरपुर/फैजाबाद (1978)

इस मुकदमे में आरोप पत्र विवेचक द्वारा दिनांक 26–12–78 को लगाया गया है। आरोप पत्र न्यायालय भेजने के पूर्व की कार्यवाही की जा रही है।

(13) अ0 सं0 117/77 धारा 409 भा0 द0 वि0 थाना कटराबाजार/गोंडा (1978)

इस अभियोग में आरोप पत्र विवेचक द्वारा दिनांक 19–2–79 को लगाया गया है। आरोप पत्र न्यायालय भेजने के पूर्व की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा सचिवालय

मत्थौ 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 337 पर)

संलग्नक—1

इलाहाबाद जनपद के विकास खण्डों के नाम जो लघु एवं सीमान्त कृषक परियोजना (एस0 एफ0 डी0 ए0) में नहीं लिये गये हैं—

1—नेवादा
2—मूरतगंज
3—कोरांव
4—मेजा
5—मांडा
6—दरवा
7—कड़ा
8—सिराथू
9—करछना
10—शंकरगढ़
11—चाका
12—जसरा
13—मऊआइमा
14—सोरांव
15—कौडिहार
16—होलागढ़
17—मनमनपुर
18—सरसवां
19—कनैली

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

संलग्नक—2

इलाहाबाद जनपद के विकास खण्डों की सूची जिनमें लघु एवं सीमान्त कृषक परियोजना (एस0 एफ0 डी0 ए0), सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास परियोजना (डी0 पी0 ए0 पी0) तथा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (आई0 आर0 डी0) लागू हैं—

कुल विकास खण्ड	वे विकास खण्ड जिनमें एस0 एफ0 डी0 ए0 लागू है	वे विकास खण्ड जिनमें डी0 पी0 ए0 पी0 लागू है	वे विकास खण्ड जिनमें आई0 आर0 डी0 लागू है
1	2	3	4
1—फूलपुर 2—बहादुरपुर 3—बहेरिया 4—चापलखास 5—नेवादा 6—मूरतगंज 7—कोरांव 8—मेजा 9—मांडा 10—उरवा 11—कड़ा 12—सिराथू 13—करछना 14—शंकरगढ़ 15—चाका 16—जसरा 17—मऊआइमा 18—सोरांव 19—कौडिहार 20—होलागढ़ 21—सैदाबाद 22—प्रतापपुर 23—हेडिया 24—धानूपुर 25—मन्झनपुर 26—सरसवां 27—कानैली	1—फूलपुर 2—बहादुरपुर 3—बहेरिया 4—चापल 5—सैदाबाद 6—प्रतापपुर 7—हंडिया 8—धानूपुर	1—मेजा 2—मांडा 3—करछना 4—जसरा 5—उरवा 6—कोरांव 7—चाका 8—शंकरगढ़	1—एस0 एफ0 डी0 ए0 वाले विकास खण्ड— (1) फूलपुर (2) बहादुरपुर (3) बहेरिया (4) सैदाबाद (5) प्रतापपुर 2—डी0 पी0 ए0 पी0वाले विकास खंड— (1) कोरांव (2) शंकरगढ़ (3) चाका 3—एस0 एफ0 डी0 ए0 एवं डी0 पी0 ए0 पी0 वाले विकास खंडों के अतिरिक्त— (1) कड़ा (2) सिराथू (3) मऊआइमा (4) सोरांव (5) कौडिहार (6) होलागढ़ (7) मन्झनपुर (8) कनैली

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 337 पर)

शासन द्वारा नामित प्रदेश के 36 जिलों की तदर्थ मण्डी समितियों की सूची

(16-3-1979 तक)

जिले का नाम	शासन द्वारा नामित मण्डी समितियों का नाम
1	2
1—सहारनपुर	1—सहारनपुर, 2—मंगलौर 3—गंगोह, 4—सुल्तानपुर, चिल्काना, 5—हरिद्वार यूनियन, 6—रुड़की, 7—देवबन्द, 8—छुटमलपुर।
2—मुजफ्फरनगर	1—खतौली, 2—थाना भवन, 3—शाहपुर।
3—गाजियाबाद	1—गाजियाबाद, 2—दादरी।
4—बुलन्दशहर	1—गुलावठी, 2—खुर्जा, 3—बुलन्दशहर, 4—सिकन्द्राबाद, 5—दनकौर, 6—जेवर।
5—मथुरा	1—कोसीकलाँ, 2—मथुरा।
6—आगरा	1—फतेहाबाद, 2—फिरोजाबाद, 3—खैरागढ़, 4—जगनेर, 5—टूण्डला, 6—जरार, 7—शमसाबाद।
7—मैनपुरी	1—मैनपुरी, 2—धिरोर।
—एटा	1—कासगंज, 2—गंजडुण्डवारा, 3—एटा, 4—अलीगंज।
9—बरेली	1—आँवला, 2—बहेड़ी।
10—बिजनौर	1—चांदपुर, 2—धामपुर, 3—बिजनौर, 4—नगीना, 5—हल्दौर।
11—मुरादाबाद	1—सम्भल, 2—बहजोई, 3—अमरोहा, 4—हसनपुर, 5—मुरादाबाद, 6—धनौरा।
12—पीलीभीत	1—पीलीभीत।
13—रामपुर	1—रामपुर, 2—शाहाबाद, 3—बिलासपुर।
14—नैनीताल	1—रुद्रपुर, 2—काशीपुर, 3—किच्छा, 4—रामनगर, 5—बाजपुर, 6—सितारगंज, 7—गदरपुर।
15—गढ़वाल	1—कोटद्वार।
16—फर्रुखाबाद	1—फर्रुखाबाद, 2—छिबरामऊ, 3—कमालगंज, 4—कायमगंज, 5—कन्नौज, 6—मोहम्मदाबाद।
17—इटावा	1—जसवन्तनगर, 2—भरथना, 3—इटावा, 4—औरय्या, 5—अछल्दा, 6—दिबियापुर।
18—कानपुर	1—कानपुर, 2—रूरा, 3—चौबेपुर, 4—पुखरायाँ, 5—बरीपाल, 6—उत्तरीपुरा।
19—फतेहपुर	1—किशनपुर।
20—झांसी	1—मऊरानीपुर, 2—चिरगाँव, 3—मोठ, 4—गुरसराय, 5—झांसी।

1		2
21—जालौन	..	1—उरई, 2—कालपी, 3—कोंच, 4—माधोगढ़, 5—जालौन ।
22—हमीरपुर	..	1—महोबा, 2—मौदहा, 3—राठ, 4—बरुवा-सुमेरपुर, 5—चरखारी, 6—कुरारा ।
23—बाँदा	..	1—कर्वी, 2—बाँदा, 3—अतर्रा, 4—बबेरू, 5—मऊ ।
24—जौनपुर	..	1—जौनपुर, 2—शाहगंज ।
25—गाजीपुर	..	1—यूसुफपुर, 2—सैदपुर ।
26—गोरखपुर	..	1—गोरखपुर, 2—चौरीचौरा, 3—नौतनवा, 4—गरौरा, 5—सहजनवाँ ।
27—देवरिया	..	1—तमकुही रोड, 2—बरहज बाजार ।
28—बस्ती	..	1—बस्ती, 2—शोहरतगढ़, 3—बाँसी, 4—साहिबपुर (शाहपुर डुमरियागंज) ।
29—आजमगढ़	..	1—दोहरी घाट ।
30—रायबरेली	..	1—लालगंज, 2—बछरावाँ, 3—रायबरेली, 4—जायस ।
31—सीतापुर	..	1—सिधौली, 2—बिसवाँ, 3—महमूदाबाद ।
32—खीरी	..	1—लखीमपुर, 2—तिकोनिया, 3—गोलागोकरननाथ, 4—मंगलगंज, 5—पलियाकलाँ, 6—मोहम्मदी ।
33—फैजाबाद	..	1—अकबरपुर, 2— टाण्डा ।
34—गोण्डा	..	1—गोण्डा, 2—कर्नेलगंज, 3—तुलसीपुर, 4—नवाबगंज ।
35—सुल्तानपुर	..	1—सुल्तानपुर, 2—जाफरगंज ।
36—बाराबंकी	..	1—बाराबंकी, 2—सफदरगंज, 3—रुदौली ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 346 पर)

संलग्नक

क्रमांक	कार्य का नाम	वर्ष जिसमें कार्यारम्भ किया गया	अनुमानित लागत	30-6-78 तक किया गया कार्य	30-6-78 तक हुआ व्यय	अवशेष कार्य, यदि कोई हो तो
1	2	3	4	5	6	7
1	कछिया-विरऊपुर सड़क पर मिट्टी कार्य तथा (6'x3') स्पान की पुलिया।	1964	19,500.00	पूर्ण	14,446.97	..
2	6'x1' स्पान की पुलिया ..	1970	7,772.00	पूर्ण	7,000.20	..
3	गौर-परासडीह पर मिट्टी का कर्य ..	1970	3,550.00	पूर्ण	3,628.45	..
4	पुलिया निर्माण 5'x1' ..	1966	2,211.40	पूर्ण	2,183.35	..
5	पुलिया निर्माण 3'x1' ..	1966	1,885.00	पूर्ण	1,914.27	..
6	पुलिया निर्माण नं0 11/2 ..	1966	3,232.95	पूर्ण	2,403.95	..
7	गौर-परासडीह पर सीलिंग कार्य प्रथम 550 मी0 लम्बाई।	1976	22,657.50	480 मील पर सीलिंग का कार्य।	14,576.00	70 मील पर सीलिंग का कार्य बकाया।
8	द्विवीय भाग 550 मीटर ..	1976	22,657.50	265 मी0 पर सीलिंग का कार्य	8,874.00	285 मी0 पर सीलिंग का कार्य
			83,466.35		55,027.19	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 400 पर)

2—श्री ऊदल, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री जयराम, श्री फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री मित्र से। यादव, श्री राम सजीवन, डा0 सुरेन्द्रपाल वर्मा तथा श्री श्याम नारायण —

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—पिछली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों व सरकारी परिसर एवं शिक्षा संस्थाओं में आर0एस0एस0 की शाखाओं पर जो प्रतिबन्ध लगाया था उसका कठोरता पूर्वक अनुपालन किया जायगा और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर पहले जो घुसपैठ आर0एस0एस0 की हुई है। उसका अन्त किया जायगा।

2—प्रदेश में व्याप्त भयंकर अराजकता, हत्याएं, लूट, डकैतियाँ एवं हरिजनों तथा कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जायगा तथा रेलों, बसों में यात्रियों को किस प्रकार से सुरक्षा दी जायगी।

3—किसानों को फसलों गन्ना, आलू, धान, जूट, अन्य कच्चे मालों के मूल्य जो निरन्तर गिर रहे हैं उनका समर्थन मूल्य देने के लिए क्या योजना अपनाई जायगी व कृषि जन्य वस्तुओं एवं औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में किस प्रकार सन्तुलन कायम किया जायगा।

4—किसानों के गन्ने का पिछला बकाया तथा इस वर्ष का मूल्य कब तक और किस प्रकार अदा किया जायगा।

5—बिजली और पानी की दर बहुत ज्यादा है उसको किसानों को उद्योगपतियों को दी जाने वाली दर पर कब से दिया जायगा।

6—बेरोजगारी को दूर करने हेतु किसी ठोस योजना का जिक्र नहीं किया।

7—हिण्डालको के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की।

8—पी0डब्लू0डी0, सिंचाई तथा अन्य सरकारी विभागों में जो कर्मचारी पिछले तीन बर्षों से वर्क चार्ज में कार्य कर रहे हैं, उन्हें कब तक रेगुलर किया जायगा।

9—बिजली विभाग में हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निकाल दिया गया था उन्हें कब तक वापस ले लिया जायगा।

10—पिछली बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए वनों की किस प्रकर रक्षा की जायगी और किस प्रकार नये वनीकरण की व्यवस्था की जायगी।

11—क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने हेतु पर्वतीय अंचल बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए क्या ठोस योजना होगी।

12—समान शिक्षा की प्रथा लागू करने एवं शिक्षा के राष्ट्रीयकरण हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे।

13—श्रमिक न्यायालयों के निर्णय का सेवायोजकों द्वारा विशेष तौर पर हिन्डालको के मालिकों द्वारा अनुपालन न किए जाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जायेंगे तथा श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कैसे कराया जायगा।

14—एशिया के सबसे बड़े बाँध से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वासन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है।

3—श्री राम आसरे वर्मा—

प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—हरदोई जिला एक अत्यन्त ही पिछड़ा जिला है उसके बहुमुखी विकास के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एक अनिवार्यता बन गयी है।

2—बिलग्राम–कन्नौज मार्ग को पक्का कर राजघाट का पुल बनाने की आवश्यकता है।

3—बिलग्राम तहसील की बिरौरा तथा छिबरामऊ विद्युत् लाइनों को चालू करने एवं गैर विद्युत् क्षेत्र एवं गांवों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता है।

4—मल्लावाँ निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली सभी पुरानी ड्रेनों को, जिनकी कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है, उनकी तत्काल सफाई और क्षेत्र को पानी भराव से मुक्त करने के लिए नयी ड्रेनें खोदने की व्यवस्था भी जरूरी है।

5—खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत, बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावाँ विकास खण्डों में विकास के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

6—क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने एवं क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए।

7—प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिए।"

4—डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए 1 और 10 के अनुपात में वेतन-मान निर्धारित किया जायगा।

2—प्राथमिक शिक्षकों से लेकर विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक 'संग्रथित अध्यापक योजना" लागू की जायगी।

3—समस्त छात्रों एवं युवकों के जनतांत्रिक विकास के लिए "छात्र संसद" एवं "युवा संसद" का गठन किया जायगा।

4—प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति अथवा परिवार को एक वर्ष के भीतर जीवन यापन हेतु काम दिया जायगा।

5—प्रदेश के 70 प्रतिशत निरक्षरों, 69 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों एवं अस्पृश्य तथा हेय-पेशे वालों को अनिवार्यतः राजकीय संरक्षण प्रदान किया जायगा।

6—प्रदेश में जाति और बिरादरी सूचक व्यक्ति एवं संस्थानों के नाम प्रतिबन्धित किये जायेंगे।

7—प्रदेश के लगभग 1 लाख 12 हजार गाँवों में प्रत्येक 1 हजार के बीच एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी।

8—प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में एक वर्ष के भीतर कम से कम एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना जन-सहयोग से की जायगी।

9—प्रदेश में कारखानों से उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन मूल्य और बाजार भाव में 1 और 1 1/2 का अनुपात सुनिश्चित किया जायगा।

10—प्रदेश में नौजवानों एवं छात्रों के लिए अधिकार, कर्त्तव्य और दायित्व का बोध कराने के लिए एक 'स्टेट यूथ ला' का निर्माण किया जायगा ।

11—प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए "पावरटी-ला" का निर्माण किया जायगा ।

12—प्रदेश मन्त्रि मण्डल के सदस्य, विधान मण्डल के सदस्यों, अधिकारियों एवं व्य वसायियों आदि के लिए वेतन, आय और कीमतों का समन्वय करते हुए आमदनी एवं खर्च की सीमा का निर्धारण कर एक व्यापक आचार संहिता का निर्माण किया जायगा ।

13—प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन एवं समान सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी ।

14—प्रदेश के प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में, केवल एक ही यूनियन को मान्यता दी जायगी ।

15—प्रदेश में किसी भी विभाग के किसी कर्मचारी को एक वर्ष से अधिक अस्थायी नहीं रखा जायगा ।

16—प्रदेश में होम्योपैथिक छात्रों एवं अन्य छात्र युवा व की समस्याएं प्रादेशिक सम्मेलन आहूत करके अविलम्ब हल की जायेंगी ।

17—प्रदेश सरकार द्वारा घोषित बिक्री-कर की समाप्ति तत्काल की जायेगी और बहुविध करो के स्थान पर केवल एक प्रकार का ही कर-निर्धारण किया जायगा ।

18—प्रदेश में हाई स्कूल तक की परीक्षा निःशुल्क प्रदान की जायगी । और इसे अनिवार्यतः सार्वभौम बनाया जायगा ।

19—प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए 'राज्य शिक्षा आयोग' का गठन किया जायगा और प्रतिभा के ही आधार पर प्रवेश एवं अध्यापकों की नियुक्तियाँ की जायेंगी ।

20— प्रदेश में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए "महिला आयोग" की स्थापना की जायेगी ।

21—प्रदेश में अनारक्षित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए "अनारक्षित वर्ग आयोग" की स्थापना की जावेगी ।

22—प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर "मास्टर प्लान" लागू किए जायेंगे ।

23—प्रदेश के जन नेताओं, अधिकारियों एवं अन्य नागरिकों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति करने के लिए उनकी विगत 20 वर्ष की हैसियत की तुलनात्मक आकलन करते हुए, काले धन के स्रोतों की समाप्ति की जायेगी ।

24—प्रदेश के समग्र विकास के लिए जनसंख्या के आधार पर केन्द्र सरकार के सहायता के रूप में विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त की जायेगी ।

25—प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अध्यापक—छात्र—कर्मचारी परिषद् का गठन किया जायेगा ।

26—प्रदेश में जाति के आधार पर आरक्षण न देकर गरीबी और प्रतिभा को वरीयता दी जायेगी तथा पदोन्नतियों में जातिगत आधार समाप्त किया जायेगा ।

27—कालेलकर कमीशन एवं छेदी लाल साथी आयोग आदि की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जायगा तदुपरान्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जायेगा, जोकि 90 प्रतिशत भी हो सकता है । किन्तु सरकारी सेवाओं में प्रतिभा को ही वरीयता दी जायेगी ।

28—प्रदेश में जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र की 50 प्रतिशत अनुशंसाओं पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है—इन्हें तत्काल पूरा किया जायेगा ।

29—प्रदेश में 18 वर्ष के नौजवानों को अविलम्ब मताधिकार दिया जायगा।

30—प्रदेश में छात्र-संघों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

31—प्रदेश के समस्त शिक्षा संस्थानों में शिक्षा सत्र को नियमित किया जायगा।

32—प्रदेश में व्याप्त अराजकता, असुरक्षा एवं जन-जीवन में व्याप्त निराशा को समाप्त किया जायगा।

33—प्रदेश के मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों को, ऐश्वर्य और विलास प्रियता त्यागने का निर्देश दिया जायगा।

34—प्रदेश सरकार द्वारा काम का अधिकार, 'अनिवार्य घोषित' किया जायगा और यदि सरकार काम देने में असमर्थ रहे तो 60 लाख बेरोजगारों को बेकारी भत्ता देने की व्यवस्था की जायगी।"

5—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री अवधेश नारायण, श्री विद्याशंकर, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री भगवती प्रसाद सिंह, श्री मैनेजर सिंह, श्री पद्माकर लाल, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री बेनी प्रसाद माधव, श्री राम नरेश पाण्डेय, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री सोहनवीर सिंह तोमर, श्री हेमराज लोधी, श्री हाकिम लाल तथा श्री रामजी सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—

1—साम्प्रदायिक ताकतों से निपटने,

2—जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र को कारगर ढंग से लागू करने,

3—विदेशी खुफिया एजेंसियों के प्रभाव से प्रदेश और देश की राजनीति को मुक्त रखने,

4—प्रदेश में व्याप्त चौमुखी भ्रष्टाचार को माप्त करने तथा मन्त्रि मण्डल के कतिपय सदस्यों पर विपक्ष द्वारा तथा जनता पार्टी के ही कई सदस्यों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के गम्भीरतम आरोपों की जाँच करने, तथा

5—आपात्काल में कानून और संविधान को तोड़-मरोड़ कर प्रदेश की जनता पर अत्याचार करने वाले अपराधियों को दंडित कराने के बारे में मौजूदा सरकार के दृष्टिकोण और नीतियों को स्पष्ट नहीं किया।"

6—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

स्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की गन्ना की अप्रत्याशित मन्दी के कारण बिगड़ती हुई दिशा को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

2—प्रदेश में और विशेषकर जनपद शाहजहाँपुर में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था के विषय में।

3—उत्तर प्रदेश के विधायकों की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु प्रत्येक जनपद के मुख्यालय एवं निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय पर आफिस की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, जहाँ बैठकर विधायकगण जन प्रतिनिधि के नाते जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें।

4—उत्तर प्रदेश के विधायकगण को उचित मात्रा में पेट्रोल के स.थ राजकीय वाहन के उपयोग का अधिकार त कि जन प्रतिनिधि की हैसियत से आवश्यकतानुसार अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से भलीभांति परिचित हो सकें ।

5—विधायकों के प्रदेश आवास गृहों पर समुचित टेलीफोन व्यवस्था के विषय में ।

6—जिला श हजहाँपुर में सिंचाई साधनों की समुचित व्यवस्था हेतु ।

7—जनपद शाहजहाँपुर में नवीन पुलों के निर्माण रामगंगा व बहगुल नदियों के ऊपर तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र को स्थायी रूप से बचाव हेतु ।"

7—श्री हरिकेवल प्रसाद—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रदेश में दसवीं कक्षा तक निःशुल्क, समान एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाय । पब्लिक स्कूलों को बन्द कर दिया जाय । उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाया जाय । माध्यमिक शिक्षकों को हड़ताल के समय का वेतन दिया जाय ।

2—पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आ ादी की भूमि (मकान, नाँद, खूंटा, सहन) पर समाज के प्रभावशाली लोगों के नाम भूमिधरी एवं सीरदारी दर्ज है जबकि वे पूर्व से ही आबाद हैं । समाज के प्रभावशाली लोग हरिजनों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके आबादी से बेदखल करने की धमकी देकर बेगार कराते हैं । इसलिए प्रभावशाली लोगों के नाम खारिज कर आबादी दर्ज कर दिया जाय ।

3—सीलिंग से निकली एवं ग्राम समाज की भूमि हरिजनों एवं समाज के निर्बल वर्ग तथा भूमिहीनों में वितरित कर दी जाय । पूर्व में किए गए वितरण की जाँच हो । लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, नैनीताल, गोरखपुर, देवरिया आदि स्थानों पर बड़े-बड़े भू-स्वामि भूमि चुराए बैठे हैं । इसकी जाँच के लिए संसद सदस्यों एवं विधायकों की एक समिति बनाई जाय । इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बड़े-बड़े भू-स्वामियों से भूमि निकाल कर हरिजनों एवं भूमिहीनों में बाँट दी जाय ।

मन्दिरों, मस्जिदों एवं अन्य ट्रस्टों के नाम पर बड़े-बड़े फार्म प्रभावशाली लोगों के कब्जे में हैं । इसकी जाँच कराकर अतिरिक्त भूमि हरिजनों एवं भूमिहीनों में बाँट दी जाय ।

4—कल-कारखाने में बने सामानों का मूल्य लागत से ड्योढ़े से अधिक न हो और लगातार दो फसलों के बीच किसानी माल के भाव में 16 प्रतिशत से अधिक उतार-चढ़ाव न होने दिया जाय ।

5—सभी प्रकार की सिंचाई की दरें समान की जायं । राजकीय नलकूप कमाण्ड एरिया को 200 बीघा किया जाय ।

6—गन्ना किसानों को गन्ने के उचित मूल्य हेतु दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान उनकी पर्चियों के साथ ही दिया जाय तथा उनके हितों की रक्षा की जाय ।

चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा मिलों का आधुनिकीकरण किया जाय । गन्ना किसानों के हितों के रक्षा एवं चीनी उद्योग को जिन्दा रखने हेतु एक आयोग का गठन किया जाय जो अपनी रिपोर्ट छः माह के अन्दर दे दे ।

गन्ना विभाग की प्रारम्भिक इकाइयों (सहकारी गन्ना समिति) को, जो निष्क्रिय पड़ी हैं, सक्रिय किया जाय ।

7—देवरिया जनद के अन्तर्गत सलेमपुर में कागज का कारखाना, लार टाऊन में दुग्ध पाउडर प्लान्ट और भाटपार रानी में हल्दी बनाने का उद्योग स्थापति किया जाय ।

नवम्बर, 1978 में पूर्वी विकास औद्योगिक गोष्ठी, जो देवरिया में माननीय केन्द्रीय उद्योग मन्त्री की मौजूदगी में हुई थी, जिसमें 15 पूर्वी जनपदों के विकास हेतु औद्योगिक योजनायें बनाई गयी थीं, को तत्काल कार्यान्वित किया जाय ।

8—देवरिया जनपद के अन्तर्गत घाघरा नदी पर भागलपुर तथा कपरबार और छोटी गण्डक नदी पर चनुकी में पक्के पुल का निर्माण कराया जाय ।

9—परती बंजर भूमि को तोड़ कर खेती योग्य बनाने हेतु "भूमि सेना" गठित की जाय ।

10—'एक आदमी को एक काम' का सिद्धान्त लागू किया जाय ।

11—बेकारों को बेकारी भत्ता दिया जाय ।

12—डा0 राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने हेतु काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जातियों, महिलाओं को सरकारी, अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों में 60 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाय। शेष जातियों के निर्धन, जिनकी वार्षिक आय 4 हजार रुपए से कम है अथवा जिनके पास 3 1/2 एकड़ से कम भूमि है, को आरक्षण की सुविधा शेष अवसर में से दी जाय ।

13—राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्, उत्तर प्रदेश को मान्यता दी जाय तथा मई, 1973 के पुलिस, पी0ए0सी0 के तथाकथित विद्रोह से प्रभावित जवानों को पुनः सेवा में लिया जाय और समस्त मुकदमे वापस लिए जायं ।

ग्राम चौकीदार को कम से कम 100 रु0 वेतन दिया जाय ।

14—देवरिया जिले के ईंट के भाव में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, गत वर्ष के बराबर ईंट का भाव तत्काल निर्धारित कर प्रभावशाली ढंग से पालन कराया जाय ।

15—अस्पतालों में औषधियों का स्टाक बढ़ाया जाय। देवरिया जिले के अन्तर्गत सलेमपुर, लार और भाटपार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे प्लान्ट लगाया जाय। इसके साथ ही साथ उपर्युक्त तीनों स्थानों पर महिला अस्पताल खोले जायं ।

16—न्याय पंचायत स्तर पर सीमेंट के लाइसेंसियों की नियुक्ति की जाय तथा देवरिया जिले का सीमेंट का कोटा बढ़ाकर 20 हजार मैट्रिक टन प्रति माह किया जाय ।

17—जनता, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारी ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए आवेदन-पत्रों, शिकायती पत्रों पर की गयी कार्यवाही से आवेदनकर्ताओं को तीन माह के भीतर अवगत कराया जाय ।

18—आपात्काल के दौरान छ [illegible] के अमीनों, चपरासियों को पुनः सेवा में लिया जाय ।

19—आपात्काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सेवा मुक्त दाइयों को पुनः सेवा में लिया जाय ।

आपात्काल के दौरान परिवहन निगम से निष्कासित लिपिकों, परिचालकों, चालकों को गुण दोष के आधार पर पन्द्रह दिन के अन्दर सेवा में लिया जाय।

20—व्यायाम शिक्षा को पूरे प्रदेश में अनिवार्य कर व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की जाय ।

21—पदों की उपयोगिता के आधार पर विभागों का पुनर्गठन किया जाय ।

समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर समस्त ग्रामीण स्तरीय कर्मचारियों का वेतन समान किया जाय ।

22—तीन साल से लगातार कार्यरत समस्त राजकीय कर्मचारियों को स्थायी किया जाय ।

23—सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन आदि के मामले में समस्त कार्यवाही तीन माह के अन्दर पूरी कर उनके केसेज का निस्तारण कर दिया जाय ।

24—बाढ़ एवं कटाव रोकने की स्थायी योजना बनाई जाय ।

25—देवरिया जिले के अन्तर्गत धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान खुखुन्दू कटाव, महेन, सोहनाग, दुग्धेश्वरनाथ (मझौली एवं रुद्रपुर) फरिवाँवदीह की खुदाई की जाय तथा इन्हें पर्यटन केन्द्रों के रूप में बदल दिया जाय ।

26—श्रम न्यायालयों में श्रमिकों के मुकदमों का निस्तारण छः माह के भीतर ही कर दिया जाय ।

मिलों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय ।

27—श्रमिक संघों एवं मिल मालिकों के बीच होने वाले पत्राचार (श्रमिकों के हितार्थ) की ओर सरकार की पैनी दृष्टि होनी चाहिए। शासन को श्रमिकों द्वारा हड़ताल एवं अनशन आदि की नोटिस दिए जाने से पूर्व ही समझौता करा देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की श्रमिक अशान्ति न हो ।

28—प्रदेश के जिला परिषदों के तहत कार्यरत बेलदारों, माली, मेट जिनकी सेवावधि 3 साल से लगातार 18 सालों की है, को स्थायी किया जाय तथा उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग के समान वेतन दिया जाय ।

29—ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने एवं शासन में उनकी सक्रिय साझेदारी हेतु उन्हें और अधिकार दिए जायं जिससे डा0 लोहिया का चौखम्भा राज्य का सपना साकार हो ।

30—राजकीय, अर्द्ध राजकीय एवं निगमों के अधिकारी तथा कर्मचारियों की सेवा नियमावली समान बनाई जाय ।

औद्योगिक निगमों एवं अन्य निगमों जैसे राज्य सड़क परिवहन निगम, विद्युत् परिषद् आदि का अध्यक्ष गैर सरकारी लोगों को बनाया जाय ।

31—जेल मैनुअल को संशोधित किया जाय ।

प्रदेश के कारागारों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सिद्ध दोष बन्दियों को मुक्त किया जाय ।

32—राजनैतिक गतिविधियों की निगरानी हेतु गठित पुलिस सेल का प्रयोग भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किया जाय ।

33—प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में अधिक संख्या में विचाराधीन मुकदमों का निस्तारण एक वर्ष के अन्दर कर दिया जाय ।

जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के न्यायालय छः माह के अन्दर स्थापित किये जायं ।

34—गत वर्ष बढ़ी बिजली दर को तत्काल वापस लिया जाय ।"

8—श्री रियासत हुसैन—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया :—

1—अल्प संख्यक वर्गों को संविधान के अनुसार अधिकारों की पूर्ति तथा उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध ।

2—प्रदेश के अलाभकर जोतों (सवा छः एकड़) की लगान में छूट ।

3—उर्दू भाषा को प्रदेश की दूसरी सरकारी भाषा बनाने की घोषणा ।
4—प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की स्थापना का स्वरूप ।
5—प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना ।
6—प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा ।"

9—श्री शिव प्रसाद—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—

1—प्रदेश में इस समय जन जीवन जो असुरक्षित हो गया है, इस स्थिति में शान्ति व्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में किसी विशेष प्रशासनिक कार्यवाही का उल्लेख नहीं है ।

2—प्रदेश के हरिजनों एवं कमजोर वर्ग का जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी रोक-थाम में कोई नये प्रशासनिक कदम उठाने का उल्लेख नहीं है ।

3—व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार उन्मूलन के सम्बन्ध में कोई सुझाव विशेष का उल्लेख नहीं है ।

4—बढ़ते हुए प्रशासनिक व्यय के कारण प्रदेश का जो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है उसे कम करने का कोई उल्लेख नहीं है ।

5—भूमि सुधार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं निर्बल वर्ग को भूमि आवंटन करने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त आवंटित भूमि पर आवंटियों को अब तक कब्जा नहीं मिल सका है उसके बारे में भी शासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है ।"

10—श्री राम अधार राय—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—उ० प्र० में 1 अप्रैल, सन् 1979 से पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जायगा ।

2—प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को ठीक करने के लिए उच्च स्तर पर प्रशासनिक परिवर्तन किया जायगा एवं असामाजिक तत्वों से निपटने हेतु विशेष कानून बनाया जायगा ।

3—स्कूल, कालेज तथा यूनिवर्सिटी में शिक्षा सत्र को ठीक ढंग से चलाया जाय तथा नीचे से ऊपर तक समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जायगा ।

4—बेकारी समाप्त करने के लिए शीघ्र ठोस योजना लागू की जायगी ।

5—आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक नहर के लिए ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा विधान सभा में दिए गए आश्वासन को तत्काल लागू कराकर दुबारा चकबन्दी कराकर बचत की जमीन से नहर निकाली जायगी ताकि किसान भूमिहीन न हो ।

6—आजमगढ़ जनपद में महाराजगंज और शरदहा बाजार के पास छोटी सरयू नदी पर पुल का निर्माण कराया जायगा ।"

11—श्री राम बक्स वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—पिछड़े वर्ग हेतु नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया जायगा ।

2—भयंकर रूप से ओला ग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी, सिंचाई कर, सहकारी एवं भूमि विकास ऋण माफ किए जायेंगे अथवा वसूली स्थगित की जायगी ।

3—आलू के गिरे हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को बर्बाद होने से बचाने के लिए आलू की उचित दर पर सरकारी खरीद एवं भण्डारण की उचित व्यवस्था की जायगी ।

4—प्रदेश के सर्वाधिक आलू उत्पादक जनपद, फर्रुखाबाद में आलू से बनाई जाने वाली खाद्य सामग्री तथा आलू चिप्स, स्टार्च इत्यादि का कारखाना लगाया जायगा ।"

12—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—जनपद बहराइच का सर्वांगीण विकास किया जायगा ।

2—अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत व्यय की जा रही धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही की जायगी ।

3—जनपद बहराइच में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना में बरती जाने वाली शिथिलता को दूर किया जायगा ।

4—जनपद बहराइच के अन्तर्गत माकला एवं राप्ती नदियों की प्रति वर्ष की बाढ़ की चपेट से विकास खण्ड जमुनहा के उत्तरी भाग को स्थायी रूप से बचाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

5—जनपद बहराइच के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहरों के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

6—जनपद बहराइच में वहाँ प्राप्त वन सम्पदा पर आधारित किसी भी उद्योग की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की जायगी ।

7—जनपद बहराइच के अन्तर्गत विकास खण्ड रिसिया, जमुनहा और नवाबगंज में राजकीय नलकूपों के लगाए जाने की व्यवस्था की जायगी ।

8—जनपद बहराइच में शिक्षा के निम्न स्तर को ध्यान में रखते हुए वहाँ सभी स्तर के राजकीय विद्यालयों की अपेक्षाकृत संख्या अधिक की जायगी ।"

13—श्री राजकुमार शर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—आयुर्वेद का प्रसार ।

2—हरिद्वार आदि तीर्थों में जल प्रदूषण निवारण ।

3—पूरे प्रदेश में मद्य निषेध ।

4—लघु तथा मध्यम पत्रों एवं सम्वाददाताओं को सुविधाएं ।"

14—श्री श्याम सुन्दर गुप्त तथा श्री रामजी सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि उन्होंने 12 फरवरी, 1979 को मुजफ्फरनगर में रविदास जयन्ती के अवसर पर हरिजनों के ऊपर हुए पुलिस के अमानुषिक अत्याचारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की निन्दा करने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया ।"

15—श्री गनेशी लाल चौधरी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—नवीन सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, इस पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया ।

2—सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का आजादी के तीस वर्ष बाद भी देश के संविधान के मुताबिक अब भी पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है ।

3—सीतापुर जिले की सिधौली निर्वाचन क्षेत्र में एक भी डिग्री कालेज और बड़े कारखाने नहीं हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़ेपन होने का कोई जिक्र नहीं किया है ।

4—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पर होने वाले अत्याचार विशेष कर मुजफ्फरनगर और आगरा में हरिजनों की दशा का कोई वर्णन नहीं किया है ।

5—राज्यपाल महोदय ने सिधौली निर्वाचन क्षेत्र, जिला सीतापुर में नहरों की पटरियाँ पक्की करने के कार्य का जिक्र नहीं किया है ।

6—प्रदेश में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में हरिजनों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । इस ओर कोई संकेत नहीं किया गया है ।

7—प्रदेश में अवैतनिक जुडीशियल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ।

8—सिधौली निर्वाचन क्षेत्र, जिला सीतापुर में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और खासकर लघु सिंचाई योजना में नहीं के बराबर नलकूप हैं ।"

16—श्री श्यामदत्त पालीवाल तथा श्री गौरी शंकर भैया—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक एवं जातिगत तनावों पर अंकुश लगाने का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दर्शाया ।"

17—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—बाराबंकी जिला एक अत्यन्त ही पिछड़ा जिला है । उसके बहुमुखी विकास के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एक अनिवार्यता बन गयी है ।

2—हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर डिग्री कालेज की स्थापना की जायगी ।

3—हैदरगढ़ से औसानेश्वर घाट तक पक्का मार्ग का निर्माण कराया जायगा । मनकपुर से शाहपुर सिदवी होते हुए मेह नगर बेहटा मानमऊ तक पक्का मार्ग का निर्माण कराया जाय । चौबीसी से कमेला मार्ग का निर्माण कादीपुर से मैनहुवा पतौली तक मार्ग का निर्माण त्रिवेदीगंज से ठाकुरपुर होते हुए कोलहटा तक मार्ग का निर्माण पोखरा रामनगर होते हुए सौनिकपुर होते हुए हसनपुर मार्ग छन्दरौली से कबूलपुर कान्हुपुर परोवाँ पूर देवीगंज होते हुए पशुपुर तक मार्ग, छन्दरौली से गांजीखरा खरावीरु हसवापुर खराकनकू को होते हुए गूढ़ा खुजरो शिवगढ़ मार्ग में जोड़ कर निर्माण लोनी कटना से कान्हपुर तक, बारा से रोमी होते हुए ओसेश्वर घाट तक मार्ग, इन्हौना से सुकुल बाजार होते हुए मवई तक किया जायगा ।

4——हैदरगढ़ तहसील के मुख्यालय पर एक भारी उद्योग धन्धा या चीनी मिल की स्थापना की जायगी।

5——हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत चौबीसी कमेला किरसिया, सुकुलपुर तेजवापुर, कोलहटा, पाखरा, हसनपुर में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा राजकीय चिकित्सालय की स्थापना की जायगी।

6——पटेल पंचायत इण्टर कालेज के अन्दर घुसकर दिनाँक 8 जनवरी को पुलिस ने गोली चलाई, एक छात्र की मृत्यु हो गयी, इस गोली काण्ड की न्यायिक जाँच करवाई जायगी।

7——बाराबंकी जनपद के भ्रष्ट एवं पतित अधिकारियों से जिले को मुक्त कर शान्ति एवं व्यवस्था को बल दिया जायगा।

8——हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत विकास खण्ड हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज के समस्त ग्रामीण क्षत्रों में विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायगी।"

18——श्री देव कुमार यादव——

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :——

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :——

1——राज्यपाल महोदय ने बुन्देलखण्ड विकास आयोग गठित करने की घोषणा नहीं की है।

2——प्रदेश की चीनी मिलों तथा कम्पनियों और हिण्डालको के राष्ट्रीयकरण की घोषणा नहीं की है।

3——प्रदेश के बुनकरों को सस्ती दरों में सूत दिलाने की घोषणा नहीं की है।

4——उर्दू को प्रदेश की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने की घोषणा नहीं की है।

5——प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं को समय से खोलने, परीक्षाएं कराने, छात्र असन्तोष के हल करने और शिक्षकों की न्यायोचित माँगों के समाधान करने की घोषणा नहीं की है।

6——प्रदेश में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा नहीं की है।

7——बाँदा में 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम मुजाहिद नवाब अली बहादुर सानी और उनकी शहीद बहादुर बेटी कु0 राबिया बेगम की यादगार कायम करने के लिए म्यूजियम स्थापति करने, शिक्षण संस्थाएं खोलने और नवाब बाँदा तालाब को पर्यटन केन्द्र बनाने की घोषणा नहीं की है।

8——प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त नहीं की है।

9——प्रदेश में हरिजनों, अल्पसंख्यकों और निर्बल वर्ग के लोगों की जानमाल की रक्षा करने और साम्प्रदायिक दंगों को दृढ़तापूर्वक रोकने की घोषणा नहीं की है।

10——बाँदा जिले का व्यापक औद्योगीकरण करके बेरोजगारी दूर करने की घोषणा नहीं की है।

11——बाँदा जिले में बबेरू, नरैनी तिन्दवारी में कन्या हाई स्कूल और सिंहपुर मर्का, पतवन में लड़कों के हाई स्कूल खोलने की घोषणा नहीं की है।

12——बाँदा जिले में खेड़ापुर पम्प कैनाल बनाने की घोषणा नहीं की है।

13——औगासी और दादौं घाटों पर यमुना नदी में पीपों के पुल बनाने की घोषणा नहीं की है।

14—साडान्से सिंहपुर और पनवन से मदीवाँ तक नई सड़कें बनाने का उल्लेख नहीं किया है।

15—प्रदेश में बढ़ती कीमतों को रोकने और सीमेंट की कमी दूर करने की घोषणा नहीं की है।

16—बाँदा में कमासिन–औस, तिन्दवारी–बाँदा, बदौसा–फतेहगंज, बाँदा–पधड़ी रोड को पक्की करने की घोषणा नहीं की है।

17—बाँदा शहर में व्याप्त भयंकर गन्दगी को हटवाकर जनजीवन को बीमारियों से बचाने की घोषणा नहीं की है।

18—बाँदा जिले में हरिजन खेतिहर मजदूरों को सीलिंग, गाँव सभा कृषि योग्य बंजर भूमि के पट्टे करने और पट्टों पर दी गयी भूमि पर कब्जा दिलाने का उल्लेख नहीं किया है।

19—कर्वी के निकट गणेशबाग को म्यूजियम में बदलने का उल्लेख नहीं किया है।

20—हरदोही, बीरा, कुर्रही, सिंहपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा नहीं की है।

21—बाँदा जिले में व्याप्त भ्रष्टाचारों की जाँच कराने और जेलर को निलम्बित करने की घोषणा नहीं की है।"

19—श्री सूबेदार प्रसाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं किया कि जनपद मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज के परगना अगौरी व विजयगढ़ तथा दुद्धी तहसील के अन्तर्गत वर्ग 4 की आराजी पर जो वहाँ के निवासियों की पुरानी काश्त है, पर भूमिधरी अधिकार प्रदान किया जायगा।"

20—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी तथा श्री भगवान सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार में फिजूलखर्ची रोकने, प्रशासन को स्वच्छ व सक्षम बनाने, शिक्षा को व्यवहारिक व रोजगारपरक बनाने, प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, कृषि मजदूरों की हालत सुधारने, मूल्य वृद्धि रोकने, बिक्री-कर समाप्त करने, भ्रष्ट मन्त्रियों के भ्रष्टाचार की जाँच कराने, प्रदेश के युवकों के कल्याण हेतु एक 'युवक कल्याण निगम' गठित करने तथा फर्रुखाबाद जनपद के आलू उत्पादक कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए आलू स्टार्च व चिप्स कारखाना स्थापित करने तथा जनपद शाहजहाँपुर की तहसील जलालाबाद और फर्रुखाबाद जनपद के ब्लाक राजेपुर में गंगा नदी से भीषण कटाव को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया है।"

21—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया:—

1—संवैधानिक मूलाधिकार, नागरिक सुरक्षा, शासन में लोकतांत्रिक मान्यताओं को समान स्तर पर लाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

2--पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाया गया प्रतिबन्ध असंवैधानिक व नागरिकों के मूलाधिकारों का अतिक्रमण है। इसे तत्काल समाप्त कर संविधान में दिये गये मूलाधिकारों की रक्षा की जायेगी।

3--प्रदेश में व्याप्त नागरिकों में असुरक्षा की भावना को दूर करने हेतु प्रभावी कार्यक्रम अपनाया जायेगा।

4--क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु निर्बल जन व अविकसित क्षेत्रों को विकास में प्राथमिकता दी जायेगी।

5--बाँदा जनपद में बढ़ते अपराध व अराजकता को देखते हुए उसे तत्काल अपराध ग्रस्त जिला घोषित किया जाना चाहिए।

6--जिले के पिछड़े जसपुरा क्षेत्र के विकास के लिए केन नदी में पैलानी में पुल, जिसका सर्वे किया जा चुका है, का निर्माण वित्तीय वर्ष में कराया जायगा।

7--जिले की अनेक लिफ्ट नहरें जो 10 वर्षों से अधूरी पड़ी हैं के पूर्ण करने व कार्य में हुए बिलम्ब की जाँच एवं इस उपेक्षा के लिए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8--जिले की बेकारी को देखते हुए जसपुरा ब्लाक के अन्तर्गत एक पालिटेकनिक कालेज की स्थापना की जायेगी।

9--जिले के बाढ़ पीड़ितों को तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने 15 दिन में ऋण देने व अन्य सहायता देने का आश्वासन दिया था, जो आज तक नहीं हुआ, के सम्बन्ध में शासन अविलम्ब कार्यवाही करेगा और इतने दिन कोई व्यवस्था न कर पाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायगी।

10--प्रदेश से आर्म्स लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त की जायगी या पूर्णरूप से लाइसेंस निरोध किया जायगा।"

22--श्री रमेश चन्द्र कुरील--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:--

1--राज्य सरकार ने जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाया है, उसे तत्काल हटाया जाय।

2--बाँदा जनपद में बढ़ रही गुन्डागर्दी, डकैतियाँ, कत्लों को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठायें जायं।

3--मानिकपुर में इसी वित्तीय वर्ष में एल्युमिनियम फैक्ट्री खोलने हेतु बजट एलाट किया जाय।

4--राजापुर में 1975 का प्रस्तावित राजकीय डिग्री कालेज तत्काल खोला जाय।

5--राजापुर में यमुना नदी पर स्थायी पक्का पुल बनाया जाय।

6--बरगढ़ क्षेत्र में सिलिका रिफाइनिंग फैक्टरी तत्काल खोली जाय।

7--प्रस्तावित बरियारी कला लिफ्ट का इसी वित्तीय वर्ष से निर्माण कार्य शुरू कराया जाय।

8--मऊ, राजापुर, मानिकपुर में राजकीय महिला चिकित्सालय खोला जाय।

9--राजापुर, इटवा, मानिकपुर, मोरकुन्डी में परदवा मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल पूरा कराया जाय।

10--कोल बाहुल्य क्षेत्र मानिकपुर में कोलों के कल्याण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायं तथा कोल जाति को जनजाति घोषित किया जाय।

11—बाँदा जनपद के जो गाँव मध्य प्रदेश के बार्डर से जुड़े हैं, उन गाँवों की सुरक्षा हेतु आर्म्स लाइसेन्स दिये जायं।

12—बाँदा जनपद में नदियों से लिफ्ट से पानी उठाने का विशेष कार्यक्रम दिये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

13—बाँदा जनपद को सम्पूर्ण बाढ़ पीड़ित घोषित कर, लगान, कर्ज माफ किया जाय।

14—हन्ना, छिब्रो, मारकुन्डी, परदवाँ, गाँवों में पुलिस चौकी स्थापित की जाय।"

23—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—उर्दू भाषा को दूसरी भाषा बनाये जाने के सम्बन्ध में।

2—स्थानीय निकायों, ग्राम सभाओं, जिला परिषद्, न्याय पंचायतों, विकास खन्डों के शीघ्र चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में।

3—प्रदेश में बढ़ते हुए जरायम को रोके जाने के ठोस उपाय के सम्बन्ध में।

4—सत्ताधारी दल द्वारा किये गए वादों के अनुसार बेकारों को काम, बेकारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

5—कस्बा नानपारा में नोटीफाइड एरिया में भेदभावपूर्ण नीति के आधार पर लगाये गये हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के पुनः निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

6—विधान सभा चुनाव क्षेत्र 149 नानपारा में लिंक रोड व ट्यूबवेल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

7—विकास खन्ड मिहीपुरवा के ग्राम भरहा तहसील नानपारा, रेंज चकिया, जिला बहराइच में ग्राम समाज की भूमि को अवैधानिक रूप से नोटीफिकेशन गजट द्वारा अधिग्रहण करके वन विभाग को दे दी गयी जिस पर वृक्षारोपण सम्भव नहीं है, उसे निरस्त करने हेतु संकेत नहीं किया गया है।

8—जनपद बहराइच में शिक्षा की बेहद कमी है। पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जनपद होने के आधार पर शिक्षा के विस्तार तथा बेकारों को काम देने हेतु वहाँ कल कारखाने खोले जायेंगे।

9—जनपद की चार तहसीलों में तीन तहसील नानपारा, भिन्गा, केसरगंज बरसात के समय में बाढ़ से ग्रस्त हो जाती है जिससे करोड़ों रुपये की फसल, जीव, सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तथा क्षेत्र का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है जिससे तमाम तरह की बीमारियों से लोग मर जाते हैं, भयंकर बीमारियों से लोग ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके समुचित समाधान हेतु व्यवस्था की जायगी।

10—पूर्व शासन द्वारा स्वीकृत नानपारा में चीनी मिल लाइसेन्स को सत्ता परिवर्तन के बाद निरस्त कर दिया गया जो घोर किसान विरोधी रवैया था उस लाइसेन्स को पुनः जीवित किये जाने के तथा शीघ्र से शीघ्र चीनी मिल का निर्माण करके किसानों को राहत तथा बेकारों को काम दिया जायगा।

11—शहर से गाँव की ओर कार्यक्रम में तहसील नानपारा के गाँव गोपिया, गुलाल पुरवा, पोंडा, सन्टकला, कन्जीबाग, चौधरीगाँव, पुरेना, मटेही, लोकाही, असरफा, बंजारिया, तकिया, बलसिहपुर, साहपुर कला, साहपुर खुर्द बेलहन, जगतापुर, गुलरिया, रामपुर धोबिया, दौलतपुर, चिरैया गढ़उर्रा मझरा, पैरवा, मधवापुर, वोझिया, धर्मपुर वेझी सेमरी

घटुही, सेमरी मलमला, चफरिया, सुजौली, कारीकोट, आम्बाताजपुर, भुलौरा, इमलिया, परसा, अगैय्या, अगवापोखर, प्रेमनगर, मधुवन, सम्मनगाँव, गिरधर पुरवा, लक्ष्मण पुरवा, मेटर्स, कघर, भगवानपुर कुर्मियाना, अडगोडवा, वाफवा, चहलवा, ककरहाँ, निद्धनगर, चितलहवाँ पिपरा, भगडिया, करमोहना में विद्युतीकरण किया जायेगा।

12––विकास खन्ड बसेहा मिहीपुरवा के गाँव हाड़ा व सहरी घुरघुन्टा लोकाही मटेही, झाला में जूनियर हाई स्कूल खोले जायेंगे।

13––नानपारा में डिग्री कालेज व राजकीय अस्पताल खोले जायेंगे।

14––नानपारा को नगरपालिका, मिही पुरवा को टाउन एरिया तथा नवाबगंज व रूपईडीहा में टाउन एरिया घोषित किये जायेंगे।

15––उप नगरपालिका नानपारा के कर्मचारियों का सैंतीस माह का बकाया वेतन दिया जायगा तथा प्राविडेन्ट फण्ड जमा किया जायगा व कस्बा नानपारा की जरजर नालियाँ व सड़कें बनायी जायेंगी तथा विद्युतीकरण किया जायगा।

16––विकास खन्ड मिहीपुरवा में पूर्व स्वीकृत अस्पताल का निर्माण किया जायगा।

17––नानपारा वैद्य भगवानदीन बालिका विद्यालय हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट किये जाने व मिहीपुरवा कन्या जूनियर हाई स्कूल को इण्टर स्कूल किये जाने के सम्बन्ध में।

18––नानपारा व मिहीपुरवा में मण्डी स्थल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

19––नानपारा व मिहीपुरवा में कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने के सम्बन्ध में।

20––जनपद बहराइच में 1978 में आयी भयंकर बाढ़ से तहसील नानपारा के गांव चहलड़ा की भूमि जो काफी दरिया से कट गयी है तथा 90 प्रतिशत भूमि रेगिस्तान हो गयी है, काश्तकारों को दूसरी भूमि पर आबाद किये जाने एवं अनुदान तथा ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में।

21––लेफ्ट घाघरा नहर जो बहराइच से शुरू हो रही है नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना मुआवजा दिये भूमि अधिग्रहण करके भूमि पर कार्य कर रहे हैं एवं मस्जिदें मन्दिर, मरघट, मजार को भी निशाना बनाया जा रहा है जिससे कृषकों में भारी असन्तोष है जिस पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

22––जनपद बहराइच में भूमि आवंटन शीघ्र किया जायगा।"

24––श्री हामिद रजा खां––

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:––

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:––

1––अन्त्योदय योजना को क्रियान्वित करने में बढ़ती जा रही अनियमितताओं एवं धांधलियों को समाप्त किया जाय।"

25––श्री श्याम नारायन तिवारी––

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:––

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:––

1––गोरखपुर जनपद के उत्तरी भाग अत्यन्त पिछड़ा हुआ हिस्सा है और जहाँ सिंचाई के साधन नहीं के बराबर हैं और खासकर निर्वाचन क्षेत्र फरेंदा में सरकारी नलकूपों को लगवाने में प्राथमिकता दी जाय।

2—निर्वाचन क्षेत्र फरेन्दा के फरेन्द बृजमनगंज धानी एवं लक्ष्मीपुर इलाकों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण बहुत कम मात्रा में हुआ है जबकि इस क्षेत्र में आवागमन के लिए मार्गों का सर्वथा अभाव है इस दृष्टि से बृजमनगंज का बृजमनगंज–सहजनवाँ रामपुर मार्ग सोनाबन्दी से गोमर बलिया सहजनवाँ मार्ग, तीन–बहपुरी से मैनहवा पंडित हरैया सम्पयानी मार्ग।

3—परास खाड़े से बदनी बुजुर्ग मार्ग 1–5 सोन चिरैया से सिकारगढ़ मार्ग 6–हाती बेला हरैया से सवरहा मार्ग 7—चरगाँवा मार्ग फरेन्दा ब्लाक के महुआ सिहपुर अयोध्या से रानीपुर मार्ग तक 2—मैजा फरेन्दा निथार महदेवा परास खण्ड तक 3—मनकौरा से सेपरा महराम तक 4—फरेन्दा कस्बे से डडवाह होते हुए हड़रवाधान तक 5—निर्ना मार्ग 6—परस बेनी मार्ग रानीपुर से करदहवाँ मार्ग तथा लक्ष्मीपुर ब्लाक के नौतनवाँ राज मार्ग से करुदहवाँ काशी राज महदेवा, बोकवा से श्रीनगर तक 3–रानीपुर मार्ग से बरगदहवा विशुनपुर बनाया जाय।

4—बी0टी0सी0 पास सभी बेकार अध्यापक अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्त कराया जाय और अगर देर हो तो उन्हें बेकारी भत्ता दिया जाय।

5—सभी जंगल विभाग के 66 लिपिकों को स्थायी किया जाय तथा टाँगिया काश्तकारों को काम के लिए वेतन तथा आवास की व्यवस्था की जाय।"

26—श्री नरेश चन्द्र वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:—

1—आरक्षण विरोधी अभियान को लेकर समाज एवं राष्ट्र विरोधी मुट्ठी भर लोग हिंसक घटनाएं करके प्रदेश की शान्ति एवं व्यवस्था को निरन्तर गिराकर करोड़ों रुपए की सम्पत्ति की क्षति कर रहे है उससे निपटने के लिए कार्यवाही की जायगी।

2—पिछड़ी जातियों के लिए दिये जाने वाले आरक्षण की नीति को नहीं बताया गया है।

3—जनपद खीरी में खड़े गन्ने की पेराई की विषम समस्या है। कश्तकारों की मजबूरी का फायदा उठाकर क्रेशर मालिकान खुले आम 2 रुपया प्रति कुन्टल गन्ना खरीद कर शोषण कर रहे हैं।

4—जनपद खीरी में काश्तकारों को गत व वर्तमान सत्र में बिके गन्ने की कीमत अदा नहीं की जा रही है।

5—जनपद खीरी में गन्ने की खोई के रूप में एक बहुमूल्य कच्चा माल उपलब्ध है, उस पर आधारित कार्ड बोर्ड उद्योग लगाने की योजना की घोषणा नहीं है।

6—जनपद खीरी में शीरे के रूप में एक बहुमूल्य कच्चा माल उपलब्ध है, उसका समुचित उपयोग कर अल्कोहल आधारित उद्योग लगाने की योजना को स्थान नहीं दिया गया है।

7—जनपद खीरी में पर्याप्त वन सम्पदा होते हुए भी कागज उद्योग लगाने की योजना का उल्लेख नहीं किया है।

8—गन्ने के उत्पादन को कम करके तेल की कमी को पूरा करने के लिए तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में किसी योजना की घोषणा के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है।

9—सीमेंट की कमी के बावजूद भी सीमेंट उद्योग को चलाने की योजना की रूप रेखा नहीं है।

10—वर्ष 1978 में मण्डी समितियों द्वारा खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाये गये कच्चे सम्पर्क मार्ग को पक्का किये जाने का उल्लेख नहीं है।

11—अन्त्योदय कार्यक्रमों के उद्घाटन व समापन समारोहों का जिलाधिकारियों ने ठेका ले रखा है ताकि जन प्रतिनिधि दूर रहें और सरकारी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश न हो सके।

12—बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को ठेकेदारी का काम करने के लिए सिक्योरिटी मनी से मुक्ति देने के प्राविधान का उल्लेख नहीं है।

13—तकनीकी प्रशिक्षण के पश्चात् स्वतः रोजगार चलाने की योजनाओं का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

14—सम्पूर्ण प्रदेश में पहली अप्रैल, 1979 से मद्य निषेध की नीति की घोषणा का उल्लेख नहीं है।"

27—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—

1—प्रदेश में करोड़ों व्यक्तियों के बोलचाल की सरल, सरस, समृद्ध, साहित्य एवं विविध लोक कला तथा वाङमय से परिपूर्ण भोजपुरी भाषा के सर्वतोमुखी विकास हेतु भोजपुरी अकादमी की तत्काल स्थापना की जाय।

2—संस्कृत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की दयनीय अवस्था में गुणात्मक सुधार किया जाय तथा उन्हें राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के समान वेतन-मान उपकरण, साज-सज्जा, पुस्तकालय, वाचनालय, लिपिक, जमादार, चौकीदार, चपरासी आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं तथा संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु प्रभावी योजना कार्यान्वित की जाए।

3—प्रदेश में समस्त सरकारी काम-काज तथा शासन द्वारा अन्य प्रदेशों की सरकारों से तथा केन्द्रीय शासन से किया जाने वाला समस्त पत्राचार, आदि हिन्दी भाषा व देवनागरी लिपि में किया जाय।

4—प्रदेश में औद्योगिक उत्पादनों के मुकाबले कृषि उपज, तेजी से गिरते मूल्यों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु तथा कृषकों को कृषि उपज का उचित समर्थन मूल्य देने की गारन्टी दी जाये।

5—अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा आदि दैवी आपदाओं से तथा विभिन्न कृमि, कीट, जन्तुओं से होने वाली कृषि उपज की गम्भीर क्षति को देखते हुए सामान्य कृषि सुरक्षा बीमा योजना लागू की जाय।

6—पूर्वांचल के देवरिया, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, जौनपुर आदि जनपदों के लाखों युवक बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा आदि प्रान्तों के कोयला खानों में अनवरत श्रम के कारण हजारों की संख्या में क्षय रोग से पीड़ित हैं उनके लिए निःशुल्क विशिष्ट टी0 बी0 सैनेटोरियम की व्यवस्था की जाए।

7—प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से गांवों में आदर्श शौचालय की व्यवस्था की जाए।

8—आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान के सर्वांगीण विकास हेतु तथा आयुर्वेद शोध संस्थान एवं अष्टांग आयुर्वेद चिकित्सा के सर्वतोमुखी प्रगति हेतु प्रभावी योजना लागू की जाय।

9—विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश (एडमिशन) में आरक्षण समाप्त करने हेतु सरकारी सेवाओं में कम्पिटीशन (प्रतियोगिता), कन्फर्मेशन, तरक्की, इन्क्रीमेन्ट आदि में आरक्षण समाप्त करने हेतु।

10—वर्ष 1978–79 के निर्धारित बजट का बहुत बड़ा अंश (लगभग 3 अरब रूपये) खर्च न होने के कारण समर्पित हो रहा, इस गम्भीर अपराध के प्रति उत्तरदायी नौकर-शाहों को कठोरतम दन्ड देने के सम्बन्ध में ।

11—सम्पूर्ण शिक्षा का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा पब्लिक स्कूलों को समाप्त किया जाय ।

12—जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में किये गये वादों को समय-बद्ध कार्यक्रम के आधार पर पूर्ण किया जाय ।

13—ग्रामीण पेयजल योजना युद्ध स्तर पर लागू की जाय तथा गांवों, नगरों एवं उपनगरों में दिन-प्रति-दिन बढ़ती गन्दगी को दूर करने हेतु जलोत्सारण योजना लागू की जाय तथा जलवायु प्रदूषण की तत्परतापूर्वक रोकथाम करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकाधिक प्रसार किया जाय ।

14—गंगा, जमुना, सरयू, गन्डक आदि पवित्र नदियों में औद्योगिक दूषित जल एवं गन्दे नालों का गिरना रोका जाए, विशेषकर शक्कर के कारखाने के गन्दे दुर्गन्धयुक्त जल को भूनिहित (अन्डर ग्राउन्ड) किया जाए ।

15—सत्ता का शीघ्र विकेन्द्रीकरण कर पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा स्वशासी संस्थाओं को अधिकाधिक अधिकार दिये जायं ।

16—प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन कर नग्न, निरंकुश, नौकर-शाही को नियंत्रण किया जाए ।

17—सीमेन्ट की दोषपूर्ण वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए ।

18—कलकत्ता, बम्बई आदि के बूचरखानों में जाने वाले गोधन की रक्षा की जाए तथा हरित क्रान्ति एवं श्वेत क्रान्ति के मूल आधार गोवंश की प्रभावी ढंग से रक्षा की जाए ।

19—ईमानदारी एवं कठोरतापूर्वक पूर्ण मद्य-निषेध लागू करते हुये प्रदेश के लगभग एक लाख अवैध शराब के अड्डों को समाप्त कर मन्त्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धड़ल्ले से किये जा रहे मद्यपान को अक्षम्य अपराध करार दिया जाय ।

20—लोक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में मुख्य मन्त्री, न्यायिक दन्डाधिकारी सिविल व सेशन जज को भी सम्मिलित किया जाय ।

21—प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं के अबाधुन्ध प्रसार से जनजीवन के सम्मुख उत्पन्न गम्भीर संकट की रोकथाम की जाए तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट को कड़ाई से रोका जाय ।

22—पडरौना से मंसा छापर (विशुनपुरा विकास खण्ड मुख्यालय) तक पक्के पीच मार्ग के निर्माण हेतु ।

23—बांसी का नालाकरण कर चेंती, मुसहरी, कोठिलवा, माघी, अरनहवां, चिरवइहा, (पडरौना तहसील) के पास बांसी नाले पर पुल का निर्माण ।

24—पडरौना तहसील में चकबन्दी विभाग के लोमहर्षक भयंकर भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु प्रभावी नियन्त्रण ।

25—पडरौना विकास खण्ड तथा बिशुनपुरा विकास खण्ड में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सबसे कम सम्पर्क मार्ग के निर्माण की निष्पक्ष जांच तथा दोनों विकास खण्डों में एकी-कृत ग्रामीण विकास योजना को त्वरित गति से लागू करने हेतु ।

26—अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में प्रदेश में अपोषण के शिकार 80 लाख बच्चों को पोषण आहार तथा उनके सर्वांगीण शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के विकास हेतु तथा बढ़ते हुए बाल अपराधों के तकनीकी व मनोवैज्ञानिक आधार पर नियंत्रण हेतु ।

27—अश्लील व गन्दे, उत्तेजक, अवांछनीय साहित्य के पठन-पाठन पर कठोर नियन्त्रण करने हेतु ।

28—नेपाल व भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर करोड़ों रुपये की प्रतिदिन हो रही तस्करी को रोकने हेतु ।

29—प्रदेश के करोड़ों नागरिकों में व्याप्त असुरक्षा, आतंक व अराजकता के विषाक्त वातावरण के शमन हेतु प्रभावी योजना हेतु ।"

28—श्री दशरथ सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—

1—गोण्डा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। बीस वर्ष के शासन काल में उसका कोई विकास नहीं हुआ है। उसको विशेष पिछड़ा जिला घोषित कर उसके विकास की व्यवस्था की जायेगी।

2—बभनान से गौरा चौकी के बीच शेष भाग 6 किलोमीटर, मसकनवा से डुमरियागंज तथा सादुल्ला नगर से रेहरा मार्ग तथा रेहरा गुमड़ी के शेष 4 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा ।

3—गोण्डा जिला में विकास खंड बभनजोत के ग्राम कूकनगर ग्रान्ट जो लगभग 8000 जन संख्या की ग्राम सभा है तथा हथियागढ़ कस्बे में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जायेगी ।

4—गोण्डा जिला अस्पताल जिसकी सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त है, व्यवस्था ठीक करने तथा उसको आधुनिक तरीके से विकसित किया जायगा ।

5—गोण्डा जिले के ऊपर हर क्षेत्र विकास खन्ड बभनजोत तथा रेहरा में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर राजकीय नलकूप लगाने की विशेष योजना बनायी जायेगी ।

6—गोण्डा जिले में लघु उद्योग तथा भारी उद्योग का प्रचार, प्रसार किया जायेगा ।

7—गोण्डा जिले की गन्ना मिलों का विकास किया जायेगा, मजदूरों तथा किसानों को बकाया मजदूरी तथा गन्ने का दाम दिलाया जायेगा तथा पेराई की कार्य क्षमता बढ़ायी जायेगी ।

8—सम्पूर्ण प्रदेश में बेसिक शिक्षा को सुधारा जायगा, अध्यापकों के स्थानान्तरण का एक स्थायी नियम बनाया जायेगा, विद्यालयों के निर्माण तथा शिक्षा का स्तर ऊपर उठाया जायेगा ।"

28—श्री राम चरन शाह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—

1—भूमिहीन मजदूरों के लिए भूमि वितरण की सही व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

2—जिला खीरी के जिला परिषद् के सभी अस्पतालों में दवाई का पूर्ण अभाव है और वहाँ मरीजों को कोई भी दवा नहीं मिल रही है ।

3—जिला खीरी में दुधुवा नेशनल पार्क के जानवरों द्वारा निकट के निवासियों की जान तथा उनके जानवरों की जान का खतरा है, अतः पार्क की बाउन्डरी बनवायी जायेगी ।"

30—श्री मित्रसेन यादव—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अन्त में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खन्ड हरिगटनगंज में विसुही नदी पर मलेथू बुजुर्ग, लक्ष्मणपुर, ब्रांट मार्ग पर पुल बनाने की बात नहीं कही गयी है।

2—जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खन्ड खन्डासा में गदुरही-ड्योढ़ी मार्ग पर तमसा नदी में पुल बनाने की बात नहीं कही गयी है।

3—फैजाबाद जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र में कृषि योग्य उपलब्ध ग्राम समाज की भूमि के वितरण के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है।

4—फैजाबाद जनपद पिछड़ा जनपद होने के बावजूद भी उसे पिछड़े क्षेत्र की विशेष सुविधा का प्रस्ताव नहीं है।

5—सीलिंग से उपलब्ध भूमि को भूमिहीनों में वितरित न कर उसे फारेस्ट विभाग को सीधे हस्तान्तरित कराने से रोके जाने का उल्लेख नहीं है।

6—भूमि व्यवस्था में कोई मूल संशोधन एवं सुधार का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

7—पुलिस प्रशासन में मूल संशोधन करके प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की बात नहीं कही गयी है।

8—शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने हेतु राष्ट्रीयकरण की नीति अपनायी जाने की बात नहीं कही गयी है।

9—किसानों की फसलों को भी इन्श्योरेंस व्यवस्था के अन्तर्गत लिया जाय और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लागत मूल्य की गारन्टी दिये जाने की बात नहीं है।

10—पिछड़े जिलों में वाटर लागिंग (जल जमाव) के निकासी हेतु जल निकासी योजना लागू किये जाने की बात नहीं है।

11—जनपद फैजाबाद को पिछड़ा जिला मानकर सिंचाई, आवागमन, कुटीर उद्योग तथा शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।"

31—श्री मन्ना लाल—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—

1—जिला खीरी के क्रशर मालिकान द्वारा कृषकों के खून पसीना से सीचे हुए गन्ने का दाम दो रुपया क्विन्टल ही दिया जाता है।

2—गत वर्ष के बकाया गन्ने का दाम अभी तक कृषकों को नहीं मिला।

3—जिला खीरी के अधिकारीगण कृषकों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देते।

4—भूमिहीनों को भूमि आवंटन तो हुआ परन्तु भूमिहीनों को भूमि जोतने को नहीं मिली और न ही उन्हें कब्जा दिया गया है।

5—ग्राम समाज तथा सीलिंग की भूमि पर आतंकवादी तथा बड़े कृषक अवैधानिक कब्जा किये हुए हैं।

6—आरक्षण आर्थिक आधार पर न होकर जातिवाद पर हुआ है।

7—हरिजनों को 18 प्रतिशत नौकरियों में कोटा पूरा नहीं किया जाता है।

8—ग्रामों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाने के प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

9—अन्त्योदय के कार्य-क्रमों में काफी धांधली है जिसके दूर करने के बारे में कार्यवाही की जायेगी।

10—जिला खीरी के ग्रामों की सुरक्षा हेतु गन लाइसेन्स न दिये जाने के फलस्वरूप डकैती का भय व्याप्त है।

11—प्रदेश के अधिकाँश अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण गरीब कृषकों की बात सुनने तथा उनके कठिनाइयों के निवारण हेतु ध्यान नहीं देते।

12—जिला खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र में पक्की सड़कें बनाना तथा पुलों के निर्माण के लिए योजना कोई नहीं है।

13—मोहम्मदी क्षेत्र में औरंगाबाद से बरबर मोहम्मदी होती हुई पुवायाँ तक सड़क बनायी जायेगी।

14—मोहम्मदी क्षेत्र में बरबर हाई स्कूल खोलने तथा बढ़वारी माँग तथा मंगलगंज में अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

15—मोहम्मदी क्षेत्र में बरचा से नगागंज तक जल निष्कासन योजना के अन्तर्गत ड्रेन बनाने के बारे में उल्लेख नहीं है तथा औरंगाबाद परगना में एक दूसरी ड्रेन 3 कि0 मी0 के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है।''

32—श्री सुखपाल पाण्डेय—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद की बात है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित का उल्लेख नहीं किया:—

1—विकम जोत, संगतपुर, मौसिया, लकड़ी पकड़ी, कंजा, बधुआपुर, दुधौरा पूरे कुमार, बैदोलिया, काशीपुर, कटकवारपुर, दुबौलिया बाजार, उमरिया, कलवारी तक पत्थर का ठोकर लगाने का तथा सैकड़ों गाँव को घाघरा नदी के कटान से बचाने के लिए स्थायी योजना बनायी जायेगी।

2—जातीयता के आधार पर आरक्षण समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की नीति अपनायी जायगी तथा सम्पन्न वर्ग एम0 पी0, एम0 एल0 ए0, एम0 एल0 सी0 तथा गजटेड आफिसर को आरक्षण से पृथक् करने की नीति बनायी जायगी तथा पदोन्नति कम्पटीशन, मेडिकल ट्रेनिंग एवं कमीशन के चुनाव में आरक्षण बिल्कुल समाप्त किया जायगा और योग्यता के आधार पर चुनाव किया जायगा।

3—मनोरमा नदी पर भसौड़ा, कुसमौर घाट कोहराये तथा रजवापुर एवं पंडुर घाट पर पक्का पुल बनाया जायगा।

4—श्रृगिनारी से मेढ़ाये कोहराये मार्ग व सरवाडिह से बाँस गाँव महेवा कुंवर, हरैया बाजार मार्ग एवं महुआघाट से काशीपुर मार्ग, अमोढ़ा से काशीपुर और दुखेड़ी से मल्हनी सड़क तथा विशेश्वरगंज से महुघाट अमारी रजवापुर कोहराये मखौडा नकटाघाट, विशेश्वरगंज से बसावनपुर अमोड़ा से वापनपुर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

5—विकास क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत सगरा से बनगवा पड़ाइन तक और टूटी भीटी से महुआपार तक सड़क का निर्माण किया जायेगा।

6—मनिकापुर से मसकनवा, बभनान जिला गोंडा तथा हरैया से बभनान और टूटी भीटी से गौर, परसा से मूडा डिहा, सड़क तथा गौर से गोविन्दनगर, जिला बस्ती की सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

7—बभनान चीनी मिल, जिला गोंडा के मजदूरों ने 17 फरवरी, 1979 से वेतन के बकाया के भुगतान हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है और गन्ना किसानों का लाखों कुन्तल गन्ना खेतों में खड़ा सूख रहा है। मजदूर और किसान का वेतन तथा गन्ने का मूल्य भुगतान किया जायगा तथा गन्ना पेरने की व्यवस्था की जायेगी।

8—प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, उसे भुगतान कराया जायेगा तथा चीनी मिलों को चलाने का प्रयास किया जायेगा।

9—प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

10—प्रदेश में बढ़ रही गुन्डागर्दी, भ्रष्टाचार, आतंक, असुरक्षा, पुलिस की निष्क्रियता, तोड़-फोड़, छात्रों के उपद्रव, विद्यालय, विश्वविद्यालय का बन्द होना आदि विषयों के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

11—हर्रैया विधान सभा क्षेत्र जिला बस्ती में राजकीय नलकूपों का अभाव तथा अस्पतालों की कमी है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय नलकूप अस्पताल बनाये जायेंगे तथा विद्युतीकरण के लिए वृहद् योजना लागू की जाएगी।

12—बस्ती जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। पिछड़ेपन को दूर करने तथा नये उद्योग धन्धे लगाने एवं बेरोजगारों को काम देने की योजना बनायी जायेगी।

13—बिक्रमजोत से दुबौलिया बाजार जिला बस्ती, घाघरा नदी के किनारे बन्धा बनाने तथा बाढ़ की रोकथाम करने के लिए शीघ्र कोई योजना बनायी जायेगी।

14—मनोरमा नदी के तट पर कुशमीर घाट के रजवापुर तक, शेरवाडीह से परेन्दा तक बन्धा निर्माण किया जायगा।

15—हर्रैया तहसील के बाढ़ तथा टूटी हुई सड़कों का निर्माण किया जायगा।

16—पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बेरोजगारी की समस्या हल करने हेतु स्थायी योजना बनायी जायेगी।

17—बस्ती जिले की छः तहसीलों, बस्ती, हर्रैया, डुमरियागंज, नौगढ़, बाँसी, खलीलाबाद में भयंकर बाढ़ के कारण पीड़ित लोगों और बेकारों के लिए नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी।

18—प्रदेश में जिन-जिन विभागों की चुनाव समितियाँ बनी हैं, उन्हें भंग करके जिला स्तर पर रिक्तियों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जायेगी।"

33—श्री आरिफ मोहम्मद खां—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिये जायें :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रदेश में निरन्तर बिगड़ती शान्ति व्यवस्था तथा हरिजन, आदिवासी, निर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने में शासन की अक्षमता का कोई उल्लेख नहीं किया और न ही इन वर्गों की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति और कार्यक्रम की घोषणा की।

2—शिक्षित और अशिक्षित नौजवानों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने सम्बन्धी किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की।

3—प्रदेश में उचित चिकित्सा सेवाओं के अभाव में सामान्य नागरिकों की स्वास्थ्य समस्यायें और उनके निराकरण हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं किया।

4—अलीगढ़ दंगे के उपरान्त अल्पसंख्यक आयोग की जाँच रपट के निष्कर्ष तथा सिफारिशों को लागू करने की कोई घोषणा नहीं की।

5—कृषक वर्ग और मुख्यतः आलू पैदा करने वाले कृषकों की समस्यायें और उनके समाधान हेतु किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया।

6—सार्वजनिक स्थानों और शिक्षा संस्थाओं के प्रांगणों के साम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा प्रयोग पर लगे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कोई घोषणा नहीं की गयी।

7—प्रदेश में मुस्लिम वक्फ अवकाल की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से 15 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक लागत से वक्फ कारपोरेशन की स्थापना की घोषणा नहीं की।"

34—श्री राजनाथ सिंह तथा श्री ईश्वर प्रसाद—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—

1—साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने के सम्बन्ध में।

2—छात्रों के अन्दर श्रम के प्रति निष्ठा पैदा करने एवं नैतिक शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में।

3—विश्वविद्यालय शिक्षकों को आवासीय भत्ता एवं पेंशन की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।

4—बिक्री-कर से व्यापारियों में व्याप्त घुटन से निपटने के सम्बन्ध में।

5—पत्रकारिता को आकर्षक एवं गौरवशाली बनाये जाने के सम्बन्ध में।

6—किसानों के ऊपर लगान के भारी बोझ को कम करने के संबंध में।

7—शासन की स्पष्ट नीति के सम्बन्ध में।"

35—श्री अजीत सिंह सेठी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—

1—पश्चिमी भाग में हाई कोर्ट की बेन्च खोलना।

2—गन्ना उत्पादकों की वर्तमान दुर्दशा को सम्मुख रखते हुए गन्ना मिलों के राष्ट्रीयकरण की योजना।

3—बिजनौर जिले के डिवीजनल हेड क्वार्टर मेरठ के साथ यातायात सुविधा के लिए परिक्षतगढ़ (मवाना तहसील) के समीप गंगा नदी पर पुल का निर्माण करना।

4—खन्डसारी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना आदि।

5—मेरठ जनपद के हरिजन ग्रामों में विद्युतीकरण करना।"

36—श्री चेतराम गंगवार—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—

1—प्रदेश में कृषकों के गन्ने की खरीद तथा उसके मूल्य के भुगतान और पर्चियों के वितरण की दोष पूर्ण नीति को सुधारा जायगा।

2—जिला बरेली की तहसील नबावगंज के ग्राम हंसा में माननीय श्री तिवारी के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सहकारी चीनी मिल को स्थापित किया जायेगा।

3—जिला बरेली में नबावगंज तहसील मुख्यालय पर काँग्रेस (आई) कार्यकर्त्ताओं द्वारा एक नायब तहसीलदार और बख्शी टाउन एरिया नबावगंज के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये जा रहे क्रमिक अनशन, आमरण अनशन, प्रदर्शन तथा सभा आदि पर कार्यवाही की जायगी तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन किया जायगा।

4—जिला बरेली में सैथल-जादीपुर मार्ग पर देवरतिया नदी तथा नकटिया नदी पर पुल बनाया जायेगा तथा ग्राम सेढ़ा और ग्राम मुझैनाजागीर पर एक जूनियर इंजीनियर द्वारा पैसा लेकर टेढ़ी की गयी सड़क को सीधा बनवाया जायेगा।

5—नबावगंज, जिला बरेली में डिग्री कालेज खोला जायेगा।

6—प्रदेश में आर0 एस0 एस0 द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मन्दिर नामक शिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जायेगा ।

7—जिला बरेली में ग्राम हरहरपुर भटकली से हाफिजगंज तक जो पाँच हजार की आबादी का ग्राम है सड़क बनायी जायेगी।

8—शासन में, जिला स्तर पर तहसील, थाने, एस0 डी0 एम0 के कार्यालयों, लेखपाल तथा थाने, दीवान असलहाबाबू, ग्राम सेवक भूमि विकास बैंक तथा सहकारी बैंक और जिलाधीश द्वारा तहसील तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा थानों को नीलाम कर थानेदार तथा तहसीलदार बनाने की गलत परम्परा को मिटाया जायेगा और इन सभी स्तरों पर फैला भ्रष्टाचार को समाप्त किया जायेगा।"

37—श्री रामदेव दुबे—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—

1—प्रतापगढ़ जनपद में नदियों के कन्ठों पर सहस्त्रों एकड़ भूमि परती, बंजर एवं ऊबड़-खाबड़ के रूप में पड़ी हुई है। उसे कृषि योग्य करने की किसी योजना के संकेत अर्थात् बीहड़ भूमि सुधार योजना प्रतापगढ़ जनपद में लागू करने का संकेत नहीं मिलता है। बीहड़ भूमि सुधार योजना प्रतापगढ़ में लागू की जाए।

2—प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत पट्टी तहसील को सई नदी ने दो पाटों में विभक्त कर रखा है। एक पाट से दूसरे पाट में जाने के लिए सई नदी पर कोई पुल नहीं निर्मित किया जा सकता है। यदि जामताली ग्राम के पार्श्व में सई नदी पर पुल-निर्माण, जिसकी ज्वलन्त आवश्यकता है, करा दिया जाए तो इलाहाबाद, प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर जनपदों में आवागमन सुगम हो जायगा।

3—प्रतापगढ़ जनपद के दमदम डिघवट, अन्तरी सुजहा, सुल्तानपुर, जाजापुर जैसे सैकड़ों ग्राम प्रतिवर्ष जलमग्न हो जाया करते हैं और उनका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। उन्हें जल प्लावन से बचाने के लिए कोई योजना नहीं है।

4—प्रतापगढ़ जनपद में जो कि कदाचित प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है, कोई कारखाना एवं उद्योग धन्धा वृहद् अथवा लघु कार्यरत अथवा संचालित नहीं है। फलस्वरूप जनपद की गरीबी अनुदिन बढ़ती जा रही है। इस दशा को परिवर्तित करने हेतु प्रयत्न किया जायेगा ।

5—प्रतापगढ़ जनपद यातायात की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। फतनपुर से बीरापुर, गाजी की बाग से गनेवरा रहेतुआ से जामताली एवहा से कंधई, पट्टी से पृथ्वीगंज, सराय सुल्तानी से शेखपुर, आदि राजमार्गों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है।

6—प्रतापगढ़ जनपद में जहां-जहां नहरें जैसे नरायनपुर रजबहा आदि निकाली जा रही हैं अथवा चौड़ी की जा रही है, कुछ ही काश्तकारों जिनमें अधिकांश गरीब हैं, की भूमि निकल रही है और वे भूमिहीन होते जा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर पुनः चकबन्दी करायी जायेगी ।

7—प्रतापगढ़ जनपद में लगभग 60 प्रतिशत भूमि असिंचित है। फलस्वरूप वह अधिकाधिक गरीब है। सिंचाई के अधिक साधन प्रदान किये जायेंगे।"

उच्च न्यायालय मुजफ्फरपुर